

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2023-24

REALIZE



DREAMS

YOUR

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੋ ਕੀ ਫਤਹਿ

ਪੰਜਾਬ ਈਡ ਸਿੰਥ ਬੈਂਕ
(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਉਪਕ੍ਰਮ)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life


निदेशक मंडल / Board of Directors



डॉ. चरन सिंह / Dr. Charan Singh
अध्यक्ष / Chairman



श्री स्वरूप कुमार साहा / Sh. Swarup Kumar Saha
एमडी एवं सीईओ / MD & CEO



डॉ. रामजस यादव
Dr. Ram Jass Yadav
कार्यकारी निदेशक
Executive Director



श्री रवि मेहरा
Sh. Ravi Mehra
कार्यकारी निदेशक
Executive Director



सुश्री एम जी जयश्री
Ms M G Jayasree
भारत सरकार नामित निदेशक
GOI Nominee Director



श्री के पी पटनायक
Sh. K P Patnaik
आरबीआई नामित निदेशक
RBI Nominee Director



श्री टी आर मेंदीरत्ता
Sh. T R Mendiratta
शेयरधारक निदेशक
Shareholder Director
(11.05.2024 तक) / (upto 11.05.2024)



श्री शंकर लाल अग्रवाल
Sh. Shankar Lal Agarwal
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Part-Time Non-Official Director



श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता
Sh. Rajendra Prasad Gupta
शेयरधारक निदेशक
Shareholder Director
(01.06.2024 से) / (w.e.f 01.06.2024)

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
1. उल्लेखनीय तथ्य	2
2. निदेशक मंडल	3
3. अध्यक्ष का वक्तव्य	4
4. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य	9
5. नोटिस	17
6. निदेशक मंडल की रिपोर्ट	32
7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	40
8. कंपनी अभिशासन रिपोर्ट	44
9. वित्तीय विवरणियां:	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	88
तुलन-पत्र	100
लाभ-हानि खाता	101
अनुसूचियाँ	104
नकदी प्रवाह विवरण	174

बेसल III प्रकटीकरण और व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> पर देखी जा सकती है। व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करने में रुचि रखने वाले शेयरधारक बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं।

Contents

	Page No.
1. Highlights	2
2. Board of Directors	3
3. Chairman's Statement	6
4. MD & CEOs Statement	13
5. Notice	176
6. Director's Report	190
7. Secretarial Audit Report	198
8. Corporate Governance Report	202
9. Financial Statements:	
Independent Auditors' Report	253
Balance Sheet	267
Profit & Loss Account	268
Schedules	270
Cash Flow Statement	341

Basel III disclosures and Business Responsibility and Sustainability Report can be viewed on the Bank's Website <https://punjabandsindbank.co.in/>. Shareholders(s) interested in obtaining a physical copy of the Business Responsibility and Sustainability Report may write to the Company Secretary of the Bank.

In this Annual Report, in case of any discrepancy found in the Hindi version, the English version will Prevail



उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

राशि लाख में / Rupees in Lacs

		31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
1	शाखाओं की संख्या / Number of Branches	1530	1537	1564
2	एटीएम की संख्या / Number of ATMs	676	835	1033
3	चुकता पूंजी / Paid-up Capital	677779	677779	677779
4	आरक्षित निधियां / Reserves	723280	833072	875564
5	जमाएं / Deposits	10213701	10966549	11940955
6	सकल अग्रिम / Gross Advances	7038709	8098173	8596447
7	सकल निवेश / Gross Investments	4276625	4546433	5066761
8	कुल आय / Total Income	805519	893269	1091545
9	कुल व्यय / Total Expenditure	672510	748275	978451
10	परिचालन लाभ / Operating Profit	133009	144994	113094
11	निवल लाभ / (निवल हानि) / Net Profit / (Net Loss)	103905	131303	59542
12	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश / Dividend per Equity Share	0.31	0.48	0.20
13	आस्तियों पर प्रतिफल (%) / Return on Assets (%)	0.85%	0.98%	0.41%
14	सकल एनपीए अनुपात (%) / Gross NPA Ratio (%)	12.17%	6.97%	5.43%
15	निवल एनपीए अनुपात (%) / Net NPA Ratio (%)	2.74%	1.84%	1.63
16	पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	18.54%	17.10%	17.16%
17	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी / CET 1 Capital	12.77%	14.32%	14.74%
18	प्रावधान कवरेज अनुपात / PCR	87.89%	89.06%	88.69%
19	निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin	2.80%	2.91%	2.45%
20	ऋण जमा अनुपात / Credit Deposit Ratio	68.91%	73.84%	71.99%
21	निवल मालियत / Net Worth	505190	678594	783578

निदेशक मंडल / Board of Directors

डॉ. चरन सिंह / Dr. Charan Singh
अध्यक्ष / Chairman

श्री स्वरूप कुमार साहा / Sh. Swarup Kumar Saha
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / MD & CEO

डॉ. रामजस यादव / Dr. Ram Jass Yadav
कार्यकारी निदेशक / Executive Director

श्री रवि मेहरा / Sh. Ravi Mehra
कार्यकारी निदेशक / Executive Director

निदेशक / Directors

सुश्री एम जी जयश्री / Ms. M G Jayasree
भारत सरकार नामित निदेशक / GoI Nominee Director

श्री के पी पटनायक / Sh. K P Patnaik
आरबीआई नामित निदेशक / RBI Nominee Director

श्री टी आर मेंदीरत्ता / Sh. T R Mendiratta
शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director
(11.05.2024 तक) / (upto 11.05.2024)

श्री शंकर लाल अग्रवाल / Sh. Shankar Lal Agarwal
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक / Part-Time Non-Official Director

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता / Sh. Rajendra Prasad Gupta
शेयरधारक निदेशक (01.06.2024 से) / Shareholder Director (w.e.f 01.06.2024)

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer

श्री अरुण कुमार अग्रवाल
Sh. Arun Kumar Agarwal

महाप्रबंधक / General Managers

श्री एस वी एम कृष्णा राव
Sh. S V M Krishna Rao
श्री राजेंद्र कुमार रैगर
Sh. Rajendra Kumar Raigar
श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर
Sh. Gajraj Devi Singh Thakur
श्री मनोज कुमार
Sh. Manoj Kumar

श्री गोपाल कृष्ण
Sh. Gopal Krishan
श्री दिनेश कुमार गोयल
Sh. Dinesh Kumar Goyal
श्री चमन लाल शींहमार
Sh. Chaman Lal Shienhmar
श्री निलेन्द्र के प्रभात
Sh. Nilendra K Prabhat

श्री प्रवीण कुमार
Sh. Praveen Kumar
श्री राजेश सी पाण्डेय
Sh. Rajesh C Pandey
श्रीमती रश्मिता क्वात्रा
Smt. Rashmita Kwatra
श्री विनोद कुमार पाण्डेय
Sh. Vinod Kumar Pandey

लेखापरीक्षक / Auditors

मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी / M/s Chaturvedi & Co
मेसेर्स एस पी चोपड़ा एण्ड कंपनी / M/s S.P. Chopra & Co

मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स / M/s Manohar Chowdhry & Associates
मेसर्स गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स / M/s Gupta Sharma & Associates

अध्यक्ष का वक्तव्य



डॉ. चरन सिंह
अध्यक्ष

प्रिय हितधारको,

मुझे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। भू-राजनीतिक और घरेलू मोर्चों पर चुनौतियों के बावजूद आपके बैंक का कुल कारोबार मार्च 2024 तक ₹ 2 लाख करोड़ को पार कर गया। बैंक ने कई प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की है और ग्राहकों के लाभ के लिए नई पहलों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को फिनेकल 7 से 10 तक और अपने ट्रेजरी

सॉल्यूशन को बेहतर प्रदर्शन और दक्षता के लिए सफलतापूर्वक उन्नत किया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने बढ़ते जोखिम और अनिश्चितताओं के बीच वर्ष 2022 में 3.5 प्रतिशत के मुकाबले 2023 में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करते हुए धीरे-धीरे क्रमिक पुनरुत्थान दिखाया। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, जिसमें ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतें और अस्थिर बाजार शामिल हैं, ने लगभग सभी देशों के लिए चुनौती पेश की है। अनुमानों के अनुसार, आईएमएफ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2024 और 2025 के लिए विकास दर लगभग 3.2 प्रतिशत स्थिर रहेगी, जबकि औसत शीर्ष मुद्रास्फीति वर्ष 2024 के अंत में 2.8 प्रतिशत से घटकर 2025 के अंत में 2.4 प्रतिशत हो जाएगी। यह स्थिरता मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निर्धारित उच्च ब्याज दरों और राजकोषीय सहायता में क्रमिक कमी के कारण है। अधिकांश क्षेत्रों में, वैश्विक मुद्रास्फीति शुरू में अनुमानित गति से अधिक तेजी से घट रही है, जो आपूर्ति-पक्ष चुनौतियों के समाधान और सख्त मौद्रिक नीतियों के कार्यान्वयन से प्रेरित है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

घरेलू अर्थव्यवस्था तेज गति प्राप्त कर रही है, मुद्रास्फीति कम होने लगी है। मार्च 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2024 के 5.09 प्रतिशत से घटकर 4.85 प्रतिशत हो गई। वित्त वर्ष 2023-24 में खनन, विनिर्माण और वित्तीय क्षेत्रों द्वारा संचालित सकल घरेलू उत्पाद में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2021-22 में 9.7 प्रतिशत और 2022-23 में 7.0 प्रतिशत के वृद्धि के बाद, यह लगातार तीसरा वर्ष है जब सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7 प्रतिशत या उससे अधिक रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कई सहायक कारकों का संदर्भ देते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 7.20 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसमें बैंकों और कॉर्पोरेटों के बेहतर तुलन-पत्र, राजकोषीय समेकन में प्रगति, बाहरी प्रबंधनीय संतुलन और बाहरी अनिश्चितताओं से सुरक्षा के रूप में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मांग पक्ष में, विनिर्माण में निरंतर वृद्धि, एक उन्नतिशील निर्माण क्षेत्र और मजबूत ग्रामीण विकास समाहित है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, भारत का बैंकिंग क्षेत्र पर्याप्त रूप से पूंजीकृत और प्रभावी रूप से विनियमित है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने मजबूत आर्थिक विस्तार, उच्च प्रयोज्य आय, बढ़ते उपभोक्तावाद और बेहतर ऋण सुलभता के कारण महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है। इस वृद्धि के प्रमुख कारकों में विशाल उपभोक्ता बाजार, ग्रामीण डिजिटलीकरण पहल और डिजिटल उत्पादों और समाधानों का प्रसार शामिल है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) मजबूत तुलन-पत्र प्रदर्शित करते हैं, जो उनके मजबूती और सुदृढ़ता को दर्शाता है। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने क्रमशः 13.50 प्रतिशत और 19.20 प्रतिशत की जमा और अग्रिम वृद्धि दर्ज की है। आरबीआई के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार दर्ज किया गया और उनका जीएनपीए अनुपात मार्च 2024 में 12 साल के निचले स्तर 2.8 प्रतिशत पर आ गया। उनका एनएनपीए अनुपात भी सुधरकर 0.6 प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। वित्त वर्ष 24-25 में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण खंड के अंतर्गत 13.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

अभिशासन

बैंक सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट अभिशासन आचरण को ग्रहण करने का प्रयास करता है जो स्वतंत्रता, जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, निष्पक्ष और समय पर प्रकटीकरण के आवश्यक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसने वर्षों से विश्वसनीयता का निर्माण किया है। बोर्ड और इसकी विभिन्न समितियों की पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिससे उन्हें बैंक के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का जायजा लेने का अवसर मिलता है। इन समितियों ने बोर्ड के सदस्यों को अपने अभिशासन और पर्यवेक्षी कर्तव्यों का निर्वहन करने तथा उच्च प्रबंधन के कार्य-निष्पादन की निगरानी रखने में सक्षम बनाया है।

बैंक का कार्य-निष्पादन

वर्ष 2023-24 के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की संक्षिप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं-

आपके बैंक का कुल कारोबार 7.72 प्रतिशत बढ़कर ₹2.05 लाख करोड़ हो गया, जिसमें जमा और अग्रिम में क्रमशः 8.89 प्रतिशत और 6.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बैंक ने ऋण पुस्तिका में विविधीकरण जारी रखा है और वित्त वर्ष 2023-24 में रैम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) अग्रिमों का प्रतिशत बढ़कर 51.73 प्रतिशत हो गया जो 14.96 प्रतिशत की खुदरा वृद्धि से प्रणोदित है।

बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है और सकल एवं शुद्ध एनपीए अनुपात क्रमशः 5.43 प्रतिशत और 1.84 प्रतिशत रहा। प्रावधान कवरेज अनुपात 88.69 प्रतिशत रहा, जो ₹758 करोड़ के तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए (टीडब्ल्यूओ) खातों में सुदृढ़ वसूली के कारण संभव हुआ।

बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹1131 करोड़ का परिचालन लाभ और ₹595 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक के बोर्ड ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹0.20 प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश घोषित किया है। मार्च 2024 तक आपका बैंक 17.16 प्रतिशत के पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) और 14.74 प्रतिशत के सीईटी-1 अनुपात के साथ पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है।

भविष्य की रणनीति

आगे बढ़ते हुए, आपका बैंक खुदरा, कृषि, एमएसएमई सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ऋण सहायता प्रदान करके विकसित भारत के दृष्टिकोण में सक्रिय भूमिका निभाएगा। डिजिटल मोर्चे पर, हम नियमित आधार पर नए उत्पाद और सेवाएं जोड़ रहे हैं। हम अधिक समावेशी वित्तीय सेवा परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ लगातार सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, एक मजबूत आईटी मंच के साथ, बैंक अधिक मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने और सतत विकास के लिए ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पहल करने की बेहतर स्थिति में है। बैंक व्यवसाय में सतत, जोखिम-संतुलित और लाभदायक विकास को बनाए रखने का प्रयास करते हुए सुदृढ़ और आघात-सह बने रहने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

मैं सभी हितधारकों, ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन और बैंक में विश्वसनीयता के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार को उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।



Dr. Charan Singh
Chairman

Chairman's Statement

Dear Stakeholders,

I am pleased to present before you the Annual Report of the Bank for the Financial Year 2023-24. Your Bank's Total Business crossed the Rs. 2 lakh crore mark as on March '24 despite challenges on geo-political and domestic fronts. Bank has made progress in several key areas and has successfully implemented new initiatives for the benefit of customers. During the year, Bank has successfully upgraded its Core Banking Solution from Finacle 7 to 10 and its Treasury Solution for better performance and efficiency.

Global Economy

The global economy exhibited resilience and showed a gradual resurgence achieving a growth rate of 3.2 per cent in 2023 against 3.5 per cent in 2022 amidst heightened risks and uncertainties. Global economic uncertainty, including higher energy and food prices coupled with volatile markets posed a challenge for almost all nations. According to the projections, as per IMF latest report, growth for 2024 and 2025 will hold steady around 3.2 percent, with median headline inflation declining from 2.8 percent at the end of 2024 to 2.4 percent at the end of 2025. This stability is primarily attributed to the higher interest rates set by Central Banks to curb inflation and gradual reduction in fiscal support. In most regions, global inflation is declining at a faster pace than initially anticipated, propelled by the resolution of supply-side challenges and the implementation of tighter monetary policies.

Indian Economy

The domestic economy is gaining strong momentum, with inflation beginning to ease. In March 2024, retail inflation fell to 4.85 per cent, down from 5.09 per cent in February 2024. The GDP grew by 8.2 per cent in the fiscal year 2023-24, driven by mining, manufacturing, and financial sectors. This marks the third consecutive year of GDP growth at 7 per cent or higher, following expansion of 9.7 per cent in 2021-22 and 7.0 per cent in 2022-23.

The Reserve Bank of India (RBI) has projected a GDP growth of 7.20 per cent for the fiscal year 2024-25, citing several supportive factors. This includes healthier balance sheets of Banks and corporates, progress in fiscal consolidation, manageable external balance, and ample forex reserves acting as a safeguard against external uncertainties. Further, on the demand side, there's sustained growth in manufacturing, a thriving construction sector and strong rural growth.

Indian Banking Sector

According to the Reserve Bank of India (RBI), India's Banking sector is adequately capitalized and effectively regulated.

The Indian Banking sector has experienced significant growth, fuelled by robust economic expansion, higher disposable incomes, growing consumerism, and improved credit accessibility. Key drivers of this growth include the vast consumption market, rural digitization initiatives, and the proliferation of digital products and solutions.

Scheduled Commercial Banks (SCBs) exhibit robust balance sheets, indicating their health and soundness. During FY 23-24, Schedules Commercial Banks registered deposits and advances growth of 13.50 per cent and 19.20 per cent respectively. As per RBI, the asset quality of Scheduled Commercial Banks recorded sustained improvement and their GNPA ratio moderated to a 12-year low in March 2024 at 2.8 per cent. Their NNPA ratio too improved to a record low at 0.6 per cent. In FY 24-25, Scheduled Commercial Banks are expected to grow by 13.5 per cent under the credit segment.

Governance

The Bank strives to adopt the best Corporate Governance practices which rests on the essential principles of independence, accountability, responsibility, transparency, fair and timely disclosures which have built credibility over the years. The Board and its various Committees meet at regular intervals throughout the year giving them an opportunity to take stock of various aspects of critical importance to the Bank. These Committees enabled the Board members to perform their governance and supervisory duties and have an oversight on the performance of senior management.

Performance of the Bank

The brief highlights of the performance of your Bank during the year 2023-24 are as under:

The Total Business of your Bank grew by 7.72 per cent to Rs.2.05 lakh crore with Deposit and Advances growth of 8.89 per cent and 6.15 per cent respectively. Bank has continued diversification in the loan book and the percentage of RAM (Retail, Agriculture and MSME) advances, increased to 51.73 per cent in FY 2023-24 driven by a Retail growth of 14.96 per cent.

The asset quality of the Bank improved with the Gross & Net NPA ratio of 5.43 per cent and 1.84 per cent respectively. The Provision Coverage Ratio stood at 88.69 per cent driven by strong recovery in Technical Written-Off (TWO) accounts of Rs.758 crore.



Bank registered an Operating Profit of Rs.1131 crore and Net Profit of Rs.595 crore during FY 2023-24. I am happy to announce that the Board of your Bank has declared a dividend of Rs.0.20/- per equity share for the Financial Year ended March 31, 2024. Your Bank is adequately capitalized with Capital Adequacy ratio (CRAR) of 17.16 per cent and CET-1 ratio of 14.74 per cent as on March '24.

Way Forward

Going forward, your Bank will play an active role in the vision of Viksit Bharat by extending credit support to all sectors of the economy including Retail, Agriculture, MSME. On the digital front, we are adding new products and services on an ongoing basis. We are constantly collaborating with the Fintech ecosystem to pave the way for a more inclusive financial service landscape. Further, with a stronger IT platform, Bank is better placed to provide more value added services and take initiatives to cater to the evolving customer expectations for a sustainable growth. Bank will focus on remaining strong and resilient while seeking to maintain sustainable, risk-calibrated and profitable growth in business.

I sincerely thank all the stakeholders, customers for their continued support and trust in the Bank. I would also like to take this opportunity to thank Reserve Bank of India and the Government of India for their support and guidance.

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य



श्री स्वरूप कुमार साहा
एमडी एवं सीईओ

प्रिय हितधारको,

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन के उल्लेखनीय तथ्यों जिनका विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है, को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान पंजाब एण्ड सिंध बैंक, खुदरा व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने और गुणात्मक व्यवसाय को लक्षित करने की अपनी स्पष्ट रणनीति के प्रति प्रतिबद्ध रहा। बैंक का कुल कारोबार ₹2 लाख करोड़ को पार कर गया है। इसके अलावा, भू-राजनीतिक और आंतरिक स्थितियों पर चुनौतियों के उपरांत भी समस्त प्रमुख मापदंडों पर निरंतर कार्य-निष्पादन का यह क्रमिक तृतीय वर्ष है। बिजनस मिक्स में मोडरेट वृद्धि व्यवसाय के सुदृढ़ अंतर्निहित प्रदर्शन को परिलक्षित करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने मजबूत आर्थिक वृद्धि दर्शाई है। एमओएसपीआई के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर 7.0% की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक जीडीपी में 8.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। वास्तविक जीवीए 2023-24 में 7.2% बढ़ा है, जबकि 2022-23 में यह 6.7% था। जीवीए में यह वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में 2023-24 में 9.9% की उल्लेखनीय वृद्धि, जो 2022-23 में -2.2% थी, तथा खनन और उत्खनन क्षेत्र में 2022-23 में 1.9% की तुलना में 2023-24 में 7.1% की वृद्धि के कारण हुई है।

बैंकिंग क्षेत्र

आरबीआई सहित प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्यों के भीतर प्रबंधित करने के लिए नीतिगत दरों को बनाए रखा। आईएमएफ ने वर्ष 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.2% का पूर्वानुमान लगाया है। भारत में वित्तीय क्षेत्र वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के संक्षिप्त प्रकरणों के साथ, समग्र रूप से स्थिर रहा। बैंकिंग प्रणाली ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान अग्रिमों में 19.20% की उचित वृद्धि दर्ज की। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, अधिकांश बैंकों ने उच्च आर्थिक विकास और अनुकूल नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित उचित लाभ और स्थिर परिसंपत्ति गुणवत्ता की सूचना दी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में ₹1,41,203 करोड़ के संचयी लाभ के साथ शानदार प्रदर्शन किया है।

भविष्य का अवलोकन करते हुए, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में 7.2% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो निजी मांग में सुधार, आधारिक संरचना व्यय पर सरकार का ध्यानकेंद्रण, कॉरपोरेट निवेश पुनरुद्धार, सुदृढ़ बैंक ऋण और मध्यम कमोडिटी कीमतों से प्रेरित है।



बिजनेस मिक्स :

जमाराशि और अग्रिम में क्रमशः 8.89% व 6.15 % की संवृद्धि के साथ बैंक के बिजनेस मिक्स ने 7.72 % की मध्यम वृद्धि दर्शाई है। ऋण बही में, हमारे बैंक ने विविधीकरण जारी रखा है और रैम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) अग्रिमों का प्रतिशत वित्त वर्ष 2022-23 में 50.12% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 51.73% हो गया है जो मुख्यतः 14.96% की खुदरा वृद्धि से प्रणोदित है। देयता पक्ष में, कासा जमाराशि में 5.09% की वृद्धि हुई है।

आस्ति गुणवत्ता :

वर्ष 2024 में बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है जो उच्चतर वसूली और उन्नयन से प्रणोदित है। सकल एनपीए अनुपात 154 बीपीएस से सुधरकर 5.43% हो गया और शुद्ध एनपीए अनुपात मार्च 2023 के 1.84% से सुधरकर मार्च 2024 में 1.63% हो गया है। वित्त वर्ष के लिए कुल गिरावट में भी पूर्णरूपेण कमी आई है, जिससे गिरावट अनुपात में भी अपचयन हुआ है। ₹758 करोड़ तकनीकी बट्टे में डाले गए (टीडब्ल्यूओ) खातों में सूद वसूली के साथ मार्च 24 में प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 88.69% हो गया है।

लाभप्रदता :

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने ₹1131 करोड़ का परिचालन लाभ और ₹ 595 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। बैंक की कोर शुल्क आय 31.03.23 को ₹404 करोड़ से बढ़कर 31.03.24 को ₹491 करोड़ हो गई, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 21.53% की वृद्धि है। बैंक के अग्रिमों पर प्रतिफल मार्च '23 में 7.67% से बढ़कर मार्च '24 में 8.66% हो गया।

पूंजी पर्याप्तता :

मार्च 2024 तक बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 17.16% रहा, जो अच्छी तरह से पूंजीकृत है। बेहतर पूंजी नियोजन, आंतरिक संसाधन सृजन और बैंकिंग बही के दक्ष जोखिम प्रबंधन के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के सीईटी-1 अनुपात मार्च 24 को 14.74% हो गया।

लाभांश :

मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक के बोर्ड ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹ 0.20/- के लाभांश की घोषणा की है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र और वित्तीय समावेशन :

- मार्च 2024 तक बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में लक्ष्य को पार कर लिया, जो एएनबीसी का 45.27% और कृषि अग्रिम 18.58% रहा, जबकि विनियामक लक्ष्य क्रमशः 40% और 18% था।
- छोटे और सीमांत किसानों को ऋण, एएनबीसी का 10.16% रहा, जबकि विनियामक लक्ष्य 10.00% था।
- लघु उद्यमों को ऋण, एएनबीसी का 11.84% रहा जबकि विनियामक लक्ष्य 7.50% था।

उचित लागत पर समस्त परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपका बैंक यथासंभव प्रयत्न कर रहा है और मार्च 2024 की समाप्ति तक भारत सरकार के वित्तीय समावेशन मिशन के अंतर्गत 23.30 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए हैं।

कार्यनीतिक पहल :

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, हमारे बैंक ने निर्धारित दीर्घकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रणनीतिक पहल की है। कतिपय महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार हैं:

- आपके बैंक ने शाखा विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा और हमारी शाखाओं की भौगोलिक विषमता को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तरी क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में 33 शाखाएं खोली गईं।
- बैंक ने वर्ष के दौरान अपने सीबीएस मंच का फिनेकल 7 से फिनेकल 10 में उन्नयन किया है, जो हमें बैंक के डिजिटल मंच के माध्यम से सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करने में सक्षम करेगा।
- बैंक ने आईटीएमएस ट्रेजरी सॉफ्टवेयर को अपनाया है, जिससे कार्यकुशलता में सुधार होगा तथा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सहायक होगा।
- आपका बैंक अपने बीसी नेटवर्क के कार्यान्वयन पर दृढ़ता से काम कर रहा है। वर्तमान में, हमारे पास 1,709 बीसी हैं, जबकि मार्च 2023 तक 357 बीसी थे।
- आपके बैंक ने डीएसए मॉडल लागू किया है, जिससे न केवल बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, बल्कि खुदरा ऋण उत्पादों में हमारी बाजार हिस्सेदारी में भी बढ़ोत्तरी होगी तथा कम लागत पर नए ग्राहक वर्ग तक पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी।
- आपके बैंक ने किसानों और व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने में सुविधा प्रदान करने के लिए वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एमएसएमई और कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए पूर्णथा के साथ टाई-अप करने वाले पीएसबी आईजीएनआईटीई का उद्देश्य प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक और सरलीकृत पाठ्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों को स्थानीय भाषाओं में वित्तीय और प्रबंधकीय ज्ञान प्रदान करके सशक्त बनाना है।

पुरस्कार एवं उपलब्धियाँ :

बैंक को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं :

- वित्त वर्ष 22-23 हेतु ईज़ 5.0 प्रशस्ति: बैंक को थीम 4- "सहयोगी और विकास केंद्रित बैंकिंग (कोलेबोरेशन एण्ड डेवलपमेंट फोकस्ड बैंकिंग)" में शीर्ष सुधारक पुरस्कार (टॉप इम्प्रूवर अवार्ड) और प्रथम रनर अप पुरस्कार मिला।
- 92वें एसकेओसीएच सम्मेलन (समिट)2023 में पीएसबी यूनिट (ओएमएनई चैनल) हेतु एसकेओसीएच सिल्वर अवार्ड।
- टियर II बांड के लिए बाह्य क्रेडिट रेटिंग का एए (नकारात्मक) से एए (सकारात्मक) में उन्नयन किया गया।



आगामी लक्ष्य :

भविष्य को देखते हुए, आपका बैंक ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए और अधिक उत्पादों और प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने का कार्य कर रहा है। डिजिटल मोर्चे पर, हम अपने मोबाइल एप पीएसबी यूनिट पर नियमित आधार पर नए उत्पाद और सेवाएं जोड़ने, शाखा विस्तार, कॉरपोरेट बीसी मॉडल का विस्तार, फिन-टेक के साथ-साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी, ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण पर कार्य कर रहे हैं। बैंक व्यवसाय में सतत, जोखिम-संतुलित और लाभदायक वृद्धि को बनाए रखने का प्रयास करते हुए मजबूत और आघात सह बने रहने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

आपका बैंक सर्वोत्तम कॉरपोरेट प्रशासन कार्यों को कार्यान्वित करने तथा अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और लेखा परीक्षा के आश्वासन कार्यों को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है।

ग्राहक केन्द्रित पहलों, डिजिटल उन्नयन और कार्मिकों की क्षमता निर्माण के साथ बैंक अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और कमज़ोर वर्ग के उत्थान में भूमिका का निर्वहन करता रहेगा तथा सतत विकास के माध्यम से वित्त वर्ष 2024-25 में हितधारकों को और अधिक सिद्धि प्रदान करेगा।

मैं श्री कोल्लेगाल वी राघवेंद्र, कार्यकारी निदेशक, सुश्री रश्मि खेत्रपाल, गैर-कार्यकारी निदेशक और बोर्ड के सभी पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों को हमारे सभी प्रयासों में प्रबंधन को उनके बहुमूल्य सहयोग, मार्गदर्शन और सुझावों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं निष्ठापूर्वक सभी हितधारकों, ग्राहकों को हमारे बैंक में उनके निरंतर सहयोग और विश्वास हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार को उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

MD & CEO's Statement



Dear Stakeholders,

It is my privilege to share with you the highlights of the Bank's performance during the Financial Year 2023-24, details of which have been given in the Annual report.

During Financial Year 2024, Punjab & Sind Bank stayed committed to its articulated strategy of focusing on retail business and targeting qualitative business. The Bank's total business crossed the Rs.2 lakh crore in FY 2024. Moreover, this is the Third consecutive year of consistent performance across all major parameters notwithstanding the challenges on the geo-political and domestic fronts. The Moderate growth in Business Mix reflect the strong underlying performance of the business.

Indian Economy

In FY 2023-24, India has shown robust economic growth. As per MOSPI, Real GDP estimated to grow by 8.2% in FY 2023-24 as compared to the growth rate of 7.0% in FY 2022-23. Real GVA has grown by 7.2% in 2023-24 over 6.7% in 2022-23. This GVA growth has been mainly due to significant growth of 9.9% in manufacturing sector in 2023-24 over -2.2% in 2022-23 and growth of 7.1% in 2023-24 over 1.9% in 2022-23 for Mining & Quarrying sector.

Banking Sector

Major central banks, including the RBI, maintained policy rates to manage inflation within mandated targets. The IMF projects global economy growth at 3.2% in 2024. The financial sector in India remained stable overall, with brief episodes of volatility in financial markets. The banking system recorded a healthy growth of 20.20% in advances during FY2024. Withstanding the global uncertainties, most banks reported healthy profits and stable asset quality, supported by higher economic growth and favorable policy measures. Public sector banks have posted a stellar performance in FY2024, with a cumulative profit of Rs.1,41,203 crore.

Looking forward, RBI projects real GDP growth of 7.2% in FY2025, driven by improving private demand, government focus on infrastructure spending, corporate investment revival, robust bank credit, and moderated commodity prices.

Business Mix

Business Mix of the Bank registered a moderate growth of 7.72% with Deposit and Advances growth of 8.89% and 6.15% respectively. In loan book, our bank has continued diversification and the percentage of RAM (Retail,



Agriculture and MSME) advances, increased from 50.12% in FY 2022-23 to 51.73% in FY 2023-24, primarily driven by a Retail growth of 14.96%. In liability side, CASA deposit has increased by 5.09%.

Asset Quality

Bank's asset quality improved in FY 2024, driven by higher recoveries and upgradations. The Gross NPA ratio improved by 154 bps to 5.43% and Net NPA ratio improved from 1.84% as on March 2023 to 1.63% as on March 2024. The overall slippages for the FY were also grossly reduced leading to a reduction in the slippage ratio. The provision coverage ratio (PCR) is at 88.69% as on Mar-24 with Strong Recovery in Technical Written-Off (TWO) accounts of Rs.758 crore.

Profitability

During FY 2023-24, Bank registered an Operating Profit of Rs.1131 crore and Net Profit of Rs.595 crore. Core Fee income of the Bank has increased from Rs.404 crore as of 31.03.23 to Rs.491 crore as of 31.03.24, an increase of 21.53% Y-o-Y basis. Yield on Advances of the Bank increased from 7.67% in March '23 to 8.66% in March '24

Capital Adequacy:

Bank is well capitalized with Capital Adequacy ratio (CRAR) of 17.16% as on March '24. During FY 2023-24, CET-1 ratio of the bank is at 14.74% as on March '24, on the back of better capital planning, internal resource generation and efficient risk management of the banking book.

Dividend:

I am happy to announce that the Board of your Bank has declared a dividend of Rs.0.20/- per equity share for the Financial Year ended March 31, 2024.

Priority Sector and Financial Inclusion:

- Bank surpassed the targets in Priority Sector Advances, which stands at 45.27% and Agriculture Advance at 18.58% of ANBC, as on March '24, against the regulatory target of 40% and 18% respectively.
- Credit to Small and Marginal farmers stands at 10.16% of ANBC, against the regulatory target of 10.00%.
- Credit to Micro Enterprises stands at 11.84% of ANBC, against the regulatory target of 7.50%.

Our Bank is taking every step to provide the banking facilities to all households at a reasonable cost and opened 23.30 lakh PMJDY accounts under Financial Inclusion Mission of Gol as at the end of March 2024.

Strategic Initiatives:

During FY 2023-24, our bank undertook strategic initiatives to achieve the long term objectives set by our bank. Some of the important initiatives are as under:

- Your Bank continued to focus on branch expansion and keeping in mind the geographical skewedness of our branches, 33 branches were opened during the FY 2023-24 in areas other than the northern region.
- Bank has upgraded its CBS platform from Finacle 7 to Finacle 10 during the year which will enable us to offer us a wider array of services through the Bank's digital platforms.
- Bank has migrated to ITMS Treasury software which will improve efficiency and will help in compliance of the guidelines issued by Reserve Bank of India.
- Your Bank is strongly working on the implementation of the BC network in the Bank. Presently, we are having 1,709 BCs as against 357 BCs as on March '23.
- Your Bank has implemented the DSA Model which will not only improve our competitive edge in the market but also increase our market share in Retail Credit products and helps in penetration of the new customer segment at lower cost.
- Your Bank signed a memorandum of understanding with The Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA) to facilitate farmers and traders in providing low interest rate loans.
- PSB IGNITE, a tie up with Poornatha for supporting the MSME and Agri sector aims to empower entrepreneurs with financial and managerial knowledge in vernacular languages, through practical and simplified courses for effective implementation.

Awards & Achievements

Bank has been awarded with:

- In Ease 5.0 Citation for FY 22-23: Bank got the top Improver Award and First Runner up Award in Theme 4- "Collaborative and Development focused Banking".
- SKOCH Silver Award for PSB Unic (OMNI Channel) in the 92nd SKOCH Summit 2023.
- External Credit Rating for Tier II Bonds, upgraded from AA(negative) to AA(positive)

Way Forward

Looking ahead, your bank is working on customizing more products and processes to improve customer experience. On the digital front, we are adding new products and services on an ongoing basis on our Mobile APP PSB UNIC, Branch Expansion, expanding corporate BC model, mutually beneficial partnerships with fin-techs,



capacity building to address evolving customer expectations. Bank will focus on remaining strong and resilient while seeking to maintain sustainable, risk-calibrated and profitable growth in business.

Your Bank strives to implement best corporate governance practices and strengthen assurance functions of Compliance, Risk Management and Audit.

Bank, with customer centric initiatives, digital upgradation and Capacity Building of Employees will achieve the business goals and will continue to play a role in upliftment of poor and also by sustainable growth will add more happiness to the stakeholders in FY 2024-25.

I would like to thank Sh Kollegal V Raghavendra, Executive Director, Ms Rshmi Khetrapal, Non-Executive Director and all the members of the Board, past and present, for their valuable support, guidance and inputs to the management in all our endeavours. I sincerely thank all the stakeholders, customers for their continued support and trust in our Bank. I would also like to take this opportunity to thank Reserve Bank of India and the Government of India for their support and guidance.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21-राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008

कॉरपोरेट कार्यालय : एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

<https://punjabandsindbank.co.in/>

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यावसायिक कार्यकलाप (यों) को परिचालित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ या अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन **बुधवार, 24 जुलाई 2024 को प्रातः 11:00 बजे** किया जाएगा (बैठक का मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा) :

सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप :

मद संख्या 1 : यथा 31 मार्च 2024 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ- हानि खाते, लेखांकन द्वारा रक्षित अवधि के लिए बैंक के कार्यचालन और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र और लेखांकन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, अनुमोदन प्रदान करना और उसे अंगीकृत करना।

मद संख्या 2 : वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश की घोषणा करना।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.07.2024

साकेत मेहरोत्रा
कंपनी सचिव

टिप्पणियां

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य- दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों की 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य- दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें सदस्यों को किसी सामान्य स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। 14वें एजीएम के लिए मानित स्थान नई दिल्ली में बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2008 के विनियमन 58 के अंतर्गत गणपूर्ति में शामिल करने के उद्देश्य से की जाएगी। चूंकि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन किया जाएगा इसलिए सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत इस नोटिस के साथ अपेक्षित मानचित्र संलग्न नहीं है।

2. परोक्षी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होंगे तथा इस प्रकार के परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसरण में शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति को अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/ या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/ इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित सत्यापित प्रति, बैठक की तिथि से 04 दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 19 जुलाई 2024 को अपराह्न 05:00 बजे** तक या इससे पूर्व कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 में जमा नहीं की जाती है अथवा संवीक्षक को scrutinizer@snaco.net पर मेल नहीं की जाती है जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.co.in को भेजा जाना है।

बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर का संवरण:

वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही, **गुरुवार, 18 जुलाई 2024 से बुधवार, 24 जुलाई 2024** (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेंगे।

5. एजीएम आयोजित करने की सूचना बैंक वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> पर अपलोड कर दी गई है। शेयर बाजारों यथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com व www.nseindia.com पर भी सूचना का अवलोकन किया जा सकता है। एजीएम की सूचना, सीडीएसएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा और एजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली उपलब्ध कराने वाली एजेसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रसारित किया गया है।

6. लाभांश का भुगतान:

लाभांश भुगतान करने के लिए अभिलिखित तिथि **बुधवार, 17 जुलाई 2024** होगी।

14वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल ने प्रत्येक ₹10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹0.20 के लाभांश की अनुशंसा की है। वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम निम्नलिखित में समाविष्ट है :

- इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/ सीडीएसएल के अभिलेख के अनुसार **बुधवार, 17 जुलाई 2024** को कार्य-समय की समाप्ति पर हिताधिकारी स्वामी के रूप में, या
- बुधवार, 17 जुलाई 2024** को कार्य-समय की समाप्ति से पूर्व भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से प्राप्त वैध पारेषण/ ट्रांसमिशन अनुरोधों को प्रभावी करने के पश्चात **बुधवार, 17 जुलाई 2024** को शेयरधारकों के रजिस्टर में।

लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतित किया है। बैंक द्वारा लाभांश भुगतान की तिथि से पूर्व अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से लाभांश वारंट/ मांग ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतित नहीं किया है।

पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। अतैव शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पूर्ण बैंक विवरण पंजीकृत/ अद्यतित करें :

- यदि शेयर अमूर्त रूप में हैं तो अपने निक्षेपागार सहभागी (यों) जहाँ उनका डीमेट खाता अनुरक्षित है, के पास निक्षेपागार सहभागी (यों) द्वारा अपेक्षित हो सकने वाले फॉर्म व दस्तावेज़ जमा करके, तथा
- यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है तो बैंक/ बैंक आरटीए के पास निम्न दस्तावेज़ जमा करके :
 - शेयरधारक का नाम, फोलियो संख्या, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक व शाखा का नाम तथा पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण) समाविष्ट हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति।
 - पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, तथा
 - निरस्त चेक लीफ।

7. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान (शेयर प्रमाण-पत्र)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के मास्टर परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांकित 07 मई, 2024 के अनुसार भौतिक रूप में शेयर रखने वाले समस्त शेयरधारकों के लिए पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण (पिन सहित डाक पता और मोबाइल नंबर), बैंक खाता विवरण और उनके तद्विषयक फ़ोलियो नंबर के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.04.2024 से इस प्रकार के शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड अर्थात बैंक खाते में प्रत्यक्ष क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा। लाभांश भुगतान के लिए लाभांश वारंट नहीं भेजा जाएगा।

भौतिक रूप (शेयर प्रमाण-पत्र) में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिन्होंने सेबी द्वारा निर्धारित दस्तावेज अर्थात उचित बैंक विवरण, पैन, केवाईसी दस्तावेज और नामांकन विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं, को लाभांश भुगतान तिथि पर लाभांश का भुगतान किया गया

माना जाएगा, हालांकि शेयरधारक (ओं) द्वारा उचित बैंक विवरण सहित संपूर्ण दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध कराए जाने तक लाभांश राशि, बैंक के लाभांश खाते में रखी जाएगी। बैंक/ बैंक आरटीए में उचित बैंक विवरण, अन्य केवाईसी दस्तावेज और नामांकन विवरण प्राप्त होने पर लाभांश, संबंधित शेयरधारक (ओं) के बैंक खाते में सीधे क्रेडिट कर दी जाएगी।

उपरोक्त के मद्देनजर, भौतिक रूप में शेयर (शेयर प्रमाण-पत्र) रखने वाले शेयरधारक (ओं) से अनुरोध है कि वे बैंक/ बैंक आरटीए को अविलंब उचित बैंक विवरण, अन्य केवाईसी और नामांकन विवरण प्रस्तुत करें जिससे लाभांश भुगतान तिथि पर ही उन्हें अपने बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश प्राप्त हो सके।

8. लाभांश भुगतान पर कर

- (i) आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसरण में, 1 अप्रैल 2020 से शेयरधारकों को भुगतान या वितरित किया गया लाभांश कर योग्य है तथा बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दर हेतु आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और तत्संबंधी संशोधन का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक/ आरटीए (भौतिक रूप में शेयर होने की स्थिति में) तथा निक्षेपागारों (यदि शेयर डीमेट रूप में है) के पास अपना पैन अद्यतित कराएं।
- (ii) निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक जिसके पास वैध पैन है और जो आयकर भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है वे स्रोत पर कर की कटौती न होने संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या 15-जी/ 15-एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारक कृपया नोट करें कि पैन पंजीकृत न होने की स्थिति में 20% की उच्च दर पर कर कटौती की जाएगी। अनिवासी शेयरधारक, भारत और उनके आवासीय राष्ट्र के मध्य हुए कर समझौते के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज जैसे कोई स्थाई अधिष्ठान और हिताधिकारी स्वामित्व घोषणा-पत्र, कर निवासी प्रमाण-पत्र, फॉर्म 10-एफ, कर समझौता लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज/ घोषणा-पत्र को <https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर अपलोड करके हितकारी दर प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित दस्तावेज/ फॉर्म, बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> पर उपलब्ध है।
- (iii) शेयरधारकों से अनुरोध है कि **बुधवार, 17 जुलाई 2024** को अपराह्न 5:00 बजे (आईएसटी) तक आरटीए की वेबसाइट अर्थात् <https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करें ताकि बैंक, उचित टीडीएस/ रोके गए कर दर पर कर निर्धारण और कर कटौती कर सके।

9. शेयरधारकों का मताधिकार:

अधिनियम के खंड 3 (2 ई) के प्रावधानों के संबंध में, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित बैंक के किसी भी शेयरों के संबंध में, समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008 के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को ही उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर, संयुक्त धारक के नाम पर है तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ई-एजीएम में उपस्थित होने हेतु पात्र है तथा कार्यसूची

की मदों पर दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अथवा दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग नहीं करने की स्थिति में ई-एजीएम के दौरान मताधिकार का पात्र है।

10. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान

- I. एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 44, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत शेयर बाजारों के साथ सूचीयन करार तथा प्रावधान के अनुसरण में बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग व एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में परिचालित किए जाने वाले व्यावसायिक मदों के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए शेयरधारक की पात्रता निर्धारित करने की निर्दिष्ट तिथि **बुधवार, 17 जुलाई 2024** है।
- II. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व तथा निर्धारित समय पश्चात वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षक इत्यादि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ-पहले पाओ के प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
- III. **दूरस्थ ई-मतदान और एजीएम के दौरान ई-मतदान तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक से जुड़ने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:**

चरण 1 : अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के प्रकरण में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले तथा अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के प्रकरण में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

- i **शनिवार, 20 जुलाई 2024 को पूर्वाह्न 10.00** बजे से दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होगी तथा **मंगलवार, 23 जुलाई 2024 को अपराह्न 05.00** बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास निर्दिष्ट तिथि **बुधवार, 17 जुलाई, 2024** को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयर है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदान की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।
- ii शेयरधारक जिन्होंने बैठक तिथि से पूर्व ही मतदान कर दिया है, बैठक के दौरान मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
- iii भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अंतर्गत **सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242**

दिनांकित 09.12.2020 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को समस्त शेयरधारकों के संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि यह पाया गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/ खुदरा शेयरधारकों की सहभागिता नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने वाले अनेक ई-मतदान सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण तथा अनेक यूजर आईडी और पासवर्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए **समस्त डीमेट खाताधारकों को उनके डीमेट खाते/ निक्षेपागारों की वेबसाइट/ निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से, एकल लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा** ई-मतदान को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमेट खाताधारक, ईएसपी के साथ पुनः पंजीकरण बिना अपना मतदान करने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की सुगमता और सुविधा भी बढ़ेगी।

चरण 1 : डीमेट रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के प्रकरण में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

- iv **सूचीबद्ध** कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मतदान सुविधा पर **सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/ सीआईआर/पी/ 2020/242 दिनांकित 9 दिसंबर, 2020** के संबंध में, डीमेट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागारों तथा निक्षेपागार सहभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमेट खाते के माध्यम से मतदान की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-मतदान सुविधा के अभिगम के लिए अपने डीमेट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित कराएं।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में, **डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए** ई-मतदान और आभासी बैठक में भाग लेने के लिए लॉगिन प्रक्रिया नीचे दी गई है :

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन विधि
सीडीएसएल निक्षेपागार के पास डीमेट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	<ol style="list-style-type: none"> 1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल Easi/ Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-मतदान पृष्ठ पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि Easi/ Easiest में लॉगिन करने के लिए सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com का अवलोकन करें तथा और लॉगिन आइकन व New System Myeasi पर क्लिक करें। 2) सफल लॉगिन के बाद Easi/ Easiest उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे, जहाँ ई-मतदान प्रगति पर है। ई-मतदान विकल्प में क्लिक करने पर उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता का ई-

	<p>मतदान पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध हैं ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट का अवलोकन कर सकें।</p> <p>3) यदि उपयोगकर्ता Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण करने का विकल्प www.cdslindia.com पर उपलब्ध है। लॉगिन और New System Myeasi Tab पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</p> <p>4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के आवरण पृष्ठ पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमेट खाता संख्या और पैन नंबर डालकर सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम, डीमेट खाते में अभिलिखित पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात उपयोगकर्ता उस ई-मतदान विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहां ई-मतदान प्रगति पर है और समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की प्रणाली में सीधे अभिगम करने में भी सक्षम होगा।</p>
<p>एनएसडीएल के पास डीमेट मोड में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक</p>	<p>1) यदि आप पहले से ही NSDL IDeAS सुविधा के लिए पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-सेवाओं का आवरण पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "Login" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें, जो 'IDeAs' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात, आप ई-मतदान सेवाओं को देख पाएंगे। ई-मतदान सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>2) यदि उपयोगकर्ता, IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" का चयन करें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>3) एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-मतदान सिस्टम का आवरण पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में आपका सोलह अंकों का डीमेट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-मतदान पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-मतदान अवधि</p>



	के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
अपने निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमेट मोड में प्रतिभूति धारक)	आप ई-मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमेट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-मतदान का विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपको सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-मतदान सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forget User ID and Forget Password' विकल्प का प्रयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क :

लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री संख्या 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक तथा डीमेट रूप में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

v **भौतिक शेयरधारकों तथा डीमेट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई-मतदान और आभासी बैठक में शामिल होने के लिए के लिए लॉगिन विधि।**

1. शेयरधारकों को ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना चाहिए।
2. "Shareholders" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
3. अब निम्नानुसार अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें :
 - i. सीडीएसएल हेतु : 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
 - ii. एनएसडीएल हेतु : 8 अंकों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।

- iii. भौतिक रूप में शेयरधारक, कंपनी में पंजीकृत अपनी फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
4. दर्शाई गई ईमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
5. यदि आपके पास शेयर डीमेट रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन किया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान किया है तो अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
6. यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए चरणों का अनुसरण करें :

	भौतिक शेयरधारकों तथा डीमेट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक *पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) <ul style="list-style-type: none"> • ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना पैन, बैंक/ डिपोजिटरी सहभागी के पास अद्यतित नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने हेतु अपने डिमेट खाते में या बैंक अभिलेख में अभिलिखित लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (दिन/ माह/ वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें। <ul style="list-style-type: none"> • यदि दोनों विवरण निक्षेपागार या बैंक के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।

- vi इन विवरणों को उपयुक्त रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।
- vii सदस्य जिनके पास मूर्त रूप में शेयर हैं, सीधे कंपनी सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। तथापि, सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "Password Creation" मेन्यू में पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड स्थान में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि डीमेट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए पात्र है, किया जा सकता है बशर्ते कंपनी, सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का चयन करती है। प्रबलतापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- viii सदस्य जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं, इस नोटिस में निहित संकल्प पर केवल ई-मतदान के लिए ब्यौरे का उपयोग किया जा सकता है।
- ix पंजाब एण्ड सिंध बैंक के "EVSN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।
- x मतदान पृष्ठ पर आप "RESOLUTIONS DESCRIPTION" के समक्ष YES/ NO का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। इच्छानुसार "YES" अथवा "NO" विकल्प का चयन करें। "YES" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा "NO" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।
- xi यदि आप सभी संकल्प विवरणों को देखना चाहते हैं तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें।
- xii मतदान करने के लिए संकल्प चयन के पश्चात "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "CANCEL" पर क्लिक करें व तदनुसार अपना मतदान संशोधित करें।
- xiii संकल्प पर एक बार मतदान की "पुष्टि" के पश्चात मतदान को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
- xiv मतदान पृष्ठ के "Click here to print" विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

- xv यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आईडी और ईमेल सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें तथा "Forgot Password" पर क्लिक करें और प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- xvi यहाँ पर BR/POA अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी है (यदि कोई अपलोड है) जिसे सत्यापन के लिए संवीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा।
- xvii **गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा - केवल दूरस्थ मतदान के लिए**
- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अतिरिक्त) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा और "Corporates" मॉड्यूल में स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
 - पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति जिस पर संस्था की मुहर तथा हस्ताक्षर हो, को helpdesk.evoting@cDSLindia.com पर मेल की जानी चाहिए।
 - लॉगिन विवरण प्राप्त होने के बाद, एडमिन लॉगिन तथा पासवर्ड का उपयोग करके अनुपालन यूजर सृजित करना चाहिए। अनुपालन यूजर, खाता (ओं) को लिंक करने समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
 - लॉगिन में संबद्ध खातों की सूची स्वतः मैप होगी तथा गलत मैपिंग के लिए डी-लिंक भी की जा सकती है।
 - यह अनिवार्य है कि बोर्ड संकल्प तथा मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति जिसे उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है (यदि कोई है), तो संवीक्षक के पास उसके सत्यापन के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।
 - वैकल्पिक रूप से गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो मतदान के लिए अधिकृत है, के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र इत्यादि, संवीक्षक तथा बैंक को ईमेल पते अर्थात scrutinizer@snaco.net तथा complianceofficer@psb.co.in पर भेजना आवश्यक है यदि वे वैयक्तिक टैब से मतदान कर चुके हैं और जांच के लिए उसे संवीक्षक को सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया गया है।

जिन शेयरधारकों के ई-मेल/मोबाइल नंबर, बैंक अथवा निक्षेपागारों के पास पंजीकृत नहीं है, उनके लिए प्रक्रिया :

1. **भौतिक शेयरधारकों के लिए** - कृपया complianceofficer@psb.co.in/ delhi@linkintime.co.in को ई-मेल द्वारा आवश्यक विवरण यथा फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रति (अग्र और पश्च), पैन (पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराएं।
2. **डीमेट शेयरधारकों के लिए** - कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें।
3. **वैयक्तिक डीमेट शेयरधारकों के लिए** - कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें जो ई-मतदान करने तथा डिपॉजिटरी के माध्यम से आभासी बैठक में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और बैठक के दौरान ई-मतदान करने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन बैठक में भाग लेने तथा ई-मतदान के लिए प्रक्रिया, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।
2. बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद बैंक के ईवीएसएन प्रदर्शित किए जाने वाले स्थान पर उपलब्ध होगा।
3. दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान के पात्र नहीं होंगे।
4. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/ आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।
5. तत्पश्चात, शेयरधारकों को कैमरा उपयोग की अनुमति देने तथा बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट के उपयोग की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/ विडियो घटने का अनुभव हो सकता है। किसी प्रकार के पूर्वोक्त गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन के उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
7. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, **17 जुलाई, 2024 तक** अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपना अनुरोध स्पीकर के रूप में complianceofficer@psb.co.in पर पंजीकृत करें। वे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी विषय में जानकारी चाहिए तो **17 जुलाई, 2024 तक** अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपने प्रश्न complianceofficer@psb.co.in पर भेजें। इन प्रश्नों के उत्तर बैंक द्वारा ई-मेल से समुचित रूप से दिया जाएगा।
8. जिन शेयरधारकों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किया है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
10. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से किसी शेयरधारक द्वारा मतदान किया जाता है और उस शेयरधारक ने वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारक द्वारा किए गए मतदान को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

यदि आपको एजीएम में भाग लेने एवं सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली से ई-मतदान के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़े सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क करें।

11. संवीक्षक

निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए बैंक द्वारा मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यम एण्ड कंपनी, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।



एजीएम संपन्न होने के 48 घंटे भीतर संवीक्षक, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा शेयर बाजारों एवं बैंक वेबसाइट पर संवीक्षक रिपोर्ट सहित परिणाम डालकर तत्काल मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

12. अदत्त \अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं लिया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट से उपरोक्त पते पर या एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 पर बैंक के शेयर कक्ष में संपर्क करें।

13. अन्य सूचना

- सेबी और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, ई-मतदान की प्रक्रिया तथा शिष्टता दर्शाने के साथ-साथ बैंक की 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना समाविष्ट, 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट उन समस्त शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जा रही है जिनके ई-मेल आईडी, रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात "लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड"/ निक्षेपागार सहभागी (यों) के पास पंजीकृत हैं।
- बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए 'हरित पहल' के मद्देनजर शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमेट रूप में धारित शेयरों के लिए अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास तथा भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के आरटीए (आरटीए का ईमेल आईडी: delhi@linkintime.co.in) के पास अपना ईमेल आई-डी पंजीकृत करें। इसके अतिरिक्त नाम, डाक-पता, ई-मेल पता, दूरभाष/ मोबाइल नंबर, स्थाई खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण यथा बैंक का नाम व शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक उसकी सूचना अपने डीपी को दें तथा भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक आरटीए को सूचित करें।
- समरूप नाम या संयुक्त नाम के समान क्रम में अनेक फोलियो में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि एकल फोलियो में समेकन के लिए अपने शेयर प्रमाण-पत्र, आरटीए को प्रेषित करें।

14. शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण

इस संचार के किसी भी प्रकरण अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयर/लाभांश से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे पर स्पष्टीकरण/सहायता के लिए आप हमसे/आरटीए से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने पत्राचार/संचार में अपना फोलियो नंबर/ दूरभाष नंबर/ मोबाइल नंबर/ ई-मेल पता उद्धृत करें) :

<p>लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 दूरभाष: +91 11 4141 0592, 93, 94 फैक्स: +91 11 4141 0591 ई-मेल: delhi@linkintime.co.in</p>	<p>कंपनी सचिव पंजाब एण्ड सिंध बैंक कॉरपोरेट कार्यालय - एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स प्रथम तल, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर नई दिल्ली-110023 दूरभाष : 011-40175169 ई-मेल : complianceofficer@psb.co.in</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/सीआईआर/2023/72 दिनांकित 08 जून, 2023 के माध्यम से आरटीए को सेवा अनुरोधों/शिकायतों के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल ऑनलाइन व्यवस्था या पोर्टल स्थापित करने की सलाह दी थी।

सेबी के परामर्श अनुसार, बैंक आरटीए (मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने नवीनतम निवेशक स्व-सेवा पोर्टल 'SWAYAM' आरंभ किया है।

'SWAYAM' एक सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब आधारित एप्लिकेशन है जो शेयरधारकों को विभिन्न सेवाओं तक सुगम पहुंच के लिए सक्षम करता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एप्लिकेशन पर अपना पंजीकरण करें और पोर्टल का प्रत्यक्ष अनुभव लें।

इस एप्लिकेशन को <https://swayam.linkintime.co.in> पर एक्सेस किया जा सकता है।

- सेवा अनुरोध का प्रभावी समाधान - SWAYAM के माध्यम से सेवा अनुरोध/शिकायत करें और उसकी स्थिति प्राप्त करें।
- विशेषताएं – उपयोगकर्ता-अनुकूल जीयूआई।
- लाभांश/ ब्याज/ संदाय/ स्पलिट जैसी कॉरपोरेट कार्रवाई करें।
- पैन आधारित निवेश - पैन से संबद्ध खातों, कंपनीवार धारिता और प्रतिभूति मूल्यांकन तक पहुंच प्रदान करता है।
- अदत्त राशि के लिए सहजतापूर्वक अनुरोध करें।
- स्वयं सेवा पोर्टल – अमूर्त रूप में धारित प्रतिभूतियों और भौतिक प्रतिभूतियों के लिए, जिनके फोलियो केवाईसी अनुरूप हैं।
- विवरणी - संपूर्ण धारिता और कॉरपोरेट लाभ की स्थिति का अवलोकन करें।
- लॉगिन पर द्विकारक प्रमाणीकरण (2FA) - निवेशकों के लिए सुरक्षा उन्नत करता है।

15. पैन, केवाईसी, बैंक विवरण तथा नामांकन इत्यादि प्रस्तुत करने के लिए मानदंड :

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांकित 16.03.2023 के अनुसार, मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक/बैंक आरटीए को उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में मूर्त रूप में शेयर रखने वाले समस्त शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण तथा नामांकन विवरण इत्यादि नीचे दिए गए प्रपत्रों में अविलंब बैंक/आरटीए को प्रस्तुत करें :

क्र. सं.	फॉर्म/प्रपत्र	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए।
2	फॉर्म आईएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि के लिए।
3	फॉर्म आईएसआर-3	नामांकन के ऑप्टिंग-आउट के लिए घोषणा-पत्र।
4	फॉर्म एसएच-13	नामांकन फॉर्म।
5	फॉर्म एसएच-14	नामांकन का निरसन या परिवर्तन (यदि कोई हो)।

उपरोक्त समस्त फॉर्म (आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14) हमारी वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/system/uploads/document/2150_2021123116360123014.pdf पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के मद्देनज़र हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 पर बैंक आरटीए को समर्थित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म जमा करें।

सेबी ने अपने परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांकित 17.11.2023 के माध्यम निम्नलिखित प्रावधान को समाप्त कर दिया है :

- जिन फोलियो में अनिवार्य विवरण यथा पैन्, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण उपलब्ध नहीं हैं, उनको अवरुद्ध/कीलन करना।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारी को फोलियो का संदर्भ देना।

16. भौतिक धारिता का अमूर्तीकरण – विशेष अनुरोध :

- a) सेबी ने अपने प्रेस-विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांकित 27.03.2019 के माध्यम से निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापन के प्रकरण को छोड़कर, प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से निक्षेपागार के पास गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में न रखा जाए। इसलिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक धारिता को अविलंब डीमैट कराएं।
- b) सेबी (सूचीबद्धता बाधताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40 (1) के अनुसार, भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों का अंतरण दिनांक 01.04.2019 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का अंतरण उसी स्थिति में किया जा सकता है जब शेयर गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में रखे गए हों।
- c) इसके अतिरिक्त, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांकित 25.01.2022 के माध्यम से निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध कंपनियों भविष्य में अनुलिपि शेयर प्रमाण-पत्र जारी करने, प्रेषण, प्रतिस्थापन इत्यादि के अनुरोधों पर कार्रवाई करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियाँ जारी करेंगी। उपरोक्त के मद्देनज़र बैंक के समस्त शेयरधारकों से अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपना शेयर अमूर्तीकृत कराएं। शेयरों को गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में धारित करने के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं :
 - i भौतिक शेयर प्रमाण-पत्र के क्षतिग्रस्त होने अथवा गुम होने की संभावना क्षीण हो जाती है;
 - ii शेयर प्रमाणपत्रों के फटने या जालसाजी या विकृत होने की संभावना समाप्त हो जाती है;
 - iii अमूर्तीकरण से शेयरों के कागज रहित व्यापार की सुगमता और सुविधा मिलती है। एक बार निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास डीमैट खाता खुल जाने पर शेयरधारक सहजतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर क्रय अथवा विक्रय कर सकता है।

17. भौतिक रूप में धारित शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए प्रक्रिया :

विद्यमान शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में अमूर्तीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

(A) शेयरधारक जिनके पास डीमैट खाता नहीं है -

शेयरधारकों को अपने निकटतम निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से संपर्क करना होगा तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक में धारित शेयर के अनुरूप नाम व शैली में डीमैट खाता खुलवाना होगा।
डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक को मूल शेयर प्रमाण-पत्र के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ), डीपी को सौंपना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।
आरटीए, डीआरएफ की संवीक्षा/सत्यापन करेगा तथा उचित पाए जाने पर शेयरधारक के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।

(B) शेयरधारक जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है -

जिन शेयरधारकों के पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचना आवश्यक है कि क्या उनका विद्यमान डीमैट खाता, पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता के अनुसार उसी नाम और शैली में है। यदि हाँ, तो शेयरधारक को मूल शेयर प्रमाण-पत्र के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ, निक्षेपागार सहभागी के पास जमा करना होगा जो इसे बैंक आरटीए को अग्रेषित करेगा।
आरटीए, डीआरएफ की संवीक्षा/सत्यापन करेगा तथा उचित पाए जाने पर शेयरधारक के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।
यदि विद्यमान डीमैट खाता, नाम के समान क्रम में नहीं है तो शेयरधारक को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना होगा।
यदि विद्यमान शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में कोई बदलाव है तो हमारे आरटीए अर्थात मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या उपरोक्त उल्लिखित पते पर बैंक से संपर्क करें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.07.2024

साकेत मेहरोत्रा
कंपनी सचिव

निदेशकों की रिपोर्ट 2023-24

a. वैश्विक आर्थिक परिदृश्य:

कैलेंडर वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद आघात-सहनीयता प्रदर्शित किया और 3.2% की संवृद्धि दर प्राप्त की जो 2022 में 3.5% से मामूली कमी दर्शाती है। कैलेंडर वर्ष 2024 के अनुमानों से संकेत मिलता है कि विभिन्न देशों में अलग-अलग प्रवृत्तियों के साथ वैश्विक विकास स्थिर रहेगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का पूर्वानुमान है कि विश्व अर्थव्यवस्था, कैलेंडर वर्ष 2024 और 2025 के दौरान 3.2% की वृद्धि दर अनुरक्षित रखेगी। यह स्थिरता मुख्य रूप से मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित उच्च ब्याज दरों और राजकोषीय सहायता में क्रमिक कमी के कारण है।

अधिकांश क्षेत्रों में वैश्विक मुद्रास्फीति, प्रारंभिक अनुमान से अधिक तेजी से घट रही है जो आपूर्ति-पक्ष चुनौतियों के समाधान और कड़ी मौद्रिक नीतियों के कार्यान्वयन से प्रेरित है। आईएमएफ के अनुसार वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति का 2023 में 6.8% से घटकर 2024 में 5.9% और 2025 में 4.5% होने का अनुमान लगाया गया है।

b. आंतरिक आर्थिक परिदृश्य :

मुद्रास्फीति में कमी के साथ आंतरिक अर्थव्यवस्था में तेजी से उछाल आ रहा है। खुदरा मुद्रास्फीति, फरवरी 2024 में 5.09% की तुलना में गिरकर मार्च, 2024 में 4.85% हो गई। राजकोषीय वर्ष 2023-24 में खनन, विनिर्माण और वित्तीय क्षेत्रों द्वारा संचालित जीडीपी में 8.2% की वृद्धि हुई। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब जीडीपी वृद्धि 7% या उससे अधिक रही है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि 9.7% और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.0% थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न सहायक कारकों को उद्धृत करते हुए राजकोषीय वर्ष 2024-25 के लिए 7.2% की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। इनमें बैंकों और कॉर्पोरेट्स की बेहतर तुलन पत्र, राजकोषीय समेकन में प्रगति, प्रबंधनीय बाह्य संतुलन और बाहरी अनिश्चितताओं के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मांग पक्ष पर विचार करें तो विनिर्माण में सतत संवृद्धि हो रही है, विनिर्माण क्षेत्र समृद्ध हो रहा है और ग्रामीण विकास सृष्ट है।

c. बैंकिंग क्षेत्र :

हाल की वैश्विक बैंकिंग घटनाएं और भारतीय बैंकिंग पर उसका प्रभाव

2023 के आरंभ में वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र द्वारा अनुभव किए गए आघातों ने उद्योग के नेतृत्वकर्ताओं को अपनी रणनीतियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रेरित किया है। यद्यपि अमेरिकी बैंकों के लिए पूंजी, तरलता और जोखिम प्रबंधन से संबंधित प्रस्तावित नियामक समायोजनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथापि कारोबारी मॉडल को अनुरूप करने और उसमें नवपरिवर्तन के लिए अभी भी अत्यधिक कार्य करना शेष है।

कुल मिलाकर वर्तमान में बैंक स्थिर स्थिति में हैं लेकिन उनके राजस्व मॉडल, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आंगिक संवृद्धि, न्यून रहने की संभावना है जिससे संस्थानों को दुर्लभ पूंजी वाले वातावरण में मूल्य के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

विभिन्न प्रवृत्तियों के अभिसरण के साथ मिलकर नई प्रौद्योगिकियों की तीव्र प्रगति, बैंकों के कामकाज और ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के तरीके को नया रूप दे रही है। वर्ष 2024 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्र अधिगम, ओपन डेटा और डिजिटल मुद्रा का प्रभाव बढ़ने की उम्मीद है। बैंक अपने मजबूत तंत्र और जोखिम प्रबंधन उपकरणों का लाभ उठाकर इन चुनौतियों का समाधान करने की तैयारी कर रहे हैं।

d. भारतीय बैंकिंग परिदृश्य :

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, पर्याप्त रूप से पूंजीकृत और प्रभावी रूप से विनियमित है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने सृष्टि आर्थिक विस्तार, उच्च प्रयोज्य आय, बढ़ते उपभोक्तावाद और बेहतर ऋण सुलभता द्वारा महत्वपूर्ण संवृद्धि का अनुभव किया है। इस संवृद्धि के प्रमुख कारकों में वृहत उपभोक्ता बाजार, ग्रामीण डिजिटलीकरण पहल तथा डिजिटल उत्पादों और समाधानों का प्रसार निहित है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने सृष्टि तुलन पत्र प्रदर्शित की है जो उनके वास्तविकता और दृढ़ता को प्रदर्शित करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने जमाराशि और अग्रिम में क्रमशः 13.50% और 20.20% की वृद्धि दर्ज की है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण संवर्ग में 13-14% वृद्धि होने की उम्मीद है।

प्रबंधन विचार-विमर्श तथा विश्लेषण :

हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1 जुलाई, 2023 को माननीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली में बैंक के नए कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री (वित्त) डॉ. भागवत किशनराव कराड और वित्तीय सेवाएं विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. एम पी तंगिराला भी उपस्थित थे।

बैंक का कार्य-निष्पादन :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन के उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार हैं:

कारोबार

बैंक के कुल कारोबार में 7.72% की वृद्धि हुई तथा 31.03.2023 को ₹190647 करोड़ की तुलना में कुल कारोबार बढ़कर 31.03.2024 को ₹205374 करोड़ हो गया। कारोबार वृद्धि के विशेष कारकों में जमाराशि में 8.89% की वृद्धि और अग्रिम में 6.15% की वृद्धि सम्मिलित रहे।

जमाराशियां

कुल जमाराशि 8.89% बढ़कर 31.03.2024 को ₹119410 करोड़ हो गया, जबकि 31.03.2023 को यह 109665 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक की जमा लागत 5.55% रही, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यह 4.53% थी। 31.03.2023 को ₹36833 करोड़ की तुलना में कासा जमाराशि 5.09% बढ़कर 31.03.2024 को ₹38708 करोड़ हो गया।



अग्रिम

31.03.2024 को अग्रिम राशि में 6.15% की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल ₹85964 करोड़ हो गया, जबकि 31.03.2023 को यह ₹80982 करोड़ था।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अग्रिम राशि पर प्राप्ति 8.66% रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यह 7.67% था।

31.03.2024 तक मिश्रण रैम अग्रिम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) में 51.73% और 48.27% कॉरपोरेट अग्रिम था।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में 19.28% की वृद्धि हुई और 31.03.2024 को यह ₹39120 करोड़ हो गया, जबकि 31.03.2023 को यह ₹32795 करोड़ था। रैम खंड में विस्तृत प्रदर्शन इस प्रकार है:

खुदरा : 31.03.2024 को खुदरा अग्रिम में 14.96% की वृद्धि हुई और यह कुल ₹16034 करोड़ हो गया, जबकि 31.03.2023 को यह ₹13947 करोड़ था। 31.03.2024 को सकल अग्रिम (₹85964 करोड़) में खुदरा ऋण (₹16035 करोड़) का प्रतिशत 18.65% था, जबकि 31.03.2023 को यह 17.22% था।

कृषि : 31.03.2024 को कृषि अग्रिम में 6.25% की वृद्धि हुई और यह ₹12524 करोड़ हो गया, जबकि 31.03.2023 को यह ₹11787 करोड़ था।

एमएसएमई : 31.03.2024 को एमएसएमई अग्रिम में 7.08% की वृद्धि हुई और यह ₹15909 करोड़ हो गया, जबकि 31.03.2023 को यह ₹14857 करोड़ था। 31.03.2024 तक कुल अग्रिम में एमएसएमई अग्रिम का हिस्सा 18.50% था।

लाभप्रदता

- 31.03.2024 को परिचालन लाभ ₹1131 करोड़ रहा, जबकि 31.03.2023 को यह ₹1450 करोड़ था।
- 31.03.2024 को निवल लाभ ₹595 करोड़ रहा, जबकि 31.03.2023 को यह ₹1313 करोड़ था।
- वित्त वर्ष 2023-24 में परिसंपत्तियों पर रिटर्न (आरओए) 0.41% रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 0.98% था।
- प्रति शेयर आय ₹1.94 प्रति इक्विटी शेयर की तुलना में ₹0.88 प्रति शेयर रही।
- 31.03.2024 को निवल ब्याज आय ₹2841 करोड़ रुपये रही, जबकि 31.03.2023 को यह ₹2973 करोड़ थी।
- 31.03.2024 को निवल ब्याज मार्जिन 2.45% रहा, जबकि 31.03.2023 को यह 2.91% था।
- 31.03.2024 को बैंक का लागत-आय अनुपात 72.16% रहा, जबकि 31.03.2023 को यह 62.95% था।

लाभांश

बैंक के बोर्ड ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹0.20 का लाभांश घोषित किया है, बशर्ते आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन प्राप्त हो।

निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता

31.03.2024 को बशर्ते ₹7836 करोड़ रहा, जबकि 31.03.2023 को यह ₹6786 करोड़ था। बैंक का प्रति शेयर बुक वैल्यू ₹10.01 प्रति इक्विटी शेयर की तुलना में ₹11.56 प्रति शेयर रहा।

31.03.2024 को कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.16% रहा, जबकि 31.03.2023 को यह 17.10% था।

31.03.2024 को सीईटी-1 अनुपात 14.74% रहा, जबकि 31.03.2023 को यह 14.32% था।

आस्ति गुणवत्ता

31.03.2024 को बैंक का सकल एनपीए ₹4665 करोड़ (5.43%) रहा, जबकि 31.03.2023 को यह ₹5648 करोड़ (6.97%) था।

31.03.2024 को बैंक का निवल एनपीए ₹1350 करोड़ (1.63%) रहा, जबकि 31.03.2023 को यह ₹1412 करोड़ (1.84%) था।

व्यावसायिक पहल

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। कुछ महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार हैं:

गठजोड़ और सहयोग :

1. आपके बैंक ने किसानों और व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. पीएसबी इग्नाइट, एमएसएमई और कृषि क्षेत्र को सहयोग देने के लिए पूर्णांथा के साथ एक समझौता किया है जिसका उद्देश्य व्यावहारिक और सरलीकृत पाठ्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों को स्थानीय भाषाओं में वित्तीय और प्रबंधकीय ज्ञान के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ सशक्त बनाना है।
3. आपके बैंक ने डीएसए मॉडल को लागू किया है जो न केवल बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में सुधार करेगा बल्कि खुदरा ऋण उत्पादों में हमारी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ाएगा और कम लागत में नए ग्राहक वर्ग में पैठ बनाने में मदद करेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी

1. बैंक ने वर्ष के दौरान अपने सीबीएस प्लेटफॉर्म को फिनेकल 7 से फिनेकल 10 में उन्नयन किया है जिससे हम बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में सक्षम होंगे।
2. बैंक ने आईटीएमएस ट्रेजरी सॉफ्टवेयर को अपनाया है जिससे दक्षता में सुधार होगा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मदद मिलेगी।

वित्तीय समावेशन तथा सरकारी व्यवसाय

व्यवसाय प्रतिनिधि

आपका बैंक, बैंक में व्यवसाय प्रतिनिधि के तंत्र को सुदृढ़तापूर्वक कार्यान्वित करने का कार्य कर रहा है। वर्तमान में हमारे यहां मार्च, 23 में 357 बीसी की अपेक्षा 1,709 बीसी कार्यरत हैं।



ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरएसईटीआई)

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, हमारी आरएसईटीआई ने 66 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, जिनमें से 2120 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया। 2120 अभ्यर्थियों में से 1627 अनुजाति/अनुजजाति श्रेणी से, 1849 गरीबी रेखा से नीचे तथा 1538 महिला लाभार्थी अभ्यर्थी हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 1550 अभ्यर्थियों को व्यवस्थित किया गया है, जिनमें से 986 अभ्यर्थियों को विभिन्न बैंकों से क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से व्यवस्थित किया गया है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और वित्तीय साक्षरता के लिए केंद्र

बैंक ने 24 वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के साथ मिलकर गांवों में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करके ग्रामीण आबादी के बीच वित्तीय साक्षरता को प्रसारित करने की पहल की है, जहाँ ग्रामीणों के साथ बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ अन्य वित्तीय योजनाओं जैसे पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, ओडी, डिजिटल बैंकिंग आदि पर विचार-विमर्श किया जाता है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इन सेवाओं का लाभ उठा सकें। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 266 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 10081 लोगों द्वारा सक्रिय रूप से सहभागिता की गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हमारे बैंक को वित्तीय साक्षरता की केंद्र (सीएफएल) परियोजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए एक प्रायोजक बैंक के रूप में संबद्ध किया है। यह केंद्र पंजाब राज्य के 12 ब्लॉकों में 12 सीएफएल में स्थापित किया जाएगा। यह केन्द्र 36 ब्लॉकों को सेवाएं प्रदान करेगा, जिसके तहत 8074 शिविर आयोजित किए गए तथा 138160 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सरकारी योजनाओं में कार्य निष्पादन:

योजना	31.03.2024 की स्थिति (लाखों में)
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	8.48
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	28.37
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सक्रिय पंजीकरण	5.63
प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई)	23.30

मानव संसाधन पहल

संस्था में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव का प्रतिनिधित्व

दिनांक 31.03.2024 तक विभिन्न श्रेणियों में कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है:

श्रेणी	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अपिव	आर्थिक रूप से कमज़ोर	अनारक्षित
अधिकारी	1398	516	1781	54	3068
लिपिक	382	50	474	49	817
अधीनस्थ स्टाफ (अंशकालिक सफाईकर्मी सहित)	1035	39	232	0	256

लैंगिक वैविध्य को प्रोत्साहित करना

बैंक में लैंगिक वैविध्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा निम्न महिला केंद्रित पहल की गई हैं :

- महिला कार्मिकों को 'प्रसूति उपरांत परामर्श और सहायता' प्रदान करने संबंधी वेबिनार।
- क्रेच भत्ता: इस योजना के अंतर्गत कुल 425 महिला कार्मिकों को लाभ प्राप्त हुआ है।
- इस वर्ष की थीम, "महिलाओं में निवेश: प्रगति में तेजी" के अनुरूप 'महिला मेंटरशिप कार्यक्रम-पीएसबी सखी' का शुभारंभ किया गया।

ईज़ सुधार

- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इन ईज़ 5.0 प्रशस्ति:
 - बैंक को मार्च, 22 की आधार रेखा से कुल अंकों में 145% के उल्लेखनीय सुधार के लिए शीर्ष सुधारक (टॉप इम्पूवर) का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
 - बैंक ने थीम 4- "सहयोगी और विकास केंद्रित बैंकिंग" में प्रथम उपविजेता पुरस्कार भी प्राप्त किया।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीएसआर पहल की हैं :

1. बैंक के 116वें स्थापना दिवस के अवसर पर 125 व्हील चेयर्स का वितरण किया गया।
2. भारत में पैरालंपिक खेलों (विशेष रूप से सक्षम एथलीट) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजीकृत सोसायटी, बोशिया स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से निधि आवंटित की गई है। निधि का उपयोग दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों जैसे बोशिया बॉल, बोशिया रैप और अन्य संबंधित खेल किट जैसे ट्रैक सूट, टी शर्ट और जूते आदि के लिए किया जाएगा।
3. क्रिएट्स कॉर्पस फंड के लिए मेसर्स गुजरात फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस को निधि का आवंटन किया गया। निधि का उपयोग सभी चरणों में प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्टअप का समर्थन करके व्यावसायिक विचारों को सफल उद्यमों में बदलने और आगामी पाँच वर्षों में 1000 से अधिक स्टार्टअप का पोषण करने के लिए किया जाएगा।
4. ग्रेजुएट स्कूल एण्ड कॉलेज फॉर वूमन, जमशेदपुर में वाटर कूलर स्थापित करने हेतु निधि का आवंटन किया गया।
5. शहीद शेख भिखारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रांची में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की स्थापना के लिए निधि का आवंटन किया गया।
6. बस स्टैंड, पठानकोट, गुरदासपुर में एक वाटर आर.ओ. सयंत्र तथा वाटर कूलर स्थापित करने के लिए निधि का आवंटन किया गया।
7. निम्बार्क मठ सेवा समिति ट्रस्ट गरीबों और निराश्रितों को राहत देने, चिकित्सा सहायता, अंध विद्यालय, वृद्धाश्रम, गौशाला आदि चलाने के लिए धर्मार्थ का कार्य कर रहा है।
8. एक्य विद्या केन्द्रों के वंचित बच्चों को शिक्षा और भोजन उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत न्यास हरे कृष्ण मूवमेंट को निधि का आवंटन किया गया।
9. सीएसआर के अंतर्गत बटोरी गांव में मंदिर, चौपाल और पंचायत घर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सौर लाइटें लगाई जाएंगी।



शाखा एवं एटीएम विस्तार

- आपके बैंक ने शाखा विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा और हमारी शाखाओं की भौगोलिक विषमता को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तरी क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में 33 शाखाएं खोली गईं। 31.03.2024 तक बैंक की कुल शाखाएं 1564 थीं।
- आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 198 एटीएम खोले और 31.03.2024 तक एटीएम की कुल संख्या 1033 थी।

कॉल सेंटर

आपके बैंक ने अपने ग्राहकों की पूछताछ, निगरानी और ग्राहक अधिग्रहण और लीड प्रबंधन के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर स्थापित किया है। हम सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार करने के लिए कॉल-सेंटर को नया स्वरूप देने पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

राजभाषा

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता-2023 में बैंक को प्रथम पुरस्कार तथा बैंक की हिंदी त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा अंकुर" को हिंदी पत्रिका श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

अन्य उपलब्धियां

बेसल III के अनुरूप टियर II बॉण्ड की बाहरी क्रेडिट रेटिंग को क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा AA (नकारात्मक) से AA (स्थिर) तक तथा केयर रेटिंग द्वारा AA- (स्थिर) से AA- (सकारात्मक) तक अद्यतित किया गया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों के विवरणों का निदेशकों द्वारा पुष्टि की जाती है कि;

- लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही यदि कोई भौतिक विचलन हुआ है तो उसके संबंध में उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बनाई गई लेखांकन नीतियां लगातार लागू की गईं। वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए थे।
- बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की गई है।
- वार्षिक खाते चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निर्धारित की गई थी और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।



अभिस्वीकृति

हम श्री कोल्लेगाल वी राघवेंद्र, कार्यकारी निदेशक, सुश्री रश्मि खेत्रपाल, गैर-कार्यकारी निदेशक और बोर्ड के सभी भूतपूर्व और वर्तमान सदस्यों का उनके बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और हमारे सभी प्रयासों में प्रबंधन को दिए गए निविष्टियों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। हम सभी हितधारकों, ग्राहकों को हमारे बैंक में निरंतर समर्थन देने और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हम इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार को उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं।



R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries

FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55, Chawla Complex,

Shakarpur, Delhi- 110092

Tel:- 98-10544091

E-mail: rsk04069@rediffmail.com

फॉर्म संख्या एमआर - 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 24ए के अनुसरण में]

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

सदस्य

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

"बैंक हाउस", 21, राजेंद्र प्लेस

नई दिल्ली -110 008

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (इसमें एतदपश्चात 'बैंक' कहा जाएगा) द्वारा उचित कॉरपोरेट व्यवहार की सचिवीय लेखा-परीक्षा संचालित की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है कि हमें कॉरपोरेट परिचालन/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है।

सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, सांविधिक रजिस्टर, फॉर्म एवं दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य दस्तावेजों के सत्यापन एवं बैंक, उसके अधिकारियों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर भी, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारे अभिमत में बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि हमारे मत में बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन व्यवस्था भी स्थापित है और उक्त प्रक्रिया तथा व्यवस्था उस सीमा तक उस प्रकार की है जैसा कि इसके बाद रिपोर्टिंग में प्रतिपादित किया गया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा अनुरक्षित बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बुक, फॉर्म एवं दायर विवरणी तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है:

- प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम व उप-विधि
- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋण के संबंध में विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बने तत्संबंधी नियम एवं विनियम;

- (iv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश :
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर)
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2018; समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक पर लागू नहीं।
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 2018; **समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान बैंक पर लागू नहीं।**
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; **समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान बैंक पर लागू नहीं।**
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता) विनियम, 2021;
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार निषेध) विनियम, 2015;
- (v) निम्नलिखित अधिनियम, योजना, विनियम जो लागू हों और अन्य कानून जो विशेष रूप से बैंक के लिए हैं जैसे-
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980
 - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980
 - पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008
 - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

हमारी रिपोर्ट को नीचे उल्लिखित नोटिंग के साथ पढ़ा जाना है –

- सचिवीय अभिलेखों के अनुरक्षण का दायित्व बैंक प्रबंधन का है। हमारा दायित्व, अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर मत अभिव्यक्त करना है।
- हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय अभिलेखों के अंतर्वस्तु की यथार्थता के विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों के परिलक्षण को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया है, हम मानते हैं कि जिन

प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों का हमने अनुसरण किया है, वे हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करते हैं।

3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेख तथा लेखा बहियों की यथार्थता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ भी आवश्यकता हो, हमने विधि, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के विषय में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉरपोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों व विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी परीक्षा, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. हमने विशेष रूप से बैंक पर लागू विभिन्न राज्य विधि के अंतर्गत अनुपालन का सत्यापन नहीं किया है।
7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट बैंक के भविष्य में न तो बैंक की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है जिससे प्रबंधन, बैंक संबंधी व्यवसाय करता है।

समीक्षा के अंतर्गत अवधि के दौरान, बैंक ने उपरोक्त निर्दिष्ट अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। हम रिपोर्ट करते हैं :

1. बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर) के विनियमन 17 के अनुसार कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया है, **सिवाय एक महिला स्वतंत्र निदेशक को सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के संदर्भ में निदेशक मंडल में नियुक्त नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की संरचना सेबी (एलओडीआर) के उपबंधों के अनुपालन में नहीं थी। इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान एनआरसी की कोई बैठक नहीं हुई।**

बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण अनुसार, महिला स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी तथा बैंक ने सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों/ महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए अपने पत्र दिनांक 27 दिसंबर 2023 के माध्यम से केंद्र सरकार को सूचित किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

2. समस्त निदेशकों को बोर्ड बैठक के लिए यथोचित सूचना दी जाती है और तदनुसार, कार्यसूची तथा कार्यसूची के संबंध में विस्तृत जानकारी निदेशकों को भेजे गए थे तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची मर्दों के संबंध में अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु प्रणाली विद्यमान है।
3. बहुमत से लिये गये निर्णयों को स्वीकार किया जाता है तथा असहमत सदस्यों के विचार, यदि हो, को कार्यवृत्त के भाग के रूप में रखा और रिकार्ड किया जाता है।
4. प्रयोज्य विधि, नियमों, विनियमों, तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उसकी निगरानी हेतु बैंक के आकार तथा परिचालन के अनुरूप बैंक में उचित प्रणाली तथा प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर सामान्यतः बैंक पर लागू विभिन्न अधिनियमों, नियमों और विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है :

- a) भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांकित 25 सितंबर, 2023 के पत्र के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26A की उप-धारा (2) के प्रावधानों का पालन न करने के लिए ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना - 2014' पर जारी निर्देशों के साथ पढ़ा गया है, जिसे पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा विधिवत जमा किया गया था।
- b) भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 जनवरी, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों' पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जिसे पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा विधिवत जमा किया गया था।
- c) बैंक ने सेबी एलओडीआर के अनुसार 15 जनवरी 2023 के बजाय 16 जनवरी 2023 को बोर्ड मीटिंग की सूचना दी है, और 1 दिन की देरी हुई और एनएसई ने ₹11,800 (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया है, जिसे बैंक द्वारा विधिवत जमा किया गया था।

कृते आर एस कथूरिया एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01 मई, 2024

आर एस कथूरिया
प्रोपराइटर
एफसीएस 5217; सीपी संख्या : 3112
यूडीआईएन : F005217E000217704

कंपनी अभिशासन पर रिपोर्ट (2023-24)

1. अभिशासन संहिता पर बैंक – दर्शन

बैंक, समस्त स्तरों पर कार्य-निष्पादन तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित करके अपने शेरधारकों की हितों की सुरक्षा द्वारा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपना सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक सुदृढ़ कंपनी अभिशासन पद्धतियों के समूह का गठन और उनका अनुपालन भी करेगा। बैंक, अपने समस्त गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण के उच्च मानकों को स्थापित करने में विश्वास रखता है। बैंक, सर्वोत्तम कार्यशैली के अनुसरण हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक अपने हितधारकों जिसमें शेरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर समाज भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुंचाने हेतु कठिन उद्यम करेगा।

बैंक के इक्विटी शेयर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं। तथापि, बैंक कोई कंपनी नहीं है अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निगमित निकाय है तथा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। बैंक, यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट अनुसार कंपनी अभिशासन मानदंडों के प्रावधानों का बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980 के प्रावधानों तथा इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, निर्देशों इत्यादि का उल्लंघन नहीं होने की सीमा तक अनुपालन करता है।

2. निदेशक-मंडल

2.1. बोर्ड का संघटन

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949, यथासंशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 तथा यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होता है।

मार्च 31, 2024 की स्थिति के अनुसार बैंक के निदेशक-मंडल की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	नाम और निदेशक की श्रेणी	दिनांक 31.03.2024 को धारित बैंक के सामान्य शेयरों/ परिवर्तनीय लिखतों की संख्या	बैंक की उप समिति में सदस्यता की संख्या	टिप्पणी (बैंक में नियुक्ति की प्रकृति)	बैंक बोर्ड की उप-समिति की सदस्यता/अध्यक्षता
1.	डॉ. चरन सिंह गैर कार्यकारी अध्यक्ष	शून्य	7	A	1. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति – अध्यक्ष 2. ग्राहक सेवा समिति - अध्यक्ष

					<ol style="list-style-type: none"> 3. हितधारक संबंध समिति – अध्यक्ष 4. बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति -अध्यक्ष 5. बोर्ड की एचआर समिति – अध्यक्ष 6. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति - अध्यक्ष 7. कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (एमडी एण्ड सीईओ तथा ईडी के लिए) – अध्यक्ष
2.	श्री स्वरूप कुमार साहा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	शून्य	10	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. बोर्ड की प्रबंधन समिति – अध्यक्ष 2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति 3. सतर्कता, अनुशासनात्मक प्रकरणों और विभागीय जांच के संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति – अध्यक्ष 4. जोखिम प्रबंधन समिति 5. ग्राहक सेवा समिति 6. आईटी कार्यनीति समिति 7. एचआर समिति 8. वसूली की निगरानी के लिए समिति – अध्यक्ष 9. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति 10. असहयोगात्मक उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति- अध्यक्ष
3.	डॉ. रामजस यादव कार्यकारी निदेशक	शून्य	8	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रबंधन समिति 2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति 3. सतर्कता, अनुशासनात्मक प्रकरणों और विभागीय जांच के संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति 4. ग्राहक सेवा समिति 5. हितधारक संबंध समिति 6. आईटी कार्यनीति समिति 7. एचआर समिति 8. वसूली की निगरानी के लिए समिति
4.	डॉ. रवि मेहरा कार्यकारी निदेशक	397	8	D	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रबंधन समिति 2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति

					<ol style="list-style-type: none"> 3. सतर्कता, अनुशासनात्मक प्रकरणों और विभागीय जांच के संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति 4. ग्राहक सेवा समिति 5. हितधारक संबंध समिति 6. आईटी कार्यनीति समिति 7. बोर्ड की एचआर समिति 8. वसूली की निगरानी के लिए समिति
5.	सुश्री एम.जी. जयश्री भारत सरकार नामित निदेशक	शून्य	9	E	<ol style="list-style-type: none"> 1. सतर्कता, अनुशासनात्मक प्रकरणों और विभागीय जांच के संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति 2. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 3. आईटी कार्यनीति समिति 4. ग्राहक सेवा समिति 5. एचआर समिति 6. वसूली की निगरानी के लिए समिति 7. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति 8. कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (एमडी एण्ड सीईओ, ईडी के लिए) 9. अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संव्यवहार हेतु समिति – अध्यक्ष
6.	श्री कमल प्रसाद पटनायक निदेशक (आरबीआई की अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार द्वारा नामित)	शून्य	3	F	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 3. बोर्ड की सतर्कता समिति
7.	श्री तीरथ राज मेन्दीरत्ता गैर-सरकारी निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	100	9	G	<ol style="list-style-type: none"> 1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति – अध्यक्ष 4. हितधारक संबंध समिति 5. आईटी कार्यनीति समिति 6. एचआर समिति 7. अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संव्यवहार हेतु समिति

					8. असहयोगात्मक उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति 9. कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (एमडी एण्ड सीईओ, ईडी के लिए)
8.	श्री शंकर लाल अग्रवाल गैर-सरकारी निदेशक	शून्य	8	H	1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति – अध्यक्ष 2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति 5. वसूली की निगरानी के लिए समिति 6. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति 7. अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संव्यवहार के लिए समिति 8. असहयोगात्मक उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति

नोट : निदेशक जिन समितियों में सदस्य हैं, उन समितियों का उल्लेख किया गया है और प्रयोज्यतानुसार निदेशकों की अध्यक्षता को विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया है।

- A. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 6/9/2022-बीओ।I दिनांकित 07.11.2022 के निबंधन अनुसार अधिसूचना की तिथि अर्थात 07.11.2022 से दो वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- B. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 4/4/2021-बीओ।I दिनांकित 03.06.2022 के निबंधन अनुसार कार्यालय में कार्य-ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- C. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. ईएफ. नं. 4/2/2021-बीओ-I दिनांकित 21 अक्टूबर, 2021 के निबंधन अनुसार 21 अक्टूबर, 2021 से उनकी अधिवर्षिता (अर्थात 30 अप्रैल, 2024) या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- D. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. ईएफ. नं. 4/1(v)/2023-बीओ।I दिनांकित 09 अक्टूबर, 2023 के निबंधन अनुसार 09 अक्टूबर, 2023 से उनकी अधिवर्षिता (अर्थात 08 अक्टूबर, 2026) या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।



- E. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. ईएफ. नं. 6/2/22-बीओ-1 दिनांकित 11 अप्रैल, 2022 के निबंधन अनुसार तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- F. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं. 6/3/2011-बीओ. 1 दिनांकित 13 अप्रैल, 2021 के निबंधन अनुसार तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- G. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (आई) के अंतर्गत 12 मई, 2021 से 11 मई, 2024 तक 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है। उनकी नियुक्ति 2020 में आयोजित शेयरधारक-निदेशकों की चुनाव प्रक्रिया को वापस लेने के बैंक के निर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिका में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है (आदेश दिनांकित 19/04/2021 के माध्यम से)।
- H. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) तथा उपधारा 3-ए के खंड (एच) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं. 6/6/2021-बीओ.1 दिनांकित 21 दिसंबर, 2021 के निबंधन अनुसार अधिसूचना की तिथि से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

2.2. वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/ समापन :

वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के निदेशक-मंडल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए हैं:

(A) नियुक्ति :

- श्री रवि मेहरा को कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(B) समापन :

- श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र, कार्यकारी निदेशक, दिनांक 30.06.2023 तक बैंक मंडल में थे।
- सुश्री रश्मि खेत्रपाल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक, दिनांक 19.12.2023 तक बैंक मंडल में थीं।

2.3. अन्य सूचीबद्ध इकाइयों की समिति/ बोर्ड में निदेशकों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध इकाई में निदेशक पद का नाम व श्रेणी	समिति की सदस्यता
1	डॉ. रामजस यादव कार्यकारी निदेशक	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड – नामित निदेशक	हितधारक संबंध समिति – सदस्य प्रबंध एवं निवेश समिति – सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति – अध्यक्ष

2.4. वर्ष 2023-24 के दौरान नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

श्री रवि मेहरा (कार्यकारी निदेशक)

श्री रवि मेहरा ने 09 अक्टूबर, 2023 को बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी पदोन्नति से पूर्व श्री रवि मेहरा, पंजाब एण्ड सिंध बैंक में महाप्रबंधक थे। वे वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं तथा भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं।

उन्होंने दिसंबर, 1988 में पंजाब एण्ड सिंध बैंक में अपनी बैंकिंग सेवाओं आरंभ की। तीन दशकों से अधिक के कैरियर में श्री रवि मेहरा को लगभग सभी प्रमुख बैंकिंग क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है, उन्होंने ग्रामीण, शहरी और महानगरीय शाखाओं तथा बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय सहित प्रशासनिक कार्यालयों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्हें ऋण, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन एवं वित्तीय समावेशन सहित अन्य क्षेत्रों का विस्तृत अनुभव प्राप्त है।

2.5. बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों के विरुद्ध निम्न तिथियों पर कुल 18 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं :

17.04.2023	02.05.2023	17.05.2023	12.06.2023	01.07.2023	05.08.2023
08.08.2023	22.09.2023	04.10.2023	27.10.2023	03.11.2023	20.11.2023
18.12.2023	11.01.2024	31.01.2024	28.02.2024	19.03.2024	26.03.2024

निदेशकों के संबंधित कार्यकाल में आयोजित उपर्युक्त बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की	दिनांक 11.07.2023 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह- अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	01.04.2023 से 31.03.2024	18	18	उपस्थित
2	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2023 से 31.03.2024	18	18	अनुपस्थित
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - पूर्व कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 30.06.2023	04	04	अप्रयोज्य
4	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	18	17	उपस्थित
5	श्री रवि मेहरा – कार्यकारी निदेशक	11.10.2023 से 31.03.2024	09	09	अप्रयोज्य

6	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	18	14	अनुपस्थित
7	श्री कमल प्रसाद पटनायक - आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	18	14	अनुपस्थित
8	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर-सरकारी निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	18	18	उपस्थित
9	सुश्री रश्मि खेत्रपाल - गैर-सरकारी निदेशक	01.04.2023 से 19.12.2023	13	13	उपस्थित
10	श्री टी. आर. मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	18	18	अनुपस्थित

2.6. निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। निदेशकों का परस्पर कोई संबंध नहीं है।

2.7. स्वतंत्र निदेशकों को दी गई कार्य-पद्धति कार्यक्रम का विवरण बैंक वेबसाइट पर उद्घाटित है तथा यूआरएल <https://punjabandsindbank.co.in/content/familiarization-programmes-imparted-to-directors> पर इसका अवलोकन किया जा सकता है।

2.8. निदेशक-मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता का निर्धारण करने वाला संचित्र/आव्यूह :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अनुसार, किसी निदेशक के पास कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग जैसे एक या अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होगा।

क्र. सं.	निदेशक का नाम एवं श्रेणी	अनुभव	मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता
1	डॉ. चरन सिंह – गैर कार्यकारी अध्यक्ष	एप्लाइड इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च (एम. फिल) और डॉक्टरेट की डिग्री अर्थात न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, सिडनी से अर्थशास्त्र में पीएच. डी.।	अर्थशास्त्र
2	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	बी. एससी (ऑनर्स), कोष, निवेश और जोखिम प्रबंधन (डीटीआईआरएम) में डिप्लोमा, सीएआईआईबी, वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणन।	बैंकिंग एवं वित्त
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	वाणिज्य में स्नातकोत्तर, विशेष योग्यता सहित व्यावसायिक योग्यता यथा - आईसीडब्ल्यूए, सीएस, एमबीए और डॉक्टरेट (पीएचडी)। राष्ट्रीयकृत बैंकों में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
4	श्री रवि मेहरा- कार्यकारी निदेशक	वाणिज्य में स्नातकोत्तर तथा भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी)	बैंकिंग एवं वित्त

5	सुश्री एम जी जयश्री – भारत सरकार नामिती	स्नातकोत्तर, लोक प्रबंधन तथा शासन, एमजी विश्वविद्यालय, केरला से सांख्यिकी में एमएससी।	प्रशासन एवं प्रबंधन
6	श्री कमल प्रसाद पटनायक – भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती	भारतीय रिज़र्व बैंक- जम्मू में क्षेत्रीय निदेशक। एम. ए. (राजनीति विज्ञान), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट तथा बैंकिंग जोखिम और विनियमन में जीएआरपी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट धारक (आईसीबीआरआर) (जीएआरपी, यूएसए)। भारत तथा विदेश में बैंकिंग पर्यवेक्षण में 16 वर्षों का ऑफ-साइट व ऑन-साइट अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
7	श्री तीरथ राज मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक	वित्त, विपणन, कार्मिक प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन। वित्त, विपणन, कार्मिक प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम में 30 वर्षों का अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
8	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	बी. कॉम, एल.एल.बी तथा अर्हता प्राप्त सनदी लेखाकार। वर्ष 1989 से फर्म के वरिष्ठ भागीदार के रूप में कार्यरत।	बैंकिंग एवं वित्त

आगे, यह है कि :

- पुष्टि की जाती है कि बोर्ड के अभिमत में, स्वतंत्र निदेशक, सेबी एलओडीआर विनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन से स्वतंत्र हैं तथा
- सूचित किया जाता है कि कार्यकाल समाप्ति से पूर्व किसी भी स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र का कोई प्रकरण नहीं है।

3. निदेशकों की समिति :

कंपनी अभिशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने सामरिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों की निगरानी के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। प्रबंधन वर्ग ने बोर्ड/ समिति की बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान मानव संसाधन/आईआर के प्रचालन कार्य-निष्पादन व विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास, खंड/ उत्पाद कार्य-निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और तत्संबंधी आवश्यकताओं के विश्लेषण पर बल दिया है। बोर्ड की महत्वपूर्ण समितियाँ इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	समिति का नाम
1	बोर्ड की प्रबंध समिति (एमसी)
2	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
3	वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति
4	सतर्कता, अनुशासनात्मक मामले और विभागीय जांच से संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति (बोर्ड की सतर्कता समिति)
5	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
6	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
7	बोर्ड की हितधारक संबंध समिति
8	बोर्ड की एचआर समिति
9	बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति

10	अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संव्यवहार हेतु समिति
11	वसूली की निगरानी के लिए समिति
12	इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति
13	नामांकन और पारिश्रमिक समिति
14	असहयोगात्मक उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति
15	कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति (एमडी एण्ड सीईओ, ईडी तथा जीएम के लिए)
16	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ. सं. 16/22/2019-बीओ. I (भाग) दिनांकित 25.01.2021 के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के अनुच्छेद 14 के पश्चात निर्मांकित अनुच्छेद को अंतः स्थापित किया है।

“जहाँ किसी राष्ट्रीय बैंक से विधि द्वारा कोई कार्रवाई या बात करने की अपेक्षा है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति की सिफारिशों या अवधारणा, या उसके द्वारा प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान, या किसी नियुक्ति, उसके संबंध में उसके अनुमोदन या पुनर्विलोकन की अपेक्षा है और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति का, ऐसी समिति में कोई रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण बैठक के लिए गणपूर्ति पूरी नहीं हो सकती है तो बोर्ड, उक्त कार्रवाई अथवा गतिविधि को कर सकेगा।”

उपरोक्त के अनुरूप, बोर्ड ऐसी किसी समिति के कार्य को समाविष्ट कर सकता है जहाँ ऐसी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति ऐसी समिति में रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है।

3.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के खंड 13 के अनुसरण में बोर्ड के प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जो महत्वपूर्ण मामलों के विभिन्न व्यवसायिक विषयों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव, समझौता/ बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजी व राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान इत्यादि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक/कों और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) (सी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा धारा 9 (3) की उपधारा (डी), (ई), (एफ), (एच) और (आई) के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2024 को प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष)
2	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक
3	श्री रवि मेहरा – कार्यकारी निदेशक
4	श्री कमल प्रसाद पटनायक - निदेशक (आरबीआई नामित)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तिथियों पर बारह (12) बैठकें हुई :

09.05.2023	23.05.2023	25.07.2023	17.08.2023	13.09.2023	06.11.2023
07.12.2023	26.12.2023	09.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	28.03.2024

निदेशकों से संबंधित कार्यकाल के दौरान, समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष)	01.04.2023 से 31.03.2024	12	12
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – पूर्व कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 30.06.2023	02	02
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	12	12
4	श्री रवि मेहरा – कार्यकारी निदेशक	09.10.2023 से 31.03.2024	07	07
5	श्री कमल प्रसाद पटनायक – आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	12	12
6	श्री टी. आर. मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2023 से 11.05.2023	01	01
7	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर-सरकारी निदेशक	17.05.2023 से 31.03.2024	11	11

3.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी):

बैंक ने कंपनी अभिशासन के मूल सिद्धांतों के अनुरूप तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति गठित की है।

अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति का प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्धारण तथा समीक्षा करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियाँ सही, उपयुक्त और विश्वसनीय है। बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व यह समिति, तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करती है तथा प्रबंधन को अनुशंसा करती है।

लेखापरीक्षा समिति दिशा-निर्देश प्रदान करती है तथा बैंक के समस्त लेखापरीक्षा कार्यों के संचालन की देखरेख करती है जिसमें संगठन, आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रचालन व गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण दोष तथा बैंक के भीतर निरीक्षण और बैंक के सांविधिक/ बाह्य लेखापरीक्षा और आरबीआई निरीक्षण के सुझाव पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा समिति, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा भी करती है तथा किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उसकी अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखापरीक्षक/ निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। इसके अतिरिक्त बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए, लेखापरीक्षा समिति तिमाही/इयर टू डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणामों व रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

31 मार्च, 2024 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक (अध्यक्ष)
2	श्री कमल प्रसाद पटनायक - आरबीआई नामित निदेशक
3	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) की निम्न तिथियों पर अट्टारह (18) बैठक आयोजित की गई :

02.05.2023	23.05.2023	13.06.2023	21.06.2023	21.07.2023	05.08.2023
01.09.2023	29.09.2023	10.10.2023	10.10.2023	23.10.2023	03.11.2023
06.12.2023	31.01.2024	21.02.2024	19.03.2024	26.03.2024	28.03.2024

निदेशकों से संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री शंकर लाल अग्रवाल-गैर सरकारी निदेशक (अध्यक्ष)	01.04.2023 से 17.05.2023 (सदस्य) 11.01.2024 से 31.03.2024 (अध्यक्ष)	06	06
2	श्री कमल प्रसाद पटनायक - आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	18	18
3	सुश्री रश्मि खेत्रपाल –गैर सरकारी निदेशक	01.04.2023 से 19.12.2023	13	13
4	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	17.05.2023 से 31.03.2024	17	17

3.3 वृहत् मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या आरबीआई/2004.5.डीबीएस.एफजीवी (एफ) सं. 1004/23.04.01ए/2003-4 दिनांकित 14 जनवरी, 2004 के माध्यम से धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं जैसे जांच, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई इत्यादि में देरी के विषय में सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप-समिति गठित की जाए जो पूरी तरह से ₹ 1 करोड़ और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामले की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई करेगी। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी करती रहेगी।

समिति के प्रमुख कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 1 करोड़ और उससे ऊपर की राशि के धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है जिससे:

- प्रणालीगत कमियों (यदि हो) जिससे धोखाधड़ी कृत्य में सुविधा होती है, का पता लगाया जा सके और उन्हें रोकने के लिए उपाय किए जा सके।
- धोखाधड़ी (यदि हो) का पता लगाने में देरी के लिए कारणों की पहचान तथा बैंक व आरबीआई के उच्च प्रबंधन को उसकी रिपोर्टिंग।
- सीबीआई/ पुलिस जांच-पड़ताल की प्रगति तथा वसूली स्थिति की निगरानी।
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों के सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और यदि आवश्यक होने पर समय गवाए बिना स्टाफ पर तुरंत कार्रवाई हो।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की कार्यकुशलता यथा आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने की समीक्षा तथा
- धोखाधड़ी के खिलाफ निवारण उपायों को सशक्त करने हेतु प्रसांगिक माने जाने वाले अन्य उपायों को प्रस्तुत करना।

31 मार्च, 2024 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	डॉ. चरन सिंह-गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक
4	श्री रवि मेहरा - कार्यकारी निदेशक
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल - गैर सरकारी निदेशक
6	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बार बैठकें आयोजित हुईं :

12.06.2023	27.09.2023	01.12.2023	09.02.2024
------------	------------	------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह- गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	01.04.2023 से 31.03.2024	04	04
2	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2023 से 31.03.2024	04	04
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 30.06.2023	01	01
4	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	04	04
5	श्री रवि मेहरा – कार्यकारी निदेशक	11.10.2023 से 31.03.2024	02	02
6	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	17.05.2023 से 31.03.2024	04	04
7	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	11.01.2024 से 31.03.2024	01	01
8	सुश्री रश्मि खेत्रपाल – गैर सरकारी निदेशक	01.04.2023 से 19.12.2023	03	03

3.4 सतर्कता, अनुशासनात्मक मामले और विभागीय जांच से निपटने हेतु निदेशकों की समिति (बोर्ड की सतर्कता समिति)

वित्त मंत्रालय के पत्रांक 10/12/90/वीआईजी/सीवीओ दिनांकित 24.10.1990 की शर्तों के अनुरूप सतर्कता कार्यों की समीक्षा करने के मद्देनज़र सतर्कता अनुशासनात्मक प्रकरणों के त्वरित निपटान हेतु प्रभावी निगरानी उपकरण के रूप में बैंक ने बोर्ड की सतर्कता समिति गठित की है।

दिनांक 31.03.2024 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक
3	श्री रवि मेहरा – कार्यकारी निदेशक
4	श्री एम जी जयश्री – निदेशक (एमओएफ नामित)
5	श्री कमल प्रसाद पटनायक – आरबीआई नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बार बैठकें आयोजित हुईं :

13.06.2023	29.09.2023	30.11.2023	19.03.2024
------------	------------	------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा - प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 30.06.2023	1	1
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
4	श्री रवि मेहरा - कार्यकारी निदेशक	11.10.2023 से 31.03.2024	2	2
5	श्री एम जी जयश्री - निदेशक (एमओएफ नामित)	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
6	श्री कमल प्रसाद पटनायक - आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4

3.5 जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने बैंक द्वारा कल्पित समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति तीन प्रमुख जोखिम प्रकार्य यथा ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है तथा विषय पर समन्वित विचार करती है और आवश्यक होने पर उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करती है।

31 मार्च, 2024 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	श्री एम जी जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक
4	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की सात (07) बार बैठकें आयोजित हुईं :

17.04.2023	01.07.2023	01.08.2023	17.11.2023
28.12.2023	09.02.2024	19.03.2024	

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	सुश्री रश्मि खेत्रपाल - गैर सरकारी निदेशक	01.04.2023 से 19.12.2023	4	4
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2023 से 31.03.2024	7	7
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 30.06.2023	1	1
4	श्री एम जी जयश्री - निदेशक (एमओएफ नामित)	01.07.2023 से 31.03.2024	5	3
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल - गैर सरकारी निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	7	7
6	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)	01.04.2023 से 31.03.2024	7	7

बैंक ने जोखिमों के विभिन्न श्रेणियों अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम इत्यादि के आदर्श रूप से पहचान, प्रबंध, निगरानी व नियंत्रण की दृष्टि से जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम लेखापरीक्षा समाविष्ट यथोचित जोखिम प्रबंधन वास्तुकला की स्थापना की है। इसका अंतर्निहित उद्देश्य बैंक प्रचालन में निरंतर स्थिरता व कार्यक्षमता में वृद्धि करना तथा बैंक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

3.6 ग्राहक सेवा समिति

बैंक ने बोर्ड की एक उपसमिति का गठन किया है जिसे "बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति" के नाम से जाना जाता है। 31 मार्च, 2024 को समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक
3	श्री रवि मेहरा - कार्यकारी निदेशक
5	श्री एम जी जयश्री - एमओएफ नामित निदेशक

समिति के कार्यों में ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा हर समय सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार के लिए सुझाव और नवोन्मेषी उपायों हेतु प्लेटफॉर्म बनाना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है:

- ग्राहक-सेवा पर शीर्ष समिति के रूप में कार्य करना तथा ग्राहक-सेवा पर स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना और सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रिया एवं प्रदर्शन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) की अनुशंसा का भी अनुपालन करना।

- ii. अधिनिर्णय की तारीख से तीन माह से अधिक अवधि व्यतीत होन जाने पर भी कार्यान्वयित नहीं किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा संज्ञान में लिए गए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।
- iii. ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों के ग्राहक वर्ग के लिए ग्राहक संतुष्टि के स्तर में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बैठकें आयोजित हुईं :

15.05.2023	15.09.2023	01.12.2023	10.01.2024
------------	------------	------------	------------

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 30.06.2023	1	1
4	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
5	श्री रवि मेहरा - कार्यकारी निदेशक	11.10.2023 से 31.03.2024	2	2
6	सुश्री एम जी जयश्री - एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	4	3

3.7 हितधारक संबंध समिति

सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 20 के अनुसार समिति का गठन किया गया है। शेयरधारकों, बांडधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निराकरण-तंत्र की जांच-पड़ताल का कार्य समिति करती है।

31 मार्च 2024 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)
2	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक
3	श्री रवि मेहरा - कार्यकारी निदेशक
4	श्री टी. आर. मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक



वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नांकित तिथियों पर समिति की चार (04) बैठकें आयोजित हुईं :

12.06.2023	25.07.2023	27.10.2023	14.03.2024
------------	------------	------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	11.01.2024 से 31.03.2024	1	1
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 30.06.2023	1	1
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
4	श्री रवि मेहरा - कार्यकारी निदेशक	11.10.2023 से 31.03.2024	2	2
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल - गैर सरकारी निदेशक	01.04.2023 से 10.01.2024	3	3
6	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
7	सुश्री रश्मि खेत्रपाल - गैर सरकारी निदेशक	01.04.2023 से 19.12.2023	3	3

समिति, निवेशकों की शिकायतों के निराकरण की समयबद्ध तरीके से निगरानी करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त व निराकरण किए गए अनुरोध/ शिकायतों की संख्या का सारांश इस प्रकार है:

01.04.2023 को लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निराकरण	31.03.2024 को लंबित
0	0	0	0

31 मार्च, 2024 तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 6 के अनुसार श्री साकेत मेहरोत्रा, कंपनी सचिव को "अनुपालन अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है।

3.8 मानव संसाधन प्रबंधन समिति

विकासशील एचआर योजनाओं को गति प्रदान करने तथा विभिन्न यूनियन व संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए बीआर संख्या 19841 दिनांकित 05.05.2012 के माध्यम से एचआर समिति का गठन किया गया है। आवश्यकतानुसार लेकिन तिमाही में न्यूनतम एक बार बैठक आयोजित की जा सकती है। 31 मार्च, 2024 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक
4	श्री रवि मेहरा - कार्यकारी निदेशक
5	सुश्री एम जी जयश्री - एमओएफ नामित निदेशक
6	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नांकित तिथियों पर समिति की छह (06) बैठकें आयोजित हुई :

15.05.2023	30.05.2023	01.09.2023	03.10.2023	12.12.2023	14.03.2024
------------	------------	------------	------------	------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	01.04.2023 से 31.03.2024	6	6
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2023 से 31.03.2024	6	6
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 30.06.2023	2	2
4	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	6	6
5	श्री रवि मेहरा - कार्यकारी निदेशक	11.10.2023 से 31.03.2024	2	2
6	सुश्री एम. जी. जयश्री - एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	6	1
7	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	6	6

3.9 बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति

आईटी पहल में तीव्रता लाने और तकनीक के अन्य लाभों को सफल बनाने के दृष्टिकोण से, निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करके बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति बनाई गई है।



31 मार्च, 2024 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक
4	श्री रवि मेहरा - कार्यकारी निदेशक
5	सुश्री एम. जी. जयश्री - एमओएफ नामित निदेशक
6	श्री शंकर लाल अग्रवाल - गैर सरकारी निदेशक
7	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की दस (10) बैठकें हुईं :

17.04.2023	30.05.2023	20.06.2023	04.08.2023	02.09.2023
03.10.2023	17.11.2023	12.12.2023	10.01.2024	09.02.2024

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	01.04.2023 से 31.03.2024	10	10
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2023 से 31.03.2024	10	10
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 30.06.2023	3	3
4	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	10	09
5	श्री रवि मेहरा - कार्यकारी निदेशक	11.10.2023 से 31.03.2024	4	4
6	सुश्री एम जी जयश्री - एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	8	6
7	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	10	10
8	श्री शंकर लाल अग्रवाल - गैर सरकारी निदेशक	17.05.2023 से 31.03.2024	10	09

3.10 अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संबंधित समिति

अनुशासनात्मक प्रकरणों की अपील तथा समीक्षा याचिका में निर्णय के लिए बोर्ड संकल्प संख्या 22389 दिनांकित 10.08.2016 के माध्यम से अपील और समीक्षा प्रकरणों से संबंधित समिति का गठन किया गया है।

31.03.2024 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक (अध्यक्ष)
2.	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक
3.	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

3.11 वसूली की निगरानी के लिए समिति:

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक एफ. सं. 7/112/2012-बीओए दिनांकित 21.11.2012 के माध्यम से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निदेशक तथा वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक को शामिल करते हुए निदेशकों की समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च 2024 को समिति की संरचना इस प्रकार है-

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष)
2.	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री रवि मेहरा – कार्यकारी निदेशक
4.	सुश्री एम.जी. जयश्री – नामित निदेशक (वित्त मंत्रालय)
5.	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर-सरकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (4) बैठकें आयोजित हुई-

20.06.2023	15.09.2023	28.12.2023	14.03.2024
------------	------------	------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपरोक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4

2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेंद्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 30.06.2023	1	1
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
4	श्री रवि मेहरा – कार्यकारी निदेशक	11.10.2023 से 31.03.2024	2	2
5	सुश्री एम.जी. जयश्री – नामित निदेशक (वित्त मंत्रालय)	01.04.2023 से 31.03.2024	4	3
6	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर-सरकारी निदेशक	11.01.2024 से 31.03.2024	1	1
7	सुश्री रश्मि खेत्रपाल – गैर-सरकारी निदेशक	01.04.2023 से 19.12.2023	2	2

3.12 इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति :

पक्षकार को इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित करने के लिए ईडी द्वारा समिति के आदेशों की समीक्षा हेतु इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में दो स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित हैं।

31 मार्च, 2024 को समिति की संरचना इस प्रकार है-

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह – गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)
2.	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.	सुश्री एम.जी. जयश्री – नामित निदेशक (वित्त मंत्रालय)
4.	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर-सरकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की तीन (3) बैठकें आयोजित हुई-

15.09.2023	01.12.2023	09.02.2024
------------	------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपरोक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह – गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3
2	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3

3	सुश्री एम.जी. जयश्री – नामित निदेशक (वित्त मंत्रालय)	01.04.2023 से 31.03.2024	3	2
4	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर-सरकारी निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3

3.13 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

‘बोर्ड की नामांकन समिति’ तथा ‘बोर्ड की पारिश्रमिक समिति’ दोनों के स्थान पर डीएफएस अधिसूचना फाइल सं. 16/19/2019-BO.I दिनांकित 30.08.2019 के माध्यम से ‘नामांकन और पारिश्रमिक समिति’ के नाम से एकल समिति का गठन किया गया था।

आरबीआई द्वारा ‘उचित और उपयुक्त’ मानदंड के अनुसार नामांकन, अनुवीक्षण के आवश्यक प्रक्रिया हेतु समुचित सावधानी प्रारंभ करने के लिए बोर्ड संकल्प संख्या 24521 दिनांकित 18.09.2019 के माध्यम से न्यूनतम तीन सदस्यों के साथ ‘नामांकन और पारिश्रमिक समिति’ का पुनर्गठन किया गया है।

31 मार्च 2024 को गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में समिति का गठन नहीं किया जा सका।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.14 असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या RBI/2014-15/362 DBR.No.CID.BC.54/20.16.064/2014-15 दिनांकित 22 दिसंबर, 2014 के अनुसार, किसी उधारकर्ता को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णय के लिए कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में समिति के आदेशों की समीक्षा हेतु असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति गठित की गई थी।

31 मार्च, 2024 को समिति की संरचना इस प्रकार है-

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष)
2.	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर-सरकारी निदेशक
3.	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.15 कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए समिति (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निदेशकों तथा महाप्रबंधकों के लिए) :

राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निदेशकों तथा महाप्रबंधकों (आंतरिक नियंत्रण कार्यों के प्रभारी) के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को अभिलेखबद्ध करने के लिए वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्रांक फाइल संख्या 9/5/2009-HR दिनांकित 30.08.2019 के अनुसार कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निदेशकों तथा महाप्रबंधकों के लिए) गठित की गई थी।



31 मार्च, 2024 को समिति की संरचना इस प्रकार है-

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह – गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)
2.	सुश्री एम.जी. जयश्री – नामित निदेशक (वित्त मंत्रालय)
3.	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की तीन (3) बैठकें आयोजित हुईं-

19.09.2023	26.09.2023	03.10.2023
------------	------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपरोक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह – गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3
2	सुश्री एम.जी. जयश्री – नामित निदेशक (वित्त मंत्रालय)	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3
3	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3

3.16 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड 13 के अनुसरण में, दो सौ पचास करोड़ रुपये तक के विभिन्न ऋण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2024 को समिति की संरचना इस प्रकार है-

क्र.सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष)
2.	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री रवि मेहरा – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री राजेश पांडेय – महाप्रबंधक (ऋण)
5.	सुश्री महिमा अग्रवाल – मुख्य वित्तीय अधिकारी
6.	श्री धीरज कुमार गौड़ – मुख्य जोखिम अधिकारी

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की निम्नांकित तिथियों पर पन्द्रह (15) बैठकें आयोजित हुईं-

18.05.2023	15.06.2023	19.06.2023	10.07.2023	31.07.2023
11.09.2023	14.09.2023	27.09.2023	09.10.2023	04.11.2023
11.12.2023	28.12.2023	15.01.2024	13.03.2024	14.03.2024

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपरोक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष)	01.04.2023 से 31.03.2024	15	15
2.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेंद्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 30.06.2023	3	3
3.	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024	15	15
4.	श्री रवि मेहरा – कार्यकारी निदेशक	11.10.2023 से 31.03.2024	6	6
5.	श्री राजेश सी पांडे – महाप्रबंधक (ऋण)	01.04.2023 से 31.03.2024	15	15
6.	सुश्री महिमा अग्रवाल – मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2023 से 31.03.2024	15	12
7.	श्री प्रवीण के अरोड़ा – उप महाप्रबंधक (कोष)	01.04.2023 से 31.07.2023	5	4
8.	श्री धीरज कुमार गौड़ – मुख्य जोखिम अधिकारी	01.04.2023 से 31.03.2024	15	15

3.17 शेर अंतरण समिति :

संयोजक के रूप में कंपनी सचिव सहित महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/ सहायक महाप्रबंधक को शामिल करते हुए अधिकारियों की समिति, पखवाड़े में न्यूनतम एक बार बैठक करती है। शेर अंतरण समिति की बैठक के कार्यवृत्त आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शेर अंतरण समिति की छब्बीस (26) बैठकें की गईं।

3.18 पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से परिवर्तन सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण :

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन में बैंक के सभी महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक (स्वतंत्र प्रभार के साथ), कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल हैं।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	परिवर्तन का विवरण, यदि कोई हो
1.	श्री एस.वी.एम. कृष्णा राव	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
2.	श्री पंकज द्विवेदी	महाप्रबंधक	दिनांक 27.03.2024 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
3.	श्री गोपाल कृष्ण	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
4.	श्री रवि मेहरा	महाप्रबंधक	दिनांक 09.10.2023 को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

5.	श्री प्रवीण कुमार	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
6.	श्री राजेंद्र कुमार रैगर	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
7.	श्री दिनेश कुमार गोयल	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
8.	श्री राजेश सी पांडे	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
9.	श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
10.	श्री चमन लाल शीहमार	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
11.	श्रीमती रश्मिता कात्रा	महाप्रबंधक	दिनांक 01.04.2023 से महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया है।
12.	श्री मनोज कुमार	महाप्रबंधक	दिनांक 01.04.2023 से महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया है।
13.	श्री धीरज कुमार गौड़	मुख्य जोखिम अधिकारी	अप्रयोज्य
14.	श्री संतोष कुमार नीरज	उप महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
15.	डॉ. ललित कुमार शर्मा	उप महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
16.	श्री राजीव कुमार बंसल	उप महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
17.	श्री नीलेंद्र के प्रभात	उप महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
18.	सुश्री महिमा अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	अप्रयोज्य
19.	श्री रवि गुप्ता	मुख्य अनुपालन अधिकारी	दिनांक 20.03.2024 को बैंक की सेवाओं में शामिल हुए हैं।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड 17 के निबंधन के अनुसार समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार गैर सरकारी निदेशकों को यात्रा और ठहराव खर्चों सहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक को वेतन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक (ओं) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है-

A. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बकाया सहित प्रदत्त वेतन का भुगतान :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (₹ लाख में)
1	श्री स्वरूप कुमार साहा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	42.34
2	डॉ. रामजस यादव	कार्यकारी निदेशक	38.62
3	श्री रवि मेहरा	कार्यकारी निदेशक	18.89
4	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र	पूर्व कार्यकारी निदेशक*	12.66
	कुल		112.51

* नीचे मद B में पीएलआई राशि का विवरण शामिल है।

B. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान किए गए प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन का विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (₹ लाख में)
1	श्री स्वरूप कुमार साहा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	5.00
2	डॉ. रामजस यादव	कार्यकारी निदेशक	4.00
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र	पूर्व कार्यकारी निदेशक*	4.00
	कुल		13.00

* उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान किया गया

C. बैंक गैर-कार्यकारी निदेशकों को बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं देता है। देय शुल्क इस प्रकार हैं-

क्र.सं.	बैठक	प्रति बैठक देय बैठक शुल्क (₹)
1.	बोर्ड	40,000
2.	बोर्ड की समिति	20,000
3.	बोर्ड बैठक की अध्यक्षता के लिए	10,000 (उपरोक्त (1) के अतिरिक्त)
4.	समिति की बैठकों की अध्यक्षता के लिए	5,000 (उपरोक्त (2) के अतिरिक्त)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क इस प्रकार है: (वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पूर्णकालिक निदेशकों, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों को कोई बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था):

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	राशि का भुगतान (₹ लाख में)
1	डॉ. चरन सिंह	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	15.00
2	श्री तीरथ राज मेन्दीरत्ता	शेयरधारक निदेशक	15.00
3	श्री शंकर लाल अग्रवाल	गैर-सरकारी निदेशक	15.00
4	सुश्री रश्मि क्रात्रा	गैर-सरकारी निदेशक	10.90
	कुल		55.90

D. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक कार्मिकों और बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प की पेशकश नहीं की गई थी।

5. सामान्य निकाय की बैठकें :

a. पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक सामान्य बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है-

प्रकार	दिन एवं तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
11वीं वार्षिक सामान्य बैठक	मंगलवार, 20 जुलाई 2021	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाते पर चर्चा, अनुमोदन और स्वीकार करना । - चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से 31 मार्च 2021 तक ₹3577,54,66,746.23 की संचित हानि के विनियोग के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से अनुमोदन।
12वीं वार्षिक सामान्य बैठक	मंगलवार, 12 जुलाई 2022	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाते पर चर्चा, अनुमोदन और स्वीकार करना। - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश घोषित करना
13वीं वार्षिक सामान्य बैठक	मंगलवार, 11 जुलाई 2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाते पर चर्चा, अनुमोदन और स्वीकार करना । - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश घोषित करना। - योग्य संस्थानों में प्लेसमेंट के माध्यम से ₹250 करोड़ तक की पूंजी जुटाने की स्वीकृति लेना ।

b. पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित असाधारण सामान्य बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है-

प्रकार	दिन एवं तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
असाधारण सामान्य बैठक	सोमवार, 17 मई 2021	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) में से एक निदेशक का चुनाव करना (श्री टी आर मेन्दीरत्ता, एकमात्र उम्मीदवार होने के नाते, तत्काल चुने गए और बैठक रद्द कर दी गई) ।
असाधारण सामान्य बैठक	गुरुवार, 31 मार्च 2022	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- विशेष संकल्प के माध्यम से अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को नकदी के लिए ₹10 के 2,72,51,18,483 इक्विटी शेयर बनाने, पेश करने, जारी करने और आवंटित करने के लिए ₹16.88 के निर्गम मूल्य पर (₹6.88 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) कुल मिलाकर ₹4600 करोड़ की मंजूरी दी गई।

- c. **डाक मतपत्र :** बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई भी व्यवसाय संचालित नहीं किया है और वर्तमान में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई भी व्यवसाय संचालित करने का प्रस्ताव नहीं है।

6. संचार के माध्यम :

बैंक के त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रचार-प्रसार के लिए शेयर बाजारों (बीएसई और एनएसई) को प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। परिणाम, संपूर्ण भारत में या पर्याप्त रूप से प्रसारित होने वाले अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में तथा उस क्षेत्र की भाषा में जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है अर्थात् दिल्ली में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित होते हैं। बैंक अपने वित्तीय परिणामों और प्रबंधन दृष्टिकोण पर विश्लेषक बैठकें, निवेशकों/ विश्लेषकों के साथ बैठकें आदि भी आयोजित करता है।

बैंक की तिमाही/ इयर-टू-डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणाम, प्रेस-विज्ञप्ति और विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुति की प्रति तथा अन्य आधिकारिक घोषणाओं को बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> तथा शेयर बाजारों अर्थात् www.nseindia.com और www.bseindia.com की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। मौजूदा सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से भेजी गईं और बैंक तथा शेयर बाजारों (स्टॉक एक्सचेंज) की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी होस्ट की गईं। सेबी दिशानिर्देशों के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां उन शेयरधारकों को प्रदान की गईं जिन्होंने उनके लिए अनुरोध किया था।

7. सामान्य शेयरधारक जानकारी :

7.1 वित्तीय कैलेंडर:

14वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, समय और स्थान	बैंक की 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार, 24 जुलाई 2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाएगी और बैठक का मानित स्थान, बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।
बही संवरण तिथि	गुरुवार, 18 जुलाई 2024 से बुधवार, 24 जुलाई 2024 तक
लाभांश के लिए निर्दिष्ट तारीख	17 जुलाई 2024
लाभांश भुगतान तिथि	14वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर

7.2 शेयर बाजारों में सूचीबद्धता :

बैंक के इक्विटी शेयर निम्नलिखित शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं-

शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज)	स्टॉक कोड
बीएसई लिमिटेड (पूर्व में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) - फिरोज जीजाभाँय टॉवर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001	533295
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) - एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051	PSB

सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान एनएसई तथा बीएसई को अद्यतित किया जा चुका है।




7.3 शेयर बाज़ारों में शेयर का मूल्य, व्यापारित शेयरों की मात्रा (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)

माह	एनएसई				बीएसई			
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	निफ्टी बैंक बंद	उच्च (₹)	निम्न (₹)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	बैंकेक्स बंद
अप्रैल 2023	36.65	25.40	110358509	43233.90	36.59	25.25	11006456	48981.83
मई 2023	38.70	30.50	86966846	44128.15	38.69	30.40	5501467	50017.52
जून 2023	34.15	29.45	43450475	44747.35	34.14	29.41	4858988	50500.57
जुलाई 2023	35.80	31.60	78120887	45651.10	35.79	31.56	6056108	51432.39
अगस्त 2023	38.50	30.70	98396063	43989.15	37.94	30.55	9032052	49371.95
सितंबर 2023	53.55	34.05	267536744	44584.55	53.61	34.06	20850838	50174.68
अक्टूबर 2023	49.25	36.55	91011707	42845.95	49.15	36.55	6893236	48448.07
नवंबर 2023	43.70	39.00	38622842	44481.75	43.60	39.00	3893741	50292.51
दिसंबर 2023	47.25	40.55	82981226	48292.25	47.25	40.55	7831406	54378.31
जनवरी 2024	52.15	42.25	117268059	45996.80	52.10	42.25	11246904	51999.08
फरवरी 2024	77.50	48.70	250146408	46120.90	77.50	48.87	19673348	52456.58
मार्च 2024	68.30	53.20	61227479	43233.90	68.30	53.10	5002688	53515.19

* स्रोत – एनएसई/बीएसई वेबसाइट (www.nseindia.com / www.bseindia.com)

7.4 बैंक निफ्टी की तुलना में बैंक शेयर के प्रदर्शन का आलेखी वर्णन नीचे दिया गया है-



7.5 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निराकरण:

1. बैंक के शेयर, बीएसई और एनएमई दोनों पर ISIN INE608A01012 के अंतर्गत डीमेट में व्यापार योग्य हैं।सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण अथवा स्थानांतरण हेतु प्राप्त अनुरोध के संबंध के अतिरिक्त संशोधित प्रतिभूतियों को केवल अमूर्त रूप में ही स्थानांतरित किया जा सकता है। मूर्त रूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपनी धारिता को अमूर्त रूप में परिवर्तित करें।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि अमूर्त रूप में धारित शेयर्स के लिए पते और/या बैंक अधिदेश (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड इत्यादि) में परिवर्तन की स्थिति में अभिलेखों में अद्यतन हेतु सीधे अपने डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) को सूचित करें।
3. इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से किया जाता है, जिसमें बैंक की कोई भागीदारी नहीं होती है।
4. शेयरधारकों, बांडधारकों तथा अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों के निराकरण तंत्र की जांच-पड़ताल के लिए बोर्ड ने हितधारक संबंध समिति गठित की है। नियमित अंतराल पर समिति की बैठकें आयोजित होती है तथा वह निवेशकों के शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है।

बैंक ने अपने शेयर अंतरण एजेंट के रूप में लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड को नियुक्त किया है तथा अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में शेयर कक्ष के रूप में निवेशक शिकायतक कक्ष की स्थापना की है जहां शेयरधारक अपने सुझाव/ शिकायतों के निराकरण के लिए मेल कर सकते हैं। संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

<p>लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. (यूनिट: पंजाब एण्ड सिंध बैंक) नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट संख्या 2, सी-1 ब्लॉक एलएमसी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058 फोन: (011) 41410592 to 0594 फैक्स: (011) 41410591 ई-मेल: delhi@linkintime.co.in</p>	<p>पंजाब एण्ड सिंध बैंक कोर्पोरेट कार्यालय एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023 दूरभाष: (011) 40175169 ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 6 (2) (डी) के अनुसार उपर्युक्त ई-मेल आई डी, निवेशकों की शिकायतों के लिए विशेष रूप से अभिहित है।

7.6 शेयरधारिता(शेयर) का संवितरण- श्रेणीवार 31 मार्च, 2024 तक

शेयर की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	कुल शेयर	कुल का %
1 – 500	167557	89.39	15501518	0.23
501 – 1000	9847	5.25	7999255	0.12

1001 – 2000	4873	2.60	7373536	0.11
2001 – 3000	1793	0.96	4589779	0.07
3001 – 4000	696	0.37	2506727	0.04
4001 – 5000	911	0.49	4263477	0.06
5001 – 10000	1130	0.60	8188671	0.12
10001 व उससे अधिक	628	0.34	6727363484	99.26
कुल	187435	100.00	6777786447	100.00

7.7 शेयरधारकों का भौगोलिक(राज्यवार) संवितरण - 31 मार्च, 2024 तक

क्र. सं.	राज्य	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयर	प्रतिशत*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22	1,605	0.00
2	आंध्र प्रदेश	2591	892,082	0.01
3	अरूणाचल प्रदेश	222	34,967	0.00
4	असम	1,433	2,66,672	0.01
5	बिहार	4,755	12,93,153	0.02
6	चंडीगढ़	991	4,11,923	0.01
7	छत्तीसगढ़	1,554	4,94,374	0.01
8	दादर और नगर हवेली	33	3,282	0.00
9	दमन और दीव	25	13,751	0.00
10	दिल्ली	14,983	6,66,87,24,639	98.39
11	गोवा	368	1,16,127	0.00
12	गुजरात	23,260	73,73,449	0.11
13	हरियाणा	7,551	35,50,283	0.05
14	हिमाचल प्रदेश	948	2,27,567	0.01
15	जम्मू और कश्मीर	764	2,58,502	0.00
16	झारखंड	2,378	6,77,113	0.01
17	कर्नाटक	8,605	46,43,935	0.07
18	केरल	4,487	15,90,937	0.02
19	लक्षद्वीप	1	70	0.00
20	मध्य प्रदेश	6,556	23,18,999	0.03
21	महाराष्ट्र	32,666	5,84,50,203	0.86
22	मणिपुर	110	37,850	0.00
23	मेघालय	56	5,406	0.00
24	मिजोरम	8	5,740	0.00
25	नागालैंड	59	15,410	0.00
26	ओड़िसा	2,327	6,56,385	0.01
27	अन्य	1,404	15,88,313	0.02

क्र. सं.	राज्य	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयर	प्रतिशत*
28	पुदुचेरी	131	27,538	0.00
29	पंजाब	9,022	35,72,641	0.05
30	राजस्थान	14,511	39,96,765	0.06
31	सिक्किम	34	8,439	0.00
32	तमिलनाडु	9,533	33,41,475	0.05
33	तेलंगाना	5,979	32,20,902	0.05
34	त्रिपुरा	152	33,931	0.00
35	उत्तर प्रदेश	17,175	54,40,275	0.08
36	उत्तराखंड	1,569	4,19,132	0.01
37	पश्चिम बंगाल	11,172	40,72,612	0.06
कुल		1,87,435	6,77,77,86,447	100.00

*0.00% उन मूल्यों को संदर्भित करता है जो 0.01% से कम है।

7.8 प्रतिभूतियों और चलनिधि का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयर सेबी की अनिवार्य डीमेट सूची के अंतर्गत है तथा बैंक में अपने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड(एनएमडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज(इंडिया) लिमिटेड(सीजीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारकों द्वारा एनएमडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण किया जा सकता है।

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को बैंक के 6,77,77,86,447 इक्विटी शेयरों में से 6,77,77,05,318 शेयर अमूर्त रूप में हैं।

धारिता की प्रकृति	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
मूर्त	81,080	0.0012
अमूर्त		
एनएसडीएल	7,85,31,294	1.1587
सीडीएसएल *	6,69,91,74,073	98.8401
कुल	6,77,77,86,447	100.0000

*इसमें भारत सरकार द्वारा धारित 6,65,90,51,093 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

7.9 बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या संपरिवर्तनीय लेख-पत्र जारी नहीं किया है तथा दिनांक 31.03.2021 तक कोई अदत्त जीडीआर/एडीआर/वारंट या संपरिवर्तनीय लेख-पत्र नहीं है।

7.10 वित्तीय वर्ष के दौरान कॉमोडिटी मूल्य जोखिम तथा कॉमोडिटी प्रतिरक्षा गतिविधियां प्रयोज्य नहीं हैं।

7.11 संयंत्र स्थल: अप्रयोज्य

7.12 बैंक द्वारा प्राप्त साख श्रेणी निर्धारण

श्रेणी निर्धारण एजेंसी	टियर II बांड के लिए श्रेणी निर्धारण	जमा राशियों के प्रमाणपत्र के लिए श्रेणी निर्धारण
सीएआरई	सीएआरई एए-29.09.2023 को सकारात्मक (आउटलुक को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया गया)	अप्रयोज्य
सीआरआईएमआई एल	सीआरआईएमआईएल एए 17.08.2023 को स्थिर (आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में संशोधित किया गया)	अप्रयोज्य
आईसीआरए	-	आईसीआरए ए1+(पुनः अभिपुष्ट) दिनांकित 11.03.2024
इनफोमेरिक	आईवीआर एए स्थिर(पुनः अभिपुष्ट) दिनांकित 05.03.2024	अप्रयोज्य

8. अन्य प्रकटीकरण:

- ऐसा कोई विशेष संबंधित पक्षकार लेन-देन नहीं है जिसका व्यापक रूप से बैंक के हितों के साथ मतभेद होने की संभावना हो सकती है।
- विगत तीन वर्षों के दौरान, पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या बोर्ड या किसी संविधिक प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए शास्ति, आक्षेप का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	विवरण
1.	2021-22	बीएसई द्वारा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 27(2) के अनुसार कंपनी अभिशासन रिपोर्ट विलंब से दाखिल करने के लिए शास्ति लगाया था। एक्सबीआरए में तकनीकी समस्या के कारण विलंब हुआ था तथा स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शास्ति को माफ कर दिया गया था।
2.	2022-23	एनएसई द्वारा विनियमन 60(2) के अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए अभिलेख तिथि की सूचना में 1 दिन के विलंब के लिए शास्ति लगायी थी। स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शास्ति माफ कर दी गयी। बीएसई और एनएसई द्वारा विनियमन 29(2) के अनुसार दिनांक 21.01.2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक की सूचना में 1 दिन के विलंब के लिए शास्ति लगायी थी।

- बैंक की पर्दाफाश नीति है तथा किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति के अभिगमन से वंचित नहीं किया गया।
- विवेकाधीन एवं अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति का विवरण नीचे बिंदु एन तथा ओ में दिया गया है।
- अनुषंगी सामग्री और संबंधित पक्षकार लेनदेन नीति निर्धारण करने की नीति बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/content/policies> पर उपलब्ध है।

- f. लाभांश संवितरण नीति बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/content/policies> पर उपलब्ध है।
- g. वित्तीय वर्ष के दौरान कॉमोडिटी मूल्य जोखिम एवं कॉमोडिटी प्रतिरक्षा गतिविधियां लागू नहीं हैं।
- h. बैंक द्वारा अधिमानी आबंटन के माध्यम से एकत्रित धनराशि का उपयोग बैंक के सामान्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया गया है।
- i. व्यवहारतः कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र लिया गया है कि बैंक बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से न तो वर्जित किया गया और न ही अयोग्य ठहराया गया है।
- j. यह पुष्टि की जाती है कि ऐसा कोई दृष्टांत नहीं हुआ, जहां बोर्ड द्वारा बोर्ड की किसी भी समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनिवार्यतः आवश्यक था।
- k. सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किये गये शुल्क का विवरण

प्रकृति	राशि
सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक	9,34,61,830
सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक	1,68,15,330

- l. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण
- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 01.04.2023 तक लंबित शिकायतों की संख्या | 0 |
| कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या | 11 |
| वर्ष के दौरान निराकृत शिकायतों की संख्या | 6 |
| 31.03.2023 को लंबित शिकायतों की संख्या | 5 |
- m. बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

- n. विवेकाधीन आवश्यकताओं का अनुपालन:

बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची V के अनुसार लागू अज्ञापक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची II (विनियम 27 (1)) के भाग-ई के अनुसार विवेकाधीन अपेक्षाओं के कार्यान्वयन का विस्तार-क्षेत्र इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवेकाधीन अपेक्षाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	बोर्ड – गैर कार्यपालक अध्यक्ष, सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय को अनुरक्षित करने का पात्र है तथा उसे अपने कर्तव्य-निर्वहन में वहन किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति है।	अनुपालन किया गया। भारत सरकार ने डॉ. चरन सिंह को बैंक बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

2	शेयरधारकों का अधिकार - विगत छह माह की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा, शेयरधारकों को भेजी जाए।	तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को प्रेषित किये जाते हैं, प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है और शेयरधारकों के सूचनार्थ बैंक वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर प्रदर्शित किया जाता है।
3.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत - कंपनी, असंशोधित लेखापरीक्षा मत वाली वित्तीय विवरणी की व्यवस्था का चयन कर सकती है।	लेखापरीक्षकों ने बैंक की वित्तीय विवरणी पर असंशोधित राय व्यक्त की है।
4	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग-अलग पद - सूचीबद्ध इकाई, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जैसे कि अध्यक्ष (ए) एक गैर-कार्यकारी निदेशक होगा; तथा (बी) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित शब्द "रिश्तेदार" की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संबंधित नहीं होगा।	पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया है।
5.	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग - आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	निरीक्षण विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीधे लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

o. कंपनी अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण

रजि. सं.	शीर्षक/ संक्षिप्त वर्णन	अनुपालन स्थिति
17 व 17ए	निदेशक-मंडल	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत हमारा बैंक तदनुसूप नया बैंक है। शेयरधारक निदेशक के अतिरिक्त बैंक के समस्त निदेशक अधिनियम की धारा 9 (3) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त/ नामित हैं। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बोर्ड विचार-विमर्श का अधिकांश समय बैंक की व्यावसायिक रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, अभिशासन और जोखिम प्रोफाइल पर व्यतीत किया किया जाता है। बोर्ड के कार्यकरण में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।
	लेखापरीक्षा समिति	अनुपालन किया गया

	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और संदर्भ की शर्तें आरबीआई के निर्देशों/दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में चयनित होने वाले व्यक्तियों की 'उचित और उपयुक्त' स्थिति के निर्धारण के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया करती है। सुश्री रश्मी खेत्रपाल की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, बैंक के समक्ष समिति का गठन करने के लिए पर्याप्त संख्या में निदेशक नहीं हैं।
	हितधारक संबंध समिति	अनुपालन किया गया
	जोखिम प्रबंधन समिति	अनुपालन किया गया
	विजिल तंत्र	अनुपालन किया गया
	संबंधित पार्टि लेनदेन	अनुपालन किया गया
	सूचीबद्ध ईकाई की अनुषंगी के संबंध में कंपनी अभिशासना अपेक्षाएं	अप्रयोज्य
24ए	सचिवालय लेखापरीक्षा	अनुपालन किया गया
	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में बाध्यताएं	अनुपालन किया गया
	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति, निदेशकों तथा प्रवर्तकों सहित कार्मिकों के संबंध में बाध्यताएं	अनुपालन किया गया
	कंपनी अभिशासन अपेक्षाएं	अनुपालन किया गया
46 (2) (बी) से (आई)	वेबसाइट	अनुपालन किया गया

9. अदावी लाभांश:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुसार, बैंक को संबंधित असंदत्त लाभांश लेखा में अंतरित लाभांश राशि जो अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त/अदावाकृत हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करना आवश्यक है:

क्र.सं.	अदावी लाभांश का विवरण	दिनांक 31.03.2024 को शेष
1	लाभांश 2021-22	7,05,486.97
2	लाभांश 2022-23	7,94,024.76



10. बैंक द्वारा जारी बांड हेतु डिबेंचर ट्रस्टी निम्नलिखित है:

बॉण्डधारकों के लिए ट्रस्टी

 <p>IDBI trustee IDBI Trusteeship Services Ltd</p> <p>आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. यूनीवर्सल इंशोरेंस बिल्डिंग, भू-तल, सर पी एम रोड, फोर्ट मुंबई, महाराष्ट्र - 400 001 दूरभाष संख्या 022-40807000, +91 7208822299, +91 8591585821 फैक्स संख्या 022-66311776 ई-मेल: itsl@idbitrustee.com</p>	 <p>एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ लिमिटेड एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल परिसर, पांडुरंग बुद्धकर मार्ग वर्ली, मुंबई - 400 025 दूरभाष: +91 22 62260054/ 6226 0050 ई-मेल: debenturetrustee@axistrustee.in</p>	 <p>विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड द आईएल एण्ड एफएस वित्तीय केंद्र प्लॉट संख्या सी-22, जी ब्लॉक, सातवाँ तल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 दूरभाष : +91 22 2659 3535 फैक्स : +91 22 2653 3297 ई-मेल : mumbai@vistra.com</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. निलंब खाते में आबंटितियों के अदावी शेषों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट (31.03.2024):

क्र.सं.	विवरण	एनएसडीएल IN301330-21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1.	वर्ष के प्रारंभ में पीएसबी अदावी उंचत खाते में रखे हुए शेषों की संख्या	1172	1230
2.	शेयर अंतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या तथा उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेषों को उंचत खाते से अंतरित किया गया	--	--
3.	वर्ष के अंत में पीएसबी अदावी उंचत खाते में रखे हुए शेषों की संख्या	1172*	1230*

* प्रमाणित किया जाता है कि इन शेषों पर मताधिकार उक्त शेषों के वास्तविक स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक अवरोधित रहेंगे।

12. शेयरधारिता पैटर्न 31 मार्च, 2024 तक

क्र.सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	इक्विटी का %
1	निगमित निकाय-लिमिटेड देयता साझेदारी	15	279269	0.00
2	समाशोधनकर्ता सदस्य	8	955	0.00
3	एफपीआई (कॉर्पोरेट)- I	2	564312	0.01

क्र.सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	इक्विटी का %
4	एफपीआई (कॉर्पोरेट) - II	1	734342	0.01
5	हिंदू अविभक्त परिवार	4925	2362368	0.03
6	बीमा कंपनियाँ	7	42169570	0.62
7	म्यूचुअल फंड	8	1833583	0.03
8	राष्ट्रीयकृत बैंक	2	18050	0.00
9	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	2	6001	0.00
10	गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	1	7946	0.00
11	अनिवासी (गैर-प्रत्यावर्तनीय)	645	620135	0.01
12	अनिवासी भारतीय	644	1287491	0.02
13	अन्य निगमित निकाय	313	3120413	0.05
14	भारत के राष्ट्रपति	1	6659051093	98.25
15	जनता	180849	65609396	0.97
16	न्यास	10	119121	0.00
17	अदावी शेयर्स	2	2402	0.00
	कुल	187435	6777786447	100.00

13. कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कॉर्पोरेट कार्य के मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है, प्राप्त किया गया है तथा नीचे उपलब्ध कराया गया है।



R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries
FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55 & 67, Chawala Complex,
Shakarpur, Delhi- 110092
Tel:- 98-10544091
E-mail: rsk04069@rediffmail.com

निदेशकों के गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

{सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 34 (3) तथा अनुसूची V, अनुच्छेद सी, उपबंध (10) (i) के अनुसरण में}

सदस्य

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

बैंक हाउस, 21, राजेंद्र प्लेस

नई दिल्ली -110008

हमने, पंजाब एण्ड सिंध बैंक जिसका कारपोरेट कार्यालय एनबीसीसी कार्यालय परिसर, प्रथम तल, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023 (यहाँ इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेखों, फॉर्म, विवरणियों तथा प्रकटनों की जांच की है जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची V, अनुच्छेद सी, उपबंध (10)(i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथा आवश्यक माने गए सत्यापनों {पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (DIN) की स्थिति सहित} एवं बैंक व उसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि नीचे बताए गए अनुसार बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	डॉ. चरण सिंह	गैर-कार्यकारी-स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष)
2	श्री स्वरूप कुमार साहा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	डॉ. रामजस यादव	कार्यकारी निदेशक

4	श्री रवि मेहरा	कार्यकारी निदेशक
5	सुश्री एम जी जयश्री	गैर-कार्यकारी - नामित निदेशक
6	श्री के पी पटनायक	गैर-कार्यकारी - नामित निदेशक
7	श्री टी आर मेंदीरत्ता	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक
8	श्री शंकर लाल अग्रवाल	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक

नियुक्ति की पात्रता सुनिश्चित करने/ बोर्ड में प्रत्येक निदेशक को जारी रखने का उत्तरदायित्व बैंक प्रबंधन का है। हमारा दायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर विचार प्रकट करें। यह प्रमाण-पत्र, भविष्य में न तो बैंक की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है जिससे प्रबंधन, बैंक संबंधी व्यवसाय करता है।

कृते आर एस कथूरिया एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01 मई, 2024

आर एस कथूरिया
प्रोपराइटर
एफसीएस 5217; सीपी संख्या : 3112
यूडीआईएन : F005217F000282329



कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

हमारे द्वारा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 तथा सूचीयन करार के अनुपालन में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हमारे विचार तथा जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित के अतिरिक्त, बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 तथा सूचीयन करार में अनुबंध अनुसार कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

- a) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार 20 दिसंबर 2023 से बैंक के बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।
- b) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार 20 दिसंबर 2023 से बैंक की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति गठित नहीं किया गया और वर्ष के दौरान नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।
- c) बैंक के बोर्ड में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(ई), 9(3)(एफ), 9(3)(जी) के अंतर्गत एक निदेशक तथा धारा 9(3)(एच) के अंतर्गत तीन निदेशकों के पद रिक्त हैं।
- d) 20 दिसंबर 2023 से 11 जनवरी 2024 तक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार बैंक की लेखापरीक्षा समिति का उचित रूप से गठन नहीं किया गया।

हमारा यह भी अभिकथन है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक की दक्षता या प्रभावशीलता के संचालन से संबंधित है।

<p>चतुर्वेदी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 302137E यूडीआईएन: 24318210BKCMXG5923 स्थान: नई दिल्ली</p> <p>(सनदी लेखाकार अमित कुमार) साझेदार एम सं. 318210</p>	<p>मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन: 001997S यूडीआईएन: 24225084BKDZRX3634 स्थान: नई दिल्ली</p> <p>(सनदी लेखाकार पी. वेंकटराजू) साझेदार एम सं. 225084</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>एस.पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 000346N यूडीआईएन: 24092529BKCYOP5377 स्थान: नई दिल्ली</p> <p>(सनदी लेखाकार पवन के गुप्ता) साझेदार एम. सं. 092529</p>	<p>गुप्ता शर्मा एण्ड एसोरिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन: 001466N यूडीआईएन: 24531165BKEFGB3849 स्थान: नई दिल्ली</p> <p>(सनदी लेखाकार धनंजय) साझेदार एम.एन 531165</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दिनांक : 10 मई, 2024
स्थान: नई दिल्ली



निदेशक मंडल
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,

विषय : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 की अनुसूची-V के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए घोषणा।

यह घोषणा की जाती है कि बैंक के समस्त बोर्ड सदस्यों और उच्च प्रबंधन कार्मिकों ने शेयर बाजारों के साथ किए गए सूचीयन करार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 की अनुसूची-V के अनुसरण में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। उक्त आचार संहिता को बैंक वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> पर भी प्रदर्शित किया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.05.2024

(स्वरूप कुमार साहा)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशक मंडल
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए सीएफओ/ सीईओ प्रमाणीकरण।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 के अनुपालन प्रमाण-पत्र की अनुसूची-II कंपनी अभिशासन भाग-बी के अनुसरण में हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :

(A) हमने वर्ष के वित्तीय विवरणियों तथा नगदी प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

- 1) इन विवरणों में तात्विक रूप से कोई असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या इनमें किसी महत्वपूर्ण/ तात्विक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या इनमें ऐसे विवरण अंतर्विष्ट नहीं है जो भ्रामक हो।

- 2) ये अभिकथन/विवरण कुल मिलाकर बैंक के कार्यकलापों का सही एवं निष्पक्ष/स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखा-मानकों, प्रयोज्य विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।
- (B) हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध हो या जिनसे बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण हुआ हो।
- (C) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने की व उन्हें बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है तथा इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों के स्वरूप व प्रचालन संबंधी कमियों (यदि कोई हो), जो हमारे संज्ञान में है, के संबंध में और इन कमियों को दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित है, के संबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को प्रकटीकरण कर दिया है।
- (D) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्न के विषय में अवगत कराया है :
- 1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - 2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा
 - 3) हमारे संज्ञान में आए कपट के महत्वपूर्ण दृष्टांत तथा उसमें प्रबंधन या किसी कार्मिक की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग में बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

दिनांक : 10.05.2024

(अर्नब गोस्वामी)

(स्वरूप कुमार साहा)

स्थान : नई दिल्ली

मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी



<p>मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार पार्क सेंटर, 24, पार्क स्ट्रीट कोलकाता-700016</p>	<p>मेसर्स मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार 27, सुब्रमण्यम स्ट्रीट, अब्राहिमपुरा, चेन्नई, तमिलनाडु- 600018</p>	<p>मेसर्स एस. पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार 31-एफ, कनॉट प्लेस, रेडियल रोड नंबर-7, नई दिल्ली-110001</p>	<p>मेसर्स गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार भू-तल, 142, सेक्टर-3, त्रिकुटा नगर, जम्मू-180012</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्य

अभिमत

- हमने **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** ('बैंक') की वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा की है जिनमें 31 मार्च, 2024 का तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित वित्तीय विवरणियों पर नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है जिनमें उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाएं और ट्रेजरी विभाग तथा शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 664 शाखाएं और 42 कार्यालय/ प्रसंस्करण केंद्र के विवरण शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। वित्तीय विवरणियों में उन 880 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल हैं जिनका लेखापरीक्षण नहीं किया गया है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं से अग्रिम का 13.02 प्रतिशत, जमाराशियों का 29.45 प्रतिशत, ब्याज आय का 9.28 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 23.16 प्रतिशत भाग संबंधित है।
- हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 ('अधिनियम') द्वारा यथाआवश्यक अनुसार बैंक के अनुरूप जानकारी देती हैं और यह भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:
 - टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, 31 मार्च, 2024 को बैंक की क्रियाकलापों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए समुचित रूप से तैयार किया गया है;
 - टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि खाता, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक संतुलन प्रदर्शित करता है; और
 - नकदी प्रवाह विवरणी, उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए सत्य तथा वास्तविक नकदी प्रवाह प्रस्तुत करती है।

अभिमत का आधार

- हमने अपना लेखापरीक्षण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों ("एसए") के अनुसार किया है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जवाबदेही में आगे वर्णित किया गया है। हम, आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के साथ-साथ नैतिक अपेक्षाओं जो सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप तैयार वित्तीय विवरणियों की

हमारी लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र व दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, लेखापरीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

4. वर्तमान वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों में हम अलग से कुछ विचार उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों का निर्धारण किया है जिनका विवरण इस प्रकार है :

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में हमारे मामले के संबंध में किस प्रकार कार्रवाई की गई
<p>अग्रिम – वर्गीकरण और प्रावधान</p> <p>(लेखांकन नीति संख्या 3 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें)</p> <p>अग्रिमों को अर्जक तथा अनर्जक (एनपीए) अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित/ जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य प्रासंगिक निर्देशों/ दिशानिर्देशों (विवेकपूर्ण मानदंड) के अनुसार किया जाता है। वर्गीकरण और प्रावधान, बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के साथ एकीकृत आईटी सॉफ्टवेयर द्वारा किए जाते हैं। विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत एनपीए के प्रावधान का विस्तार मुख्य रूप से इसके काल-प्रभावन और रेखांकित प्रतिभूति की प्रतिलब्धता पर आधारित है।</p> <p>प्रतिभूति के मूल्यांकन में उच्च परिमाण के प्राक्कलन और निर्णय अंतर्भूत होने के कारण विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित अनुप्रयोग या प्रतिभूति के त्रुटिपूर्ण मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का वहन मूल्य, व्यक्तिशः या समग्रतः तात्त्विक रूप में गलत हो सकता है और वित्तीय विवरणों में अग्रिमों की राशि अर्थात कुल आस्ति का 58.22% के महत्व को ध्यान में रखते हुए,</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया</p> <p>हमने आस्तियों के वर्गीकरण एवं इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और आरबीआई के दिशा-निर्देशों, बैंक के आंतरिक निदेशों व प्रक्रियाओं और अन्य संबंधित नियामक या अन्य प्राधिकरण/निकायों की जानकारी प्राप्त की है तथा निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अंगीकृत की है :</p> <ul style="list-style-type: none"> - अग्रिम निगरानी, पहचान/वर्गीकरण, प्रासंगिक डाटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण न्यूनता का मूल्यांकन और सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट/ विद्यमान वास्तविक डाटा की समीक्षा के संबंध में सिस्टम नियंत्रण और अन्य प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण। - किसी भी अग्रिम खाते में अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या अशक्ति का पता लगाने के लिए वृहत एवं दबावग्रस्त अग्रिमों की नमूना जांच के आधार पर प्रलेखीकरण, परिचालनों/ निष्पादनों का सत्यापन/ समीक्षा और अग्रिम खातों की निगरानी, ताकि हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं/ कार्यक्षेत्र के संबंध में, आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार इनका वर्गीकरण सुनिश्चित हो सके।

<p>अग्रिमों के वर्गीकरण और उस पर प्रावधान को हमारे लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है।</p>	<p>शाखा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, हमें उनकी रिपोर्टों पर विश्वास है।</p> <ul style="list-style-type: none"> - किसी प्रतिकूल संकेत/ टिप्पणी वाले अग्रिमों का पता लगाने के लिए ऋण लेखापरीक्षा, निरीक्षण लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, संगामी लेखापरीक्षा, विनियामक लेखापरीक्षा और किसी भी अन्य लेखापरीक्षा/ निरीक्षण तंत्र की रिपोर्टों की समीक्षा और इस प्रकार के अग्रिमों का उचित वर्गीकरण और उनका प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए बैंक के नियंत्रण तंत्र की समीक्षा। <p>लेखापरीक्षा के दौरान आवश्यकतानुसार परिवर्तन किए गए और लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष के लिए वित्तीय वक्तव्यों में इसके प्रभाव को विधिवत रूप से शामिल किया गया।</p>
<p>निवेश - मूल्यांकन और पहचान तथा अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान</p> <p>(लेखांकन नीति संख्या 2 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 का संदर्भ लें)</p> <p>बैंक के निवेश संविभाग में सरकारी प्रतिभूतियों, बाण्ड्स, ऋण पत्र, शेयरों, प्रतिभूति प्राप्तियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित है जिन्हें तीन वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है यथा परिपक्वता तक धारित, बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित।</p> <p>निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय का तदनुसूची अस्वीकरण और उन पर प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित परिपत्रों/ दिशानिर्देशों/ निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। उपरोक्त प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन, आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों यथा एफबीआईएल दर, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दर, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, प्रतिभूति पावती के प्रकरण में एनएवी इत्यादि से डाटा/ सूचना का संग्रहण सम्मिलित है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, कतिपय निवेश ऐसे होते हैं जिनका मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया</p> <p>आरबीआई परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में रूपरेखा की समीक्षा और परीक्षण, आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश के अभিনিर्धारण, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें विशेष रूप से -</p> <ul style="list-style-type: none"> - हमने, मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश के अभিনিर्धारण, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन किया है तथा उसे समझा है। - हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और उनका मूल्यांकन किया है। - निवेश के चयनित नमूने (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की समस्त श्रेणियों को शामिल करते हुए) के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/ निर्देशों के अनुसार प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्निष्पादन

<p>पर किया जाता है तथापि कतिपय निवेश, मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित पूर्वानुमान वाले सांख्यिकीय प्रतिमान, वित्तीय विवरणों के आधार पर मूल्यांकन के लिए मूल्य का प्राक्कलन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए ज्ञात मूल्य, वास्तविक प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं वरन् वर्तमान तिथि में निवेश का उचित मूल्यांकन मात्र हो सकता है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि अर्थात् कुल आस्तियों का 33.59% के महत्व के मद्देनज़र, इसे हमारे लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है।</p>	<p>मूल्यांकन करके आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुसरण में सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> - निवेश के चयनित नमूने (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की समस्त श्रेणियों को शामिल करते हुए) के लिए हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः मूल्यांकन करके सटीकता और आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया। - हमने, एनपीआई के अभिनिर्धारण की प्रक्रिया तथा आय के तदनुरूप व्युत्क्रमण और प्रावधान के सृजन का निर्धारण और मूल्यांकन किया है। - हमने, सृजित किए जाने वाले प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना के लिए मूलभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं कार्यान्वित की हैं। <p>लेखापरीक्षा के दौरान यथास्थान आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं और लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष के लिए वित्तीय वक्तव्यों में इसके प्रभाव को विधिवत रूप से शामिल किया गया है।</p>
<p><u>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण</u></p> <p>बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणालियां, कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और सीबीएस से संबद्ध या स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कामकाज पर अत्यधिक निर्भर हैं।</p> <p>हमारा केंद्रित क्षेत्र, प्रणाली में प्रदाय किए जाने वाले तर्क, डाटा की शुचिता और विश्वसनीयता, अभिगम प्रबंधन और कर्तव्यों के पृथक्करण से संबंधित हैं। ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि अनुप्रयोगों और डाटा में परिवर्तन उपयुक्त, प्राधिकृत, परिमार्जित एवं परिवीक्षित हैं जिससे प्रणाली, सटीक एवं विश्वसनीय रिपोर्ट/ विवरणी और अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय</p>	<p><u>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - व्यवसाय प्रक्रिया की विभिन्न श्रेणियों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कोडिंग प्रणाली को समझना। - परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, अभिगम नियंत्रण सहित सीबीएस नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना। - प्रणाली में डाटा प्रविष्टि को समझना तथा बैंक में विद्यमान आईटी प्रणाली से वित्तीय जानकारी और विवरणियां निकालने की प्रक्रिया की जांच करना।

<p>जानकारी प्रदान करे जिनका उपयोग वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए किया जाता है।</p> <p>वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं, दैनिक आधार पर व्यापक परिमाण में कार्य करती हैं और विविध और जटिल लेनदेन को संसाधित करती हैं जो आईटी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं।</p> <p>एक जोखिम यह है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएं एवं संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को यथार्थतः परिकल्पित और प्रभावी रूप से परिचालित नहीं किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त बैंक की सीबीएस/ आईटी प्रणाली को उन्नत किया गया था तथा चालू वर्ष के दौरान ट्रेजरी कार्यों के लिए नई आईटी प्रणाली/ सॉफ्टवेयर और वित्तीय/अन्य डाटा को उन्नत किए गए सिस्टम में माइग्रेट किया गया था और अतिरिक्त जोखिम यह था कि डाटा, उचित प्रकार से और पूर्णतया माइग्रेट नहीं किया गया हो।</p> <p>उपरोक्त को मद्देनज़र इसे हमारी लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना गया है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> - बैंक के विनियमन/नीति में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकताओं की जांच करना तथा आईटी में उसके कॉन्फिगरेशन/प्रभाव की जांच करना। - नमूना आधार पर प्रणाली द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की समीक्षा करना। - उन्नत आईटी प्रणाली को समझना तथा सीमित परीक्षण जांच के आधार पर उसमें स्थानांतरित किए गए डाटा की समीक्षा करना। - आईएस ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की और प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन के विषय में आईटी विभाग के साथ विचार-विमर्श किया। - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों तथा निवेश मूल्यांकन/ वर्गीकरण इत्यादि के आईटी अनुप्रयोग/समाधान सहित आईटी प्रणाली/ नियंत्रण के विषय में आईटी विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श और उनकी रिपोर्ट की समीक्षा। <p>प्रणाली से इनपुट/आउटपुट डाटा की कमियों को अधिक नियंत्रित करने के लिए प्रणाली की प्रभावकारिता हेतु इसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

5. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कंपनी अभिशासन रिपोर्ट सम्मिलित है जिसे हमने इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को जारी करने के समय प्राप्त की थी। अन्य जानकारी में अपेक्षित अनुलग्नकों (परंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है) जिसे इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराया जाना प्रत्याशित है, सहित निदेशकों की रिपोर्ट भी समाविष्ट है। वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत अन्य जानकारियों तथा बासल III के अंतर्गत स्तंभ 3 प्रकटीकरण को शामिल नहीं करता है तथा हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन एवं निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणियों की हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त चिह्नित की गई अन्य जानकारियों का अध्ययन करना है तथा ऐसा करते समय विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी, वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा में संज्ञान में आई हमारी जानकारी के साथ तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से असंगत प्रतीत होते हैं।

लेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त अन्य जानकारी पर हमने जो कार्य किया है, यदि उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में वस्तुगत त्रुटि है तो उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य जानकारी के अध्ययन में यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन है तो हमें इस मामले को अभिशासन प्रभारी को सूचित करना आवश्यक है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारी के उत्तरदायित्व

6. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों और बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों व दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा नगदी प्रवाह की वास्तविक तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचने और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों; उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जिन्हें लेखांकन रिकार्ड की पूर्णता एवं सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, के अनुसरण में उपयुक्त लेखांकन अभिलेखों को अनुरक्षित करना भी शामिल है।

वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, लाभकारी कारोबार वाली संस्था के रूप में जारी रखने के लिए बैंक की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा भी लागू है, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हो या ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण, समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या विवरणों से मुक्त है और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसएएस) के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में हमेशा गलत विवरण, यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा, यदि अलग-अलग या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होते हैं।

मानक लेखांकन (एसएएस) के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर आंकलन करते हैं और पेशेवर संशयात्मकता बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है क्योंकि धोखाधड़ी

में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरुद्ध कार्य करना शामिल हो सकते हैं।

- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना ताकि वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई जा सके।
- उपयोग में लाई गई लेखांकन पद्धतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलन और संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के विद्यमान होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें, हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षक को रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित है तथापि, भविष्य की घटनाएं या मामले बैंक की संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करना।

परिमाण (मेटेरिएलिटी), वित्तीय विवरणों में गलत जानकारी का स्तर है जो अकेले या समग्र रूप से ऐसी स्थिति पैदा करने की संभावना रखता है कि वित्तीय विवरणों के पर्याप्त जानकार प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम, (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य की व्यापकता की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में तथा (ii) एकल वित्तीय विवरणों में चिह्नित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्ता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य विषयों के साथ लेखापरीक्षा की नियोजित स्वरूप एवं समय-सीमा तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में चिह्नित किसी महत्वपूर्ण अनियमितताओं सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अभिशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम अभिशासन प्रभारी को इस विवरण से भी सूचित करते हैं कि हमने निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों व अन्य मामलों जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं और संबंधित रक्षा उपायों, जहाँ भी लागू है, का अनुपालन किया है।

अभिशासन प्रभारी के साथ संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखापरीक्षक को रिपोर्ट में दर्शाते हैं, यदि कोई विधि या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों से अधिक ऐसी सूचना के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

8. हमने, बैंक की वित्तीय विवरणों में समाविष्ट 664 शाखाओं तथा 42 कार्यालयों/ प्रसंस्करण केंद्रों की वित्तीय विवरणी/ जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनकी वित्तीय विवरणी/ जानकारी, दिनांक 31.03.2024 को ₹ 19,605.88 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1,003.61 करोड़ के कुल राजस्व दर्शाते हैं जैसा कि इन वित्तीय विवरणियों में सुविचारित है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/ जानकारी की लेखापरीक्षा, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा इन शाखाओं के संबंध में समाविष्ट राशि और प्रकटीकरण से संबंधित हमारा अभिमत पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।
9. हम इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित आंकड़े, बैंक के पूर्व में जारी किए गए वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं, जिनका लेखापरीक्षा दो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों के साथ-साथ दो वर्तमान लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया था जिन्होंने उन वित्तीय विवरण दिनांकित 02.05.2023 पर असंशोधित राय अभिव्यक्त की थी।

उक्त मामले के संबंध में हमारे अभिमत को आशोधित नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते तैयार किए गए हैं।
11. उपर्युक्त अनुच्छेद 6 से 8 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की अपेक्षाओं के अनुसार और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के भी अधीन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (a) हमने अपने लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, वे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हैं और उन्हें संतोषजनक पाया गया है;
 - (b) हमारी जानकारी में आए हुए बैंक के लेनदेन, बैंक के विवेकाधिकार में हैं; और
 - (c) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त हैं।
12. “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - एससीए के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएं” पर पत्र संख्या डीओएस. एआरजी. नंबर 6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित 17.03.2020 की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (a) हमारे अभिमत में, उपरोक्त वित्तीय विवरण आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होने की सीमा तक आईसीएआई द्वारा जारी प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - (b) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई पर्यावलोकन या टिप्पणी नहीं है जो बैंक के कार्यकरण पर कोई विपरीत प्रभाव डालते हों।
 - (c) चूंकि बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने की निरर्हता, बैंक के लिए अप्रयोज्य है।
 - (d) खातों के प्रबंधन और तत्संबंधी अन्य मामलों के संबंध में कोई विशिष्टता, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।



- (e) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक - ए में दी गई है जो 31 मार्च, 2024 के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के विषय में असंशोधित अभिमत व्यक्त करती है।
13. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :
- (a) हमारे अभिमत में, विधि द्वारा यथा अपेक्षित खाता बहियां उचित रूप से बैंक में रखी गई हैं और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, इन बहियों की जांच से जहाँ तक प्रतीत होता है उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हैं।
- (b) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नगदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण नहीं किए गए शाखाओं से प्राप्त खाता बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं।
- (c) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा निरीक्षित किए गए शाखा कार्यालयों की लेखा रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उन्हें उचित रूप से व्यवहृत किया गया है ; और
- (d) हमारे अभिमत में तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाते और नगदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखांकन मानकों का, आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक अनुपालन करते हैं।

कृते मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 302137E

कृते मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001997S

(सीए सतीश चन्द्र चतुर्वेदी)
साझेदार
एम. नं. 012705
यूडीआईएन : 24012705BKFYMS4516

(सीए पी. वेंकटराजू)
साझेदार
एम. नं. 225084
यूडीआईएन : 24225084BKDZRV9128

कृते एस. पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000346N

मेसर्स गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001466N

(सीए पवन के. गुप्ता)
साझेदार
एम. नं. 092529
यूडीआईएन : 24092529BKCYOQ1695

(सीए धनंजय शर्मा)
साझेदार
एम. नं. 531165
यूडीआईएन : 24531165BKEFFZ5226

दिनांक : 10 मई, 2024

स्थान : नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

{सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 12 (e) के अंतर्गत “अन्य विधिक तथा विनियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” का संदर्भ लें।}

भारतीय रिज़र्व बैंक (“आरबीआई”) के पत्र डीओएस.एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) (“आरबीआई संसूचना”) द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्ट

हमने, संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक (“बैंक”) की वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा से संयोजन में 31 मार्च, 2024 को बैंक की वित्तीय विवरण के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा किया है जिसमें चयनित बैंक शाखाओं की वित्तीय विवरणियों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसके अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा जो “भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण” पर आधारित है। इन उत्तरदायित्व में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्माण, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल होगा जो उसके कारोबार के व्यवस्थित तथा दक्ष परिचालन को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से परिचालित बनाये हुए था। इस उत्तरदायित्व में बैंक की नीतियों का पालन, बैंक आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देशों द्वारा यथा आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की यथासमय उपक्रम भी शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणी के संबंध में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर निर्देशन नोट (“गाइडेंस नोट”) तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन पर मानक (एसए), प्रयोज्य सीमा तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के अनुसरण में अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों तथा उक्त निर्देशन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस विषय में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणी के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व अनुरक्षित किया गया है और यदि ऐसे सभी नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पक्षों में प्रभावी ढंग से परिचालित है।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल थी। वित्तीय विवरणी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई महत्वपूर्ण दोष विद्यमान है तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा और परिचालन प्रभावशीलता



का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर होगी जिसमें धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण त्रुटि के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित अनुच्छेद में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुरूप जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पर्याप्त और समुचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

वित्तीय विवरणी के संबंध में किसी बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणी तैयार करने के प्रयोजन से अभिकल्पित किया गया है। वित्तीय विवरणी के संबंध में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं जो (1) उन अभिलेख के रखरखाव से संबंधित हैं जो पर्याप्त विस्तार से बैंक की आस्तियों के संव्यवहार और निपटान को यथार्थतः व निष्पक्ष रूप में दर्शाते हैं; (2) पर्याप्त आश्वासन प्रदान करे कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने को संभव बनाने के लिए यथा आवश्यक संव्यवहारों को दर्ज किया गया है तथा बैंक की प्राप्तियाँ तथा व्यय, बैंक के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किए जा रहे हैं तथा (3) बैंक आस्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, उपभोग या निपटान की रोकथाम या यथासमय पता लगाने के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करे जिनका वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रणों पर हावी होने सहित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि से या धोखाधड़ी के कारण गंभीर गलत विवरणी की प्रस्तुति हो सकती है तथा ऐसा भी संभव है कि उनका पता न लगाया जा सके। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय विवरणी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का पूर्वानुमान इस जोखिमों के अधीन है कि वित्तीय विवरणी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर न्यून हो सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित अनुच्छेद में संदर्भित शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आलोक के आधार पर बैंक ने वित्तीय विवरणी के संबंध में समस्त महत्वपूर्ण पक्षों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है तथा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, "भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर निर्देशन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए मापदंड" के आधार पर 31 मार्च, 2024 को प्रभावी रूप से कार्यरत है।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जहाँ तक 664 शाखाओं और 42 कार्यालयों/ प्रसंस्करण केंद्रों की वित्तीय विवरणी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता से संबंधित है, वह उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

इस मामले के संदर्भ में हमारी राय को आशोधित नहीं किया गया है।

कृते मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 302137E

कृते मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001997S

(सीए सतीश चन्द्र चतुर्वेदी)
साझेदार
एम. नं. 012705
यूडीआईएन : 24012705BKFYMS4516

(सीए पी. वेंकटराजू)
साझेदार
एम. नं. 225084
यूडीआईएन : 24225084BKDZRV9128

कृते एस. पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000346N

मेसर्स गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001466N

(सीए पवन के. गुप्ता)
साझेदार
एम. नं. 092529
यूडीआईएन : 24092529BKCYOQ1695

(सीए धनंजय शर्मा)
साझेदार
एम. नं. 531165
यूडीआईएन : 24531165BKEFFZ5226

दिनांक : 10 मई, 2024

स्थान : नई दिल्ली



पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2024 का तुलन-पत्र

(000 छोड़कर)

		₹	₹
पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.23 तक [लेखा परीक्षित]
पूंजी	1	67777864	67777864
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	87556407	83307205
जमाराशियां	3	1194095543	1096654900
उधार	4	97708561	90183832
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	29426884	26621369
कुल		1476565259	1364545170
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	6	73124645	62254008
बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	705474	713208
निवेश	8	495991569	448384193
अग्रिम	9	827363762	768194289
अचल आस्तियां	10	17557825	15194228
अन्य आस्तियां	11	61821984	69805244
कुल		1476565259	1364545170
आकस्मिक देयताएं	12	66596787	76453991
वसूली के लिए बिल		9694446	9559266
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	17		
खातों पर टिप्पणियां	18		
अनुसूची 1 से 18 के प्रपत्र लेखा का अभिन्न भाग हैं			

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 छोड़कर)

			₹	₹
			31.03.24 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]	31.03.23 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]
I. आय				
अर्जित ब्याज	13		96939756	79927314
अन्य आय	14		12214692	9399603
कुल			109154448	89326917
II. व्यय				
व्यय किया गया ब्याज	15		68529339	50193510
परिचालन व्यय	16		29315740	24634019
आकस्मिक व्यय एवं प्रावधान			5355170	1369098
कुल			103200249	76196627
III. लाभ/हानि				
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ हानि (-)			5954199	13130290
पिछला अग्रानीत लाभ/ हानि(-)			13563689	6260282
कुल			19517888	19390572
मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस)			0.88	1.94
IV. विनियोजन				
अंतरण :				
सांविधिक आरक्षित निधि			1490000	3290000
पूंजी आरक्षित निधि [निवेश]			223120	69106
धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि			103300	0
कर्मचारी कल्याण न्यास			25000	50000
निवेश उच्चावचन आरक्षित निधियां			477109	316663
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि			447	0
लाभांश			3253337	2101114
शेष को तुलन पत्र में ले जाया गया			13945575	13563689
कुल			19517888	19390572



महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
खातों पर टिप्पणियां	18		
अनुसूची 1 से 18 के प्रपत्र लेखा का अभिन्न भाग हैं			

अर्नब गोस्वामी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

तीरथ राज मेंदीरत्ता
निदेशक

के. पी. पटनायक
निदेशक

शंकर लाल अग्रवाल
निदेशक

रवि मेहरा
कार्यकारी निदेशक

एम.जी. जयश्री
निदेशक

स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डॉ. चरन सिंह
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 302137E

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001997S

(सतीश चन्द्र चतुर्वेदी)
साझेदार
एम.सं. 012705
यूडीआईएन : 24012705BKFYMS4516

(पी. वेंकटराजू)
साझेदार
एम. सं. 225084
यूडीआईएन : 24225084BKDZRV9128

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000346N

कृते गुप्ता शर्मा एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001997S



(पवन कुमार गुप्ता)
साझेदार
एम.सं. 092529
यूडीआईएन: 24092529BKCYOQ1695

(धनंजय शर्मा)
एम.सं. 531165
साझेदार
यूडीआईएन: 24531165BKEFFZ5226

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मई, 2024



(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 1-पूजी	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.23 तक [लेखा परीक्षित]
	प्राधिकृत पूजी:		
I.	इक्विटी शेयर पूजी (प्रत्येक ₹ 10 के 1000,00,00,000 शेयर)	100000000	100000000
		100000000	100000000
	निर्गम, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूजी:		
I.	प्रत्येक ₹ 10/- के 6,77,77,86,447 इक्विटी शेयर पूजी (विगत वर्ष 6,77,77,86,447) [केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 6,65,90,51,093 (विगत वर्ष 6,65,90,51,093) शेयर सहित]	67777864	67777864
	कुल	67777864	67777864

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.23 तक [लेखा परीक्षित]
I.	सांविधिक आरक्षित निधि :		
	अथशेष	15736906	12446906
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	1490000	3290000
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	0	0
	उप-योग I	17226906	15736906
II.	पूजी आरक्षित निधि :		
	a. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (अचल आस्तियाँ)		
	अथशेष	9122246	9199014
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	1573787	0
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	-32174	-76768
	उप-योग II.a	10663859	9122246
	b. पूजी आरक्षित निधि [निवेश]		
	अथशेष	7528340	7459234
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	223120	69106
	उप-योग II.b	7751460	7528340

III.	शेयर प्रीमियम :		
	अथशेष	31319785	31319785
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	0	0
	उप-योग III	31319785	31319785
IV.	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि :		
	a). सामान्य आरक्षित निधि		
	अथशेष	1089003	1089003
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	0	0
	उप-योग IV.a	1089003	1089003
	b). राजस्व आरक्षित निधि		
	अथशेष	428329	351561
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	32174	76768
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	0	0
	उप-योग IV.b	460503	428329
	c). धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि :		
	अथशेष	2004818	2004818
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	103300	0
	उप-योग IV.c	2108118	2004818
	d). निवेश आरक्षित निधि		
	अथशेष	333218	333218
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	उप योग IV.d	333218	333218
	e). निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		
	अथशेष	2180871	1864208
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	477109	316663
	उप-योग IV.e	2657980	2180871
V.	लाभ एवं हानि खाते का शेष	13945575	13563689
	कुल [I से V]	87556407	83307205



(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 3 - जमाराशियां	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.23 तक [लेखा परीक्षित]
A	I. मांग जमाराशियां		
	i. बैंकों से	980053	1668873
	ii. अन्यो से	50780547	48080431
	II. बचत बैंक जमाराशियां	335321934	318581762
	III. आवधिक जमाराशियां		
	i. बैंकों से	7681956	3623481
	ii. अन्यो से	799331053	724700353
	कुल [I+II+III]	1194095543	1096654900
B	i. भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	1194095543	1096654900
	ii. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	0	0
	कुल	1194095543	1096654900

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 4 - उधार	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.23 तक [लेखा परीक्षित]
	I. भारत में उधार		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	6000000	0
	ii) अन्य बैंक	0	0
	iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	79335561	77810832
	iv) गौण ऋण	12373000	12373000
	II. भारत के बाहर से उधार राशियां	0	0
	कुल [I व II]	97708561	90183832
	उपरोक्त I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	85335561	77810832

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.23 तक [लेखा परीक्षित]
I. देय बिल	2500800	3303704
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	457640	1332649
III. प्रोदभूत ब्याज	10317051	8113873
IV. अन्य (प्रावधान सहित)	16151393	13871143
कुल	29426884	26621369

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और इतिशेष	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.23 तक [लेखा परीक्षित]
I. रोकड़ शेष [विदेशी मुद्रा नोट सहित]	2622745	3235185
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		
i) चालू खातों में	53501900	52018823
ii) अन्य खातों में	17000000	7000000
कुल [I व II]	73124645	62254008

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर देय राशि	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.23 तक [लेखा परीक्षित]
I. भारत में		
i) बैंकों के पास शेष राशि		
a) चालू खातों में	151827	157977
b) अन्य जमा खातों में	0	0
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि		
a) बैंक के पास	0	0



b) अन्य संस्थाओं के पास	0	0
उप-योग [I]	151827	157977
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	553647	555231
ii) अन्य जमा खातों में	0	0
iii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि	0	0
उप-योग [III]	553647	555231
कुल [I व II]	705474	713208

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 8 - निवेश	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.23 तक [लेखा परीक्षित]
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ **	321198226	288515120
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0	0
iii) शेयर	1609569	1551390
iv) डिबेंचर तथा बॉण्ड	163341504	154236011
v) सहायक इकाइयां, तथा/या संयुक्त उद्यम	0	0
vi) अन्य:		
a) वाणिज्यिक पत्र/ सीडी/ प्रतिभूति रसीदें/ आरआईडीएफ	9583804	3709115
b) यूटीआई के यूनिट, अन्य म्यूचुअल फंड/ वीसी	258466	372557
उप-योग [I]	495991569	448384193
II. भारत के बाहर निवेश	शून्य	शून्य
कुल [I + II]	495991569	448384193
भारत में निवेश		
सकल मूल्य	506676135	454643310
कम: मूल्य हास का प्रावधान	-10684566	-6259117

शुद्ध निवेश	495991569	448384193
** इनमें ₹6251.75 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभूतियाँ सम्मिलित हैं (अंकित मूल्य ₹6316.88 करोड़)। पिछले वर्ष यह ₹6087.47 करोड़ (अंकित मूल्य ₹6170.95 करोड़) था।		

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 9 - अग्रिम	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.23 तक [लेखा परीक्षित]
A i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	10363025	9766742
ii) नगद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	271123011	242618040
iii) मीयादी ऋण	545877726	515809507
कुल	827363762	768194289
B i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के सापेक्ष अग्रिमों सहित)	619180985	573021651
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा अनुरक्षित	134791151	123413144
iii) अप्रतिभूत	73391626	71759494
कुल	827363762	768194289
C I. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	309738026	297291346
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	148060621	172495905
iii) बैंक	5053370	4697183
iv) अन्य	364511745	293709855
II. भारत के बाहर अग्रिम	0	0
कुल (I तथा II)	827363762	768194289



(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 10 – अचल आस्तियाँ	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.23 तक [लेखा परीक्षित]
I. परिसर		
पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	4215080	4215439
पुनर्मूल्यन के कारण लागत-वृद्धि	9274264	9274264
उप-योग	13489344	13489703
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वास्तविक लागत	0	0
पुनर्मूल्यन लागत	1573787	0
वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
वास्तविक लागत	0	-359
पुनर्मूल्यन लागत	0	0
इस तिथि तक घटाए गए मूल्यहास		
वास्तविक लागत	-512878	-408938
पुनर्मूल्यन लागत	-184192	-152018
कुल-I	14366061	12928388
II. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर तथा जुड़नार सहित)		
पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	9305979	8599682
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2297867	1150383
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-85495	-444086
इस तिथि को मूल्यहास	-8326587	-7040139
कुल II	3191764	2265840
कुल I व II	17557825	15194228

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.23 तक [लेखा परीक्षित]
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
II. प्रोदभूत ब्याज	7997866	6761421
III. अग्रिम भुगतान किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधानों को घटाकर)	7012809	5415089
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	51467	42863
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	0	0
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	16202340	18442476
VII. अन्य \$\$	30557502	39143395
कुल	61821984	69805244
\$\$ आरआईडीएफ के अंतर्गत नाबार्ड के साथ संयुक्त रूप से जमा राशि ₹1673.84 करोड [पिछले वर्ष ₹2359.44 करोड]		

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.23 तक [लेखा परीक्षित]
I. बैंक के सापेक्ष दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।	67830	67830
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	438424	383137
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	21402772	34223743
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटी		
a) भारत में	27062890	27903629
b) भारत के बाहर	0	0
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	2679417	1781221
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	14945454	12094431
कुल	66596787	76453991



(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज	31.03.24 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]	31.03.23 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]
I. ब्याज/ अग्रिम राशि पर छूट/ बिल	69512373	55024390
II. निवेशों पर आय	26560319	23593446
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	220293	307130
IV. अन्य	646771	1002348
कुल	96939756	79927314

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 14 – अन्य आय	31.03.24 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]	31.03.23 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]
I. कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	1350358	1139122
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ [₹4,54,692 हजार की निवल हानि, पिछले वर्ष: ₹1,67,849 हजार]	1010742	1012217
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ [₹19,72,974 हजार की निवल हानि, पिछले वर्ष: ₹15,80,098 हजार]	-896835	-1153998
IV. भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ [₹2,804 हजार की निवल हानि, पिछले वर्ष: ₹2,279 हजार]	4396	21539
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ [₹3,30,512 हजार की निवल हानि, पिछले वर्ष: ₹2,18,970 हजार]	274158	362127
V. विविध आय	10471873	8018596
कुल	12214692	9399603

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज	31.03.24 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]	31.03.23 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]
I. जमाराशियों पर ब्याज	63118656	47178381
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	2916871	1494893
III. अन्य	2493812	1520236
कुल	68529339	50193510

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय	31.03.24 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]	31.03.23 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]
I. कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	19442027	15444206
II. किराया, कर और बिजली	1392376	1367262
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	116690	108374
IV. विज्ञापन और प्रचार	74342	76181
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	1500843	1483332
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और खर्च	8151	6930
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)	145444	141980
VIII. विधि प्रभार	152136	136807
IX. डाक-खर्च, तार, टेलीफोन इत्यादि	449586	603375
X. मरम्मत एवं रखरखाव	304011	309043
XI. बीमा	1555817	1370738
XII. अन्य व्यय	4174317	3585791
कुल	29315740	24634019



अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

A. पृष्ठभूमि

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (पीएसबी या बैंक) बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े निगमों, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का कार्य कर रहा है। यह बैंक बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा अधिशासित है।

B. प्रस्तुति का आधार

पंजाब एण्ड सिंध बैंक ("बैंक") के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत व्यवसाय के अंतर्गत, लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर, सतत प्रयोजन के आधार पर तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं, और सभी मूर्त पहलुओं में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, भारत में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांत (जीएएपी), वैधानिक प्रावधान, निर्धारित नियामक मानदंड और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्र, निर्देश और दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक भारत में बैंकिंग उद्योग में बैंक और प्रचलित मान्यताओं के लिए प्रासंगिक और लागू होने के अनुरूप हैं।

C. प्राक्कलन का उद्देश्य

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को आकलन करने और धारणाओं को सृजित करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणियों की तिथि अनुसार आस्तियों तथा देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की प्रतिवेदित राशि और रिपोर्टिंग अवधि हेतु प्रतिवेदित आय और व्यय को प्रभावित करती हैं। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम उक्त आकलनों से भिन्न भी हो सकते हैं। आकलनों में किसी भी संशोधन या वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकृति दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात / मूर्त होते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

D. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. राजस्व निर्धारण

1.1. जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और व्यय को उपचय आधार पर लिया गया है।

1.2. गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय जिसमें अग्रिम और निवेश शामिल हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के आधार पर निर्धारित है।

- 1.3. गैर निष्पादित आस्तियों(अनुच्छेद 1.4 में वर्णित के अतिरिक्त) में आंशिक वसूली प्रथमतः मूलधन तथा तत्पश्चात् ब्याज एवं प्रभारों हेतु विनियोजित की जाती है।
- 1.4. आरबीआई द्वारा शुरु की गई विशेष योजनाओं यथा दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) की दीर्घकालिक संरचना हेतु योजना, नीतिगत ऋण पुनर्निर्धारण, दीर्घकालिक परियोजना ऋण की नम्य संरचना (5/25), उधारकर्ता संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (नीतिगत ऋण पुनर्निर्धारण योजना के परे), जहाँ खाता तदंतर एनपीए हो जाता है, कोई वसूली इत्यादि के अंतर्गत रक्षित मामलों के लिए पहले ऋण और अग्रिम पर ब्याज जमा किया जाएगा। तत्पश्चात्, वसूली खाते में बकाया मूलधन के लिए विनियोजित किया जाएगा। उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत आने वाले सभी खातों में लेखांकन प्रक्रिया एक समान और सुसंगत होगी।
- 1.5. जारी की गई गारंटियों और ऋण पत्रों पर आय, लॉकर किराया, व्यापारी बैंकिंग अंतरण से आय, धन अंतरण सेवाएं, शेयरों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड पर कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, वितरण सहित सरकारी व्यवसाय पेंशन और म्यूचुअल फंड उत्पादों की इकाइयों से आय और एटीएम परिचालन से आय का लेखांकन प्राप्तियों के आधार पर किया जाता है।
- 1.6. कॉम्प्रोमाइज़्ड खातों पर छूट का हिसाब खाते के पूर्ण और अंतिम समायोजन के समय किया जाता है।
- 1.7. अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक खातों पर प्रायोजित ब्याज की दर पर की जाती है।
- 1.8. टीयर - II पूंजी जुटाने के संबंध में बांड जारी करने संबंधी व्ययों को पाँच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में रखे जाने वाले आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।
- 1.9. शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

2. निवेश

निवेश का लेखांकन निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

2.1 वर्गीकरण

संपूर्ण निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे “परिपक्वता तक धारित(एचटीएम)”, “बिक्री के लिए उपलब्ध(एचटीएम)” तथा “व्यापार के लिए धारित(एफएस)” जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/ निर्देशों के अनुरूप है।

तुलन पत्र में प्रकटीकरण हेतु, उपरोक्त वर्गीकरण के अंतर्गत निवेश को भारत में तथा भारत के बाहर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारत में निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

- i. सरकारी प्रतिभूतियां



- ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- iii. शेयर
- iv. डिबेंचर
- v. अनुषांगिक इकाइयां/संयुक्त उपक्रम तथा
- vi. अन्य

भारत के बाहर निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

- i. सरकारी प्रतिभूतियां
- ii. अनुषांगिक इकाइयां/संयुक्त उपक्रम तथा
- iii. अन्य

2.2 वर्गीकरण का आधार

- i. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता हो, उन्हें परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ii. ऐसे निवेश जिन्हें क्रय की तिथि से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनः विक्रय के लिए रखा हो, उन्हें व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iii. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हों, उन्हें विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश को क्रय करते समय उक्त तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य से कमतर अंतरण की तिथि में किया जाता है। यद्यपि, एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के पश्चात इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामी मूल्यहास, यदि कोई हो, प्रदान किया जाता है।

2.3 निवेश का अभिलेखन/लेखांकन

सभी प्रतिभूतियों/निवेशों के अंतरण का अभिलेखन निपटान तिथि पर किया जाता है। निपटान तिथि लेखांकन का अभिप्राय है (क) आस्ति का निर्धारण, जिस दिन वह संस्था द्वारा प्राप्त की जाती है, और (ख) आस्ति का अभिज्ञान समाप्त करना तथा इकाई द्वारा इसकी सुपुर्दगी के दिन निपटान पर किसी लाभ या हानि का अभिज्ञान करना।

मूल्य भारित औसत लागत पद्धति पर निर्धारित किया जाता है।

सब्सक्रिप्शन पर मिलने वाली दलाली/कमीशन को लागत में से कम कर दिया जाता है। निवेश के अधिग्रहण के संबंध में भुगतान की गई दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को अग्रिम रूप से व्यय किया जाता है और लागत से अपवर्जित किया जाता है।

प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तिथि तक अर्जित ब्याज अर्थात ऋण अभिलेखों पर खण्डावधि के ब्याज को अधिग्रहण लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा गया है तथा इसे ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है।

2.4 मूल्यांकन

'परिपक्वता तक धारित'(एचटीएम) के अंतर्गत निवेश को अर्जन लागत में वर्णित किया गया है। अर्जन पर भुगतान किया गया प्रीमियम, यदि कोई हो, परिपक्वता की शेष अवधि में निरंतर उपज के आधार पर परिशोधित किया जाता है। प्रीमियम का ऐसा परिशोधन कटौती के रूप में "निवेश पर आय" शीर्षक के अंतर्गत अर्जित ब्याज में परिलक्षित होता है। यदि अधिग्रहण लागत मोचन मूल्य से कम है, तो अप्राप्त लाभ के अंतर को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अस्थायी प्रकृति के अतिरिक्त, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश के मूल्य में कोई भी कमी, प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती है।

'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस) तथा 'बिक्री के लिए धारित' (एचएफटी) के अंतर्गत निवेश को नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य पर व्यक्तिगत रूप से पुनर्मूल्यांकित किया जाता है तथा प्रत्येक समूह/श्रेणी का निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, प्रदान किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

'बिक्री हेतु उपलब्ध' एवं 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी के अंतर्गत शामिल निवेशों के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए 'बाजार मूल्य', स्टॉक एक्सचेंज से उपलब्ध स्क्रिप का बाजार मूल्य, भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) द्वारा फिक्सड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) के साथ संयुक्त रूप से घोषित मूल्य है।

गैर-उद्धृत प्रतिभूतियों के संबंध में, 'बाजार मूल्य/उचित मूल्य' निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाता है :

a.	भारतीय प्रतिभूतियां: i. केन्द्र सरकार प्रतिभूतियां ii. राज्य सरकार प्रतिभूतियां	फिक्सड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया(एफआईएमएमडीए) तथा फाइनेंशियल बैंचमार्क इंडिया प्रा.वि.(एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित के अनुसार बाजार मूल्य/वाईटीएम पर है। एफआईएमएमडीए/पीडीएआई/एफबीआईएल द्वारा निर्धारित दरों पर हैं। एफआईएमएमडीए/आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर उचित वृद्धि के आधार पर।
b.	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार,सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बांड(अग्रिम की प्रकृति के नहीं) द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां	एफआईएमएमडीए/आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर उचित वृद्धि के आधार पर।
c.	इक्विटी शेयर	नवीनतम तुलनपत्र के आधार पर विश्लेषित(पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व पर विचार रहित) जो मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से अधिक पुराना न हो, पर विचार किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां नवीनतम तुलन पत्र उपलब्ध नहीं हैं, वहां शेयरों का मूल्य ₹1 प्रति कंपनी है।
d.	अधिमाननी शेयर	आरबीआई/एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर उचित वृद्धि के आधार पर मोचन मूल्य से अधिक नहीं।

e.	बांड तथा डिबेंचर(अग्रिम की प्रकृति का नहीं)	आरबीआई/एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर उचित वृद्धि के आधार पर।
f.	म्यूचुअल फंड इकाई, उद्यमों हेतु पूंजी निधि तथा प्रतिभूति जमा।	पुनः क्रय-लागत या निवल आस्ति मूल्य पर
g.	राजकोष, नगद प्रबंधन बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र, पुनर्पूँजीकरण बॉण्ड्स, सहायक, संयुक्त उद्यम तथा प्रायोजित संस्थान	रखाव लागत पर
h.	अन्य निवेश	मूल्य में कम घटाव रखाव लागत पर

2.5 किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है, लेकिन "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि "पूँजी आरक्षित खाते" में विनियोजित की जाती है।

2.6 गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई)

एनपीआई वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप, निवेश उचित प्रावधान/आय के गैर स्वीकरण के अधीन हैं। गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास/प्रावधान को अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता।

यदि किसी इकाई द्वारा प्राप्त कोई क्रेडिट सुविधा बैंक की बैंक की बहियों में गैर निष्पादित आस्ति है, तो उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी गैर निष्पादित निवेश और इसके विपरीत क्रम में माना जाएगा। यद्यपि, गैर निष्पादित निवेश वरीयता शेयर के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, संबंधित क्रेडिट सुविधा को गैर निष्पादित आस्ति नहीं माना जाता।

2.7 किसी मामले में, 'एफएस' और 'एचएफटी' श्रेणियों में एमटीएम खाते पर किया गया मूल्यहास किसी भी वर्ष में आवश्यक राशि से अधिक पाया जाता है तो अतिरिक्त राशि को लाभ एवं हानि खातों में जमा कर दिया जाता है और उसकी समतुल्य राशि को अनुसूची 2 में निवेश आरक्षित खातों – "राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां" के शीर्ष के अंतर्गत "आरक्षित और अधिशेष" में समायोजित कर दिया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उस पर प्रावधान

3.1 अग्रिम को निष्पादित तथा गैर-निष्पादित आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है तथा प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं।

3.2 अग्रिम मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियां, उधारकर्ता अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं।

3.3 गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान आरबीआई/नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जो नीचे दिए गए आरबीआई निर्देशों के अनुसार न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है।

आस्तियों का वर्गीकरण	प्रावधान मानदंड
अवमानक	i कुल बकाया पर सामान्य प्रावधान का 15% ii ऐसे एक्सपोजर के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारंभ में अप्रतिभूत हैं (यथा जहां सुरक्षा का वसूली योग्य मूल्य आरंभिक रूप से 10% से अधिक नहीं है) iii बुनियादी ढांचे के अग्रिमों के संबंध में अप्रतिभूत जोखिम जहां एस्करो खाते जैसे कुछ सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं-20%
संशयात्मक आस्तियां	
- प्रतिभूतित अंश	i एक वर्ष तक : 25% ii एक से तीन वर्ष : 40% iii तीन वर्षों से अधिक : 100%
- अप्रतिभूतित अंश	100%
हानि आस्तियां	100%

- 3.4** अग्रिमों को गैर-अभिज्ञापित ब्याज और गैर-निष्पादित अग्रिमों के संबंध में किए गए प्रावधानों/ तकनीकी बट्टे खाते को घटाकर वर्णित किया गया है। डीआईसीजीसी/ सीजीटीएमएसई/ ईसीजीसी से प्राप्त दावों को ऐसे अग्रिमों से समायोजित/ तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक कम नहीं किया गया है जबकि गैर निष्पादित आस्ति खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।
- 3.5** गैर निष्पादित आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, मौजूदा भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान "अन्य देनदारियां और प्रावधान" के अंतर्गत शामिल हैं और निवल गैर निष्पादित आस्तियों की गणना के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है।
- 3.6** पुनर्गठित/ पुनर्निर्धारिक अग्रिमों के लिए प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
- 3.7** गैर निष्पादित आस्तियों की बिक्री की गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न रूप से की जाती है:
- जब बैंक प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय करता है तो इसको बहियों से हटा दिया जाता है।
 - यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य (एनबीवी) (यथा बही मूल्य में कम प्रावधान किया गया है) से कम है तो इस कमी को बिक्री के वर्ष के लाभ-हानि खाते से डेबिट किया जाता है।
 - यदि बिक्री का मूल्य, कुल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है जिसमें यह राशि प्राप्त हुई थी।

4. अस्थायी प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थायी प्रावधानों का सृजन करने और उसका उपयोग करने के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों का आकलन किया जाता है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग, नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से ही किया जाता है।

5. अचल आस्तियां

- 5.1** अचल आस्तियों को ऐतिहासिक लागत (पुनर्मूल्यांकित परिसर को छोड़कर जो पुनर्मूल्यांकित राशि पर बताए गए हैं) घटाकर संचित मूल्यहास/परिशोधन के रूप में वर्णित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाता है और समान राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि से राजस्व और अन्य निधि में अंतरित कर दिया जाता है। अचल आस्तियों की लागत में खरीद की लागत और उसके उपयोग में आने तक उस पर किया गया प्रासंगिक व्यय शामिल होता है। आस्तियों पर किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसी आस्तियां या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य में होने वाले लाभ में वृद्धि होती है।
- 5.2** परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अंतर किया जाना संभव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।
- 5.3** स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है तथा इनका मूल्यहास नहीं किया जाता।

6. अचल आस्तियों पर मूल्यहास

- 6.1** कंप्यूटरों का आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली पर 33.33% पूर्ण मूल्यहास होता है।
- 6.2** वर्ष के दौरान हुए परिवर्धन का मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, चाहे इसके परिवर्धन की तिथि कुछ भी हो।
- 6.3** अचल आस्तियों में मूल्यहास आस्तियों के उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली पर, मूल लागत के पाँच प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रभारित किया गया है। उपयोगी अवधि तथा मूल्यहास दर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	उपयोगी जीवनावधि	मूल्यहास दर
1	परिसर	60	1.58%
2	फर्नीचर और जुड़नार	10	9.50%
3	संयंत्र तथा मशीनरी	15	6.33%
4	वाहन	8	11.88%

- 6.4** ऐसे परिसर की शेष उपयोगी अवधि पर पुनर्मूल्यांकित परिसर का मूल्यहास किया जाता है।
- 6.5** वर्ष के दौरान विक्रय की गई/ निस्तारित आस्तियों का कोई मूल्यहास नहीं किया गया।
- 6.6** पट्टाधारित परिसर के संबंध में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

7. रोज़गार लाभ

- 7.1** भविष्य निधि और नई पेंशन योजना (जो उन कार्मिकों पर लागू होती है जो 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल हुए हैं) योगदान योजनाओं के रूप में परिभाषित हैं, क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक ही सीमित है। योगदान लाभ और हानि खाते से लिया जाता है।
- 7.2** उपदान, पेंशन और अवकाश नकदीकरण देनदारियां लाभ दायित्व के रूप में परिभाषित हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किये जाते हैं। इन योजनाओं को बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और अलग-अलग न्यासों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। संबंधित न्यास द्वारा धारित निधि की तुलना में देनदारी की कमी/अधिकता का वित्तीय वर्ष के अंत में देनदारी/संपत्ति के रूप में लेखांकन किया जाता है।
- 7.3** अन्य दीर्घकालिक कार्मिक लाभ जैसे सिल्वर जुबली बोनस और सेवानिवृत्ति उपहार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।
- 7.4** अल्पकालिक कार्मिक लाभों को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

8. विदेशी विनिमय अंतरण

- 8.1** विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार मौद्रिक आस्तियां एवं देनदारियां, गारंटी, स्वीकृत हंडियां, अभिलेखन और अन्य दायित्व तुलन पत्र की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों के समान भारतीय मुद्रा में उलथा किए जाते हैं।
- 8.2** अचल आस्तियों के अतिरिक्त अन्य गैर-मौद्रिक वस्तुएं जो परंपरागत लागत पर ली जाती हैं, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर उलथा की जाती हैं।
- 8.3** वायदा विदेशी मुद्रा और बिल प्रतिबद्धता की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर उलथा किए जाते हैं। बकाया विदेशी मुद्रा अनुबंधों और बिलों को तुलन पत्र की तिथि पर एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित दरों पर उलथा किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को राजस्व में लिया जाता है।
- 8.4** आय और व्यय मदों का अंतरण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर लेखांकित किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं की उन दरों से भिन्न दरों पर निपटान पर सृजित विनिमय अंतर, जिस पर वे आरंभ में लेखांकित किए गए थे, आय के रूप में या उस अवधि में व्यय के रूप में माने जाते हैं जिसमें वे सृजित होते हैं।

मुद्रा वायदा कारोबार में विवृत स्थिति की विनिमय दरों में बदलाव के कारण होने वाले लाभ/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह के साथ किया जाता है तथा ऐसे लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते के रूप में माना जाता है।

8.5 विदेशी मुद्राओं में गारंटियों और क्रेडिट पत्र सहित स्वीकृत हुंडियों, अनुमोदनों और अन्य दायित्वों के कारण आकस्मिक देनदारियों को अनुमानित दरों के समय लेखांकन प्रस्तुत करने वाले संग्रहण हेतु बिलों के अतिरिक्त एफईडीआई अंतिम हाजिर दरों का उपयोग करके तुलन पत्र की तिथि में रिपोर्ट किया जाता है।

9. आयकर

आयकर व्यय न्यूनतम वैकल्पिक कर सहित, जहां प्रयोज्य हो तथा स्थगित कर सम्मिलित वर्तमान कर की कुल राशि है। वर्तमान कर का निर्धारण वर्ष के लिए देय कर की राशि के रूप में किया जाता है और तदनुसार कर का प्रावधान किया जाता है।

समयांतर के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां और देनदारियां जो आगामी अवधि में निरसन करने में सक्षम हैं, उन्हें कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जो तुलन पत्र की तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं। आस्थगित कर आस्तियों को तभी स्वीकार किया जा सकता है यदि आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता हो।

एमएटी क्रेडिट को एक आस्ति के रूप में केवल तब तथा उस सीमा तक स्वीकार किया जाता है यदि इसके ठोस साक्ष्य उपलब्ध हो कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किया जाएगा।

10. आस्तियों की क्षति

आस्तियों को वहन करने की लागत की प्रत्येक तुलन पत्र में समीक्षा की जाती है। यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर क्षति का कोई संकेत प्राप्त होता है तो क्षति को तब स्वीकार किया जाता है यदि किसी आस्ति की वहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। वसूली योग्य राशि आस्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक है। प्रचलित मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।

क्षति के पश्चात, आस्ति की संशोधित वहन लागत पर उसकी शेष प्रयोगशील अवधि पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है, यदि कोई हो। परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर पूर्व में स्वीकृति प्राप्त क्षति की हानि बढ़ या व्युत्क्रमित हो जाती है। यद्यपि व्युत्क्रमण के पश्चात वहन लागत को उस वहन लागत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता जो कि किसी प्रकार की क्षति न होने पर सामान्य मूल्यहास प्रभारित कर प्रचलित होता है।

11. खंड अभिलेखन

बैंक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है। चूंकि बैंक की कोई विदेशी शाखा/परिचालन नहीं है, इसलिए कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां एवं आकस्मिक आस्तियां

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप, बैंक प्रावधानों को तभी स्वीकृति प्रदान करता है यदि किसी विगत प्रसंग के परिणामस्वरूप उसके पास वर्तमान दायित्व हो, यह संभव है कि एक बहिर्वाह दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों की आवश्यकता होगी और उस समय दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणियों के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती चूंकि इसके परिणामस्वरूप आय का अभिज्ञान हो सकता है जो कभी प्राप्य नहीं हो सकती।

13. पट्टा

परिचालन पट्टे पर ली गई संपत्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टा भुगतान को भौतिकता की अवधारणा पर विचार करते हुए पट्टा अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया जाता है।

14. प्रति शेयर आय

बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत एवं तनुकृत आय की रिपोर्ट करता है। अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से शुद्ध आय को विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना की गई है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और बकाया संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना की गई है।



अनुसूची 18

लेखांकन की टिप्पणियां

A) बहियों का शेष मिलान और समायोजन

- i. कतिपय शाखाओं में, नियंत्रण खातों का सहायक बही खातों के साथ मिलान/समायोजन का कार्य प्रगति में है।
- ii. सीबीएस सिस्टम से पूर्व, अंतर बैंक खाते(आईबीआर+डीडी) में पुरानी प्रविष्टियों के डेबिट व क्रेडिट बकाया का प्रारंभिक मिलान होता है। दिनांक 31.03.2024 तक समायोजन(पुराने बकाया प्रविष्टियों सहित) कर लिया गया है और समायोजन प्रक्रिया में है।
- iii. देय ड्राफ्टों, प्राप्य/देय नामे नोट, आरटीजीएस/एनईएफटी (उंचत) का समायोजन कार्य चल रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक की शर्तों के अनुसार प्रावधान किए गये हैं। दिनांक 31.03.2024 तक नोस्ट्रो खातों का समायोजन किया जा चुका है।

प्रबंधन की राय में, लाभ तथा हानि एवं तुलन-पत्र पर उक्त अनुच्छेद (i) से (iii) का प्रभाव, यदि कोई है, हालांकि मात्रात्मक नहीं है, तो नगण्य होगा।

- iv. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 30.09.2023 तक की अवधि और 31.03.2024 तक शेष बकाया से संबद्ध अंतर शाखा खातों में डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों का विसंयोजन कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप या तो कतिपय शीर्षों में निवल डेबिट या अन्य शीर्षों में निवल क्रेडिट है। 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया निवल डेबिट प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किया जाना है। अग्रदाय समाशोधन खातों के लिए भी इन्हीं दिशानिर्देशों का अनुसरण किया गया है।

अंतर शाखा खाते में निवल क्रेडिट शेष है इसलिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

- v. दिनांक 01.01.2014 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए अवरुद्ध अदावी जमाराशि खाता (नए अवरुद्ध खाता) में बकाया जमा प्रविष्टि ₹17121 राशि मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान डीईएफ खाते में अंतरित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त 10 वर्षों से अधिक से संबंधित असमायोजित प्रविष्टियों को तिमाही आधार पर डीईएफ खाते में अंतरित किया जाता है।

दिनांक 31.03.2024 को, दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2016 तक की अवधि से संबंधित असमायोजित जमा प्रविष्टियां ₹20.02 लाख तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया है तथा इसलिए इसे अवरुद्ध अदावा जमाराशि खाते(नए अवरुद्ध खाता) में अंतरित किया गया था।

- B) दिनांक 31.03.2024 को ₹2.87 करोड़ तथा ₹74.23 करोड़ की पुनर्मूल्यांकन राशि (सकल) वाली 02 बैंक की संपत्तियों के संबंध में कानूनी औपचारिकता को पूर्ण किया जाना शेष है। (विगत वर्ष 02 बैंक संपत्तियों की वास्तविकता लागत ₹2.87 करोड़ तथा पुनर्मूल्यांकन राशि ₹62.98 करोड़ थी)।

1. नियामक पूंजी

a) नियामक पूंजी का संघटन

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी(सीईटी1)*	9251.94	7990.22
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी*	0.00	0.00
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	9251.94	7990.22
iv)	टियर 2 पूंजी	1519.35	1553.09
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	10771.29	9543.31
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	62776.74	55815.43
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)* (%)	14.74	14.32
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) (%)	14.74	14.32
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) (%)	2.42	2.78
x)	जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात के लिए पूंजी(सीआरएआर)(आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) (%)	17.16	17.10
xi)	लीवरेज अनुपात* (%)	6.23	5.88
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	98.25	98.25
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	0.00	0.00

* पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात (बासल III) वित्त वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा पूंजी के रूप में डाले गए गैर- ब्याज वाले पुनर्पूजीकरण बांड के निवल वर्तमान मूल्य(एनपीवी) पर विचार पश्चात प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2023 तथा 31 मार्च, 2024 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की संगणना में पूंजीगत निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश के प्रभाव की गणना की गई है।

b) आरक्षित निधि से आहरण

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष (ःशून्य-पीवाई 31.03.2023) के दौरान पुरानी प्रविष्टियों के दावेदार को भुगतान के लिए सामान्य आरक्षित निधि से शून्य रुपये का आहरण किया गया।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

a) दिनांक 31.03.2024 को आस्ति एवं देयता की कतिपय मदों का परिपक्वता स्वरूप:

(राशि करोड़ में)

परिवक्कता स्वरूप (समयावधि)	जमाराशियां	ऋण व अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					आस्तियां	देयताएं
1 दिन	597.17	532.94	0.00	0.00	227.93	67.35
2 - 7 दिन	1210.89	812.32	321.63	6204.57	16.41	2.01
8 - 14 दिन	907.73	597.25	72.12	44.75	27.97	1.75



15 - 30 दिन	3172.88	2154.55	246.92	0.00	64.14	3.49
31 दिन से 2 माह	7197.58	1404.36	399.14	121.61	46.20	12.92
2 माह से अधिक और 3 माह तक	7877.22	3544.48	626.80	105.46	101.16	4.57
3 माह से अधिक और 6 माह तक	19421.26	7423.02	671.14	294.49	27.74	33.40
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	31981.37	7768.26	1135.23	566.13	0.00	35.43
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	45683.19	31267.44	6261.11	1645.49	11.09	57.72
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	1022.79	10138.74	4864.32	51.06	0.00	0.94
5 वर्ष से अधिक	337.47	17093.02	35000.75	737.30	0.00	0.00
कुल	119409.55	82736.38	49599.16	9770.86	522.64	219.58

दिनांक 31.03.2023 को आस्ति एवं देयताओं के कतिपय मदों का परिपक्वता स्वरूप:

(राशि करोड़ में)

परिवक्कता स्वरूप (समयावधि)	जमाराशियां	ऋण व अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					आस्तियां	देयताएं
1 दिन	535.12	1330.06	0.00	0.00	148.85	55.24
2 - 7 दिन	1122.99	298.51	343.89	5400.48	15.72	0.45
8 - 14 दिन	878.91	170.59	134.36	30.70	25.31	1.62
15 - 30 दिन	2765.89	1445.49	150.27	0.00	77.29	4.32
31 दिन से 2 माह	5849.81	391.27	54.79	62.76	92.02	8.14
2 माह से अधिक और 3 माह तक	5523.99	2606.69	495.21	62.29	61.71	11.66
3 माह से अधिक और 6 माह तक	14224.20	1262.39	998.85	479.96	95.68	31.36
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	27076.45	5119.30	2342.77	924.41	0.00	63.74
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	26188.57	14854.80	4300.35	820.48	87.26	65.59
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	13246.72	15011.23	3985.93	500.00	0.00	10.72
5 वर्ष से अधिक	12252.85	34329.10	32032.00	737.30	0.00	0.00
कुल	109665.49	76819.43	44838.42	9018.38	603.84	252.84

b) चलानिधि कवरेज अनुपात		30.06.2023		30.09.2023		31.12.2023		31.03.2024	
		कुल अनिधारित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)	कुल अनिधारित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)	कुल अनिधारित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)	कुल अनिधारित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता चल आसिया			25829.09		28978.51		27412.09		27307.61
नकदी प्रवाह									
2 खुदरा जमाशियां तथा छोटे करोबारी ग्राहकों से जमाशियां जिसमें से		75791.45	7531.06	77156.65	7667.57	79243.90	7877.48	79751.09	7928.69
(i) स्विज जमाशियां		961.65	48.08	961.92	48.10	938.32	46.92	928.52	46.43
(ii) कम स्विज जमाशियां		74829.80	7482.98	76194.73	7619.47	78305.58	7830.56	78822.57	7882.26
3 अरक्षित थोक निधियां, जिसमें से		27239.66	13776.72	31107.46	17842.09	26335.38	14327.41	25392.65	13758.27
(i) प्रचालन जमाशियां (सभी प्रतिपक्षकार)		0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) रेपर परिचालनात जमाशियां (सभी प्रतिपक्षकार)		27239.66	13776.72	31107.46	17842.09	26335.38	14327.41	25392.65	13758.27
(iii) अप्रत्याभूत ऋण		0	0	0	0	0	0	0	0
4 जमानती थोक निधिपन			0		0		0		0
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से		3565.10	1259.80	2323.44	836.94	1306.65	638.60	1197.97	543.83
(i) डेरवेटिव एक्सपोजर से संबंधित बहिर्गमन व अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं		314.39	314.39	93.62	93.62	228.43	228.43	159.50	159.50
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन		0	0	0	0	0	0	0	0
(iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं		3250.71	945.41	2229.82	743.32	1078.22	410.17	1038.47	384.33
6 अन्य संविदागत निधियन दायित्व		0	0	48.21	48.21	733.27	733.27	388.34	388.34
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व		9576.03	403.01	10596.25	454.93	11930.70	523.06	12205.28	534.37
8 कुल नकदी बहिर्गमन			22970.59		26849.74		24099.82		23153.50
नकदी बहिर्गमन									
9 प्रत्याभूत उधार (यथा रिसर्व रेणु)		17.29	0	9.10	0	0	0	17.24	0
10 पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह		2084.90	1058.49	2152.91	1215.72	2747.48	1645.70	1499.65	934.02
11 अन्य नकदी अंतर्वाह		392.28	392.28	185.34	178.28	279.43	272.59	440.11	435.43
12 कुल नकदी अंतर्वाह		2494.47	1450.77	2347.35	1394.00	3026.91	1918.29	1957.00	1369.45
13 कुल एक्सपोजर			25829.09		28978.51		27412.09		27307.61
14 कुल निचल नकदी बाह्य प्रवाह			21519.82		25455.74		22181.53		21784.05
15 चलानिधि व्याज अनुपात (%)			120.02%		113.84%		123.58%		125.36%

इस वित्तीय वर्ष से प्रबंधन ने वित्तियामक आवश्यकता की पुष्टि में अपरिवर्तनीय कार्यप्रणाली को स्वीकृति प्रदान की गयी है और उसका अनुपालन किया गया, अर्थात् 30 दिनों की शेष परिपक्वता वाली थोक जमा के बजाय थोक वित्तियाम के लिए कुल बकाया जमा शेष को बहिर्वाह के रूप में माना गया है। यद्यपि बैंक ने इस वर्ष फिनैकल 7 से फिनैकल 10 में अंतरण कर लिया है तथा कुछ तकनीकी खराबियों के कारण, इस तिमाही में एलसीआर गणना केवल 50 दिनों के लिए उपलब्ध थी।

चलानिधि कवरेज अनुपात		30.06.2022		30.09.2022		31.12.2022		31.03.2023	
		कुल अनिधिरित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)	कुल अनिधिरित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)	कुल अनिधिरित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)	कुल अनिधिरित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां			25769.72		27196.53		27472.22		25904.69
नकदी प्रवाह									
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां								
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमाराशियां जिसमें से	66669.02	6640.02	67725.89	6745.31	69166.23	6889.39	70273.61	6999.76
(i)	स्विर जमाराशियां	537.71	26.89	545.70	27.29	544.74	27.24	551.90	27.59
(ii)	कम स्तर जमाराशियां	66131.31	6613.13	67180.19	6718.02	68621.48	6862.15	69721.72	6972.17
3	अरक्षित धक निधियां, जिसमें से	11738.22	5265.27	10996.55	5088.35	10408.13	5041.56	11244.88	5668.53
(i)	प्रचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii)	रैर परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	11738.22	5265.27	10996.55	5088.35	10408.13	5041.56	11244.88	5668.53
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0
4	जमानती धक निधिपन		0		0		0		0
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	0	977.08	0	819.93	0	900.31	0	1216.73
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर से संबंधित बहिर्गमन व अन्य								
	संपादिक आवश्यकताएं	839.66	839.66	696.96	696.96	777.59	777.59	1099.97	1099.97
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधिपन हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	ऋण एवं चलानिधि सुविधाएं	2689.66	137.42	2356.93	122.97	2380.36	122.72	2258.67	116.76
6	अन्य संविदागत निधिपन दायित्व	0	0	0	0	0	0	0	0
7	अन्य आकस्मिक निधिपन दायित्व	10536.03	451.58	9948.91	428.88	10910.05	474.21	11069.85	476.28
8	कुल नकदी बहिर्गमन								
नकदी बहिर्गमन									
9	प्रत्याभूत उधार (यथा रिसर्व रेपो)	640.20	0	44.20	0	5.45	0	1.38	0
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	1274.97	756.46	2108.82	1203.97	1874.98	1373.50	1638.55	981.82
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	538.57	537.49	748.66	748.66	602.47	598.58	816.22	816.22
12	कुल नकदी अंतर्वाह	2463.74	1293.95	2901.68	1952.63	2482.90	1972.08	2456.15	1798.04
13	कुल एक्ज्पूराल		25769.72		27196.53		27472.22		25904.69
14	कुल निवल नकदी बाह्य प्रवाह		12040.00		11109.84		11333.39		12563.26
15	चलानिधि व्याप्ति अनुपात (%)		214.03%		244.80%		242.40%		206.19%

बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात का प्रकटीकरण

चलनिधि कवरेज अनुपात: एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त स्तर पर अभारित उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को बनाए रखे, जिन्हें बिना किसी मूल्य हानि के नकदी में आसानी से परिवर्तित किया जा सके, ताकि चलनिधि संबंधी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के लिए बैंक की चलनिधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

एलसीआर के दो घटक है:

- अंश-गणक के रूप में उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों(एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य।
- कुल निवल नकदी बहिर्वाह: दबाव की स्थिति में, आगामी 30 कैलेंडर दिनों हेतु कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह में से कुल अपेक्षित अंतर्वाह को विभाजक के रूप में घटाया जाता है।

एलसीआर की परिभाषा :

उच्च-गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां(एचक्यूएलए) $\geq 100\%$ (दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी) आगामी 30 कैलेंडर दिनों पर कुल निवल नकदी बहिर्वाह।

मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात 100% की नियामक मांग के विपरीत 125.36%(दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान दैनिक अवलोकन के सामान्य औसत पर आधारित)

बैंक की एलसीआर के मुख्य संचालक उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां(एचक्यूएलए) हैं जो सदैव बैंक की चलनिधि आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं तथा खुदरा एवं छोटे कारोबारी ग्राहकों से आधारभूत वित्तपोषण प्राप्त करती हैं।

उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियां (एचक्यूएलए)

एचक्यूएलए के अंतर्गत लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त लेवल 2 आस्तियों में उनकी बाजारक्षमता तथा कीमतों में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, लेवल 2ए एवं लेवल 2बी में विभाजित किया गया है। मार्च 2024 तिमाही की समाप्ति हेतु एचक्यूएलए का कुल भारित मूल्य(औसत) ₹27307.61 करोड़ है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान दैनिक अवलोकन का ब्यौरा औसत एचक्यूएलए नीचे दिया गया है:

उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां(एचक्यूएलए)	एचक्यूएलए में औसत % आयु योगदान
लेवल 1 आस्तियां	
रोकड़ शेष	1.54%
सीआरआर शेष अधिकता	0.13%
न्यूनतम एसएलआर मांग से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां	19.32%
अनिवार्य एसएलआर मांग के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियां, एमएसएफ के अंतर्गत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक (वर्तमान में एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक)	8.60%
बेसल II मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत 0% जोखिम भारित विदेशी राष्ट्रिक द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियां	0.00%



चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा-एफएलएलसीआर (वर्तमान में एनडीटीएल के 16 प्रतिशत की सीमा तक)	68.78%
कुल लेवल 1 आस्तियां	98.37%
कुल लेवल 2ए आस्तियां	1.57%
कुल लेवल 2बी आस्तियां	0.06%
एचक्यूएलए का कुल स्टॉक	100.00%

c) निवल स्थिर निधियन अनुपात(एनएमएफआर)

(राशि करोड़ में)

विवरण	31-03-2023	30-06-2023	30-09-2023	31-12-2023	31-03-2024
उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ)	98493.57	98714.32	101536.58	106676.41	104223.37
अपेक्षित स्थिर निधियन (आरएसएफ)	80049.78	84879.45	84324.28	87767.47	86928.39
एनएसएफआर% (एएसएफ/आरएसएफ)	123.04%	116.30%	120.41%	121.54%	119.90%

(राशि करोड़ में)

विवरण	31-03-2022	30-06-2022	30-09-2022	31-12-2022	31-03-2023
उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ)	96261.56	93492.14	97749.10	100527.57	98493.57
अपेक्षित स्थिर निधियन (आरएसएफ)	81705.99	78785.11	76863.97	78766.02	80049.78
एनएसएफआर% (एएसएफ/आरएसएफ)	117.81%	118.67%	127.17%	127.63%	123.04%

दिनांक 31.03.2024 को निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

(राशि करोड़ में)

एनएसएफआर प्रकटीकरण टैम्पलेट						
विवरण	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य	
	कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से <1 वर्ष	≥1 वर्ष		
उपलब्ध स्थिर निधियां						
1	पूंजी: (2+3)	14935.21	0.00	0.00	1237.30	16172.51
2	नियामक पूंजी	14935.21	0.00	0.00	1237.30	16172.51
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4	खुदरा व्यापार तथा लघु कारोबारी ग्राहकों से जमाराशियां: (5+6)	35447.65	46777.12	74.20	286.57	74398.60
5	स्थिर जमाराशियां	557.89	301.57	0.02	0.10	816.60
6	कम स्थिर जमाराशियां	34889.76	46475.55	74.18	286.47	73582.00
7	थोक निधियन: (8+9)	3254.43	27418.39	5347.29	798.48	12603.79
8	प्रचालन जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	3254.43	27418.39	5347.29	798.48	12603.79
10	अन्य देयताएं: (11+12)	0.00	6053.62	438.00	604.95	1048.48
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं		0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है	0.00	6053.62	438.00	604.95	1048.48
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					104223.37
अपेक्षित स्थिर निधियां						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)					1402.51
15	प्रचालन उद्देश्य हेतु अन्य वित्तीय संस्थाओं में धारित जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)	0.00	25099.71	10331.01	45263.28	53289.38
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा आरक्षित वित्तीय संस्थाओं को निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	नॉन-लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा आरक्षित वित्तीय संस्थाओं को निष्पादित ऋण तथा वित्तीय संस्थानों को अनारक्षित निष्पादित ऋण	0.00	0.00	505.34	0.00	252.67
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, खुदरा तथा लघु कारोबारी ग्राहकों को ऋण तथा राष्ट्रीय, केन्द्रिय बैंक एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से:	0.00	24993.75	9781.75	38748.46	48582.12
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत पद्धति के तहत 35% के समान या जोखिम भार से कम सहित	0.00	3579.50	281.85	8709.10	7591.59
21	निष्पादित आवासीय बंधक, जिनमें से:	0.00	105.96	43.92	6514.82	4454.59
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत पद्धति के तहत 35% के समान या जोखिम भार से कम सहित	0.00	101.10	41.10	5789.75	3834.44
23	प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं तथा विनिमय-व्यापार इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	योग्य नहीं है।					
24	अन्य आस्तियाः(पंक्ति 25 से 29 का योग)	10674.90	1365.05	427.73	22222.04	31333.36
25	भौतिक रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुएं, स्वर्ण सहित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	व्युत्पन्नी संविदाओं हेतु आरंभिक सीमांत के रूप में पोस्ट की गयी आस्तियां तथा सीसीपी(यों) की चूक निधियों में योगदान	546.41	0.00	0.00	0.00	464.45
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां	0.00	200.64	0.00	0.00	200.64
28	विभिन्न सीमांत की कटौती से पूर्व पोस्ट की एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गयी	10128.49	1164.41	427.73	22222.04	30668.27
30	तुलनपत्रेतर मदें	19654.67	0.00	0.00	0.00	903.14
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)	35942.30	29428.42	11776.42	91760.51	86928.39
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					119.90

31.03.2023 को निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

(राशि करोड़ में)

एनएसएफआर प्रकटीकरण टैम्पलेट						
विवरण		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभाहित मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से <1 वर्ष	≥1 वर्ष	
उपलब्ध स्थिर निधियां						
1	पूंजी:(2+3)	13761.46	0	0	1237.30	14998.76
2	नियामक पूंजी	13761.46	0	0	1237.30	14998.76
3	अन्य पूंजी लिखत					
4	खुदरा व्यापार तथा लघु कारोबारी ग्राहकों से जमाराशियां:(5+6)	35137.29	42865.02	0	0	70259.50
5	स्थिर जमाराशियां	519.92	669.41	0	0	1129.86
6	कम स्थिर जमाराशियां	34617.37	42195.62	0	0	69129.64
7	थोक निधियन:(8+9)	1695.82	29969.40	1560.12	0	12414.63
8	प्रचालन जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	1695.82	29969.40	1560.12	0	12414.63
10	अन्य देयताएं:(11+12)	0.00	0.00	5712.81	820.48	820.48
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं		0.00	309.21	0.00	
12	अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है			5403.60	820.48	820.48

13	कुल एएसएफ(1+4+7+10)					98493.57
अपेक्षित स्थिर निधियां						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां(एचक्यूएलए)					1206.74
15	प्रचालन उद्देश्य हेतु अन्य वित्तीय संस्थाओं में धारित जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां:(17+18+19+21+23)	0.00	20168.57	14359.83	53460.14	57148.33
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा आरक्षित वित्तीय संस्थाओं को निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	नॉन-लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा आरक्षित वित्तीय संस्थाओं को निष्पादित ऋण तथा वित्तीय संस्थानों को अनारक्षित निष्पादित ऋण	0.00	5622.72	13.64	0	850.23
19	गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, खुदरा तथा लघु कारोबारी ग्राहकों को ऋण तथा राष्ट्रीय, केन्द्रीय बैंक एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से:	0.00	14481.30	14271.52	33215.43	40072.30
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत पद्धति के तहत 35% के समान या जोखिम भार से कम सहित	0.00	0.00	0.00	12686.10	8245.96
21	निष्पादित आवासीय बंधक, जिनमें से:	0.00	64.56	74.67	5797.42	3945.60
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत पद्धति के तहत 35% के समान या जोखिम भार से कम सहित	0.00	0.00	0.00	5259.08	3418.40
23	प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं तथा विनिमय-व्यापार इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं है।	0.00	0.00	0.00	14447.29	12280.20
24	अन्य आस्तियां:(पंक्ति 25 से 29 का योग)	387.04	0.00	1702.65	19699.29	20855.61
25	भौतिक रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुएं, स्वर्ण सहित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	व्युत्पत्ती संविदाओं हेतु आरंभिक सीमांत के रूप में पोस्ट की गयी आस्तियां तथा सीसीपी(यो) की चूक निधियों में योगदान	0.00	0.00	0.00	547.05	464.99
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	विभिन्न सीमांत की कटौती से पूर्व पोस्ट की एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गयी	387.04		1702.65	19152.25	20390.62
30	तुलनपत्रेतर मर्दे	0.00	0.00	0.00	18338.79	839.16
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)	387.04	20168.57	16062.48	91498.22	80049.78
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					123.04

निवल स्थिर निधियन अनुपात का गुणवत्ता प्रकटीकरण

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर वित्तपोषण की मात्रा के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। "उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण" (एएसएफ) को पूंजी और देनदारियों के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एनएसएफआर के लिए विचारित समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक विस्तारित होता है। किसी विशिष्ट संस्था के लिए अपेक्षित स्थिर वित्तपोषण की मात्रा ("अपेक्षित स्थिर निधियन") (आरएसएफ), उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की निधियन विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ उसके तुलनपत्रेतर (ओबीसी) जोखिमों पर निर्भर करती है।

एनएसएफआर की न्यूनतम अपेक्षा निरंतर आधार पर कम से कम 100% के समान होनी चाहिए।

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधियन [एएसएफ]}}{\text{अपेक्षित स्थिर निधियन [आरएसएफ]}} \geq 100\%$$

1 अक्टूबर, 2021 से एकल बैंक तथा समूहों के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर अपेक्षा 100% है।

31 मार्च, 2024 को, पीएसबी ने ₹ 86928.39 करोड़ के भारित अपेक्षित स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) की अपेक्षा ₹104223.38 करोड़ का भारित उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) बनाए रखा। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु एनएसएफआर, 119.90% था।

बैंक के एनएसएफआर का संक्षिप्त विवरण

उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) में मुख्य रूप से पूंजी आधार, खुदरा जमा आधार और गैर-वित्तीय कंपनियों से वित्तपोषण तथा संस्थागत ग्राहकों से दीर्घकालिक वित्तपोषण शामिल होता है। उचित भार लागू करने के पश्चात, कुल अपेक्षित स्थिर निधियन (एएसएफ) की पूंजी आधार लगभग 15.52%, रहा, खुदरा जमा (छोटे कारोबारी ग्राहकों जमाराशियों सहित) 71.38%, रहा तथा थोक निधियन 12.09%, रहा है।

अपेक्षित स्थिर वित्तपोषण में मुख्य रूप से कॉर्पोरेट, खुदरा ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों को दिया गया ऋण शामिल है, जिसने उचित भार लागू करने के बाद कुल आरएसएफ में 61.30% का योगदान दिया। स्टॉक उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्ति है, जिसमें प्रमुख रूप से आरबीआई, सरकार के पास नकदी और आरक्षित शेष शामिल हैं। ऋण निर्गमों ने अपनी उच्च गुणवत्ता और चल विशेषता के कारण स्थिर वित्तपोषण की कोई या बहुत कम राशि आकर्षित की है। तदनुसार, परिचालन उद्देश्य के लिए रखे गए एचक्यूएलए और जमा उचित भार लागू करने के बाद आवश्यक स्थिर वित्तपोषण का केवल 1.61% ही थे। अन्य आस्तियां और आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व, जैसे प्रतिबद्ध ऋण सुविधाएं, गारंटी और ऋण पत्र, आवश्यक स्थिर वित्तपोषण का 36.05% भाग निर्मित करते हैं।

3. निवेश

a) दिनांक 31.03.2024 को निवेश संविभाग की संरचना

	भारत में निवेश						भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश	
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर एवं बांड	सहायक इकाइयां तथा/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय निकायों सहित)	सहायक इकाइयां तथा/या संयुक्त उद्यम	अन्य		भारत के बाहर कुल निवेश
परिपक्वता तक धारित												
सकल	24608.57	0.00	0.00	11674.83	0.00	25.85	36309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36309.25
घटा: गैर-निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शेष	24608.57	0.00	0.00	11674.83	0.00	25.85	36309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36309.25
बिक्री हेतु उपलब्ध												
सकल	7607.46	0.00	362.66	5338.91	0.00	1049.3	14358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14358.36
घटा: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	96.21	0.00	201.70	679.59	0.00	90.95	1068.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1068.46
शेष	7511.25	0.00	160.96	4659.32	0.00	958.37	13289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13289.90
कारोबार के लिए धारित												
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटा: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	32216.03	0.00	362.66	17013.74	0.00	1075.1	50667.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50667.61
घटा: गैर-निष्पादित निवेश	0.00	0.00	189.52	621.89	0.00	0.00	811.41	0.00	0.00	0.00	0.00	811.41
घटा: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	96.21	0.00	12.18	57.70	0.00	90.95	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	257.04
शेष	32119.82	0.00	160.96	16334.15	0.00	984.23	49599.1	0.00	0.00	0.00	0.00	49599.16

दिनांक 31.03.2023 को निवेश संविभाग की संरचना

(राशि करोड़ में)

	भारत में निवेश						भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश	
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर एवं बांड	सहायक इकाइयां तथा/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय निकायों सहित)	सहायक इकाइयां तथा/या संयुक्त उद्यम	अन्य		भारत के बाहर कुल निवेश
परिपक्वता तक धारित												
सकल	22222.91	0.00	0.00	11674.83	0.00	36.32	33934.0	0.00	0.00	0.00	0.00	33934.06
घटा: गैर-निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शेष	22222.91	0.00	0.00	11674.83	0.00	36.32	33934.0	0.00	0.00	0.00	0.00	33934.06
बिक्री हेतु उपलब्ध												
सकल	6753.77	0.00	367.3	4036.49	0.00	372.6	11530.2	0.00	0.00	0.00	0.00	11530.2
घटा: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	125.17	0.00	212.20	287.72	0.00	0.82	625.91	0.00	0.00	0.00	0.00	625.91
शेष	6628.60	0.00	155.14	3748.77	0.00	371.85	10904.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10904.36
कारोबार के लिए धारित												
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटा: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश												
सकल	28976.68	0.00	367.34	15711.32	0.00	408.99	45464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	45464.33
घटा: गैर-निष्पादित निवेश	0.00	0.00	191.06	267.49	0.00	0.00	458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	458.55
घटा: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	125.17	0.00	21.14	20.23	0.00	0.82	167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	167.36
शेष	28851.51	0.00	155.14	15423.60	0.00	408.17	44838.4	0.00	0.00	0.00	0.00	44838.42

b) मूल्यहास एवं निवेश अस्थाई रिज़र्व के प्रावधानों का संचलन

(राशि करोड़ में)

	विवरण	2023-24	2022-23
i)	निवेश पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन		
	a) आरंभिक शेष	625.91	485.38
	b) जमा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	710.73	306.07
	c) घटा: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे में डालना/प्रतिलेखन	268.18	165.54
	d) अंतिम शेष	1068.46	625.91
ii)	निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित का संचलन		
	a) आरंभिक शेष	218.09	186.42
	b) जमा: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	47.71	31.67
	c) घटा: आहरण द्वारा कमी	0.00	0.00
	d) अंतिम शेष	265.80	218.09
iii)	एफएस तथा एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश* के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	2%	2%

*निवल मूल्यहास घटाकर वहन मूल्य (निवल अधिमूल्यन की उपेक्षा करना) अर्थात तुलन-पत्र में परिलक्षित निवल राशि

वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश अस्थाई रिज़र्व में अंतरित राशि ₹47,71,08,707.00 है।

c) एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण

- 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान बैंक ने "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी से "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में ₹790.00 करोड़ के अंकित मूल्य(₹794.01 करोड़ बही मूल्य) की सरकारी प्रतिभूतियां स्थानांतरित की है जबकि "बिक्री के लिए उपलब्ध" से "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में कोई प्रतिभूतियां स्थानांतरित नहीं की गई है। एचटीएम से एफएस में प्रतिभूतियों के स्थानांतरण पर लाभ को अग्रिम रूप से बुक नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि की पहचान की गयी थी।
- वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से स्थानांतरण/बिक्री का मूल्य(वर्ष के आरंभ में एकमुश्त स्थानांतरण तथा पूर्व-घोषित ओएमओ नीलामियों के अंतर्गत बिक्री के अतिरिक्त), वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही-मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

d) गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
a)	आरंभिक शेष	482.60	438.11
b)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	512.37	192.32
c)	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	164.81	147.83



d)	अंतिम शेष	830.16	482.60
e)	धारित कुल प्रावधान	811.41	458.55

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी तौर पर शेयर आबंटन		'निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूति आबंटन		'अश्रेणीकृत प्रतिभूति आबंटन		'असूचीबद्ध प्रतिभूति का आबंटन	
		2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
a)	सार्वजनिक उपक्रम	12711.55	12763.17	12451.38	12564.69	0.00	0.00	12451.38	12587.21	12399.82	12498.37
b)	वित्तीय संस्थाएं	2160.97	1263.07	14.70	14.60	0.00	0.00	14.70	46.66	283.05	235.40
c)	बैंक	1019.00	625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32	400.57	123.88
d)	निजी कॉरपोरेट	2443.25	1771.62	1005.66	364.83	920.12	523.91	957.34	547.95	1153.30	365.04
e)	अनुबंधित/संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	अन्य	116.80	64.31	116.80	64.31	21.37	26.23	116.80	64.31	116.80	64.31
g)	मूल्यहास हेतु किए गए प्रावधान (एनपीए सहित)	(972.24)	(500.74)	(795.69)	(269.19)	(896.25)	(479.69)	(932.06)	(476.76)	(831.52)	(301.12)
	कुल	17479.33	15986.91	12792.85	12739.24	45.24	70.46	12608.16	12792.69	13522.02	12985.88

e) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

(राशि करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2024 को बकाया
i) रेपो के तहत विक्रय की गयी प्रतिभूतियां				
a) सरकारी प्रतिभूतियां	360.00	1058.00	269.10	600.00
b) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) रिसर्व रेपों के तहत क्रय की गयी प्रतिभूतियां				
a) सरकारी प्रतिभूतियां	12.00	1700.00	174.22	1700.00
b) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

(राशि करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2023 को बकाया
i) रेपो के तहत विक्रय की गयी प्रतिभूतियां				
a) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
b) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) रिसर्व रेपों के तहत क्रय की गयी प्रतिभूतियां				
a) सरकारी प्रतिभूतियां	1500.00	2754.00	171.55	0.00
b) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-

f) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) अंतरण

(राशि करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान कुल धारिता का अंतरण	31 मार्च, 2024 को बकाया
जीएसएल अंतरण के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	शून्य				
जीएसएस अंतरण के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां					
जीएसएस अंतरण के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गयी प्रतिभूतियां					
जीएसएल अंतरण के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गयी प्रतिभूतियां					

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) अंतरण

(राशि करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान कुल धारिता का अंतरण	31 मार्च, 2023 को बकाया



जीएसएल अंतरण के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	शून्य
जीएसएस अंतरण के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां	
जीएसएस अंतरण के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गयी प्रतिभूतियां	
जीएसएल अंतरण के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गयी प्रतिभूतियां	

4. आस्ति गुणवत्ता

a) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ में)

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार						
	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
आरंभिक शेष	75333.52	893.21	2893.27	1861.73	5648.21	80981.73
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन					971.19	
घटा: वर्ष के दौरान कमी					1954.05	
अंतिम शेष	81299.13	870.53	2849.46	945.36	4665.35	85964.47
निम्न के कारण सकल एनपीए में अपचयन:						
i) उन्नयन					249.38	
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					908.71	
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					754.62	
iv) उपरोक्त(iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते में डालना					41.34	
प्रावधान (अस्थाई प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का आरंभिक शेष	644.69	171.77	2126.28	1861.73	4159.78	4804.47
जमा: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					636.16	

घटाएं: उत्कृष्ट अतिरिक्त प्रावधान/बट्टे खाते में डाले गये ऋण					1569.57	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	571.08	185.72	2095.35	945.30	3226.37	3797.45
निवल एनपीए						
आरंभिक शेष					1411.50	
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन					723.54	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी					784.58	
अंतिम शेष					1350.46	
अस्थायी प्रावधान						
आरंभिक शेष	शून्य					
जमा: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कम राशि						
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						
तकनीकी बट्टे खाते डालना तथा उस पर की गयी वसूली						
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे में डाले गये खातों का आरंभिक शेष						7257.41
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डालना						754.62
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में ही तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे में डाले गए खातों से की गई वसूली						736.15
अंतिम शेष						7275.88

धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ में)

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार						
	मानक	अनर्जक			कुल अनर्जक अग्रिम	कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव-मानक	संदिग्ध	हानि		
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
आरंभिक शेष	61822.26	833.13	5568.83	2162.86	8564.82	70387.08
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन					908.46	
घटा: वर्ष के दौरान कमी					3825.07	
अंतिम शेष	75333.52	893.21	2893.27	1861.73	5648.21	80981.73
निम्न के कारण सकल एनपीए में अपचयन:						



i) उन्नयन					235.28	
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					1306.50	
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में					2127.64	
iv) उपरोक्त(iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते में डालना					155.65	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का आरंभिक शेष	711.70	226.65	4367.08	2162.50	6756.23	7467.93
जमा: वर्ष के दौरान किये गये नए प्रावधान					574.08	
घटाएं:उत्क्रमित अतिरिक्त प्रावधान/बट्टे खाते में डाले गये ऋण					3170.53	
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष	644.69	171.77	2126.28	1861.73	4159.78	4804.47
निवल एनपीए						
आरंभिक शेष					1742.27	
जमा:वर्ष के दौरान परिवर्धन					712.16	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी					1042.93	
अंतिम शेष					1411.50	
अस्थायी प्रावधान						
आरंभिक शेष	शून्य					
जमा: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	शून्य					
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कम राशि	शून्य					
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष	शून्य					
तकनीकी बट्टे खाते डालना तथा उस पर की गयी वसूली						
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे में डाले गये खातों का आरंभिक शेष						5820.95
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डालना						2127.64
घटाएं: उत्क्रमित अतिरिक्त प्रावधान/बट्टे खाते में डाले गये ऋण						691.18
अंतिम शेष						7257.41

अनुपात (%)	2023-24	2022-23
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	5.43	6.97
निवल एनपीए से निवल अग्रिम	1.63	1.84

प्रावधान कवरेज अनुपात (डब्ल्यूटीओ सहित)	88.69	89.06
प्रावधान कवरेज अनुपात (डब्ल्यूटीओ रहित)	71.05	75.01

b) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2023-24			2022-23		
		बकाया कुल अग्रिम*	सकल एनपीए	उस सेक्टर के कुल अग्रिमों में सकल एनपीए प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर के कुल अग्रिमों में सकल एनपीए प्रतिशत
i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	32635.81	2887.63	8.85	31285.60	2739.33	8.76
a)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	12523.73	1227.98	9.81	11787.44	1027.17	8.71
b)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	4596.64	438.30	9.54	4505.60	465.84	10.34
जिनमें से बकाया अग्रिम, उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10% से अधिक है							
b.i)	कपड़ा	940.25	158.66	16.87	947.29	158.25	16.71
b.ii)	अभियांत्रिकी	513.81	65.10	12.67	529.89	62.03	11.71
b.iii)	धातु और धातु उत्पाद	584.04	24.95	4.27	505.80	24.14	4.77
c)	सेवाएं	11748.40	1007.19	8.57	10375.46	983.33	9.48
d)	व्यक्तिगत ऋण	3767.04	214.17	5.69	4617.10	262.99	5.70
	उप योग (i)	32635.81	2887.63	8.85	31285.60	2739.33	8.76
ii)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	53328.66	1777.71	3.33	49696.12	2908.87	5.85
a)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	1.98	0.28	14.14	0.00	0.00	0.00
b)	उद्योग	18014.21	833.84	4.63	18275.59	1231.17	6.74
जिनमें से बकाया अग्रिम, उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10% से अधिक है							
b.i)	बिजली एवं ऊर्जा	5485.45	42.51	0.77	5704.89	219.40	3.85
b.ii)	सामाजिक एवं सामान्य अवसंरचना	3899.33	0.00	0.00	4596.03	0.02	0.00
b.iii)	सड़के एवं राजमार्ग	3531.78	559.33	15.84	3264.07	733.05	22.46
c)	सेवाएं	23051.94	589.77	2.56	19600.56	1462.84	7.46
जिनमें से बकाया अग्रिम, उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10% से अधिक है							
c.i)	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी	11832.60	510.94	4.32	14060.02	1150.91	8.19
d)	व्यक्तिगत ऋण	12260.53	353.82	2.89	11819.97	214.87	1.82



उप योग (ii)	53328.66	1777.71	3.33	49696.12	2908.88	5.85
कुल (i + ii)	85964.47	4665.34	5.43	80981.72	5648.21	6.97

*बकाया कुल अग्रिम, सकल अग्रिम को संदर्भित करता है।

c) विदेशी आस्ति, एनपीए और राजस्व

(राशि करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
कुल आस्ति	55.36	55.52
कुल एनपीए	0.00	0.00
कुल राजस्व	1.14	5.73

d) संकल्प योजना और पुनर्संरचना का विवरण

'दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा' पर आरबीआई परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांकित 7 जून, 2019 की शर्तों के अनुसार, बैंक के पास 1 उधार खाते के संबंध में ₹24.48 करोड़ राशि के अतिरिक्त मानक आस्तियों का प्रावधान धारित है (विगत वर्ष 31.03.2023 के लिए ₹50.51 करोड़)। विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ में)

भा.रि.बैं. परिपत्र द्वारा अंतर्घटित ऋण राशि (A)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली ऋण राशि (B)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (B) में से 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ऋण राशि (C)	आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत रक्षित ऋणों के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान (D)	(D) में से दिनांक 31.03.2024 तक पूर्व में ही किए गए प्रावधान (E)
69.16	-	-	24.48	24.48

(राशि करोड़ में)

भा.रि.बैं. परिपत्र द्वारा अंतर्घटित ऋण राशि (A)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली ऋण राशि (B)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (B) में से 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार ऋण राशि (C)	आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत रक्षित ऋणों के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान (D)	(D) में से दिनांक 31.03.2023 तक पूर्व में ही किए गए प्रावधान (E)
142.68	-	-	50.51	50.51

e) आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान में विचलन

वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन के अनुसार आरबीआई मास्टर परिपत्र संख्या डीओआर. एसीसी. आरईसी. संख्या 45/21.04.018/2021-22 दिनांकित 30.08.2021 (दिनांक 15.11.2021 को

अद्यतित, आगे दिनांक 25.10.2023 को अद्यतित) के अनुसार बैंकों को आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन का प्रकटीकरण करना चाहिए। निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होने पर बैंकों को विचलन का प्रकटीकरण करना चाहिए:

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में मूल्यांकित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान, संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए, संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए के 5 प्रतिशत से अधिक है।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसार बैंक में विचलन, प्रारंभिक सीमा के भीतर हैं। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

f) ऋण एक्सपोज़र के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

- भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 दिनांकित 24.09.2021 के अनुसरण में, दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित/ अधिग्रहित ऋण के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है :
 - दिनांक 31.03.2024 को समाप्त तिमाही/ वर्ष के दौरान बैंक ने विशेष उल्लेख खाते (एसएमए), हस्तांतरित और अधिग्रहित नहीं किए हैं। (31 मार्च, 2023 को शून्य)
 - दिनांक 31.03.2024 को समाप्त तिमाही/ वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नांकित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का हस्तांतरण किया है। (31 मार्च, 2023 को शून्य)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हस्तांतरित एनपीआई का विवरण			
(समस्त राशि रुपये करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को
खातों की संख्या	1	-	-
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन	14.83	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	0	-	-
कुल प्रतिफल	1.67*	-	-
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा	-	-	-

* दिनांक 31.03.2024 तक ₹0.25 करोड़ का नकद संघटक प्राप्त हुआ। तथापि, ₹1.42 करोड़ राशि की प्रतिभूति रसीदें अभी प्राप्त होना शेष है।



वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्थानांतरित दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए) का विवरण			
(समस्त राशि रुपये करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को (कृपया उल्लेख करें)
खातों की संख्या	3	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन	186.30	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	अप्रयोज्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	186.30	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	134.23	शून्य	शून्य
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान अधिग्रहीत ऋणों का विवरण			
एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआईएफआई तथा एचएफसी सहित एनबीएफसी			एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया	शून्य	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य

c) समनुदेशन के माध्यम से अधिग्रहित 'चूक में नहीं' ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	राशि करोड़ में
अधिग्रहित ऋणों की कुल राशि	-
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (माह में)	-
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (माह में)	-
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	-
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	-

d) समनुदेशन/ नवीयन तथा ऋण सहभागिता के माध्यम से उपार्जित मानक आस्तियों का विवरण (सह-उधार) :

(राशि करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त तिमाही	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	3219	11505	3931
कुल बकाया	631.96	2293.46	964.56
भारित औसत परिपक्वता अवधि (माह में)	167.94	166.82	158
भारित औसत धारण अवधि (माह में)	0.80	8.27	5.16
लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	एमएसएमई – 20% एचएल – 25%	एमएसएमई – 20% एचएल – 25%	एमएसएमई – 20% एचएल – 25%
मूर्त जमानत व्याप्ति की व्याप्ति	175.01	186.19	147.40

गैर-कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के लिए होने के कारण उपार्जित ऋणों का दर्जा निर्धारण नहीं किया जाता है।

e) समनुदेशन/ नवीयन तथा ऋण सहभागिता के माध्यम से उपार्जित मानक आस्तियों का विवरण (पुल बाय-आउट)

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त तिमाही	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष
क्रय किए गए खातों की संख्या	-----शून्य-----		
कुल बकाया ऋण (राशि करोड़ में)			
भारित औसत परिपक्वता अवधि (माह में)			
भारित औसत धारण अवधि (माह में)			
लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण			
मूर्त जमानत व्याप्ति की व्याप्ति (%)			

f) 31 मार्च, 2024 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को समनुदेशित रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित इस प्रकार के एसआर का संवितरण

(राशि करोड़ में)

वसूली रेटिंग बैंड	31.03.2024 (बही मूल्य)	31.03.2023 (बही मूल्य)
RR1+	शून्य	शून्य
RR1	21.37	26.23
RR2	शून्य	शून्य
RR3	शून्य	शून्य
RR4	शून्य	शून्य
RR5	शून्य	शून्य
रेटिंग प्रत्याहृत	शून्य	शून्य
अनिर्धारित	68.06	शून्य
कुल	89.43	26.23

बैंक ने दिनांक 31.03.2024 तक उल्लिखित प्रतिभूति रसीदों के विरुद्ध 100% प्रावधान किया है।

g) धोखाधड़ी खाते

(राशि करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी प्रकरणों की संख्या	245	132
धोखाधड़ी में शामिल राशि	43.55	1363.22
इस प्रकार के धोखाधड़ी प्रकरणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि	34.67	1137.14
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि	0.00	0.00



h) कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत प्रकटीकरण

- (i) आरबीआई परिपत्र दिनांकित 6 अगस्त, 2020 (आरएफ 1.0) तथा 05 मई, 2021 (आरएफ 2.0) के अनुसार कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वयनित समाधान योजना का विवरण नीचे दिया गया है :

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त छमाही के लिए

(राशि करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र - विगत छमाही (30.09.2023) के अंत में स्थिति (A)	(A) का कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए की श्रेणी में चला गया।	(A) की राशि जो छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई।	(A) की राशि जिसका उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान किया गया।	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोज़र - इस छमाही (31.03.2024) के अंत तक स्थिति
(i) व्यक्तिगत ऋण	816.32	33.46	0.00	52.72	748.90
(ii) कॉर्पोरेट व्यक्ति#	803.53	26.56	0.00	60.08	712.26
जिसमें से एमएसएमई	426.27	26.24	0.00	36.03	320.76
(iii) अन्य	33.50	0.87	0.00	1.64	31.44
कुल	1653.35	60.89	0.00	114.44	1492.60
#जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।					

दिनांक 30.09.2023 को समाप्त छमाही के लिए

(राशि करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र - विगत छमाही (31.03.2023) के अंत में स्थिति (A)	(A) का कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए की श्रेणी में चला गया।	(A) की राशि जो छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई।	(A) की राशि जिसका उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान किया गया।	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोज़र - इस छमाही (30.09.2023) के अंत तक स्थिति
(i) व्यक्तिगत ऋण	916.20	44.25	0.00	58.60	817.28
(ii) कॉर्पोरेट व्यक्ति#	1041.82	141.35	0.00	119.07	802.57

जिसमें से एमएसएमई	534.56	57.61	0.00	68.99	426.27
(iii) अन्य	33.34	0.69	0.00	1.79	33.50
कुल	1991.36	186.29	0.00	179.46	1653.35
#जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।					

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त छमाही के लिए

(राशि करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र - विगत छमाही (30.09.2022) के अंत में स्थिति (A)	(A) का कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए की श्रेणी में चला गया।	(A) की राशि जो छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई।	(A) की राशि जिसका उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान किया गया।	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोज़र - इस छमाही (31.03.2023) के अंत तक स्थिति
(i) व्यक्तिगत ऋण	1003.24	43.86	0.00	60.93	916.20
(ii) कॉर्पोरेट व्यक्ति#	1105.94	25.25	0.00	65.84	1041.82
जिसमें से एमएसएमई	599.41	25.25	0.00	52.36	534.56
(iii) अन्य	39.19	2.84	0.00	2.59	33.34
कुल	2148.37	71.95	0.00	129.36	1991.36
#जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।					

दिनांक 30.09.2022 को समाप्त छमाही के लिए

(राशि करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र - विगत छमाही (31.03.2022) के अंत में स्थिति (A)	(A) का कुल ऋण जो छमाही के दौरान एपीए की श्रेणी में चला गया।	(A) की राशि जो छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई।	(A) की राशि जिसका उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान किया गया।	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोज़र - इस छमाही (30.09.2022) के अंत तक स्थिति
(i) व्यक्तिगत ऋण	1101.15	67.29	0.00	69.81	1003.24



(ii) कॉरपोरेट व्यक्ति#	1735.18	65.84	0.00	564.36	1105.94
जिसमें से एमएसएमई	709.89	65.84	0.00	49.79	599.41
(iii) अन्य	46.40	2.84	0.00	4.17	39.19
कुल	2882.73	135.97	0.00	638.34	2148.37
#जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।					

5. एक्सपोज़र

a) रियल स्टेट क्षेत्र के लिए एक्सपोज़र

(राशि करोड़ में)

श्रेणी		2023-24	2022-23
प्रत्यक्ष एक्सपोज़र			
(a)	आवासीय बंधक		
i.	आवासीय संपत्ति पर ऋण जो बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत है जो उधारकर्ता द्वारा अरिक्त है या अरिक्त किया जाएगा या किराए पर दिया है।	9114.95	8129.80
ii.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में समावेश के लिए पात्र वैयक्तिक गृह ऋण	3764.41	3875.73
(b)	वाणिज्यिक रियल स्टेट		
	वाणिज्यिक रियल स्टेट (कार्यालय भवन, खुदरा व्यापार स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल-गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण।	479.17	814.68
(c)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र में निवेश	-	-
a.	-	-	-
b.	-	-	-
अप्रत्यक्ष निवेश			
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोज़र	4496.58*	6182.73*
	रियल स्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोज़र	14090.70	15127.21

*इसमें एनएचबी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में निवेश के रूप में ₹781.04 करोड़ (विगत वर्ष ₹869.92 करोड़) शामिल है।

b) पूंजी बाज़ार के लिए एक्सपोज़र

(राशि करोड़ में)

विवरण		2023-24	2022-23
1	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आधारभूत निधि विशेष रूप से कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;	705.62	397.04
2	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को या शेयरों/ बॉण्ड्स/ डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के बदले या स्पष्ट आधार पर अग्रिम	0.00	0.60
3	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
4	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम अर्थात जहाँ शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति, अग्रिमों को पूर्णतया कवर नहीं करती हैं।	-	-
5	स्टॉक ब्रोकर्स को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टार ब्रोकर्स तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
6	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के जमानत के एवज में या बेजमानती आधार पर कॉरपोरेट्स को स्वीकृत ऋण;	-	-
7	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को पूरक ऋण;	-	-
8	शेयर या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	-	-
9	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकर्स के लिए वित्तपोषण;	-	-
10	उद्यम पूंजी निधि हेतु समस्त एक्सपोज़र (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	27.37	38.07
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र		732.99	435.71

c) जोखिम श्रेणी-वार देश में बैंक का एक्सपोज़र

ईसीजीसी वर्गीकरण	जोखिम श्रेणी	दिनांक 31.03.2024 को एक्सपोज़र (निवल)	दिनांक 31.03.2024 को धारित प्रावधान	दिनांक 31.03.2023 को एक्सपोज़र (निवल)	दिनांक 31.03.2023 को धारित प्रावधान



A1	नगण्य	131.50	शून्य	236.97	शून्य
A2	न्यून जोखिम	17.51	शून्य	19.89	शून्य
B1	सामान्य न्यून जोखिम	57.79	शून्य	0.00	शून्य
B2	सामान्य जोखिम	0	शून्य	0.70	शून्य
C1	सामान्य उच्च जोखिम	0	शून्य	0.00	शून्य
C2	उच्च जोखिम	0	शून्य	0.00	शून्य
D	अति उच्च जोखिम	0	शून्य	0.00	शून्य

प्रत्येक देश के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित बैंक का शुद्ध देश-वार वित्त पोषित एक्सपोज़र, बैंक के कुल आस्ति के 1% के अंतर्गत है। इसलिए, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

d) अप्रतिभूतित अग्रिम

(राशि करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	7964.12	6578.70
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां यथा अधिकार पर प्रभार, अनुज्ञप्ति, प्राधिकरण इत्यादि ली गई हैं।	0.00	0.00
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	0.00	0.00

e) आढ़त (फेक्टोरिंग) एक्सपोज़र : वित्तीय वर्ष 2023-24 में शून्य (विगत वर्ष 2022-23 में शून्य)

f) अंतर-समूह एक्सपोज़र

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24		2022-23	
		स्वीकृति ऋण/ सीमा	बकाया शेष	स्वीकृति ऋण/सीमा	बकाया शेष
(a)	अंतर-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(b)	शीर्ष-20 अंतर-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(c)	उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के संबंध में अंतर-समूह एक्सपोज़र का प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(d)	अंतर-समूह एक्सपोज़र सीमा के उल्लंघन का विवरण और उस पर विनियामकीय कार्रवाई, यदि कोई हो।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

g) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

परिपत्र डीओआर.एमआरजी.आरईसी. 76/00-00-007/2022-23 दिनांकित 11.10.2022 के माध्यम भारतीय रिज़र्व बैंक [अरक्षित (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र] निदेश, 2022 के अनुसार बैंक ने अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के प्रति देयता का अनुमान लगाया है तथा 31 मार्च, 2024 तक ₹0.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (31.03.2023 को ₹0.04 करोड़ था)

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़रों और गैर निष्पादित आस्तियों का संकेंद्रण

a) जमाओं का संकेंद्रण

(राशि करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	9825.34	13491.58
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	8.23	12.30

b) अग्रिमों का संकेंद्रण

(राशि करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	21201.80	20677.61
बैंक की कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	23.60	25.53

c) एक्सपोज़र का संकेंद्रण*

(राशि करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	21112.86	20946.94
बैंक के उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को एक्सपोज़र का प्रतिशत (%)	17.51	22.24

*केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की गारंटी के लिए एक्सपोज़र को सम्मिलित नहीं किया गया है।

d) एनपीए संकेंद्रण

(राशि करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
बीस शीर्ष एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र	1444.41	2521.29
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोज़र का प्रतिशत	30.96	44.64

7. डेरिवेटिव

डेरिवेटिव के अंतर्गत बैंक, केवल व्यापारी वायदा संविदा में व्यापार करता है और बकाया वायदा संविदा का मूल्य ₹496.05 करोड़ है।



a) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन	शून्य	शून्य
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेद्रण	शून्य	शून्य
v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

b) विनिमय व्यापार ब्याज-दर डेरिवेटिव

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
ii)	31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि बकाया जो कि 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट वेल्यू बकाया जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)	शून्य	शून्य

c) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

बैंक ने वर्ष 2023-24 के दौरान वायदा दर करार/ ब्याज दर की अदला-बदली/ विनिमय ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव के संबंध में व्युत्पन्न लेनदेन में प्रविष्टि नहीं की है। तदनुसार, डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24		2022-23	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
a)	व्युत्पन्नी (अनुमानिक मूलधन राशि)	-	-	-	-
	i) वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था हेतु	-	-	-	-
	ii) ट्रेडिंग के लिए	-	-	-	-
b)	बाजार की स्थिति के लिए चिह्नित	-	-	-	-
	i) आस्ति (+)	-	-	-	-
	ii) देयता (-)	-	-	-	-

c)	ऋण एक्सपोज़र	-	-	-	-
d)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV 01)	-	-	-	-
	i) व्युत्पन्नी वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था	-	-	-	-
	ii) व्युत्पन्नी ट्रेडिंग पर	-	-	-	-
e)	वर्ष के दौरान देखा गया अधिकतम और न्यूनतम 100*PV01	-	-	-	-
	i) वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था पर	-	-	-	-
	ii) ट्रेडिंग पर	-	-	-	-

d) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप

वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने किसी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप में प्रविष्टि नहीं की है।

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या/ राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र से संबंधित एसपीवी की सूचना)	शून्य	शून्य
2.	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूत आस्ति की कुल राशि	शून्य	शून्य
3.	तुलनपत्र की तिथि के अनुसार न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षाओं (एमआरआर) का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य
	a) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र	शून्य	शून्य
	* मूल हानि	शून्य	शून्य
	* अन्य	शून्य	शून्य
	b) तुलन-पत्र का एक्सपोज़र	शून्य	शून्य
	* मूल हानि	शून्य	शून्य
* अन्य	शून्य	शून्य	
4.	एमआरआर से इतर प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोज़र की राशि		
	a) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र	शून्य	शून्य
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोज़र	शून्य	शून्य
	* मूल हानि	शून्य	शून्य
	* अन्य	शून्य	शून्य
	ii) अन्य पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोज़र	शून्य	शून्य
	* मूल हानि	शून्य	शून्य
* अन्य	शून्य	शून्य	

	b)	तुलन-पत्र का एक्सपोज़र		शून्य	शून्य
	i)	स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोज़र		शून्य	शून्य
		*	मूल हानि	शून्य	शून्य
		*	अन्य	शून्य	शून्य
		अन्य पक्ष के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोज़र		शून्य	शून्य
	ii)	*	मूल हानि	शून्य	शून्य
*		अन्य	शून्य	शून्य	
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि			शून्य	शून्य
6.	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण के बाद आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं का स्वरूप और मात्रा (बकाया मूल्य)			शून्य	शून्य
7.	प्रत्येक सुविधा यथा ऋण संवृद्धि, चलनिधि समर्थन, सर्विसिंग एजेंट इत्यादि के लिए प्रदान की गई सुविधा का कार्य-निष्पादन। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें।			शून्य	शून्य
	a) भुगतान की गई राशि				
	b) प्राप्त पुनर्भुगतान				
	c) बकाया राशि				
8.	पूर्व में आलोकित किए गए निवेश सूची की औसत डिफॉल्ट दर। (प्रत्येक आस्ति श्रेणी जैसे आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्यौरा प्रदान करें।)			शून्य	शून्य
9.	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/ टॉप अप ऋण की राशि और संख्या।			शून्य	शून्य
10.	निवेशकर्ताओं की शिकायतें			0	3
	a) प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त तथा ;				
	b) लंबित शिकायतें			0	0

9. तुलन-पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित

(राशि करोड़ में)

प्रायोजित एसपीवी का नाम			
घरेलू		विदेशी	
31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) में अंतरण

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
i)	डीईएफ निधि में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	500.24	430.03
ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि	139.01	77.66

iii)	घटाएं : दावों के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	31.72*	7.45*
iv)	डीईए निधि में अंतरित राशि का अंतिम शेष	607.53	500.24

*मूलधन

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

a) बैंक को ग्राहकों से तथा बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	86	202
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	14354	19051
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	14270	19167
3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा निरस्त शिकायतों की संख्या	663	366
4	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	170	86
	बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें		
5	बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त अनुरक्षण योग्य शिकायतों की संख्या	485	544
5.1.	5 में से, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	198	254
5.2	5 में से, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/ मध्यस्थता/ सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	287	276
5.3	5 में से, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय पारित करने के बाद समाधान की गई शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
6	निर्धारित समय में क्रियान्वित नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णयों के अतिरिक्त)	शून्य	शून्य

b) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार

शिकायतों के आधार (अर्थात शिकायत किससे संबंधित है)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी/ कमी का %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	कॉलम संख्या 5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
2023-24					
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	14	4727	12.52	30	शून्य
एटीएम/ डेबिट कार्ड	30	4611	(58.21)	49	शून्य



ऋण और अग्रिम	16	821	28.68	18	2
बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभारों/ अत्यधिक प्रभारों/ फोरक्लोज़र प्रभारों की उगाही	1	758	24.67	13	शून्य
कार्मिकों का व्यवहार	2	160	32.23	12	1
अन्य	23	3277	33.86	48	7
कुल	86	14354	(24.65)	170	10
2022-23					
एटीएम/ डेबिट कार्ड	32	11035	8.71	30	शून्य
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	119	4201	(59.16)	14	1
ऋण और अग्रिम	18	638	(11.02)	16	शून्य
बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभारों/ अत्यधिक प्रभारों/ फोरक्लोज़र प्रभारों की उगाही	5	608	215.03	1	शून्य
चेक/ ड्राफ्ट/बिल	शून्य	135	62.65	2	शून्य
अन्य	28	2434	(4.25)	23	2
कुल	202	19051	(20.53)	86	3

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण : वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा निम्नलिखित 2 प्रकरणों में दंड लगाया गया (1 प्रकरण – विगत वर्ष 2022-23)

(राशि करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 26ए के प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर 263865 खातों में जमा ₹70.65 करोड़ की राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में जमा करने में विफल रहने के कारण आरबीआई द्वारा पत्र दिनांकित 25.09.2023 के माध्यम से बैंक पर अधिरोपित दंड।	1.00	0.00
‘ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध’ पर आरबीआई द्वारा जारी कतिपय निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए आदेश दिनांकित 03.01.2024 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दंड लगाया गया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधान के अनुसार आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत लगाया गया है।	1.00	0.00
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण’ पर परिपत्र संख्या बैवि.डीआईआर.बीसी.सं. 14/13.03.000/2019-20 दिनांकित 04.09.2019 के माध्यम से जारी निर्देशों के गैर अनुपालन के कारण आरबीआई द्वारा लगाया गया दंड।	0.00	0.275

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण – बैंक के लिए प्रयोज्य नहीं है।

14. अन्य प्रकटन

a) व्यापार अनुपात

(राशि करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	6.68	5.99
ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%)	0.84	0.70
iii) जमा लागत (%)	5.55	4.53
iv) निवल ब्याज मार्जिन (%)	2.45	2.91
v) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%)	0.78	1.09
vi) आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.41	0.98
vii) प्रति कार्मिक व्यवसाय (जमा और अग्रिम)	23.35	21.45
viii) प्रति कार्मिक लाभ	0.07	0.15

b) बैंक-बीमा के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटन

(राशि करोड़ में)

	2023-24	2022-23
A) जीवन बीमा व्यवसाय से शुल्क/ पारिश्रमिक	23.70	19.75
B) सामान्य बीमा व्यवसाय से शुल्क/ पारिश्रमिक	3.59	3.38
C) एपीवाई पर कमीशन	1.19	1.53

c) विपणन और संवितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/ पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

	2023-24	2022-23
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना पर कमीशन	0.46	0.43
एसबीए पर कमीशन	0.01	0.01
एसबीआईसीपीएसएल पर कमीशन	0.81	0.00

d) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

बैंक ने लघु और सीमांत कृषकों के अंतर्गत ₹300.00 करोड़ के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) के अंतर्गत 1200 इकाइयाँ विक्रय की हैं और दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹6.75 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की है।

बैंक ने लघु और सीमांत कृषकों के अंतर्गत ₹850.00 करोड़ के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) के अंतर्गत 3400 इकाइयाँ विक्रय की है और दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹9.74 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने कृषि और लघु एवं सीमांत कृषकों के अंतर्गत 20440 इकाइयाँ (कृषि में 12000 इकाइयाँ और लघु एवं सीमांत कृषकों में 8440 इकाइयाँ) क्रय की है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹23.23 करोड़ (कृषि में ₹8.99 करोड़ और लघु एवं सीमांत कृषकों में ₹14.24 करोड़) की लागत वहन की है।



e) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि करोड़ में)

लाभ और हानि खाते के नामे किया गया प्रावधान	2023-24	2022-23
एनपीआई के लिए प्रावधान	352.86	25.13
एनपीए के लिए प्रावधान	(178.80)	(471.06)
आयकर के लिए किया गया प्रावधान	341.56	306.81
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण सहित)	19.90	276.03

(राशि करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का अलग-अलग विवरण/आंकड़े	2023-24	2022-23
अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान	(178.80)	(471.06)
मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	(73.61)	(67.01)
एफवी पुनर्संचित अग्रिमों में हास के लिए प्रावधान	(0.79)	(1.78)
अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	352.86	25.13
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	0.22	54.93
अग्रिमों पर छूट	41.35	155.65
अन्य प्रावधान	52.73	134.23
कर-निर्धारण के लिए प्रावधान		
वर्तमान कर	220.45	265.13
आस्थगित कर	224.02	324.10
एमएटी क्रेडिट पात्रता – वर्तमान वर्ष	(102.91)	(282.41)
एमएटी क्रेडिट पात्रता प्रतिलोमित	0.00	0.00
कुल	535.52	136.91

f) भारतीय लेखांकन मानक (भारत- लेखांकन मानदंड) अभिसरण आईएफआरएस का कार्यान्वयन

बैंक, आईएनडी-एस के संबंध में सांविधिक प्राधिकरणों की रिपोर्टिंग अनिवार्यताओं का अनुपालन कर रहा है। बैंक ने आईएनडी-एस के कार्यान्वयन के क्षेत्र में वृहत अनुभव रखने वाले परामर्शदाता को नियुक्त किया है। परामर्शदाता, आईएनडी-एस के सुचारू कार्यान्वयन के संबंध में रोडमैप तैयार करने में बैंक की सहायता कर रहे हैं।

g) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	158.14	142.86
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	0.00	0.00

h) निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दी गई सुविधाओं का प्रकटीकरण – बैंक के लिए अप्रयोज्य।

i) बैंकों कार्मिकों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप अनुमानित अतिरिक्त पेंशन देनदारी ₹236.84 करोड़ थी। आरबीआई ने अपने परिपत्र भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांकित 04 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से भारतीय बैंक संघ के समस्त सदस्यों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि में उक्त अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी थी, बशर्ते प्रत्येक वर्ष, कुल राशि का न्यूनतम 1/5 भाग परिशोधित किया जाए। बैंक, उक्त देयता को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि में परिशोधित करेगा जो प्रतिवर्ष न्यूनतम ₹47.37 करोड़ के अधीन है। 31 मार्च, 2023 तक शेष अपरिशोधित राशि ₹142.10 करोड़ रुपये थी। तदनुसार, बैंक ने चालू तिमाही और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में क्रमशः ₹11.37 करोड़ और ₹47.37 करोड़ की राशि प्रभारित की है तथा शेष ₹94.73 करोड़ की अपरिशोधित राशि को अग्रणीत किया गया है। यदि बैंक ने संपूर्ण अतिरिक्त देयता को लाभ और हानि खाते में प्रभारित कर दिया होता तो 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (कर पश्चात) ₹61.63 करोड़ कम हो जाता।

j) चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

गैर-निधि ऋण सुविधाओं के लिए अन्य बैंकों को ₹3.45 करोड़ के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए हैं जो उधारकर्ताओं को जारी कुल ऋण सुविधाओं (निधिक/गैर-निधिक) का भाग है और दिनांक 31.03.2024 तक बकाया हैं।

k) आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 91/21.04.018/2021-22 दिनांकित 13 दिसंबर, 2022 के अनुसार प्रकटीकरण :

(i) कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक वाले “अनुसूची 14-अन्य आय” शीर्ष के तहत “विविध आय” उपशीर्ष के अंतर्गत मर्दे :

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	ब्यौरा	2023-24	कुल आय में से %	2022-23	कुल आय में से %
1	तकनीकी रूप से बट्टे में डाले गए खातों में वसूली	691.42	6.33	511.64	5.73
2	विविध आय	143.36	1.31	110.82	1.24

(ii) कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक वाले “अनुसूची 16-परिचालन व्यय” शीर्ष के तहत उपशीर्ष “अन्य व्यय” के अंतर्गत मर्दे : शून्य

(iii) कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक वाले शीर्ष “अनुसूची 5 (IV)- अन्य देनदारियां और प्रावधान- “अन्य (प्रावधानों सहित)” के अंतर्गत मर्दे : शून्य

(iv) कुल आस्तियों के 1% (एक प्रतिशत) से अधिक वाले “अनुसूची 11(VI)-अन्य आस्तियां-“अन्य” शीर्ष के अंतर्गत मर्दे :



(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	ब्यौरा	2023-24	कुल आस्ति में से %	2022-23	कुल आस्ति में से %
1	ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)	1673.84	1.15	2359.44	1.73

15. लेखांकन मानक (एएस) के अनुसार प्रकटीकरण

15.1 लेखांकन मानक 5: अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

15.1.1 नोट में अन्यत्र उद्धाटित को छोड़कर आरबीआई निर्देशों के साथ पठित एएस-5 के अनुसार लाभ-हानि खाते में सम्मिलित किसी भी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

15.2 लेखांकन मानक 9: राजस्व अभिज्ञान

आय की कतिपय मदों को अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के मद संख्या 8- "राजस्व अभिज्ञान" में उद्धाटित अनुसार उगाही आधार पर अभिज्ञापित किया गया है। तथापि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, उक्त आय को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।

15.3 लेखांकन मानक 10: संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर/अचल आस्ति/ परिसंपत्ति

बाह्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अपनी अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। दिनांक 31.03.2024 को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि का अंतिम शेष (राजस्व आरक्षित में हस्तांतरित राशि को घटाकर) ₹1066.39 करोड़ है। (विगत वर्ष ₹912.22 करोड़)

15.4 लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी हितलाभ

आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखांकन मानक (एएस-15) के अनुसार पेंशन, उपदान, अवकाश नकदीकरण तथा अन्य दीर्घकालीन लाभों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

लाभ-हानि खाते तथा तुलन पत्र में अभिज्ञात नियोजन पश्चात लाभों की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1 अप्रैल को परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	4698.52	4610.95	321.37	319.58	272.22	257.93
ब्याज लागत	319.23	313.48	21.96	21.95	18.91	18.05

गत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	195.63	214.86	26.73	24.90	58.18	16.94
प्रदत्त लाभ	(517.03)	(453.22)	(34.39)	(35.31)	(20.49)	(19.38)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ (लाभ)	217.08	12.45	13.76	(9.75)	(21.02)	(1.32)
31 मार्च को परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	4913.43	4698.52	349.43	321.37	307.80	272.22

योजनागत आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1 अप्रैल को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	4432.10	4322.98	318.26	321.08	269.60	262.41
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	354.12	339.35	25.56	25.37	18.63	17.53
अंशदान	381.81	282.83	28.11	13.79	20.62	9.24
प्रदत्त लाभ	(517.03)	(453.22)	(34.39)	(35.31)	(20.49)	(19.38)
बीमांकिक लाभ/(हानि)	13.41	(59.84)	2.55	(6.67)	(0.13)	(0.20)
31 मार्च को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	4664.41	4432.10	340.09	318.26	288.23	269.60
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	367.53	279.51	28.11	18.70	18.50	17.33

निवल बीमांकिक हानि/ (लाभ)

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
दायित्व पर बीमांकिक हानि/ (लाभ) (A)	217.08	12.45	13.76	(9.75)	(21.02)	(1.32)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक हानि/ (लाभ) (B)	(13.41)	59.84	(2.55)	6.67	0.13	0.20
निवल बीमांकिक हानि/ (लाभ)	203.67	72.29	11.21	(3.08)	(20.89)	(1.12)
अवधि में अभिज्ञापित बीमांकिक हानि/ (लाभ) (A+B)	203.67	72.29	11.21	(3.08)	(20.89)	(1.12)
वर्ष के अंत में अमान्य बीमांकिक हानि/ (लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



तुलन-पत्र में अभिज्ञापित राशि

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
31 मार्च को परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	4913.43	4698.52	349.43	321.37	307.80	272.22
घटाएं : 31 मार्च को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	4664.41	4432.10	340.09	318.26	288.23	269.60
तुलन पत्र में मान्य अतिरिक्त निवल आस्ति/ (अनिधिक देयता)	(249.02)	(266.42)	(9.34)	(3.11)	(19.57)	(2.62)
रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य संक्रमणशील देयता	--	--	--	--	--	--
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	--	--	--	--	--	--
तुलन पत्र में मान्य अतिरिक्त निवल आस्ति/ (अनिधिक देयता)	(249.02)*	(266.42)	(9.34)	(3.11)	(19.57)	(2.62)

* ₹94.73 करोड़ की आस्थगित पारिवारिक पेंशन देयता सहित

लाभ-हानि खाते में अभिज्ञापित व्यय

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्तमान सेवा लागत	195.63	214.86	26.73	24.90	58.18	16.94
विगत सेवा लागत	--	--	--	--	--	--
ब्याज लागत	319.23	313.48	21.96	21.95	18.91	18.05
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल	(354.12)	(339.35)	(25.56)	(25.37)	(18.63)	(17.53)
वर्ष के दौरान मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	203.67	72.29	11.21	(3.08)	(20.89)	(1.12)
आस्थगित पेंशन व्यय	--	--	--	--	--	--
निवल (लाभ)/व्यय	364.41	261.28	34.34	18.40	37.57	16.34

तुलन-पत्र में अभिज्ञापित देयताओं में उतार-चढ़ाव

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
प्रारंभिक निवल देयता/ (आस्ति)	266.42	287.97	3.11	(1.50)	2.62	(4.48)

जोड़ें : आस्थगित पेंशन व्यय	--	--	--	--	--	--
जोड़ें : निवल लाभ व्यय	364.41	261.28	34.34	18.40	37.57	16.34
घटाएं : प्रदत्त अंशदान	381.81	282.83	28.11	13.79	20.62	9.24
समापन देयता/ (आस्ति)	249.02	266.42	9.34	3.11	19.57	2.62
जोड़ें : रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संवरण देयताएं/ (आस्ति)	249.02*	266.42	9.34	3.11	19.57	2.62

* ₹94.73 करोड़ की आस्थगित पारिवारिक पेंशन देयता सहित

न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	5.73	6.29	--	--	--	--
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	9.12	13.24	19.85	21.09	--	--
उच्च सुरक्षा बॉण्ड/ टीडीआरएस	9.64	9.76	19.62	20.95	88.86	82.47
अन्य निवेश	75.51	70.71	60.53	57.96	11.14	17.53

तुलन-पत्र तिथि को मूल बीमांकिक पूर्वानुमान

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
रियायती दर	7.19	7.15	7.22	7.27	7.22	7.27
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल दर	7.99	7.85	8.03	7.90	6.91	6.68
वेतनवृद्धि दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ह्रास-दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
मोर्टेलिटी तालिका	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
प्रयोग में लाई गई विधि	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

मानित बीमांकिक पूर्वानुमानों का आधार

विवरण	पूर्वानुमान का आधार
रियायती दर	रियायती दर का निर्धारण, देयता के अनुमानित अवधि की शर्तों के अनुरूप शासकीय बॉण्ड पर तुलन-पत्र की तिथि को बाजार प्रतिफल के संदर्भ में किया गया है।



योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल दर	संबंधित देयता की संपूर्ण कार्यकाल पर प्रतिफल के लिए, अवधि के आरंभ में, योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल, बाजार की प्रत्याशा पर आधारित है।
वेतनवृद्धि दर	बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन में भविष्य में वृद्धि का प्राक्कलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा प्रासंगिक कारकों यथा कर्मचारी बाजार में मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है।
ह्रास-दर	ह्रास-दर का निर्धारण विगत और अपेक्षित भविष्य के अनुभव के द्वारा किया गया है तथा इसमें मृत्यु के अतिरिक्त (लेकिन दिव्यांगता कारक शामिल है) समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है।
मोर्टेलिटी तालिका	मोर्टेलिटी तालिका, जिसे जीवन तालिका या बीमांकिक तालिका के रूप में भी जाना जाता है, एक निश्चित समय अंतराल के दौरान परिभाषित जनसंख्या में होने वाली मृत्यु दर या जन्म से मृत्यु तक जीवित रहने की दर को दर्शाता है।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

(राशि करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/ एलएफसी नगदीकरण		रजत जयंती बोनस		चिकित्सा लाभ*		सेवानिवृत्ति उपहार	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
देयता का वर्तमान मूल्य	7.75	7.92	1.39	1.32	0.81	0.71	1.28	1.29
परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अमान्य परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में मान्य देयता	7.75	7.92	1.39	1.32	0.81	0.71	1.28	1.29

तुलन-पत्र तिथि को मूल बीमांकिक पूर्वानुमान

(राशि करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/ एलएफसी नगदीकरण		रजत जयंती बोनस		सेवानिवृत्ति उपहार	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
रियायती दर	7.22	7.27	7.22	7.27	7.22	7.27
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल दर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
वृद्धि दर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
ह्रास-दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

मोर्टेलिटी तालिका	आईएलएम 2012-14	आईएलएम 2012-14	आईएलएम 2012-14	आईएलएम 2012-14	आईएलएम 2012-14	आईएलएम 2012-14
प्रयोग में लाई गई विधि	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

15.5 लेखांकन मानक- 17 – खंड रिपोर्टिंग

भाग A : कारोबार खंड

(राशि करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)
राजस्व खंड		
a) राजकोष	2667.42	2345.16
b) कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	3967.80	3071.45
c) खुदरा बैंकिंग	4251.75	3491.41
-डिजिटल बैंकिंग	0.17	0.00
-अन्य खुदरा बैंकिंग	4251.58	3491.41
d) अन्य बैंकिंग परिचालन	28.48	24.67
कुल	10915.45	8932.69
परिणाम खंड		
a) राजकोष	553.36	759.02
b) कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	683.49	553.68
c) खुदरा बैंकिंग	732.40	629.39
-डिजिटल बैंकिंग	(1.36)	(0.50)
-अन्य खुदरा बैंकिंग	733.76	629.89
d) अन्य बैंकिंग परिचालन	28.48	24.67
कुल	1997.73	1966.76
3. गैर-आबंटित व्यय	866.79	516.82
4. परिचालन लाभ	1130.94	1449.94
5. प्रावधान व आकस्मिकताएं	193.96	(169.90)
6. आयकर	341.56	306.81
7. असाधारण लाभ/हानि	0.00	0.00
8. निवल लाभ	595.42	1313.03
अन्य जानकारी		
खंड आस्तियां		
a) राजकोष	50360.82	45476.84
b) कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	45386.04	41394.98



c) खुदरा बैंकिंग	48634.09	47054.84
-डिजिटल बैंकिंग	1.58	0.77
-अन्य खुदरा बैंकिंग	48632.51	47054.07
d) अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
e) गैर-आबंटित आस्ति	3275.58	2527.86
कुल आस्ति	147656.53	136454.52
देयताएं खंड		
राजकोष	46069.25	41159.64
कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	41518.41	37465.28
खुदरा बैंकिंग	44489.67	42587.84
-डिजिटल बैंकिंग	2.94	1.28
-अन्य खुदरा बैंकिंग	44486.73	42586.56
d) अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
e) गैर-आबंटित देयताएं	45.77	133.26
कुल देयताएं	132123.10	121346.02
नियोजित पूंजी		
राजकोष	4291.57	4317.20
कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	3867.63	3929.70
खुदरा बैंकिंग	4144.42	4467.00
-डिजिटल बैंकिंग	(1.36)	(0.51)
-अन्य खुदरा बैंकिंग	4145.78	4467.51
d) अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
e) गैर-आबंटित देयताएं	3229.81	2394.60
कुल नियोजित पूंजी	15533.43	15108.50

नोट : आईसीएआई के लेखांकन मानदंड -17 की शर्तों के अनुसार तथा आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए, बैंक के कारोबार को चार खंडों यथा [a] राजकोष परिचालन, [b] कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग, [c] खुदरा बैंकिंग (आगे डिजिटल बैंकिंग और अन्य खुदरा बैंकिंग में उप-विभाजित) तथा [d] अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है।

कॉरपोरेट/ थोक तथा खुदरा बैंकिंग खंड के संबंध में खंडीय राजस्व, परिणाम, आस्ति व देयताओं को इन खंडों के एक्सपोजर के आधार पर विभाजित किया गया है।

भाग B – भौगोलिक खंड

अभी तक बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है इसलिए भौगोलिक खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग अप्रयोज्य है।

15.6 लेखांकन मानक 18 – संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

श्री स्वरूप कुमार साहा	दिनांक 03.06.2022 से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री एस. कृष्णन	दिनांक 04.09.2020 से 31.05.2022 तक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र	दिनांक 30.06.2023 तक कार्यकारी निदेशक
डॉ. रामजस यादव	दिनांक 30.04.2024 तक कार्यकारी निदेशक
श्री रवि मेहरा	दिनांक 09.10.2023 से कार्यकारी निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से संबंधित पक्ष

डॉ. रामजस यादव	श्रीमती कृष्णा यादव	पत्नी
	श्री सौरभ यादव	पुत्र
श्री रवि मेहरा	श्रीमती बबिता मेहरा	पत्नी
	सुश्री नंदिनी मेहरा	पुत्री
	सुश्री परंजया मेहरा	पुत्री

(राशि लाख में)

मद/ संबंधित पक्ष	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधी
शेष बकाया	31.03.2024	31.03.2023
जमाराशि	205.31	74.61
अग्रिम	59.24	17.52
वर्ष के दौरान किए गए संव्यवहार		
प्रदत्त ब्याज	5.05	3.14
प्राप्त ब्याज	3.04	0.08
प्रदत्त पारिश्रमिक (नीचे दिए गए विवरण का संदर्भ लें)	112.50	108.16
श्री स्वरूप कुमार साहा	42.35	28.34
श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र	12.66	34.32
डॉ. रामजस यादव	38.61	32.69
श्री रवि मेहरा	18.88	0.00
श्री एस. कृष्णन	0.00	12.81

नोट: संबंधित पक्ष संबंध, बैंक द्वारा निर्धारित है तथा लेखापरीक्षकों द्वारा उस पर विश्वास किया गया है।

15.7 लेखांकन मानक 19 – पट्टा/ लीज़

परिचालन पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और कार्मिकों के आवास शामिल होते हैं जिन्हें सामान्यतः पट्टा अवधि के अंत में बैंक/ पट्टादाता के विकल्प पर नवीकृत किया जा सकता है।



- उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक रद्द न करने योग्य पट्टा : शून्य (विगत वर्ष: शून्य)
- परिचालन पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में अनुसूची-16- "II- किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था" के अंतर्गत मान्य पट्टा भुगतान की राशि निम्नानुसार है :

(राशि करोड़ में)

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त चालू वर्ष	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त विगत वर्ष
141.77	136.55

15.8 लेखांकन मानक 20 – प्रति शेयर अर्जन

(राशि करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर पश्चात शुद्ध लाभ	595.42	1313.03
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	677.78	677.78
प्रति शेयर मूलभूत एवं तनुकृत आय (₹)	0.88	1.94
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

15.9 लेखांकन मानक 21 – समेकन वित्तीय विवरण

बैंक की कोई अनुषंगी/ सहयोगी नहीं है अतः एएस 21 अप्रयोज्य है।

15.10 लेखांकन मानक 22 – आय पर करों के लिए लेखांकन

15.10.1 आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 'आय पर कर के लिए लेखांकन' के अनुपालन में बैंक ने आयकर के लिए लेखांकन किया है।

15.10.2 आस्थगित कर आस्तियां/ देयताओं के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:

(राशि करोड़ में)

शीर्ष	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1 अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	0.00	0.00	13.80	12.82
2 धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियां	0.00	0.00	73.67	70.06
3 निवेश पर एनपीए के लिए प्रावधान	283.54	160.24	0.00	0.00
4 वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	105.01	20.77	0.00	0.00
5 अग्रिमों के लिए प्रावधान	1318.55	1670.45	0.00	0.00
6 पुनर्संचित अग्रिमों के एफवी में हास के लिए प्रावधान	0.60	0.87	0.00	0.00
7 संचित हानि	0.00	74.8	0.00	0.00
कुल	1707.70	1927.13	87.47	82.88

15.10.3 बैंक द्वारा धारित आयकर तथा आस्थगित कर के लिए प्रावधान को विधि विशेषज्ञों के अभिमत तथा अनुकूल न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त माना गया है।

15.10.4 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक - 22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा, समयांतर के विरुद्ध संभावित कर लाभ के बैंक प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर की गई है तथा 31 मार्च 2024 तक ₹1620.23 करोड़ के निवल आस्थगित कर आस्तियों को अभिज्ञापित किया गया है। (31 मार्च, 2023 तक ₹1844.25 करोड़)

15.10.5 अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णय/ न्यायिक घोषणाओं/ विधि विशेषज्ञों की राय के मद्देनजर ₹887.01 करोड़ (विगत वर्ष ₹709.31 करोड़) की कुल आय की विवादित मांगों के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

15.10.6 भारत सरकार ने करधान कानून (संशोधित) अधिनियम, 2019 के माध्यम से, आयकर अधिनियम 1961 में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से धारा 115 BAA सम्मिलित किया है। बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 BAA के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प का मूल्यांकन किया और पूर्व में किए गए प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर कर के अभिज्ञान को जारी रखने के विकल्प का चयन किया है।

15.11 लेखांकन मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन

बैंक की कोई अनुषंगी/ सहयोगी नहीं है अतः एस 23 अप्रयोज्य है।

15.12 लेखांकन मानक 26 – अमूर्त आस्तियां

बैंक में उपयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर आंतरिक तंत्र में ही विकसित किए गए हैं तथा समय के साथ विकसित हुए हैं। इसलिए, सॉफ्टवेयर की लागत, बैंक परिचालन व्यय यथा वेतन का अनिवार्य हिस्सा है और इसलिए लाभ-हानि खाते में व्यय के संबंधित शीर्ष पर प्रभारित किया जाता है।

15.13 लेखांकन मानक 28 – आस्तियों की क्षीणता

बैंक के पास विद्यमान अचल संपत्तियों को एस-28 में परिभाषित अनुसार 'निगमित आस्तियों' के रूप में माना गया है न कि 'नगद उत्पादक इकाइयों' के रूप में। प्रबंधन की राय में, दिनांक 31.03.2024 तक महत्वपूर्ण राशि की 'अचल आस्तियों' की कोई क्षीणता, आईसीएआई द्वारा जारी एस-28 की शर्तों के अनुसार अभिज्ञापित करना आवश्यक नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों सहित अन्य आस्तियों की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

15.14 लेखांकन मानक 29- प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

15.14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है –



- a) पूर्व घटनाओं से उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसके विद्यमानता की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की जाएगी, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है, या
- b) पिछली घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको अभिज्ञापित नहीं किया गया है क्योंकि :
- यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटाने के लिए आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या
 - देयता राशि का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयता के रूप में अभिलिखित किया गया है। इसका आकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं का केवल वह भाग जिसमें आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभव है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, प्रावधान किया जाता है।

15.14.2 आकस्मिक देयताओं के विरुद्ध प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

(राशि करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कटौती		अंतिम शेष	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	26.96	25.53	2.71	1.92	0.04	0.49	29.63	26.96
आह्वानकृत बैंक गारंटी	7.65	7.63	0.38	0.02	शून्य	शून्य	8.03	7.65
साख पत्र	शून्य							

15.15 अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को लेखों के भाग स्वरूप टिप्पणियों में उपयुक्त स्थानों पर प्रस्तुत किया गया है।

16. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान की गई खरीद के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है तथा अधिनियम के अनुसार वेंडर्स को समय पर भुगतान किया गया है। चूंकि भुगतान में कोई विलंब नहीं हुआ था इसलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दंड स्वरूप ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

17. पत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी:15199/21.04.048/2016-17 दिनांकित 23 जून, 2017 और डीबीआर सं. बीपी: 1907/ 21.04.048/2017-18 दिनांकित 28 अगस्त 2017 के माध्यम से दिवाला प्रक्रिया-प्रावधानीकरण मानदंड आरंभ करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने उपरोक्त परिपत्रों में निर्दिष्ट एनपीए उधार खातों के संबंध में 31 मार्च, 2024 को ₹230.05 करोड़ (31 मार्च, 2023- ₹265.44 करोड़) की बकाया राशि के विरुद्ध ₹230.05 करोड़ (31 मार्च, 2023 - ₹265.44 करोड़) का प्रावधान किया है।

18. एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण, जिनका बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया :

वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने निम्न प्रकरणों में आरबाई द्वारा एकल उधारकर्ता/ समूह उधारकर्ता के लिए निर्धारित एलईएफ सीमा का अधिक्रमण किया है :

उधारकर्ता का नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम सीमा	एलईएफ के अनुसार एक्सपोज़र सीमा (%)	31.03.2024 को सीमा/ देयता	31.03.2023 को टीयर 1 पूंजी के संबंध में एक्सपोज़र (%)
शून्य				

19. बैंक ने दो उधार खातों में ₹119.28 करोड़ का निधिक एक्सपोज़र किया है जो मुकदमेबाज़ी के अधीन हैं और संबंधित निर्णायक प्राधिकारियों ने डाउनग्रेडिंग पर रोक लगा दी है। बैंक ने खातों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं।

20. बैंक ने 12वें द्विपक्षीय वेतन समझौते और 9वें संयुक्त नोट दिनांकित 08.03.2024 के प्रावधान के अनुसार 1 नवंबर, 2022 से प्रभावी वेतन संशोधन के लिए कुल ₹334.50 करोड़ का प्रावधान किया है।

21. आरबीआई परिपत्र दिनांकित 19.12.2023 के अनुसरण में, वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही/वर्ष के दौरान ₹0.50 करोड़ का प्रावधान आवश्यक है और इसका प्रावधान किया गया है।

22. वर्तमान अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए विगत अवधि के आंकड़ों को यथा आवश्यक पुनः समूहीकृत और पुनः वर्गीकृत किया गया है।



पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ-हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ	59542	131303
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	53552	13691
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	15008	14833
निवेश पर मूल्यहास	0	0
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-44	-215
बॉण्ड पर ब्याज	10613	11659
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	-4	0
कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	138667	171271
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	974406	752848
उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)	75247	757475
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	34579	19522
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	-515817	-271422
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	-577871	-1287568
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	79924	15650
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर)	-34247	-14940
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (क)	174888	142836
ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-22907	-9031
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	44	215
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	-22863	-8816
ग. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
गौण बॉण्ड का मोचन	0	-100000
बॉन्ड पर ब्याज	-10613	-11659
इक्विटी पर लाभांश	-32533	-21011
कर्मचारी कल्याण न्यास	-250	-500
वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)	-43396	-133170
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	174888	142836
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-22863	-8816
वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-43396	-133170
नकदी और नकदी समतुल्य में वृद्धि	108629	850
नगदी एवं बैंक शेष (प्रारंभिक)	629672	628822
नगदी एवं बैंक शेष (अंतिम)	738301	629672

अर्नब गोस्वामी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

रवि मेहरा
कार्यकारी निदेशक

स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
अधिकारी

<p>चतुर्वेदी एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 302137E यूडीआईएन : 24012705BKFYMR8992</p> <p>(सनदी लेखाकार सतीश चन्द्र चतुर्वेदी) साझेदार एम .नं . 012705</p>	<p>मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन : 001997S यूडीआईएन : 24225084BKDZRW9176</p> <p>(सनदी लेखाकार सीए पी वेंकटराजु) साझेदार एम .नं . 225084</p>
<p>एस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 000346N यूडीआईएन : 24092529BKCYON7406</p> <p>(सनदी लेखाकार पवन के गुप्ता) साझेदार एम .नं . 092529</p>	<p>गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन : 001466 N यूडीआईएन : 24531165BKEFGA8947</p> <p>(सनदी लेखाकार धनंजय शर्मा) साझेदार एम .नं . 531165</p>

दिनांक : 10 मई, 2024
स्थान : नई दिल्ली



Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008

Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023

<https://punjabandsindbank.co.in/>

NOTICE

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / or Other Audio-Visual Means (OAVM) on **Wednesday, the 24th July, 2024 at 11.00 a.m.** (the Head Office of the Bank will be the deemed venue of the Meeting) to transact the following business(es):

Ordinary Business:

Item No 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2024, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2024, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No 2: To declare dividend for the Financial Year 2023-24.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi

Date: 02.07.2024

Saket Mehrotra

Company Secretary

NOTES

1. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Pursuant to Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI) and Ministry of Corporate Affairs, the 14th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) which does not require the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 14th AGM shall be the Head Office of the Bank at New Delhi. Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008. As the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this notice as required under Secretarial Standard 2.

2. **APPOINTMENT OF PROXIES:** A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the AGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this AGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at Company Secretary, Punjab & Sind Bank, NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023 or has been sent by email to the scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with copy marked to complianceofficer@psb.co.in not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on **Friday, 19th July 2024**.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Thursday, July 18, 2024** to **Wednesday, July 24, 2024** (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

5. The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at <https://punjabandsindbank.co.in/>. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.



6. PAYMENT OF DIVIDEND:

The Record date for payment of Dividend will be **Wednesday, July 17, 2024**.

The Board of Directors has recommended a dividend of Rs.0.20 per equity share of Rs.10 each for the Financial Year ended 31st March 2024, subject to the approval of shareholders at the 14th Annual General Meeting. The payment of dividend, if declared by the shareholders in the Annual General Meeting will be made to those shareholders whose names appear:

- a. As beneficial owners as at the close of business hours on **Wednesday, July 17, 2024** as per the records of NSDL / CDSL in respect of the shares held in electronic form, or
- b. In the Register of Shareholders as on **Wednesday, July 17, 2024**, after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form, before the close of business hours of **Wednesday, July 17, 2024**

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have updated their Bank Account details. Dividend Warrants / Demand Drafts will be dispatched by the Bank through its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e., Link Intime India (Pvt) Ltd before the date of payment of dividend to the registered address of the shareholders who have not updated their Bank Account details.

The Dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 14th Annual General Meeting.

Shareholders are therefore requested to register / update their complete Bank details:

- i) With their Depository Participant (s) where they maintain their demat accounts, if the shares are held in dematerialized mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant (s), and
- ii) With the Bank / Bank's RTA, if the shares are held in physical mode, by submitting:
 - a. Copy of the signed request letter containing the Shareholders name, Folio number, Bank details (Bank Account number, Bank and Branch name and address, IFSC, MICR details)
 - b. Self-attested copy of the PAN card, and
 - c. Cancelled cheque leaf.

7. Payment of Dividend to Shareholders holding Share in physical form (Share Certificate):

In terms of SEBI Master Circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024, it is mandatory for all shareholders holding shares in physical form to furnish PAN, Choice of Nomination, Contact details (Postal Address with PIN and Mobile Number), Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding Folio numbers. Further with effect from 01.04.2024, dividend to

such shareholders will be paid only through electronic mode, i.e. direct credit into Bank Account. Dividend Warrant will not be sent towards payment of dividend.

The dividend to those shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) and have/has not submitted the documents prescribed by SEBI, i.e. proper Bank details, PAN, KYC documents and Nomination details shall be deemed to have been paid on dividend payment date, however the dividend amount will remain lying in Bank's Dividend Account unless complete documents/ details including proper Bank details are provided by the shareholder(s). Once the proper Bank details, other KYC documents and Nomination details are received by the Bank/ Bank's RTA, dividend will be remitted directly to Bank Account of the respective Shareholder(s).

In view of the above, Shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) are requested to furnish proper Bank details, other KYC and Nomination details at the earliest to the Bank/ Bank's RTA so as to get his/her dividend remitted electronically in his/her Bank Account on dividend payment date itself.

8. TAX ON DIVIDEND PAYMENT

i. Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

ii. A Resident individual shareholder with valid PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G / 15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations by uploading them on <https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html>. The relevant documents / forms are available on the website of the Bank at <https://punjabandsindbank.co.in/>.

iii. The shareholders are requested to submit the aforementioned documents latest by 5 PM (IST), **Wednesday, July 17, 2024** on the website of the RTA viz. <https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / withholding tax rate.

9. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.



As per Regulation 10 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM and vote on the items on the agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

10. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The Cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is **Wednesday, July 17, 2024**.
- II. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
- III. **The instructions for shareholders for remote e-voting and e-voting during AGM and joining the meeting through VC / OAVM are as under:**
 - Step 1** : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.
 - Step 2** : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.
 - i. The remote e-voting period begins at **10:00 a.m. on Saturday, 20th July, 2024** and ends at **05:00 p.m. on Tuesday, 23rd July, 2024**. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date of **Wednesday, July 17, 2024**, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
 - ii. Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote during the meeting.
 - iii. Pursuant to SEBI Circular No. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020**, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.



Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

- iv. In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode** is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL Depository	<ol style="list-style-type: none"> 1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on Login icon & New System Myeasi Tab. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-Voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-Voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.



<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS “Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting
<p>Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants</p>	<p>You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
<p>Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL</p>	<p>Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33</p>



Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- v. Login method for remote e-Voting and joining virtual meeting for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.**
 1. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
 2. Click on “Shareholders” module.
 3. Now enter your User ID
 - i. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - ii. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - iii. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
 4. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
 5. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
 6. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. <ul style="list-style-type: none"> • If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- vi. After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- vii. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.



- viii. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- ix. Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- x. On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/ NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- xi. Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- xii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- xiii. Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xiv. You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- xv. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xvi. There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.
- xvii. **Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians - For remote Voting only**
 - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delinked in case of any wrong mapping.
 - It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
 - Alternatively Non Individual shareholders are required to mandatorily send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; scrutinizer@snaco.net and complianceofficer@psb.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE BANK/DEPOSITORIES.

1. For Physical shareholders – Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in.
2. For Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP).
3. For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM AND E-VOTING DURING THE MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of the Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance by **17th July 2024** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries by **17th July 2024** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
10. If any votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1-800-22-5533.



All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800 22 55 33.

11. SCRUTINIZER

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co, Company Secretaries, has been appointed as the scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

12. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Registrar & Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023.

13. OTHER INFORMATION

- a) In compliance with the SEBI & MCA Circulars, the Annual Report for 2023-24 containing the Notice of the 14th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. "Link Intime India Private Limited" / Depository Participant(s).
- b) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: delhi@linkintime.co.in). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.
- c) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the RTA for consolidation into a single folio.

14. CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Punjab & Sind Bank, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

<p>Link Intime India Pvt Ltd. Unit: Punjab & Sind Bank Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591 Email: delhi@linkintime.co.in</p>	<p>The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, NBCC Office Complex, 1st Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023, Telephone: 011-40175169, E-mail: complianceofficer@psb.co.in</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/72 dated June 08, 2023 had advised RTA's to set up a user-friendly online mechanism or portal for service requests/ complaints.

As advised by SEBI, Bank's RTA (M/s Link Intime India Private Limited) has launched '**SWAYAM**', a brand-new Investor Self-Service Portal.

'**SWAYAM**' is a secure, user-friendly web-based application that empowers shareholders to effortlessly access various services. We request you to get registered and have first-hand experience of the portal.

This application can be accessed at <https://swayam.linkintime.co.in>

- Effective Resolution of Service Request -Generate and Track Service Requests/Complaints through SWAYAM.
- Features - A user-friendly GUI.
- Track Corporate Actions like Dividend/Interest/Bonus/split.
- PAN-based investments - Provides access to PAN linked accounts, Company wise holdings and security valuations.
- Effortlessly raise request for Unpaid Amounts.
- Self-service portal – for securities held in demat mode and physical securities, whose folios are KYC compliant.
- Statements - View entire holdings and status of corporate benefits.
- Two-factor authentication (2FA) at Login - Enhances security for investors.

15. Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

As per SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/37 dated 16.03.2023, the shareholders holding shares in physical form shall mandatorily furnish valid PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details for their corresponding folio numbers to the Bank / RTA of the Bank.

Pursuant to above mentioned SEBI circular, all the shareholders holding physical shares are requested to furnish valid PAN, contact details, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the Bank / RTA:



SI No	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register / update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or variation of Nomination (if any)

All above Forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14) are available on our website at https://punjabandsindbank.co.in/system/uploads/document/2150_2021123116360123014.pdf.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank’s RTA at Link Intime India Pvt Ltd Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058.

SEBI vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/181 dated 17.11.2023 has done away with the provision of –

- Freezing of folio where mandatory details viz., PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details are not available.
- Referral of folios by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and /or Prevention of Money Laundering Act, 2002

16. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

- a) SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to Demat their physical holding immediately.
- b) In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
- c) Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only. In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares. Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:
 - i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
 - ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
 - iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

17. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM :

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Punjab & Sind Bank. After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Punjab & Sind Bank. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. M/s Link Intime India Private Limited or Bank at address mentioned above.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi

Saket Mehrotra

Date: 02.07.2024

Company Secretary



DIRECTOR'S REPORT 2023-24

a. **Global Economic Outlook:**

In calendar year 2023, global economy demonstrated resilience despite facing various challenges and achieved a growth rate of 3.2%, showing a slight decrease from 3.5% in 2022. Projections for calendar year 2024 indicate that the global growth will remain steady, with varying trends across different countries.

The International Monetary Fund (IMF) forecasts that the world economy will maintain a growth rate of 3.2% during calendar years 2024 and 2025. This stability is primarily attributed to the higher interest rates set by central banks to curb inflation and a gradual reduction in fiscal support.

In most regions, global inflation is declining at a faster pace than initially anticipated, propelled by the resolution of supply-side challenges and the implementation of tighter monetary policies. According to the IMF, global headline inflation has been forecasted to decrease from 6.8% in 2023 to 5.9% in 2024 and further to 4.5 % in 2025.

b. **Domestic Economic Outlook:**

The domestic economy is gaining strong momentum, with inflation beginning to ease. In March 2024, retail inflation fell to 4.85%, from 5.09% in February 2024. The GDP grew by 8.2% in the fiscal year 2023-24, driven by mining, manufacturing and financial sectors. This marks the third consecutive year of GDP growth at 7% or higher, with GDP growth of 9.7% in FY 2021-22 and 7.0% in FY 2022-23.

The Reserve Bank of India (RBI) has projected a GDP growth of 7.2% for the fiscal year 2024-25, citing several supportive factors. These include healthier balance sheets of banks and corporates, progress in fiscal consolidation, manageable external balance, and ample forex reserves acting as a safeguard against external uncertainties. Further, on the demand side, there is sustained growth in manufacturing, the construction sector is thriving, and rural growth is strong.

c. **Banking Sector:**

Recent global banking events and impact on Indian Banking

The shocks experienced by the global banking sector in early 2023 have prompted industry leaders to re-evaluate their strategies. While significant attention is being directed towards proposed regulatory adjustments concerning capital, liquidity, and risk management for US banks, there remains a considerable amount of work to be undertaken in order to adapt and innovate business models.

Overall, banks are currently in a stable position, but their revenue models are facing challenges. Organic growth is expected to be modest, compelling institutions to explore alternative sources of value in an environment where capital is scarce.

The rapid advancement of new technologies, coupled with the convergence of various trends, is reshaping how

banks function and meet customers' demands. The influence of Artificial Intelligence, machine learning, open data and digital currency are expected to increase in 2024. Banks are preparing to address these challenges by leveraging their robust mechanisms and risk management tools.

d. **Indian Banking Scenario:**

According to the Reserve Bank of India (RBI), India's banking sector is adequately capitalized and effectively regulated.

The Indian banking sector has experienced significant growth, fuelled by robust economic expansion, higher disposable incomes, growing consumerism, and improved credit accessibility. Key drivers of this growth include the vast consumption market, rural digitization initiatives, and the proliferation of digital products and solutions. Scheduled Commercial Banks (SCBs) exhibit robust balance sheets, indicating their health and soundness. During FY 23-24, Schedules Commercial Banks registered deposits and advances growth of 13.50% and 20.20% respectively. In FY 24-25 Scheduled Commercial Banks are expected to grow by 13-14% under credit segment.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

We are pleased to inform that on 1st July 2023 the Hon'ble Finance and Corporate Affairs Minister Smt. Nirmala Sitharaman inaugurated the New Corporate Office of the Bank at NBCC Office Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi in the presence of Dr. Bhagwat Kishanrao Karad, Honourable Minister of State (Finance) and Dr. M P Tangirala, Additional Secretary, DFS.

Performance of the Bank

Highlights of the Bank's performance during the FY 2023-24 is as under:

Business

The Total Business increased by 7.72% and stood at Rs.205374 crore as on 31.03.2024 as compared to Rs.190647 crore as on 31.03.2023. The Business growth was aided by Deposit growth of 8.89% and Advances growth of 6.15%.

Deposits

The Total Deposits increased by 8.89% and stood at Rs.119410 crore as on 31.03.2024 as compared to Rs.109665 crore as on 31.03.2023.

The Cost of Deposits of the Bank stood at 5.55% for the FY 2023-24 as compared to 4.53% for the FY 2022-23.



CASA deposits increased by 5.09% and stood at Rs.38708 crore as on 31.03.2024, as compared to Rs.36833 crore as on 31.03.2023.

Advances

The Total Advances increased by 6.15% and stood at Rs.85964 crore as on 31.03.2024 as compared to Rs.80982 crore as on 31.03.2023.

The Yield on Advances stood at 8.66% for the FY 2023-24 as compared to 7.67% for the FY 2022-23.

The Advances Mix as on 31.03.2024 comprised of RAM (Retail, Agri and MSME) advances of 51.73% and Corporate Advances of 48.27%.

Priority Sector Advances

Total Priority Sector Advances increased by 19.28% and stood at Rs.39120 crore as on 31.03.2024 as compared to Rs.32795 crore as on 31.03.2023. The detailed performance in the RAM segment is as under:

Retail: The Retail Advances increased by 14.96% and stood at Rs.16034 crore as on 31.03.2024 as compared to Rs.13947 crore as on 31.03.2023. The percentage of Retail credit (Rs.16035 crore) to Gross Advances (Rs.85964 crore) was 18.65% as on 31.03.2024 as compared to 17.22% as on 31.03.2023.

Agri: The Agri Advances increased by 6.25% and stood at Rs.12524 crore as on 31.03.2024 as compared to Rs.11787 crore as on 31.03.2023.

MSME: The MSME advances grew by 7.08% and stood at Rs.15909 crore as on 31.03.2024 as compared to Rs.14857 crore as on 31.03.2023. The share of MSME Credit to total Advances was 18.50% as on 31.03.2024.

Profitability

- The Operating profit stood at Rs.1131 crore as on 31.03.2024 as compared to Rs.1450 crore as on 31.03.2023.
- Net profit stood at Rs.595 crore as on 31.03.2024 as compared to Rs.1313 crore as on 31.03.2023.
- Return on Assets (ROA) stood at 0.41 % in FY 2023-24 as compared to 0.98% in FY 2022-23.
- The Earnings per share stood at Rs.0.88 per share as compared to Rs.1.94 per equity share.
- The Net Interest Income stood at Rs.2841 crore as on 31.03.2024 as compared to Rs.2973 crore as on 31.03.2023.
- The Net Interest Margin stood at 2.45% as on 31.03.2024 as compared to 2.91% as on 31.03.2023
- The Cost to Income ratio of the Bank stood at 72.16% as on 31.03.2024 as compared to 62.95% as on 31.03.2023.

Dividend

The Board of your Bank has declared a dividend of Rs.0.20/- per equity share for the Financial Year ended March 31, 2024 subject to the approval of the shareholders at the ensuing AGM.

Net Worth and Capital Adequacy

The Net Worth stood at Rs.7836 crore as on 31.03.2024 as compared to Rs.6786 crore as on 31.03.2023. The Book Value per share of the Bank stood at Rs.11.56 per share as compared to Rs.10.01 per equity share.

The Total Capital Adequacy Ratio stood at 17.16% as on 31.03.2024 as compared to 17.10% as on 31.03.2023

The CET-1 Ratio stood at 14.74% as on 31.03.2024 as compared to 14.32% as on 31.03.2023.

Asset Quality

Gross NPAs of the Bank stood at Rs.4665 crore (5.43 %) as on 31.03.2024 as compared to Rs.5648 crore (6.97%) as on 31.03.2023.

Net NPAs of the Bank stood at Rs.1350 crore (1.63%) as on 31.03.2024 as compared to Rs.1412 crore (1.84%) as on 31.03.2023.

Business Initiatives

During the financial year 2023-24, the Bank has implemented various initiatives to enhance customers' convenience and to boost competitive edge. Some of the significant initiatives are as follows:

Tie-ups and Collaborations

1. Your Bank signed a memorandum of understanding with The Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA) to facilitate farmers and traders in providing low interest rate loans.
2. PSB IGNITE, a tie up with Poornatha for supporting the MSME and Agri sector aims to empower entrepreneurs with financial and managerial knowledge in vernacular languages, through practical and simplified courses for effective implementation.
3. Your Bank has implemented the DSA Model which will not only improve our competitive edge in the market but also increase our market share in Retail Credit products and helps in penetration of the new customer segment at lower cost.



Information Technology

1. Bank has upgraded its CBS platform from Finacle 7 to Finacle 10 during the year which will enable us to offer a wider array of services through the Bank’s digital platforms.
2. Bank has migrated to ITMS Treasury software which will improve efficiency and will help in compliance of the guidelines issued by Reserve Bank of India.

Financial Inclusion & Government Business

Business Correspondents

Your Bank is strongly working on the implementation of the BC network in the Bank. Presently, we are having 1,709 BCs as against 357 BCs as on March '23.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

During the financial year 2023-24, our RSETIs have conducted 66 training programs wherein 2120 candidates have been trained. Out of 2120 candidates, 1627 candidates belong to SC/ ST category, 1849 belong to BPL & 1538 candidates are women beneficiary. During the current Financial Year 1550 candidates have settled out of which 986 candidates have been settled through credit linkage from different Banks.

Financial Literacy Centres (FLCs) and Centre for Financial Literacy

Bank in coordination with 24 Financial Literacy Centres (FLCs) took the initiative to spread financial literacy among rural population by conducting Financial Literacy Camps in the villages where Basic Banking Services along with other financial schemes like PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, OD, Digital Banking etc. are discussed with the villagers, so that they are able to avail these services as per their requirements. A total of 266 camps were organized in FY 2023-24 wherein 10081 people actively participated.

RBI has associated our Bank as a sponsor Bank to implement the Phase 1 of the scaled up Centre for Financial Literacy (CFL) project to be set up in 12 CFLs in 12 blocks in the state of Punjab to serve 36 blocks wherein 8074 camps were organized and training were imparted to 138160 individuals.

Performance of Government Schemes:

Scheme	As on 31.03.2024 (in lacs)
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana(PMJJBYP)	8.48
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana(PMSBY)	28.37
Atal Pension Yojana (APY) Active Enrollment	5.63
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY)	23.30

Human Resource Initiatives

SC / ST / OBC representation in the organisation

The staff strength under various reserved categories as on 31.03.2024 is as under:

Category	SC	ST	OBC	EWS	UR
Officers	1398	516	1781	54	3068
Clerks	382	50	474	49	817
Sub-Staff (including PTS)	1035	39	232	0	256

Promoting gender diversity

With a view to promote gender diversity in the Bank following women centric initiatives have been taken by the Bank:

- Webinar on providing 'Post Maternity Counselling and supports' to women employees.
- Creche allowance: A total of 425 women employees have availed the benefits under the scheme.
- Launch of 'Women Mentorship Programme-PSB Sakhi', aligning with this year's theme, "Invest in women: Accelerate Progress".

EASE Reforms

- In Ease 5.0 Citation for FY 2022-23:
 - The Bank received the Top Improver's award for its notable improvement of 145% in total score from the baseline of March 22.
 - The Bank also achieved the First Runner up Award in Theme 4- "Collaborative and Development focused Banking".

Corporate Social Responsibility (CSR)

Your Bank undertook the following CSR Initiatives during the year:

1. Distribution of 125 Wheel Chairs on the occasion of Bank's 116th Foundation Day.
2. Funds allocated to promote Paralympic Sports (specially-abled athletes) in India through a registered Society, Boccia Sports Federation of India. Funds will be used for critical equipments for disabled players such as Boccia Balls, Boccia Ramp and other related sports kits as Track Suits, T Shirts and shoes etc
3. Fund allocated to M/s Gujarat Foundation for Entrepreneurial Excellence towards iCreate's Corpus Funds. Funds will be used to transform the business ideas into successful enterprises by supporting technology- led startups at all stages and Nurture more than 1000 startups in the next five years.



4. Fund allocated for installation of Water cooler at the Graduate School and College for women, Jamshedpur.
5. Fund allocated for installation of Sanitary pad vending machine at Shaheed Sheikh Bhikhari College of Education, Ranchi
6. Fund allocated for installation of one water R.O System and Water Cooler at Bus Stand, Pathankot, Gurdaspur
7. Nimbark Math Seva Samiti Trust doing charitable work for relief to the poor and destitute, medical aid, running blind school, old age homes, Gaushala etc.
8. Fund allocated to a registered trust Hare Krishna Movement for providing education and food to under privileged children of AIKYA VIDYA CENTRES.
9. Installation of solar lights at common places like temple, chaupal and panchayat ghar in village Batori under CSR.

Branch & ATM Expansion

- Your Bank continued to focus on branch expansion and keeping in mind the geographical skewedness of our branches, 33 branches were opened during the FY 2023-24 in areas other than the northern region. The total branches of the Bank stood at 1564 as on 31.03.2024.
- Your Bank opened 198 ATMs during the year and total number of ATMs stood at 1033 as on 31.03.2024.

Call Centre

Your Bank has set up a dedicated Call Centre to cater to its customers' queries, monitoring and customer acquisition & lead management. We are strongly focusing on revamping the call-centre to further improve on the quality of services.

Official Language

Bank has received the first prize in the Official Language Shield Competition-2023 organized by the Delhi Bank Town Official Language Implementation Committee and the Bank's Hindi quarterly magazine "Rajbhasha Ankur" received the second prize in the Home Magazine category.

Other achievements

The External Credit Rating of the Basel III compliant Tier II Bonds has been upgraded by CRISIL Ratings from AA (negative) to AA (Stable) and by CARE Ratings from AA- (Stable) to AA- (positive).

Directors' Responsibility Statement:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2024:

- a) The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of its profit and loss for the year ended March 31, 2024.
- c) Proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and-detecting fraud and other irregularities.
- d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis.
- e) Internal financial controls system, to be followed by the Bank were laid down and such internal financial controls are adequate and are operating effectively,
- f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and such systems are adequate and operating effectively.

Acknowledgement

We would like to thank Sh Kollegal V Raghavendra, Executive Director, Ms Rshmi Khetrapal, Non-Executive Director and all the members of the Board, past and present, for their valuable support, guidance and inputs to the management in all our endeavours. We sincerely thank all the stakeholders, customers for their continued support and trust in our Bank. We would also like to take this opportunity to thank Reserve Bank of India and the Government of India for their support and guidance.



R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries
FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55, Chawla Complex,
Shakarpur, Delhi- 110092
Tel:- 98-10544091
E-mail: rsk04069@rediffmail.com

FORM No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

[In Pursuance of Regulation 24A of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015]

For The Financial Year Ended 31st March 2024

The Members,
Punjab & Sind Bank
“Bank House”, 21, Rajendra Place,
New Delhi 110 008

We have conducted the Secretarial Audit of the compliances of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Punjab & Sind Bank (hereinafter called “The Bank”). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank’s books, papers, minute books, statutory registers, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2024, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board Processes and Compliance Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March 2024 according to the provisions of:

- (i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (‘SCRA’) and the rules made thereunder;
- (ii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

- (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR);
- (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; Not Applicable to the Bank during the financial year under review.
- (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; Not Applicable to the Bank during the financial year under review.
- (e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; Not Applicable to the Bank during the financial year under review.
- (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
- (g) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(v) The following Act, Scheme, Regulations as applicable and other laws as are specifically to the Bank viz. -

- (a) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.
- (b) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.
- (c) Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008.
- (d) The Banking Regulations Act, 1949

Our report is to be read along with the noting as mentioned here-in-under:

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records.



The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records, we believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of the financial records and books of accounts of the Bank.
4. Where ever required, we have obtained the management representation about the Compliances of the laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The Compliance of the provisions of the corporate and other applicable laws, rules and regulations, standards is the responsibility of the Management; our examination was limited to the verification of the procedures on test basis.
6. We have not verified the compliance under various State laws specifically applicable to the Bank.
7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above we report:

1. The Board of Directors of the Bank is constituted with Executive Directors, Non-Executive Directors & Independent Directors as per Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, and Regulation 17 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR) ***except one Woman Independent Director was not appointed on Board of Directors in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Consequently, the composition of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee (NRC) was not in compliance with the provisions of SEBI (LODR). Further, there was no NRC meeting during the period under review.***

As explained by the Bank, the appointment of Directors including woman independent director shall be made by Government of India, and the Bank communicated with Central Government vide its letter dated 27th December 2023 to appoint adequate number of Independent Directors/ Woman Independent Director to comply with the provisions of SEBI (LODR).

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.



2. Adequate notices are given to all directors for the Board Meetings and accordingly, agenda and detailed notes on agenda were sent to all directors, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
3. Majority decisions are carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.
4. There are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines.

We further report that during the audit period the Bank has generally complied with the requirements of various Act, Rules and Regulations, guidelines and standards as are applicable to the Bank except the following:

a) The Reserve Bank of India vide its letter dated September 25, 2023 has imposed the penalty of INR 1 crore for non – compliance of the provisions of sub-section (2) of Section 26A of the Banking Regulation Act, 1949 read with directions issued by the RBI on 'The Depositor Education and Awareness Fund Scheme – 2014, which was duly deposited by Punjab & Sind Bank.

b) The Reserve Bank of India vide its letter dated January 12, 2024 has imposed the penalty of INR 1 crore for non – compliance with certain directions issued by RBI on 'Loans and Advances – Statutory and Other Restrictions', which was duly deposited by Punjab & Sind Bank.

c) The Bank has given intimation of Board meeting on 16th January 2023 instead of 15th January 2023 as per SEBI LODR, and there was delay of 1 day and the NSE has imposed fine of INR 11,800 (including GST), which was duly deposited by the Bank.

For R S Kathuria & Co.
Company Secretaries

Place: New Delhi
Date: 1st May 2024

R.S. Kathuria
Proprietor
FCS 5217; CP No.: 3112
UDIN: F005217F000282296



Report on Corporate Governance (2023-24)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE:

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Equity Shares of the Bank are listed at Bombay Stock Exchange Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE). However, the Bank is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. The Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1. Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2024 is as under:



Sr. No	Name and Category of Director	No. of equity shares/ convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2024	No. of membership in Sub Committees of the Bank	Remarks (nature of appointment in the Bank)	Membership / Chairmanship of sub-committees of the Board of the Bank
1.	Dr. Charan Singh Non-Executive Chairman	NIL	7	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Committee for Monitoring of Large Value Frauds – Chairperson 2. Customer Service Committee – Chairperson 3. Stakeholder Relationship Committee – Chairperson 4. IT Strategy Committee of the Board – Chairperson 5. HR Committee of the Board – Chairperson 6. Review Committee for Willful Defaulter – Chairperson 7. Board Committee for Performance Evaluation (for MD & CEO, EDs & GMs) – Chairperson
2.	Sh. Swarup Kumar Saha Managing Director & Chief Executive Officer	NIL	10	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Management Committee of the Board – Chairperson 2. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 3. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquires – Chairperson 4. Risk Management Committee 5. Customer Service Committee 6. IT Strategy Committee 7. HR Committee 8. Committee for Monitoring of Recovery – Chairperson 9. Review Committee for Willful Defaulter 10. Review Committee for Non Co-operative Borrower – Chairperson



3.	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	NIL	8	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Management Committee 2. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 3. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquires 4. Customer Service Committee 5. Stakeholder Relationship Committee 6. IT Strategy Committee 7. HR Committee 8. Committee for Monitoring of Recovery
4.	Sh. Ravi Mehra Executive Director	397	8	D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Management Committee 2. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 3. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquires 4. Customer Service Committee 5. Stakeholder Relationship Committee 6. IT Strategy Committee 7. HR Committee of the Board 8. Committee for Monitoring of Recovery
5.	Ms. M.G. Jayasree Government of India Nominee Director	NIL	9	E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquires 2. Risk Management Committee of the Board 3. IT Strategy Committee 4. Customer Service Committee 5. HR Committee 6. Committee for Monitoring of Recovery 7. Review Committee for Willful Defaulter 8. Board Committee for Performance Evaluation (for MD & CEO, EDs & GMs) 9. Committee for dealing with the case of appeals and review – Chairperson

6.	Sh. Kamal Prasad Patnaik Director (nominated by the Central Government on the recommendation of RBI)	NIL	3	F	<ol style="list-style-type: none"> 1. Management Committee 2. Audit Committee of the Board 3. Vigilance Committee of Board
7.	Sh. Tirath Raj Mendiratta Non-Official Director (Shareholder Director)	100	9	G	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Committee of the Board 2. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 3. Risk Management Committee – Chairperson 4. Stakeholder Relationship Committee 5. IT Strategy Committee 6. HR Committee 7. Committee for dealing with the case of appeals and review 8. Review Committee for Non Co-operative Borrower 9. Board Committee for Performance Evaluation (for MD & CEO, EDs & GMs)
8.	Sh. Shankar Lal Agarwal Non-Official Director	NIL	8	H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Committee of the Board – Chairperson 2. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 3. Risk Management Committee 4. IT Strategy Committee of the Board 5. Committee for Monitoring of Recovery 6. Review Committee for Willful Defaulter 7. Committee for dealing with the case of appeals and review 8. Review Committee for Non Co-operative Borrower

Note: The name of the committees in which the Director is a member has been mentioned and the Chairpersonship has been specifically indicated wherever applicable.



- A. Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/9/2022-BO.I dated 07.11.2022 under clause (h) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman for a term of two years from the date of notification i.e. 07.11.2022 or until further orders, whichever is earlier.
- B. Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/4/2021-BO.I dated 03.06.2022 under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) for a period of three years w.e.f. the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.
- C. Appointed in terms of GOI MOF letter No eF.No.4/2/2021-BO.I dated 21.10.2021 under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Executive Director with effect from 21.10.2021 till the superannuation, (i.e. 30.04.2024) or until further orders, whichever is earlier.
- D. Appointed in terms of GOI MOF letter No eF.No.4/1(v)/2023-BO.I dated 09.10.2023 under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Executive Director with effect from 09.10.2023 for the period of three years from the date of assumption of office (i.e 08.10.2026), or until further orders, whichever is earlier.
- E. Appointed in terms of GOI MOF letter No eF.No.6/2/2022-BO-I dated 11.04.2022 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Director with immediate effect and until further orders.
- F. Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2011-BO.I dated 13.04.2021 under clause (c) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Director with immediate effect and until further orders.
- G. Elected as shareholder director w.e.f 12.05.2021 under clause (i) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for period of 3 (Three) years till 11th May 2024. His appointment is subject to the final decision of the Hon'ble Delhi High Court in the writ petition challenging the decision of the Bank to withdraw the election process of shareholder-directors conducted in 2020 (vide order dated 19/04/2021).
- H. Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/6/20121-BO.I dated 21.12.2021 under clause (h) of sub section (3) and sub-section 3A of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Part-Time Non Official Director for a period of 3 (three) years from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.

2.2. Appointment / Cessation of Directors during the year:

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2023-2024:

[A] Appointment:

- Sh. Ravi Mehra appointed as Executive Director for a period of three years w.e.f the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[B] Cessation:

- Sh. Kollegal V Raghavendra, Executive Director was on the Board of the Bank up to 30.06.2023.
- Ms. Rshmi Khetrapal, Part Time Non Official Director, was on the Board of the Bank up to 19.12.2023.

2.3. Details of membership / chairmanship of Directors in the Committee / Board of other listed entities.

Sr No	Name of Director	Name and category directorship in other listed entity	Membership of committees
1.	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	India Infrastructure Finance Co. Ltd. – Nominee Director	Stakeholder Relationship Committee – Member Management & Investment Committee – Member Risk Management Committee – Chairperson

2.4. Profile of Directors appointed during 2023-24:

Sh. Ravi Mehra (Executive Director)

Shri Ravi Mehra has assumed charge as Executive Director of the Bank on 09.10.2023. Prior to his elevation as Executive Director of Punjab & Sind Bank, Shri Ravi Mehra was General Manager of Punjab & Sind Bank. He is a Post Graduate in Commerce and also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

He joined the services of Punjab & Sind Bank in December 1988. In a career spanning over three decades, Shri Ravi Mehra gained expertise in almost all the key areas of banking, having served in Rural, Urban and Metro Branches and also in Administrative Offices including Corporate Office of the Bank. He has rich experience in Credit, Human Resource, Risk Management and Financial Inclusion amongst others.



2.5. BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2023-24, a total of 18 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

17.04.2023	02.05.2023	17.05.2023	12.06.2023	01.07.2023	05.08.2023
08.08.2023	22.09.2023	04.10.2023	27.10.2023	03.11.2023	20.11.2023
18.12.2023	11.01.2024	31.01.2024	28.02.2024	19.03.2024	26.03.2024

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

S No.	Name and category of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended	Attendance at AGM held on 11.07.2023
1	Dr. Charan Singh – Chairman (Non-Executive)	01.04.2023 to 31.03.2024	18	18	Attended
2	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	01.04.2023 to 31.03.2024	18	18	Not Attended
3	Sh. Kollegal V Raghavendra – Ex Executive Director	01.04.2023 to 30.06.2023	4	4	NA
4	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	01.04.2023 to 31.03.2024	18	17	Attended
5	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	11.10.2023 to 31.03.2024	9	9	NA
6	Ms. M.G. Jayasree – GoI Nominee Director	01.04.2023 to 31.03.2024	18	14	Not Attended
7	Sh. Kamal Prasad Patnaik – RBI Nominee Director	01.04.2023 to 31.03.2024	18	14	Not Attended
8	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	01.04.2023 to 31.03.2024	18	18	Attended
9	Ms. Rshmi Khetrapal – Non Official Director	01.04.2023 to 19.12.2023	13	13	Attended
10	Sh. T.R. Mendiratta – Shareholder Director	01.04.2023 to 31.03.2024	18	18	Not Attended

2.6. The Directors are appointed by Govt. of India, Ministry of Finance. There is no relationship between the directors inter-se.

2.7. The details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed on bank's website and can be viewed from the link <https://punjabandsindbank.co.in/content/familiarization-programmes-imparted-to-directors>

2.8. Chart / Matrix setting out the skill / expertise / competence of the Board of Directors

As per Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, a director shall possess special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters namely agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, etc.

S. No.	Name and Category of Director	Experience	Core Skills / Expertise / Competence
1	Dr. Charan Singh – Non-Executive Chairman	Post Graduate research in Applied Economics (M. Phil) and also a holder of doctorate degree i.e. Ph.D. in Economics from the University of New South Wales, Sydney	Economics
2	Sh.Swarup Kumar Saha – MD & CEO	B. Sc. (Hons.), Diploma in Treasury, Investment & Risk Management (DTIRM), CAIIB, Certification in Risk in Financial Services	Banking and Finance
3	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	Post-graduate in Commerce, post which also accomplished professional qualifications ie. ICWA, CS, MBA and Doctorate (Ph. D) examinations, all with distinction. Over 38 years' experience in Nationalized Banks	Banking and Finance
4	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	Post Graduate in Commerce and also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB)	Banking and Finance
5	Ms. M G Jayasree – Gol Nominee	M.Sc, Public Management and Governance, M.Sc Statistics MG University, Kerala	Administration and Management
6	Sh. Kamal Prasad Patnaik – RBI Nominee	Regional Director in Reserve Bank of India, Jammu. M.A. (Pol. Science), Certified Associate of Indian Institute of Bankers and holds GARP International Certificate in Banking Risk and Regulation (ICBRR) (GARP, USA). He has 16 years on-site and off-site experience in Banking Supervision in India and Abroad	Banking and Finance



7	Sh Tirath Raj Mendiratta – Shareholder Director	Finance, Marketing, Personnel Administration and General Administration. 30 years in LIC of India in the field of Finance, Marketing, Personnel Administration and General Administration	Banking and Finance
8	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	B.Com, L.L.B and a qualified Chartered Accountant. Practicing as a senior partner of the firm since 1989	Banking and Finance

Further, it is:

- i. Confirmed that in the opinion of the Board, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI LODR Regulations and are independent of the management, and
- ii. Informed that there is no case of resignation of any independent director before the expiry of the tenure.

3. COMMITTEES OF DIRECTORS :

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectorial development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR/IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

S.No	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring of Large Value Frauds
4.	Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquires (Vigilance Committee of the Board)
5.	Risk Management Committee of the Board
6.	Customer Service Committee of the Board
7.	Stakeholders Relationship Committee of the Board
8.	HR Committee of the Board
9.	IT Strategy Committee of the Board

10.	Committee for dealing with the case of appeals and review
11.	Committee for Monitoring of Recovery
12.	Review Committee for Willful Defaulter
13.	Nomination & Remuneration Committee
14.	Review Committee for Non-Co-Operative Borrower.
15.	Board Committee for Performance Evaluation (for MD & CEO, EDs and GMs)
16.	Credit Approval Committee of Board

Government of India, vide Gazette Notification No. F. No. 16/22/2019-BO.I(Part) dated 25.01.2021 has added the following paragraph below paragraph 14 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

“Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing”

In line with the above, Board may subsume the function of any such committee where the quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof.

3.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee consists of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Director/s and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and three Directors from amongst those appointed under sub section (d), (e), (f), (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The composition of the Management Committee as on 31st March 2024 is as under:

S No	Name of the Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)



2.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
3.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
4.	Sh. Kamal Prasad Patnaik – RBI Nominee Director

During the Financial Year 2023-24, the Management Committee of the Board met on Twelve (12) occasions on the following dates:

09.05.2023	23.05.2023	25.07.2023	17.08.2023	13.09.2023	06.11.2023
07.12.2023	26.12.2023	09.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	28.03.2024

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	01.04.2023 to 31.03.2024	12	12
2	Sh. Kollegal V Raghavendra – Ex Executive Director	01.04.2023 to 30.06.2023	2	2
3	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	01.04.2023 to 31.03.2024	12	12
4	Sh Ravi Mehra – Executive Director	09.10.2023 to 31.03.2024	7	7
5	Sh. Kamal Prasad Patnaik – RBI Nominee Director	01.04.2023 to 31.03.2024	12	12
6	Sh. T. R. Mendiratta – Shareholder Director	01.04.2023 to 11.05.2023	1	1
7	Sh Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	17.05.2023 to 31.03.2024	11	11

3.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board.

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the management, the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Audit Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

The composition of the Committee as on 31st March, 2024 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director (Chairperson)
2.	Sh. Kamal Prasad Patnaik – RBI Nominee Director
3.	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director

During the Financial Year 2023-24, the Audit Committee of the Board (ACB) met on eighteen (18) occasions on:

02.05.2023	23.05.2023	13.06.2023	21.06.2023	21.07.2023	05.08.2023
01.09.2023	29.09.2023	10.10.2023	10.10.2023	23.10.2023	03.11.2023
06.12.2023	31.01.2024	21.02.2024	19.03.2024	26.03.2024	28.03.2024

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:



S No	Name of the Director	Period	Meeting held during their tenure	Meeting attended
1	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director (Chairperson)	01.04.2023 to 17.05.2023 (Member) 11.01.2024 to 31.03.2024 (Chairperson)	6	6
2	Sh. Kamal Prasad Patnaik – RBI Nominee Director	01.04.2023 to 31.03.2024	18	18
3	Ms. Rshmi Khetrapal – Non Official Director	01.04.2023 to 19.12.2023	13	13
4	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director	17.05.2023 to 31.03.2024	17	17

3.3. Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit Committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

- a) Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- b) Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI.
- c) Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position.
- d) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.

- e) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and
- f) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The composition of the Committee as on 31st March, 2024 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh – Non Executive Chairman (Chairperson)
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO
3.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
4.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
5.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director
6.	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director

The Committee met four (04) times during the Financial Year 2023-24 as per the details below:

12.06.2023	27.09.2023	01.12.2023	09.02.2024
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

S.No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Dr. Charan Singh – Non-Executive Chairman (Chairperson)	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra – Ex-Executive Director	01.04.2023 to 30.06.2023	1	1
4.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4



5.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	11.10.2023 to 31.03.2024	2	2
6.	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director	17.05.2023 to 31.03.2024	4	4
7.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	11.01.2024 to 31.03.2024	1	1
8.	Ms. Rshmi Khetrapal – Non Official Director	01.04.2023 to 19.12.2023	3	3

3.4. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquires (Vigilance Committee of the Board)

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990.

The composition of the Committee as on 31st March, 2024 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
3.	Sh Ravi Mehra – Executive Director
4.	Ms. M. G. Jayasree – GoI Nominee Director
5.	Sh. Kamal Prasad Patnaik – RBI Nominee Director

The Committee met four (04) times during the Financial Year 2023-24 as per the details below:

13.06.2023	29.09.2023	30.11.2023	19.03.2024
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
2	Sh. Kollegal V Raghavendra – Ex-Executive Director	01.04.2023 to 30.06.2023	1	1
3	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
4	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	11.10.2023 to 31.03.2024	2	2
5	Ms. M. G. Jayasree – Gol Nominee Director	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
6	Sh. Kamal Prasad Patnaik – RBI Nominee Director	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4

3.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required.

The composition of the Committee as on 31st March, 2024 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. T. R. Mendiratta – Shareholder Director (Chairperson)
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO
3.	Ms. M G Jayasree – Gol Nominee Director
4.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director



The Committee met on seven (07) occasions during the Financial Year 2023-24 on:

17.04.2023	01.07.2023	01.08.2023	17.11.2023
28.12.2023	09.02.2024	19.03.2024	

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director (Chairperson)	01.04.2023 to 31.03.2024	7	7
2	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	01.04.2023 to 31.03.2024	7	7
3	Sh. Kollegal V Raghavendra – Ex-Executive Director	01.04.2023 to 30.06.2023	1	1
4	Ms. M G Jayasree – GoI Nominee Director	01.07.2023 to 31.03.2024	5	3
5	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	01.04.2023 to 31.03.2024	7	7
6	Ms. Rshmi Khetrapal – Non Official Director	01.04.2023 to 19.12.2023	4	4

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

3.6. Customer Service Committee:

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as ‘Customer Service Committee of the Board’. The Committee has the following members as on 31st March, 2024:

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh – Non Executive Chairman (Chairperson)
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO
3.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
4.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
5.	Ms. M. G. Jayasree – GoI Nominee Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- i. Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).
- ii. Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- iii. Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele

During the Financial Year 2023-24, the Committee met on four (04) occasions as per details given below:

15.05.2023	15.09.2023	01.12.2023	10.01.2024
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors are as under:

Sl No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Non-Executive Chairman (Chairperson)	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
2	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4



3	Sh. Kollegal V Raghavendra – Ex-Executive Director	01.04.2023 to 30.06.2023	1	1
4	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
5	Sh Ravi Mehra – Executive Director	11.10.2023 to 31.03.2024	2	2
6	Ms. M. G. Jayasree – GoI Nominee Director	01.04.2023 to 31.03.2024	4	3

3.7. Stakeholders Relationship Committee:

The Committee has been constituted in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR), 2015. The committee looks into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, bond holders and other security holders.

The composition of the Committee as on 31st March 2024 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh – Non Executive Chairman (Chairperson)
2.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
3.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
4.	Sh. T. R. Mendiratta – Shareholder Director

During the Financial Year 2023-24, the Committee met on four (04) occasions as per details given below:

12.06.2023	25.07.2023	27.10.2023	14.03.2024
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Non-Executive Chairman (Chairperson)	11.01.2024 to 31.03.2024	1	1
2	Sh. Kollegal V Raghavendra – Ex-Executive Director	01.04.2023 to 30.06.2023	1	1
3	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
4	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	11.10.2023 to 31.03.2024	2	2
5	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	01.04.2023 to 10.01.2024	3	3
6	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
7	Ms. Rshmi Khetrapal – Non Official Director	01.04.2023 to 19.12.2023	3	3

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

Pending as on 01.04.2023	Received during the year	Resolved during the Year	Pending as on 31.03.2024
0	0	0	0

No complaint was pending as on 31.03.2024. Shri Saket Mehrotra, Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

3.8. Human Resource Management Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. Meeting may be held as and when



required but at least once in a quarter. The composition of the Committee as on 31st March, 2024 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh – Non Executive Chairman (Chairperson)
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO
3.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
4.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
5.	Ms. M. G. Jayasree – Gol Nominee Director
6.	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director

The Committee met on six (06) occasions during the Financial Year 2023-24 as per details given below:

15.05.2023	30.05.2023	01.09.2023	03.10.2023	12.12.2023	14.03.2024
------------	------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Non-Executive Chairman (Chairperson)	01.04.2023 to 31.03.2024	6	6
2	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	01.04.2023 to 31.03.2024	6	6
3	Sh. Kollegal V Raghavendra – Ex-Executive Director	01.04.2023 to 30.06.2023	2	2
4	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	01.04.2023 to 31.03.2024	6	6
5	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	11.10.2023 to 31.03.2024	2	2
6	Ms. M. G. Jayasree – Gol Nominee Director	01.04.2023 to 31.03.2024	6	1

7	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director	01.04.2023 to 31.03.2024	6	6
---	-------------------------------------------	--------------------------	---	---

3.9. IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place.

The composition of the Committee as on 31st March, 2024 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh – Non-Executive Chairman (Chairperson)
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO
3.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
4.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
5.	Ms. M G Jayasree – Gol Nominee Director
6.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director
7.	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director

The Committee met on ten (10) occasions during the Financial Year 2023-24 as per details below:

17.04.2023	30.05.2023	20.06.2023	04.08.2023	02.09.2023
03.10.2023	17.11.2023	12.12.2023	10.01.2024	09.02.2024

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Non Executive Chairman (Chairperson)	01.04.2023 to 31.03.2024	10	10



2	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	01.04.2023 to 31.03.2024	10	10
3	Sh. Kollegal V Raghavendra – Ex-Executive Director	01.04.2023 to 30.06.2023	3	3
4	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	01.04.2023 to 31.03.2024	10	9
5	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	11.10.2023 to 31.03.2024	4	4
6	Ms. M. G. Jayasree – Gol Nominee Director	01.04.2023 to 31.03.2024	8	6
7	Sh. TR Mendiratta – Shareholder Director	01.04.2023 to 31.03.2024	10	10
8	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	17.05.2023 to 31.03.2024	10	9

3.10. Committee for dealing with the case of appeals and review:

A committee for dealing with the case of appeals and review has been constituted vide Board Resolution No. 22389 dated 10.08.2016 for deciding appeals and review petitions of Disciplinary cases.

The composition of the committee as on 31.03.2024 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Ms. M. G. Jayasree – MOF Nominee Director (Chairperson)
2.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director
3.	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director

No meeting was held during the Financial Year 2023-24.

3.11. Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Director and the Nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their letter no. F.No. 7/112/2012- BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2024 is as under :

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
3.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
4.	Ms. M. G. Jayasree – GoI Nominee Director
5.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director

The Committee met on four (4) occasions during the Financial Year 2023-24 as per details below:

20.06.2023	15.09.2023	28.12.2023	14.03.2024
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
2	Sh. Kollegal V Raghavendra – Ex-Executive Director	01.04.2023 to 30.06.2023	1	1
3	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
4	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	11.10.2023 to 31.03.2024	2	2
5	Ms. M. G. Jayasree – GoI Nominee Director	01.04.2023 to 31.03.2024	4	3
6	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	11.01.2024 to 31.03.2024	1	1
7	Ms. Rshmi Khetrapal – Non Official Director	01.04.2023 to 19.12.2023	2	2



3.12. Review Committee for Willful Defaulter:

Review Committee for willful Defaulter has been constituted for review of the orders of the Committee by ED for declaration of the party as Willful Defaulter, consisting of two Independent Directors, headed by Chairman & Managing Director.

The composition of the Committee as on 31st March, 2024 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh – Non Executive Chairman (Chairperson)
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO
3.	Ms. M. G. Jayasree – GoI Nominee Director
4.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director

The Committee met on three (03) occasions during the Financial Year 2023-24 as per details below:

15.09.2023	01.12.2023	09.02.2024
------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Non-Executive Chairman (Chairperson)	01.04.2023 to 31.03.2024	3	3
2	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	01.04.2023 to 31.03.2024	3	3
3	Ms. M. G. Jayasree – GoI Nominee Director	01.04.2023 to 31.03.2024	3	2
4	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	01.04.2023 to 31.03.2024	3	3

3.13. Nomination & Remuneration Committee

A single committee named 'Nomination & Remuneration Committee' was constituted vide DFS notification F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019 in place of separate 'Nomination Committee of Board' and 'Remuneration Committee of Board'.

'Nomination & Remuneration Committee' with minimum three members has been re-constituted vide Board Resolution No. 24521 dated 18.09.2019 to under- take due diligence for necessary process of Nomination, screening as per 'fit and proper' criteria given by RBI.

As on 31st March 2024 the Committee could not be constituted due to want of quorum.

No meetings were held during the Financial Year 2023-24.

3.14. Review Committee for Non Co-operative Borrower

Review Committee for Non-Co-Operative Borrower was constituted in terms of RBI notification no RBI/2014-15/362 DBR.No.CID.BC.54/20.16.064/2014-15 dated 22 Dec 2014, for review of the orders of the Committee headed by ED for declaration of the party as Non-Co-Operative Borrower.

The composition of the Committee as on 31st March 2024 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director
3.	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director

No Meeting was held during the Financial Year 2023-24.

3.15. Committee for Performance Evaluation (for MD & CEO, EDs and GMs)

Board Committee for Performance Evaluation (for MD&CEO, EDs and GMs) was constituted in terms of Ministry of Finance, DFS letter F.No.9/5/2009-HR dated 30.08.2019 for recording of Annual Performance Appraisal Report (APARs) of Managing Director & CEO, Executive Directors and General Managers (in-charge of internal control functions) of Nationalized Banks.



The composition of the Committee as on 31st March 2024 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh – Non Executive Chairman (Chairperson)
2.	Ms. M. G. Jayasree – Gol Nominee Director
3.	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director.

The committee met on three (03) occasions during the Financial Year 2023-24 on

19.09.2023	26.09.2023	03.10.2023
------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Non-Executive Chairman (Chairperson)	01.04.2023 to 31.03.2024	3	3
2	Ms. M. G. Jayasree – Gol Nominee Director	01.04.2023 to 31.03.2024	3	3
3	Sh. T. R. Mendiratta – Shareholder Director	01.04.2023 to 31.03.2024	3	3

3.16. Credit Approval Committee of Board (CACB)

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Credit Approval Committee of the Board has been constituted to consider various credit proposals up to the two hundred fifty crore rupees.

The composition of the Committee as on 31st March 2024 is as under:

S. No.	Name of Member
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
3.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
4.	Sh. Rajesh Pandey – General Manager (Credit)
5.	Ms. Mahima Agarwal – Chief Financial Officer
6.	Sh. Dheeraj Kumar Gaur – Chief Risk Officer

During the Financial Year 2023-24, the Credit Approval Committee of Board met on Fifteen (15) occasions on following dates:

18.05.2023	15.06.2023	19.06.2023	10.07.2023	31.07.2023
11.09.2023	14.09.2023	27.09.2023	09.10.2023	04.11.2023
11.12.2023	28.12.2023	15.01.2024	13.03.2024	14.03.2024

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Member	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	01.04.2023 to 31.03.2024	15	15
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra – Ex-Executive Director	01.04.2023 to 30.06.2023	3	3
3.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	01.04.2023 to 31.03.2024	15	15
4.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	11.10.2023 to 31.03.2024	6	6
5.	Sh. Rajesh Pandey – General Manager (Credit)	01.04.2023 to 31.03.2024	15	15



6.	Ms. Mahima Agarwal – Chief Financial Officer	01.04.2023 to 31.03.2024	15	12
7.	Sh. Pravin K Arora – Deputy General Manager (Treasury)	01.04.2023 to 31.07.2023	5	4
8.	Sh. Dheeraj Kumar Gaur – Chief Risk Officer	01.04.2023 to 31.03.2024	15	15

3.17. Share Transfer Committee:

A committee of officials comprising of GMs, DGM/ AGM with Company Secretary as Convener meets at least once in a fortnight. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty six meetings of the Share Transfer Committee were held during the financial year 2023-24.

3.18. Particulars of Senior Management including changes therein since the close of the previous financial year: In terms of the Bank’s Board approved policy, Bank’s Senior Management comprises of all General Managers, Deputy General Managers (with independent charge), Company Secretary and Chief Financial Officer of the Bank

S No	Name	Designation	Details of change, if any
1	Sh. S V M Krishna Rao	General Manager	NA
2	Sh. Pankaj Dwivedi	General Manager	Appointed as Executive Director of Union Bank of India on 27.03.2024
3	Sh. Gopal Krishan	General Manager	NA
4	Sh. Ravi Mehra	General Manager	Appointed as Executive Director of Punjab & Sind Bank on 09.10.2023
5	Sh. Parveen Kumar	General Manager	NA
6	Sh. Rajendra Kumar Raigar	General Manager	NA
7	Sh. Dinesh Kumar Goyal	General Manager	NA
8	Sh. Rajesh C Pandey	General Manager	NA
9	Sh Gajraj Devi Singh Thakur	General Manager	NA

10	Sh. Chaman Lal Shienhmar	General Manager	NA
11	Smt. Rshmita Kwatra	General Manager	Promoted as General Manager w.e.f 01.04.2023
12	Sh. Manoj Kumar	General Manager	Promoted as General Manager w.e.f 01.04.2023
13	Sh Dheeraj Kumar Gaur	Chief Risk Officer	NA
14	Sh. Santosh Kumar Neeraj	Deputy General Manager	NA
15	Dr. Lalit Kumar Sharma	Deputy General Manager	NA
16	Sh. Rajiv Kumar Bansal	Deputy General Manager	NA
17	Sh. Nilendra K Prabhat	Deputy General Manager	NA
18	Ms. Mahima Agarwal	Chief Financial Officer	NA
19	Sh. Ravi Gupta	Chief Compliance Officer	Joined the services of the Bank on 20.03.2024

4. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended).

The Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Director(s) is detailed below:



A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2023-24:

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs in Lacs)
1	Sh. Swarup Kumar Saha	Managing Director & CEO	42.34
2	Dr. Ram Jass Yadav	Executive Director	38.62
3	Sh. Ravi Mehra	Executive Director	18.89
4	Sh. Kollegal V Raghavendra	Ex-Executive Director	12.66
	TOTAL		112.51

* inclusive of PLI amount detailed in Point B below

B. Details of Performance Linked Incentive paid during the Financial Year 2023-24

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs in Lacs)
1	Sh. Swarup Kumar Saha	Managing Director & CEO	5.00
2	Dr. Ram Jass Yadav	Executive Director	4.00
3	Sh. Kollegal V Raghavendra	Ex-Executive Director*	4.00
	TOTAL		13.00

* Paid after his retirement

C. The Bank does not pay remuneration to Non-Executive Directors except sitting fees approved by the Board in terms of Government of India guidelines, for attending the meetings of the Board and its Committees. The fees payable are as under:

S No	Meeting	Sitting Fees payable per meeting (Rs.)
1	Board	40,000
2	Committee of Board	20,000
3	For Chairing Board Meeting	10,000 (in addition to (1) above)
4	For Chairing meeting of Committee	5,000 (in addition to (2) above)

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors as per the guidelines of Govt. of India during the financial year 2023-24 is as under: (No sitting fee was paid to whole time directors, directors representing Reserve Bank of India and Government of India during the Financial Year 2023-24):

Sr. No	Name of the Director	Designation	Amount Paid (Rs. in Lacs)
1	Dr. Charan Singh	Non-Executive Chairman	15.00
2	Sh Tirath Raj Mendiratta	Shareholder Director	15.00
3	Sh. Shankar Lal Agarwal	Non-Official Director	15.00
4	Ms. Rshmi Khetrapal	Non-Official Director	10.90
	TOTAL		55.90

D. No stock option was offered to Bank's Employees and Whole Time Directors of Bank during the FY 2023-24.

5. GENERAL BODY MEETINGS:

a. Details of the Annual General Meetings held during the last three years are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue	Purpose
11 th Annual General Meeting	Tuesday, 20 th July 2021	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	<p>- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2021</p> <p>- Approval by way of special resolution for Appropriation of accumulated losses of Rs.3577,54,66,746.23 as at 31st March 2021 from Share Premium Account of the Bank during the current financial year 2021-22.</p>



Nature	Day & Date	Time	Venue	Purpose
12 th Annual General Meeting	Tuesday, 12 th July 2022	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2022 - To declare dividend for the Financial Year 2021-22
13 th Annual General Meeting	Tuesday, 11 th July 2023	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2023 - To declare dividend for the Financial Year 2022-23 - To seek approval to raise capital up to an amount of Rs.250 crore by way of Qualified Institutions Placement

b. Details of the Extraordinary General Meetings held during the last three years are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue	Purpose
Extraordinary General Meeting	Monday, 17 th May 2021	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To elect One Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) (Sh T R Mendiratta, being the only candidate, was elected forthwith and the meeting was cancelled).
Extraordinary General Meeting	Thursday, 31 st March 2022	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- Approved by way of Special Resolution To create, offer, issue and allot 2,72,51,18,483 equity shares of Rs.10 each at an issue price of Rs.16.88 each (including premium of Rs.6.88 per equity share) aggregating to Rs.4600 crore for cash to Government of India on Preferential Basis.

c. **Postal Ballot:** Bank has not conducted any business by way of postal ballot during the Financial Year and at present no business is proposed to be conducted through postal ballot.

6. MEANS OF COMMUNICATION:

The Quarterly / Annual Financial Results of the Bank are submitted to the stock exchanges (BSE & NSE), where the securities of the Bank are listed, for dissemination. The results are also published in one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Delhi. The Bank also organizes analyst meets, meetings with investors / analysts etc on the Bank's financial results and management outlook on the same.

The Quarterly / Year to date / Annual Financial Results of the Bank, Press Release and the copy of the presentation made to the Analysts and other official announcements are posted on the Banks website <https://punjabandsindbank.co.in/> and the website of the Stock Exchanges viz www.nseindia.com and www.bseindia.com. In terms of the prevailing SEBI guidelines, the electronic copies of the Annual Report were sent to the shareholders through e-mail and were also hosted on the website of the Bank and the Stock Exchanges viz www.nseindia.com and www.bseindia.com. In line with SEBI guidelines, physical copies of the Annual Report were provided to the shareholders who had requested for them.

7. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

7.1 Financial Calendar:

Financial Year 1st April, 2023 to 31st March, 2024	
Date, Time and Venue of 14 th Annual General Meeting	14 th AGM of the Bank will be held through VC at 11:00 a.m. on Wednesday, July 24, 2024 and the deemed venue shall be the Head Office of the Bank.
Book Closure dates	Thursday, July 18, 2024 to Wednesday, July 24, 2024
Cut-off date for dividend	17 July 2024
Dividend payment date	Within 30 days from the date of the 14th Annual General Meeting



7.2 Listing on Stock Exchanges:

The Bank’s equity shares are listed on the following Stock Exchanges:

Stock Exchanges	Stock Code
BSE Limited (Formerly Bombay Stock Exchange) – Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001	533295
National Stock Exchange of India Limited (NSE) - Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051	PSB


The Listing fee has been paid to the NSE & BSE up to date.

7.3 Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2023 to 31.03.2024)

Month	NSE				BSE			
	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume Traded (Nos.)	NIFTY Bank Close	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume Traded (Nos.)	Bankex Close
April 2023	36.65	25.40	110358509	43233.90	36.59	25.25	11006456	48981.83
May 2023	38.70	30.50	86966846	44128.15	38.69	30.40	5501467	50017.52
June 2023	34.15	29.45	43450475	44747.35	34.14	29.41	4858988	50500.57
July 2023	35.80	31.60	78120887	45651.10	35.79	31.56	6056108	51432.39
August 2023	38.50	30.70	98396063	43989.15	37.94	30.55	9032052	49371.95
September 2023	53.55	34.05	267536744	44584.55	53.61	34.06	20850838	50174.68
October 2023	49.25	36.55	91011707	42845.95	49.15	36.55	6893236	48448.07
November 2023	43.70	39.00	38622842	44481.75	43.60	39.00	3893741	50292.51
December 2023	47.25	40.55	82981226	48292.25	47.25	40.55	7831406	54378.31
January 2024	52.15	42.25	117268059	45996.80	52.10	42.25	11246904	51999.08
February 2024	77.50	48.70	250146408	46120.90	77.50	48.87	19673348	52456.58
March 2024	68.30	53.20	61227479	43233.90	68.30	53.10	5002688	53515.19

* Source – NSE / BSE website (www.nseindia.com / www.bseindia.com)

7.4 The graphical depiction of performance of Banks share vis-à-vis Bank Nifty is given below



7.5 Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

1. The Bank's shares are traded in demat mode under ISIN INE608A01012 on both BSE and NSE. In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended securities can be transferred only in dematerialized form w.e.f. April 1, 2019, except in the case of request received for transmission or transposition of securities. Shareholders holding shares in physical form are requested to convert their holdings to dematerialized form.
2. Shareholders are requested to inform their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and / or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No., MICR Code, etc) for the shares held in dematerialized form.
3. Transfer of equity shares in electronic form is effected through the depositories i.e. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL) with no involvement of the Bank.
4. The Board has constituted Stakeholders Relationship Committee to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, Bond holders and other security holders. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances.



The Bank has appointed Link Intime India Pvt. Ltd as its Share Transfer Agent and has established an Investor Grievances Cell at its Corporate Office as Shares Cell wherein the shareholders can mail their requests/complaints for resolution. The contact details are as under:

<p>Link Intime India Pvt Ltd (Unit: Punjab & Sind Bank) Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi – 110058 Phone: (011) 41410592 to 0594 Fax: (011) 41410591 E-Mail: delhi@linkintime.co.in</p>	<p>Punjab & Sind Bank Corporate Office, NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023 Telephone: (011) 40175169 E-mail: complianceofficer@psb.co.in</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors’ complaints pursuant to Regulation 6 (2) (d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

7.6 Distribution of Shareholding (Shares) – Category-wise as on 31st March 2024

Holding of Shares	No. of shareholders	% of shareholders	Total Shares	% of Total
1 – 500	167557	89.39	15501518	0.23
501 – 1000	9847	5.25	7999255	0.12
1001 – 2000	4873	2.60	7373536	0.11
2001 – 3000	1793	0.96	4589779	0.07
3001 – 4000	696	0.37	2506727	0.04
4001 – 5000	911	0.49	4263477	0.06
5001 – 10000	1130	0.60	8188671	0.12
10001 & Above	628	0.34	6727363484	99.26
TOTAL	187435	100.00	6777786447	100.00

7.7 Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2024

Sr No	State	Number of Shareholders	Shares held	Percentage*
1	Andaman and Nicobar Islands	22	1,605	0.00
2	Andhra Pradesh	2591	892,082	0.01
3	Arunachal Pradesh	222	34,967	0.00
4	Assam	1,433	2,66,672	0.01
5	Bihar	4,755	12,93,153	0.02
6	Chandigarh	991	4,11,923	0.01
7	Chhattisgarh	1,554	4,94,374	0.01
8	Dadar & Nagar Haveli	33	3,282	0.00
9	Daman and Diu	25	13,751	0.00
10	Delhi	14,983	6,66,87,24,639	98.39
11	Goa	368	1,16,127	0.00
12	Gujarat	23,260	73,73,449	0.11
13	Haryana	7,551	35,50,283	0.05
14	Himachal Pradesh	948	2,27,567	0.01
15	Jammu and Kashmir	764	2,58,502	0.00
16	Jharkhand	2,378	6,77,113	0.01
17	Karnataka	8,605	46,43,935	0.07
18	Kerala	4,487	15,90,937	0.02
19	Lakshadweep	1	70	0.00
20	Madhya Pradesh	6,556	23,18,999	0.03
21	Maharashtra	32,666	5,84,50,203	0.86
22	Manipur	110	37,850	0.00
23	Meghalaya	56	5,406	0.00
24	Mizoram	8	5,740	0.00
25	Nagaland	59	15,410	0.00
26	Orissa	2,327	6,56,385	0.01
27	Others	1,404	15,88,313	0.02
28	Pondicherry	131	27,538	0.00
29	Punjab	9,022	35,72,641	0.05



Sr No	State	Number of Shareholders	Shares held	Percentage*
30	Rajasthan	14,511	39,96,765	0.06
31	Sikkim	34	8,439	0.00
32	Tamil Nadu	9,533	33,41,475	0.05
33	Telangana	5,979	32,20,902	0.05
34	Tripura	152	33,931	0.00
35	Uttar Pradesh	17,175	54,40,275	0.08
36	Uttarakhand	1,569	4,19,132	0.01
37	West Bengal	11,172	40,72,612	0.06
Total		1,87,435	6,77,77,86,447	100.00

* 0.00% refers to values less than 0.01%

7.8 Dematerialisation of Securities and liquidity :

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank’s shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2024 the Bank has 6,77,77,86,447 Number of Equity Shares of which 6,77,77,05,318 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of Shares	Percentage
Physical	81,080	0.0012
Dematerialized NSDL	7,85,31,294	1.1587
CDSL *	6,69,91,74,073	98.8401
Grand Total	6,77,77,86,447	100.0000

* includes 6,65,90,51,093 equity shares held by the Government of India.

7.9 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the Financial year 2023-24 and there are no outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments as on 31.03.2024.

7.10 Commodity Price Risks and Commodity Hedging Activities is not applicable during the financial year.

7.11 Plant Location: NA

7.12 Credit ratings obtained by the Bank

Rating Agency	Rating for Tier II Bonds	Rating for Certificate of Deposits
CARE	CARE AA- Positive dated 29.09.2023 (Outlook revised from Stable to Positive)	NA
CRISIL	CRISIL AA Stable 17.08.2023 (Outlook revised from Negative to Stable)	NA
ICRA	-	ICRA A1+ (reaffirmed) dated 11.03.2024
Infomerics	IVR AA Stable (reaffirmed) dated 05.03.2024	NA

8. OTHER DISCLOSURES:

- There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- Details of penalties, strictures imposed on the listed entity by stock exchange(s) or the board or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years is as under:

S No	Financial Year	Details
	2021-22	BSE had levied a fine for delayed filing of Corporate Governance Report as required in terms of Regulation 27(2) of SEBI (LODR) Regulation, 2015. The delay was due to technical issue with XBRL and the fine was waived by the Stock Exchange.
	2022-23	- NSE had imposed a fine for delay in intimation of Record date for payment of Interest by 1 day in terms of Regulation 60(2). The fine has been waived by the Stock Exchange. - BSE & NSE had levied a fine for delay in intimation of meeting of Board of Directors held on 21.01.2023 by 1 day as required in terms of Regulation 29(2).

- Bank has Whistle Blower Policy in place and no personnel have been denied access to audit committee.



- d. The status of compliance of Discretionary and Mandatory requirements is detailed at point n & o below.
- e. The policy for determining Material Subsidiary and the Related Party Transactions Policy is available on website of the Bank at <https://punjabandsindbank.co.in/content/policies>.
- f. Dividend Distribution Policy is available on the website of the Bank at <https://punjabandsindbank.co.in/content/policies>
- g. Commodity Price Risks and Commodity Hedging Activities is not applicable during the financial year.
- h. The Funds raised by the Bank by way of Preferential allotment have been utilized for the general business purpose of the Bank.
- i. A certificate has been obtained from a Company Secretary in Practice that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.
- j. It is confirmed that there was no instance where the Board did not accept any recommendation of any Committee of the Board which was mandatorily required during the financial year 2023-24.
- k. Details of fees paid to statutory auditors

Nature	Amount
Statutory Branch Auditors	9,34,61,830
Statutory Central Auditors	1,68,15,330

l. Disclosures in relation to the Sexual harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Number of complaints pending as on 01.04.2023	0
Number of complaints filed during the Financial Year under Sexual harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013	11
Number of complaints disposed off during the year	6
Number of complaints pending as on 31.03.2024	5

- m. Bank does not have any subsidiaries.
n. **Compliance of Discretionary Requirements:**

The Bank has complied with applicable mandatory requirements as per Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of discretionary requirements are as per Part-E of Schedule-II {Regulation 27(1)} of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as under:

Sr. No	Discretionary Requirements	Status of Implementation
1.	The Board – A Non-executive Chairman may be entitled to maintain Chairperson’s Office at the listed entity’s expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his / her duties.	Complied with. Government of India has appointed Dr. Charan Singh as the Non-Executive Chairman of the Board of the Bank.
2	Shareholders Rights – Half – Yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders	Quarterly / Half yearly / Yearly Financial Results are sent to Stock Exchanges, published in leading newspapers and are also placed on the Bank’s website https://punjabandsindbank.co.in/ for information of the shareholders.
3.	Modified Opinion(s) in audit report – Company may move towards regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The Auditors have expressed an Unmodified opinion on the financial statements of the Bank.
4	Separate posts of Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer - The listed entity may appoint separate persons to the post of the Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer, such that the Chairperson shall – (a) be a non-executive director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term “relative” defined under the Companies Act, 2013.	Punjab & Sind Bank has separate persons appointed to the post of Chairperson and Managing Director and Chief Executive Officer.
5.	Reporting of internal auditor – The internal auditor may report directly to the audit committee.	Internal audit reports are directly placed before the Audit Committee by Inspection Department.



o. Disclosure of compliance with Corporate Governance requirements :

Reg. No	Title / Brief description	Compliance Status
17 & 17A	Board of Directors	<p>Our Bank is a Corresponding New Bank constituted under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. All Directors of the Bank, other than Shareholder Director, are appointed/ nominated by the Central Government in terms of Sec 9(3) of the Act.</p> <p>The Bank is regulated by Reserve Bank of India.</p> <p>Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and risk profile of the Bank.</p> <p>Transparency and independence in the functioning of the Board is ensured.</p>
18	Audit Committee	Complied with
19	Nomination and Remuneration Committee	<p>The composition & terms of reference of the Nomination and Remuneration Committee is governed by RBI Directives / Guidelines.</p> <p>As per the Reserve Bank of India Guidelines, the Nomination and Remuneration Committee undertakes the process of due diligence to determine the 'Fit & Proper' status of the persons to be elected as Directors under clause (i) of sub-section (3) of section 9 of the Act. Consequent to the retirement of Ms Rshmi Khetrpal, Bank does not have sufficient number of directors to constitute the Committee.</p>
20	Stakeholder Relationship Committee	Complied with
21	Risk Management Committee	Complied with
22	Vigil Mechanism	Complied with
23	Related party transactions	Complied with
24	Corporate Governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	Not Applicable
24A	Secretarial Audit	Complied with

25	Obligations with respect to independent directors	Complied with
26	Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters	Complied with
27	Other corporate governance requirements	Complied with
46 (2) (b) to (i)	Website	Complied with

9. UNCLAIMED DIVIDEND:

In terms of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 the Bank is required to transfer the amount of Dividends that remain unclaimed / unpaid for a period of seven years from the date on which they were transferred to the respective Unpaid Dividend Account, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 125 of the Companies Act, 2013:

SI No	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2024
1	Dividend 2021-22	7,05,486.97
2	Dividend 2022-23	7,94,024.76

10. The following are the Debenture Trustees for the Bonds issued by the Bank:

TRUSTEE FOR THE BONDHOLDERS

 <p>IDBI trustee IDBI Trusteeship Services Ltd</p> <p>IDBI Trusteeship Services Limited Universal Insurance Building, Ground Floor Sir P.M Road, Fort Mumbai, Maharashtra – 400001 Tel No. 022-40807000 E-mail: itsl[at]idbitrustee.com</p>	 <p>AXIS TRUSTEE</p> <p>Axis Trustee Services Limited Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025 Phone: +91 22 6226 0054/ 6226 0050 Email: debenturetrustee[at] axistrustee.in</p>	 <p>VISTRA ITCL</p> <p>Vistra ITCL (India) Limited The IL&FS Financial Center Plot No. C-22, G Block, 6th Floor Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400051 Tel: +91 22 69300000 Fax : +91 22 28500029 Email: mumbai[at]vistra.com</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



11. Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c (31.03.2024):

S. No.	Particulars	NSDL IN301330-21335661	CDSL 1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1172	1230
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	--	--
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1172*	1230*

* Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

12. Shareholding Pattern as on 31st March 2024

S. No.	Category	No of shareholders	No of Shares	% to Equity
1	Body Corporate - Ltd Liability Partnership	15	279269	0.00
2	Clearing Members	8	955	0.00
3	FPI (Corporate) - I	2	564312	0.01
4	FPI (Corporate) - II	1	734342	0.01
5	Hindu Undivided Family	4925	2362368	0.03
6	Insurance Companies	7	42169570	0.62
7	Mutual Funds	8	1833583	0.03
8	Nationalised Banks	2	18050	0.00
9	NBFCs registered with RBI	2	6001	0.00
10	Non-Nationalised Banks	1	7946	0.00
11	Non Resident (Non-Repatriable)	645	620135	0.01

12	Non Resident Indians	644	1287491	0.02
13	Other Bodies Corporate	313	3120413	0.05
14	President Of India	1	6659051093	98.25
15	Public	180849	65609396	0.97
16	Trusts	10	119121	0.00
17	Unclaimed Shares	2	2402	0.00
Total		187435	6777786447	100.00

13. A certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or are disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any other statutory authority have been obtained and is provided below:



R S KATHURIA & Co.
Company Secretaries
FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55 & 67, Chawala Complex,
Shakarpur, Delhi- 110092
Tel:- 98-10544091
E-mail: rsk04069@rediffmail.com

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS
(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)
(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015)

The Members of
Punjab & Sind Bank
Bank House, 21, Rajendra Place
New Delhi- 110 008

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Punjab & Sind Bank and having corporate office at NBCC Office Complex, 01st Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023 (hereinafter referred to as ‘the Bank’), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the financial year ending on 31st March, 2024 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

S.NO	NAME OF DIRECTOR	DESIGNATION
1	Dr. Charan Singh	Non-Executive –Independent Director (Chairperson)

2	Mr. Swarup Kumar Saha	Managing Director and Chief Executive Officer
3	Dr. Ram Jass Yadav	Executive Director
4	Mr. Ravi Mehra	Executive Director
5	Ms. M G Jayasree	Non-Executive – Nominee Director
6	Mr. K P Patnaik	Non-Executive – Nominee Director
7	Mr. T R Mendiratta	Non-Executive – Independent Director
8	Mr. Shankar Lal Agarwal	Non-Executive – Independent Director

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For RS Kathuria & Co.
Company Secretaries

Place: New Delhi
Date: 1st May 2024

R.S. Kathuria
Proprietor
FCS 5217; CP No.: 3112
UDIN: F005217F000282329



Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

To the Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank (hereinafter referred to as **"the Bank"**), for the Financial Year ended on 31st March 2024 in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 except for the following:

- a) There is no Independent Woman Director on the Board of the Bank since 20th December 2023 as required by SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
- b) Nomination and Remuneration Committee of the Bank was not constituted w.e.f 20th December 2023 and no meeting of Nomination and Remuneration Committee was held during the year as required by SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
- c) The positions of one director each under Section 9 (3) (e), 9 (3) (f), 9 (3) (g) and three directors under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 were vacant on the Board of the Bank.
- d) The Audit Committee of the Bank was not properly constituted as required by SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 from 20th December 2023 to 11th January 2024

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

<p>Chaturvedi & Co. Chartered Accountants FRN: 302137E UDIN: 24318210BKCMXG5923</p> <p>(CA Amit Kumar) Partner M.No. 318210</p>	<p>Manohar Chowdhry & Associates Chartered Accountants FRN: 001997S UDIN: 24225084BKDZRX3634</p> <p>(CA P. Venkataraju) Partner M.No.225084</p>
<p>S. P. Chopra & Co. Chartered Accountants FRN: 000346N UDIN: 24092529BKCYOP5377</p> <p>(CA Pawan K Gupta) Partner M.No.092529</p>	<p>Gupta Sharma & Associates Chartered Accountants FRN: 001466N UDIN: 24531165BKEFGB3849</p> <p>(CA Dhananjay Sharma) Partner M.No.531165</p>

Dated: May 10, 2024

Place: New Delhi



The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

Re: Declaration for 2023-24 as per Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2024 in accordance with Listing Agreement entered into with the stock exchanges and Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The said Code of Conduct has been hosted on the Bank's website <https://punjabandsindbank.co.in/>.

Place: New Delhi
Dated: 10.05.2024

For Punjab & Sind Bank
(Swarup Kumar Saha)
Managing Director & Chief Executive Officer

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

REG: CFO/CEO Certification for the year 2023-24

Pursuant to Schedule-II Corporate Governance Part-B of Compliance Certificate of SEBI (LODR) 2015, we hereby certify that:

- A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:
- 1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - 2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or in violation of code of conduct of the Bank.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee.
- 1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - 2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - 3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Place: New Delhi
Dated: 10.05.2024

For Punjab & Sind Bank
(Arnab Goswamy)
Chief Financial Officer

For Punjab & Sind Bank
(Swarup Kumar Saha)
Managing Director & Chief Executive Officer

Chaturvedi & Co. Chartered Accountants Park Centre, 24, Park Street, Kolkata - 700016	Manohar Chowdhry & Associates Chartered Accountants 27, Subramaniam Street, Abiramapuram, Chennai – 600018, Tamilnadu	S. P. Chopra & Co., Chartered Accountants, 31-F, Connaught Place, Radial Road no.7, New Delhi-110001	Gupta Sharma & Associates, Chartered Accountants, Ground Floor, 142 Sector 3, Trikuta Nagar, Jammu-180012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To

The Members of Punjab & Sind Bank

Opinion

1. We have audited the financial statements of **Punjab & Sind Bank**, (the ‘Bank’), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2024, and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are included returns for year ended on that date of 20 branches and treasury division audited by us and 664 branches and 42 offices / processing centers audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the financial statements are the returns from 880 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 13.02 percent of advances, 29.45 percent of deposits, 9.28 percent of interest income and 23.16 percent of interest expenses.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the ‘Act’) in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:
 - a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2024;



- b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and
- c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing (“SAs”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (“the ICAI”). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars, directions and guidelines issued by the Reserve Bank of India (“RBI”) from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.



Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
<p>Advances – classification and provisioning</p> <p>(Refer Schedule 9 to the financial statements, read with the Accounting Policy No. 3)</p> <p>The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the Income Recognition, Assets Classification and Provisioning norms and other relevant directions / guidelines (Prudential Norms) as prescribed / issued by the Reserve Bank of India. The classification and provisioning is done by the Bank’s IT software integrated with its Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security.</p> <p>In the event of any improper application of the Prudential Norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the financial statements i.e. 58.22 % of total assets, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<p>Our Audit Procedure:</p> <p>We obtained an understanding of the Bank’s software, circulars, guidelines and directives of the RBI, the Bank’s internal instructions and procedures, and the guidelines of other concerned regulatory or other authority / bodies in respect of the assets classification and its provisioning and adopted the following audit procedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluation and testing of the effectiveness of the System controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification / classification, assessment of the loan impairment including testing of relevant data quality, and review of the real data entered / existing in the software. - Verification / review of the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to ensure that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI, in respect of the branches / verticals audited by us. In respect of the branches audited by the branch statutory auditors, we have placed reliance on their reports. - Review of the reports of the credit audit, inspection audit, internal audit, concurrent audit, regulatory audit and any other audit / inspection mechanisms to ascertain the advances having any adverse indication / comments, and review of the control mechanisms of the bank to ensure the proper classification of such advances and provisioning thereof. <p>Necessary changes were carried out, wherever required, during the course of audit and the effect of the same was duly accounted for in the Financial Statements for the year under audit.</p>



Investments – valuation and identification and provisioning for Non-Performing Investments

(Refer Schedule 8 to the financial statements, read with the Accounting Policy No. 2)

Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade.

Valuation of Investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. The valuation of each category (type) of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc. As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. Hence, the price discovered for the valuation of these Investments may not be the true representative but only a fair assessment of the Investments as on date. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements i.e. 33.59 % of total assets, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.

Our Audit Procedure:

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. In particular,

- We evaluated and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to Investments.
- We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments.
- For selected sample of investments (covering all categories of investments based on nature of security) we tested accuracy and compliance with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI Master Circular/ directions.
- We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision.
- We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created.

Necessary changes were carried out, wherever required, during the course of audit and the effect of the same was duly accounted for in the Financial Statements for the year under audit.

Information Technology (IT) and controls impacting financial Reporting

The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.

Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports / returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.

Technology (IT) systems are used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems.

There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, and further the Bank's CBS / IT system was upgraded and the new IT system / software of the Treasury functions during the current year and financial / other data was migrated in the upgraded system, and there was additional risk that the data may have not been correctly and completely migrated.

Considering the above, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.

Our Audit Procedure

- Understanding the coding system adopted by the Bank for various categories of business process.
- Reviewing the design, implementation and operating effectiveness of the CBS controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.
- Understanding the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the Bank.
- Checking of the requirements for any changes in the regulations / policy of the Bank and configuration / impact of the same in IT.
- Review of the reports generated by the system on sample basis.
- Understanding of the upgraded IT system and review of the data migrated therein on a limited test check basis.
- Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IT Department on compliance with key IT controls.
- Discussions with and review of the reports of IT Experts regarding IT system / controls including IT application / solution of Income Recognition, Assets Classification and Provisioning norms and investment valuation / classification etc.
- The system needs to be further strengthened for its efficacy to further control deficiencies of input / output data from the system.



Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report, which we obtained at the time of issue of this Auditor's Report. The other information also includes the Directors' Report, including annexures, if any, thereon (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which is expected to be made available to us after the date of this Auditor's Report.

Our opinion on the financial statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under the Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the Other Information that we obtained prior to the date of this Auditors' Report, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. Further, when we read the Other Information, which is expected to be made available to us after the date of this Auditor's Report if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charge with governance.

Responsibilities of the Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.



- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the Key Audit Matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements / information of 664 branches and 42 offices / processing centers included in the financial statements of the Bank whose financial statements / information reflect total assets of Rs. 19,605.88 crores as at 31st March, 2024 and total revenue of Rs. 1,003.61 crores for the year ended on that date, as considered in these financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

9. We draw attention to the fact that corresponding figures for the year ended 31st March, 2023 are based on previously issued financial statements of the Bank, that were audited by two predecessor auditors along with two present auditors, who had expressed an unmodified opinion on those financial statements dated 2nd May, 2023.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, and as required by sub-section (3) of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:
- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
12. As required by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated 17th March, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs", we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
- a) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.



- c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the dis-qualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.
- d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e) Our report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's Internal Financial Controls over Financial Reporting is given in Annexure – A to this report expressing an unmodified opinion on the Bank's Internal Financial Control over Financial Reporting with reference to the financial statements as at 31st March, 2024.

13. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.



For **Chaturvedi & Co.,**
Chartered Accountants
FRN: 302137E

For **Manohar Chowdhry & Associates.,**
Chartered Accountants
FRN: 001997S

(CA. Satish Chandra Chaturvedi)
Partner
M. No. 012705
UDIN: 24012705BKFYMS4516

(CA. P. Venkatraju)
Partner
M. No. 225084
UDIN: 24225084BKDZRV9128

For **S. P. Chopra & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000346N

For **Gupta Sharma & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 001466N

(CA. Pawan K. Gupta)
Partner
M. No. 092529
UDIN: 24092529BKCYOQ1695

(CA. Dhananjay Sharma)
Partner
M. No. 531165
UDIN: 24531165BKEFFZ5226

Date : 10th May, 2024

Place : New Delhi



ANNEXURE “A” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

(Referred to in paragraph 12 (e) under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report of even date)

Report on the Operating Effectiveness of Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the “RBI”) Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), (the “RBI communication”)

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of **Punjab & Sind Bank** (the “Bank”) as of 31st March, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls with reference to financial statements of the selected branches of the Bank.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on “the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India”. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank’s internal financial controls with reference to Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the “ICAI”) and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to

Financial Statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements .

Meaning of Internal financial controls with reference to Financial Statements

A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal financial controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.



Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to Financial Statements and such internal financial controls with reference to Financial Statements were operating effectively as at 31st March, 2024, based on “the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India”.

Other Matter

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls with reference to Financial Statements of 664 branches and 42 offices / processing centers is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For **Chaturvedi & Co.,**
Chartered Accountants
FRN: 302137E

(**CA. Satish Chandra Chaturvedi**)
Partner
M. No. 012705
UDIN: 24012705BKFYMS4516

For **S. P. Chopra & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000346N

(**CA. Pawan K. Gupta**)
Partner
M. No. 092529
UDIN: 24092529BKCYOQ1695

For **Manohar Chowdhry & Associates.,**
Chartered Accountants
FRN: 001997S

(**CA. P. Venkatraju**)
Partner
M. No. 225084
UDIN: 24225084BKDZRV9128

For **Gupta Sharma & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 001466N

(**CA. Dhananjay Sharma**)
Partner
M. No. 531165
UDIN: 24531165BKEFFZ5226

Date : 10th May, 2024

Place : New Delhi

PUNJAB & SIND BANK
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2024

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
CAPITAL & LIABILITIES	SCHEDULE	AS ON 31.03.24 [Audited]	AS ON 31.03.23 [Audited]
Capital	1	67777864	67777864
Reserves & Surplus	2	87556407	83307205
Deposits	3	1194095543	1096654900
Borrowings	4	97708561	90183832
Other liabilities & Provisions	5	29426884	26621369
TOTAL		1476565259	1364545170
ASSETS			
Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	73124645	62254008
Balances with banks & money at call and short notice	7	705474	713208
Investments	8	495991569	448384193
Advances	9	827363762	768194289
Fixed Assets	10	17557825	15194228
Other Assets	11	61821984	69805244
TOTAL		1476565259	1364545170
Contingent Liabilities	12	66596787	76453991
Bills for Collection		9694446	9559266
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			



PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

(000'S OMITTED)

			Rs.	Rs.
			YEAR ENDED 31.03.24 [Audited]	YEAR ENDED 31.03.23 [Audited]
I. INCOME				
Interest earned	13		96939756	79927314
Other income	14		12214692	9399603
TOTAL			109154448	89326917
II. EXPENDITURE				
Interest expended	15		68529339	50193510
Operating expenses	16		29315740	24634019
Provisions and contingencies			5355170	1369098
TOTAL			103200249	76196627
III. PROFIT/LOSS				
Net Profit/ Loss (-) for the period			5954199	13130290
Profit/ Loss(-) brought forward			13563689	6260282
TOTAL			19517888	19390572
Basic & Diluted Earnings per Share (EPS)			0.88	1.94
IV. APPROPRIATIONS				
Transfer to:				
Statutory Reserve			1490000	3290000
Capital Reserve [Investment]			223120	69106
Special Reserve u/s 36(1)(viii)			103300	0
Employees Welfare Trust			25000	50000
Investment Fluctuation Reserve			477109	316663
Corporate Social Responsibility Fund			447	0
Dividend			3253337	2101114
Balance carried over to Balance Sheet			13945575	13563689
TOTAL			19517888	19390572
Significant Accounting Policies	17			
Notes on Accounts	18			
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts				



ARNAB GOSWAMY
CHIEF FINANCIAL OFFICER

K.P.PATNAIK
DIRECTOR

RAVI MEHRA
EXECUTIVE DIRECTOR

SWARUP KUMAR SAHA
MANAGING DIRECTOR & CEO

TIRATH RAJ MENDIRATTA
DIRECTOR

SHANKAR LAL AGARWAL
DIRECTOR

M.G.JAYASREE
DIRECTOR

DR. CHARAN SINGH
NON-EXECUTIVE CHAIRMAN

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR CHATURVEDI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 302137E

(SATISH CHANDRA CHATURVEDI)
Partner
M. NO. 012705
UDIN: 24012705BKFYMS4516

FOR S. P. CHOPRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000346N

(PAWAN K. GUPTA)
Partner
M. NO. 092529
UDIN: 24092529BKCYOQ1695

Place: New Delhi
Dated: May 10, 2024

FOR MANOHAR CHOWDHRY & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 001997S

(P. VENKATRAJU)
Partner
M. NO. 225084
UDIN: 24225084BKDZRV9128

FOR GUPTA SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 001997S

(DHANANJAY SHARMA)
Partner
M. NO. 531165
UDIN: 24531165BKEFFZ5226



(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 1-CAPITAL	AS ON 31.03.24	AS ON 31.03.23
		[Audited]	[Audited]
	Authorised Capital :		
I.	Equity Share Capital 1000,00,00,000 shares of Rs.10/- each	100000000	100000000
		100000000	100000000
	Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
I.	Equity Share Capital 6,77,77,86,447 (Previous Year 6,77,77,86,447) shares of Rs.10/- each [including 6,65,90,51,093 (Previous Year 6,65,90,51,093) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	67777864	67777864
	TOTAL	67777864	67777864

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS	AS ON 31.03.24	AS ON 31.03.23
		[Audited]	[Audited]
I.	Statutory Reserves		
	Opening Balance	15736906	12446906
	Add: Addition during the year	1490000	3290000
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub Total I	17226906	15736906
II.	Capital Reserves:		
	a. Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	Opening Balance	9122246	9199014
	Add: Addition during the year	1573787	0
	Less: Deduction during the year	-32174	-76768
	Sub Total II.a	10663859	9122246
	b. Capital Reserve [Investments]		
	Opening Balance	7528340	7459234
	Add: Addition during the year	223120	69106
	Sub-Total II.b	7751460	7528340
III.	Share Premium:		
	Opening Balance	31319785	31319785
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub-Total III	31319785	31319785
IV.	Revenue & Other Reserves		
	a). General Reserves		

	Opening Balance	1089003	1089003
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub-Total IV.a	1089003	1089003
	b). Revenue Reserve:		
	Opening Balance	428329	351561
	Add: Addition during the year	32174	76768
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub-Total IV.b	460503	428329
	c). Special Reserve u/s 36(i) (viii):		
	Opening Balance	2004818	2004818
	Add: Addition during the year	103300	0
	Sub-Total IV.c	2108118	2004818
	d). Investment Reserve		
	Opening Balance	333218	333218
	Add: Addition during the year	0	0
	Sub-Total IV.d	333218	333218
	e). Investment Fluctuation Reserve		
	Opening Balance	2180871	1864208
	Add: Addition during the year	477109	316663
	Sub-Total IV.e	2657980	2180871
V.	Balance in Profit & Loss Account	13945575	13563689
	Total [I to V]	87556407	83307205

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
SCHEDULE 3 - DEPOSITS		AS ON 31.03.24	AS ON 31.03.23
		[Audited]	[Audited]
A	I. Demand Deposits		
	i. From Banks	980053	1668873
	ii. From others	50780547	48080431
	II. Savings Bank Deposits	335321934	318581762
	III. Term Deposits		
	i. From Banks	7681956	3623481
	ii. From others	799331053	724700353
	TOTAL [I+II+III]	1194095543	1096654900
B	i. Deposits of branches in India	1194095543	1096654900
	ii. Deposits of branches outside India	0	0
	Total	1194095543	1096654900



(000'S OMITTED)			
		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 4 - BORROWINGS	AS ON 31.03.24 [Audited]	AS ON 31.03.23 [Audited]
	I. Borrowings in India		
	i) Reserve Bank of India	6000000	0
	ii) Other Banks	0	0
	iii) Other institutions & agencies	79335561	77801832
	iv) Subordinated Debt	12373000	12373000
	II. Borrowings outside India	0	0
	TOTAL [I & II]	97708561	90183832
	Secured borrowings Included in I & II above	85335561	77810832
(000'S OMITTED)			
		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	AS ON 31.03.24 [Audited]	AS ON 31.03.23 [Audited]
	I. Bills Payable	2500800	3303704
	II. Inter-office adjustments [net]	457640	1332649
	III. Interest accrued	10317051	8113873
	IV. Others (including provisions)	16151393	13871143
	TOTAL	29426884	26621369

(000'S OMITTED)

(000'S OMITTED)			
		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS ON 31.03.24 [Audited]	AS ON 31.03.23 [Audited]
	I. Cash in hand [including foreign currency notes]	2622745	3235185
	II. Balances with Reserve Bank of India		
	i) in Current Account	53501900	52018823
	ii) in Other Account	17000000	7000000
	TOTAL [I & II]	73124645	62254008
(000'S OMITTED)			

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	AS ON 31.03.24 [Audited]	AS ON 31.03.23 [Audited]
I. In India		
i) Balance with banks		
a) in Current Accounts	151827	157977
b) in Other Deposit Accounts	0	0
ii) Money at call & Short notice		
a) with banks	0	0
b) with other institutions	0	0
SUB-TOTAL [I]	151827	157977
II. Outside India		
i) In Current Accounts	553647	555231
ii) In Other Deposit Accounts	0	0
iii) Money at call & Short notice	0	0
SUB-TOTAL [II]	553647	555231
TOTAL [I & II]	705474	713208
(000'S OMITTED)		
	Rs.	Rs.
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	AS ON 31.03.24 [Audited]	AS ON 31.03.23 [Audited]
I. Investments in India in		
i) Government Securities **	321198226	288515120
ii) Other approved securities	0	0
iii) Shares	1609569	1551390
iv) Debentures & Bonds	163341504	154236011
v) Subsidiaries, and/or Joint Ventures	0	0
vi) Others:		
a) Commercial Paper / CD / Securitised Receipts / RIDF	9583804	3709115
b) Units of UTI, other MF / VC	258466	372557
SUB-TOTAL [I]	495991569	448384193
II. Investments outside India	NIL	NIL
TOTAL [I + II]	495991569	448384193
Investments in India:		
Gross Value	506676135	454643310



	Less: Provision for Depreciation	-10684566	-6259117
	Net Investments	495991569	448384193
** Includes encumbered securities of Rs.6251.75 crore [Face Value Rs.6316.88 crore] Previous Year Rs.6087.47 crore [Face Value Rs.6170.95 crore]			

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 9 - ADVANCES	AS ON 31.03.24 [Audited]	AS ON 31.03.23 [Audited]
A	i) Bills purchased & discounted	10363025	9766742
	ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	271123011	242618040
	iii) Term Loans	545877726	515809507
	Total	827363762	768194289
B	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	619180985	573021651
	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	134791151	123413144
	iii) Unsecured	73391626	71759494
	Total	827363762	768194289
C	I. ADVANCES IN INDIA		
	i) Priority Sector	309738026	297291346
	ii) Public Sector	148060621	172495905
	iii) Banks	5053370	4697183
	iv) Others	364511745	293709855
	Total	827363762	768194289
	II. ADVANCES OUTSIDE INDIA	0	0
	Grand Total (I and II)	827363762	768194289

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	AS ON 31.03.24 [Audited]	AS ON 31.03.23 [Audited]
	I. Premises		
	At cost as on 31 st March of Preceding Year	4215080	4215439
	Appreciation in cost on account of revaluation	9274264	9274264
	Sub-Total	13489344	13489703

Additions during the year		
Original Cost	0	0
Revaluation Cost	1573787	0
Deductions during the year on		
Original Cost	0	-359
Revaluation Cost	0	0
Less Depreciation to date on		
Original cost	-512878	-408938
Revaluation cost	-184192	-152018
Total-I	14366061	12928388
II. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
At cost as on 31 st March of Preceding Year	9305979	8599682
Additions during the year	2297867	1150383
Deductions during the year	-85495	-444086
Depreciation to date	-8326587	-7040139
Total II	3191764	2265840
TOTAL I & II	17557825	15194228

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	AS ON 31.03.24 [Audited]	AS ON 31.03.23 [Audited]
I. Inter-office adjustments [net]	0	0
II. Interest accrued	7997866	6761421
III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source (net of provisions)	7012809	5415089
IV. Stationery & Stamps	51467	42863
V. Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI. Deferred Tax asset (Net)	16202340	18442476
VII. Others \$\$	30557502	39143395
TOTAL	61821984	69805244

\$\$ Includes deposits placed with NABARD under RIDF Rs.1673.84 crore [Previous Year Rs.2359.44 crore]



(000'S OMITTED)			
		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES	AS ON 31.03.24 [Audited]	AS ON 31.03.23 [Audited]
	I. Claims against the bank not acknowledged as debts	67830	67830
	II. Liability for partly paid investments	438424	383137
	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	21402772	34223743
	IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
	a) In India	27062890	27903629
	b) Outside India	0	0
	V. Acceptances, Endorsements and other obligations	2679417	1781221
	VI. Other items for which the bank is contingently liable	14945454	12094431
	TOTAL	66596787	76453991
(000'S OMITTED)			
		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED	Year Ended 31.03.24 [Audited]	Year Ended 31.03.23 [Audited]
	I. Interest/discount on advances/ bills	69512373	55024390
	II. Income on investments	26560319	23593446
	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	220293	307130
	IV. Others	646771	1002348
	TOTAL	96939756	79927314
(000'S OMITTED)			
		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 14 - OTHER INCOME	Year Ended 31.03.24 [Audited]	Year Ended 31.03.23 [Audited]
	I. Commission, exchange and brokerage	1350358	1139122
	II. Profit on sale of Investments (net of loss of Rs.4,54,692 thousands, Previous Year: Rs.1,67,849 thousands)	1010742	1012217
	III. Profit on Revaluation of Investments (net of loss of Rs.19,72,974 thousands, Previous Year: Rs.15,80,098 thousands)	-896835	-1153998

III. Profit on sale of land, buildings and other assets (net of loss of Rs.2,804 thousands, Previous Year: Rs.2,279 thousands)	4396	21539
IV. Profit on exchange transactions (net of loss of Rs.3,30,512 thousands, Previous Year: Rs.2,18,970 thousands)	274158	362127
V. Miscellaneous Income	10471873	8018596
TOTAL	12214692	9399603

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED	Year Ended 31.03.24 [Audited]	Year Ended 31.03.23 [Audited]
I. Interest on deposits	63118656	47178381
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	2916871	1494893
III. Others	2493812	1520236
TOTAL	68529339	50193510

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES	Year Ended 31.03.24 [Audited]	Year Ended 31.03.23 [Audited]
I. Payments to and provisions for employees	19442027	15444206
II. Rent, taxes and lighting	1392376	1367262
III. Printing and stationery	116690	108374
IV. Advertisement & publicity	74342	76181
V. Depreciation on Bank's property	1500843	1483332
VI. Directors' fees, allowances and expenses	8151	6930
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors')	145444	141980
VIII. Law Charges	152136	136807
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	449586	603375
X. Repairs & maintenance	304011	309043
XI. Insurance	1555817	1370738
XII. Other expenditure	4174317	3585791
TOTAL	29315740	24634019



SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Background

Punjab & Sind Bank (PSB or the Bank) is a banking and financial services statutory body engaged in providing a wide range of products and services to individuals, commercial enterprises, large corporates, public bodies, and institutional customers. The Bank is governed by the Banking Regulation Act, 1949.

B. Basis of Preparation

The financial statements of Punjab & Sind Bank (the “Bank”) have been prepared and presented under historical cost convention, on accrual basis of accounting, on going concern basis, and conform in all material aspects, unless otherwise stated, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, statutory provisions, regulatory norms prescribed and circulars, directions and guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time, Banking Regulation Act, 1949, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent relevant and applicable to the Bank and prevailing practices in the Banking Industry in India.

C. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the estimates or difference between the actual result and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized, unless otherwise stated.

D. Significant Accounting Policies

1. Revenue Recognition

1.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

1.2 Income on Non-Performing Assets (NPAs) comprising of advances and investments is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.

- 1.3 Partial recovery in non-performing assets (other than stated in para 1.4) is appropriated first towards principal and thereafter towards interest and charges.
- 1.4 For cases covered under special schemes introduced by RBI viz. Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long-Term Project Loans (5/25), Change in Ownership of Borrowing Entities (Outside Strategic Debt Restructuring Scheme), where subsequently the account turns NPA, any recovery shall be first credited to Interest on Loans & Advances. Thereafter, the recovery shall be appropriated towards principal amount outstanding in the account. The accounting procedure shall be uniform and consistent in all accounts falling under above schemes.
- 1.5 Income on guarantees and letters of credit issued, locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, interest on refund of income tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products and income from ATM operations are accounted for on receipt basis.
- 1.6 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.
- 1.7 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Accounts.
- 1.8 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.
- 1.9 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account
2. **Investments**
Investments are accounted for in accordance with the extant RBI guidelines on investment classification and valuation.



2.1 Classification:

The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, “Held to Maturity (HTM)”, “Held for Trading (HFT)” and “Available for Sale (AFS)” in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India.

For disclosure in the Balance sheet, the investments under the above classifications are classified as Investments in India and Outside India.

Investments in India are further categorized as under:

- i. Government Securities
- ii. Other approved securities
- iii. Shares
- iv. Debentures
- v. Subsidiaries / Joint Ventures and
- vi. Others

Investments Outside India are further categorized as under:

- i. Government Securities
- ii. Subsidiaries / Joint Ventures and
- iii. Others

2.2 Basis of Classification:

- i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
- iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.

An investment is classified under the above categories at the time of its purchase. Shifting of investments from one category to another is done in conformity with the approval of the Board normally once in a year. Transfer of securities from one category to another is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

2.3 Recording / Accounting of Investments:

The transactions in all the securities / investments are recorded on Settlement Date. Settlement Date accounting refers to (a) the recognition of an asset on the day it is received by the entity, and (b) the de-recognition of an asset and recognition of any gain or loss on disposal on the day it is delivered by the entity.

The cost is determined on weighted average cost method

Brokerage / commission received on subscription is reduced from the cost. Brokerage, commission, Securities Transaction Tax (STT) etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

Interest accrued up to the date of acquisition / sale of securities i.e. broken period interest on debt instruments is excluded from the acquisition cost / sale consideration and is treated as interest expense / income.

2.4 Valuation:

Investments under 'Held to Maturity' (HTM) are stated at acquisition costs. The premium paid on acquisition if any, is amortized over the remaining period of maturity on a constant yield basis. Such amortization of premium is reflected in Interest Earned under the head "Income on Investments" as a deduction. In case, the acquisition cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually.

Investments under 'Available for sale' (AFS) and 'Held for Trading' (HFT) are individually revalued at market price or fair value determined as per the regulatory guidelines and the net depreciation if any, of each group/category is provided for and the net appreciation is ignored.

The 'market price / fair value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the 'market price / fair value' is ascertained as under:



a.	Government Securities: i. Central Government securities ii. State Government securities.	At market prices/YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) & Financial Benchmark India Pvt. Ltd (FBIL). At rates put out by FIMMDA/PDAI/FBIL On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/ RBI guidelines.
b.	Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/ RBI guidelines
c.	Equity Shares:	At Break-up Value (without considering revaluation reserve) based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation is considered. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company.
d.	Preference shares	On appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/ FIMMDA guidelines.
e.	Bonds and debentures (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per RBI/FIMMDA guidelines.
f.	Mutual Fund Units, Venture Capital Funds and Security Receipt	At re-purchase price or Net Assets Value
g.	Treasury Bills, Cash Management Bill, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions	At carrying cost.
h.	Other Investments	At carrying cost less diminution in value.

2.5 Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account but, in case of profit on sale of investments in “Held to Maturity” category, an equivalent amount is appropriated to “Capital Reserve Account”.

2.6 Non-Performing Investments (NPI)

Investments are subject to appropriate provisioning / de-recognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. However, in respect of NPI preference share where the dividend is not paid, the corresponding credit facility is not treated as NPA.

2.7 In the event, depreciation booked on account of MTM in the ‘AFS’ or ‘HFT’ categories are found to be in excess of the required amount in any year, the excess is credited to the Profit & Loss Account and an equivalent amount is appropriated to an Investment Reserve Account in Schedule 2 – “Reserve & Surplus” under the head “Revenue and Other Reserves”.

3. Loans / Advances and Provisions thereon:

3.1 Advances are classified as “Performing” and “Non-Performing” assets and provisions are made in accordance with prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India.

3.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets, borrower wise.

Category of Assets	Provision norms
Sub-Standard	i. A general provision of 15% on the total outstanding. ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realizable value of security is not more than 10% ab-initio) iii. Unsecured exposure in respect of infrastructure advances where certain safeguards such as escrow accounts are available-20%
Doubtful Assets	
- Secured Portion	i. Upto one year : 25% ii. One to three years : 40% iii. More than three years : 100%
- Unsecured Portion	100%
Loss Assets	100%



- 3.3 Provisions for NPA are made as per the extant guidelines prescribed by RBI / the regulatory authorities, subject to minimum provisions as per RBI Directions as prescribed below:
- 3.4 Advances are stated net of unrealized interest and provisions / technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC / CGTMSE / ECGC are not reduced from such advances till adjusted / technically written-off whereas part recovery in all NPA accounts is reduced from advances.
- 3.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are included under “Other Liabilities and Provisions” and are not considered for arriving at the Net NPAs.
- 3.6 For restructured / rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.
- 3.7 The sale of NPA is accounted for as per guidelines prescribed by RBI, as under:
- When the Bank sells its financial assets to Securitization Company (SC) / Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.
 - If the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss account of the year of sale.
 - If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is reversed in the year the amounts are received.

4. Floating Provisions

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has a approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created is assessed, at the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

5. Fixed Assets

- 5.1 Fixed Assets are stated at historical cost (except revalued premises which are stated at revalued amount) less accumulated depreciation / amortization. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is debited to the Profit & Loss account and the equal amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue & Other Reserve. Cost of fixed assets include cost of purchase and relevant expenditure incurred thereon till the time it is put to use. Subsequent expenditure/s incurred on the assets are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- 5.2 Premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.

5.3 Land included under Premises taken on perpetual lease is considered as freehold and not depreciated.

6. Depreciation on Fixed Assets

6.1 Computers are fully depreciated at 33.33%, on straight-line method as per RBI guidelines.

6.2 Additions during the year are depreciated for the full year irrespective of its date of addition.

6.3 Depreciation on Fixed Assets (other than Computers) is charged on straight line method basis as per useful life of assets, considering residual value at 5% of original cost. The useful life and depreciation rate are given hereunder:

S. No.	Particulars	Useful life	Depreciation Rate
1	Premises	60	1.58%
2	Furniture and fixtures	10	9.50%
3	Plant & Machinery	15	6.33%
4	Vehicles	8	11.88%

6.4 Revalued premises are depreciated over the balance useful life of such premises.

6.5 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.

6.6 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortized over the period of the lease.

7. Employment Benefits

7.1 Provident Fund and New Pension Scheme (which is applicable to employees who have joined Bank on or after 01.04.2010) are defined contribution schemes, as the Bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to the Profit and Loss Account.

7.2 Gratuity, Pension and Leave Encashment liabilities are defined benefit obligations and are provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year. These schemes are funded by the Bank and are managed by separate trusts. The short / excess of the liability as compared to the fund held by the respective trust is accounted for as liability / assets as at the at the end of the financial year.



- 7.3 Other long term Employee benefits such as Silver Jubilee Bonus and Retirement Gifts are provided for based on actuarial valuation.
- 7.4 Short term employee benefits are recognized as an expense in the Profit and Loss account of the year in which the related services are rendered.

8. Foreign Exchange Transactions

- 8.1 Monetary assets and liabilities, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are translated in Indian Rupee equivalent at the exchange rates prevailing as on the Balance Sheet date as per Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) guidelines.
- 8.2 Non-monetary items other than fixed assets which are carried at historical cost are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.
- 8.3 Forward exchange contracts and bills are translated at the exchange rates prevailing on the date of commitment. Outstanding foreign exchange contracts and bills are translated as on the Balance Sheet date at the rates notified by FEDAI and the resultant gain / loss is taken to revenue.
- 8.4 Income and expenditure items are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transaction.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognized as income or as expense in the period in which they arise.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

- 8.5 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees and letter of credits in foreign currencies are reported at the Balance Sheet date using the FEDAI closing spot rates, except the Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgement.

9. Taxes on Income

Income tax expense is the aggregate amount of current tax, including Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable and deferred tax.

Current tax is determined as the amount of tax payable for the year and accordingly provision for tax is made.

Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date. Deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty of realisation of such assets in future.

MAT credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

10. Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors an impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset.

After impairment, if any, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

11. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India. As Bank has no overseas branch / operation, there is no geographical segment.

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In conformity with Accounting Standard 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.



13. LEASES

Lease payments including cost escalations for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term considering the concept of materiality.

14. EARNINGS PER SHARE

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard 20 “Earnings Per Share” issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

SCHEDULE 18

NOTES TO ACCOUNTS

A) Balancing of Accounts and Reconciliation

- i. In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
- ii. Initial matching of debit and credit outstanding of old entries in Inter Branch Account (IBR+DD), pertains prior to CBS System. Adjustments (including old outstanding entries) have been done up to 31.03.2024 and reconciliation is in progress.
- iii. Reconciliation of Drafts payable, Debit Note Receivable/ Payable, RTGS/NEFT (Suspense) is in progress. Provisions have been made as per RBI norms. Reconciliation of Nostro accounts has been done as on 31.03.2024.

In the opinion of the management, the impact of the above para (i) to (iii), if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.

- iv. In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2023 and remained outstanding as on 31.03.2024 has been done which has resulted in either net Debit in some heads or net credit in other heads. Provision has been made in respect of Net Debit Entries outstanding for period exceeding 6 months. Similar guidelines have been followed for imprest clearing Account also.

In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.

- v. Credit entries outstanding in Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account) for the period 01.01.2014 to 31.03.2014 amounting to Rs 17121 have been transferred to DEAF account during the year ended March 2024.

Further, the Bank transfers unreconciled entries pertaining to more than 10 years to DEAF account on quarterly basis.

As on 31.03.2024, un-reconciled credit entries amounting to Rs. 20.02 lakh pertaining to the period from 01.04.2014 to 31.03.2016 are outstanding for more than 3 years and hence these entries were transferred to Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account).

- B) Legal formalities are yet to be completed in respect of 2 Bank's properties having original value of Rs 2.87 crore and Revalued value (Gross) of Rs. 74.23 crore as on 31.03.2024. (Previous year 2 Bank's properties having original cost of Rs 2.87 crore and Revaluation amount of Rs. 62.98 crore).



1. Regulatory Capital

a) Composition of Regulatory Capital

(Rs. in crore)

Sr. No	Particulars	2023-24	2022-23
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)*	9251.94	7990.22
ii)	Additional Tier 1 capital*	0.00	0.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	9251.94	7990.22
iv)	Tier 2 capital	1519.35	1553.09
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	10771.29	9543.31
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	62776.74	55815.43
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)* (%)	14.74	14.32
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs) (%)	14.74	14.32
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs) (%)	2.42	2.78
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs) (%)	17.16	17.10
xi)	Leverage Ratio* (%)	6.23	5.88
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India (%)	98.25	98.25
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	0.00	0.00

*Capital Adequacy Ratio (BASEL III) is arrived after considering the Net present value (NPV) of Non-Interest bearing Recapitalization Bonds infused as capital by the Govt. of India during FY 2020-21 & 2021-22. Further, the effect of proposed dividend has been reckoned in determining capital funds in the computation of capital adequacy ratio as at 31st March 2023 and 31st March 2024.

b) Draw down from Reserve

A sum of Rs Nil during financial year ended 31.03.2024 (Rs. NIL - PY 31.03.2023) has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

2. Asset Liability Management

a) Maturity Pattern of Certain items of Assets and Liabilities as on 31.03.2024:

(Rs. in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Invest- ments	Borrowings	Foreign Currency	
					Assets	Liabilities
1 day	597.17	532.94	0.00	0.00	227.93	67.35
2 – 7 days	1210.89	812.32	321.63	6204.57	16.41	2.01
8 – 14 days	907.73	597.25	72.12	44.75	27.97	1.75
15 - 30 days	3172.88	2154.55	246.92	0.00	64.14	3.49
31 days to 2 months	7197.58	1404.36	399.14	121.61	46.20	12.92
Over 2 months & up to 3 months	7877.22	3544.48	626.80	105.46	101.16	4.57
Over 3 months & up to 6 months	19421.26	7423.02	671.14	294.49	27.74	33.40
Over 6 months & up to 1 year	31981.37	7768.26	1135.23	566.13	0.00	35.43
Over 1 year & up to 3 years	45683.19	31267.44	6261.11	1645.49	11.09	57.72
Over 3 years & up to 5 years	1022.79	10138.74	4864.32	51.06	0.00	0.94
Over 5 years	337.47	17093.02	35000.75	737.30	0.00	0.00
Total	119409.55	82736.38	49599.16	9770.86	522.64	219.58

Maturity Pattern of Certain items of Assets and Liabilities as on 31.03.2023:

(Rs. in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Invest- ments	Borrowings	Foreign Currency	
					Assets	Liabilities
1 day	535.12	1330.06	0.00	0.00	148.85	55.24
2 – 7 days	1122.99	298.51	343.89	5400.48	15.72	0.45
8 – 14 days	878.91	170.59	134.36	30.70	25.31	1.62
15 - 30 days	2765.89	1445.49	150.27	0.00	77.29	4.32
31 days to 2 months	5849.81	391.27	54.79	62.76	92.02	8.14
Over 2 months & up to 3 months	5523.99	2606.69	495.21	62.29	61.71	11.66
Over 3 months & up to 6 months	14224.20	1262.39	998.85	479.96	95.68	31.36
Over 6 months & up to 1 year	27076.45	5119.30	2342.77	924.41	0.00	63.74
Over 1 year & up to 3 years	26188.57	14854.80	4300.35	820.48	87.26	65.59
Over 3 years & up to 5 years	13246.72	15011.23	3985.93	500.00	0.00	10.72
Over 5 years	12252.85	34329.10	32032.00	737.30	0.00	0.00
Total	109665.49	76819.43	44838.42	9018.38	603.84	252.84

b) Liquidity Coverage Ratio		30.06.2023				30.09.2023		31.12.2023		31.03.2024	
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets											
1	Total High Quality Liquid Assets		25829.09		28978.51		27412.09		27307.61		
Cash Outflows											
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	75791.45	7531.06	77156.65	7667.57	79243.90	7877.48	79751.09	7928.69		
(i)	Stable Deposits	961.65	48.08	961.92	48.10	938.32	46.92	928.52	46.43		
(ii)	Less stable deposits	74829.80	7482.98	76194.73	7619.47	78305.58	7830.56	78822.57	7882.26		
3	Unsecured wholesale funding of which	27239.66	13776.72	31107.46	17842.09	26335.38	14327.41	25392.65	13758.27		
(i)	Operational Deposits (all counterparties)	0	0	0	0	0	0	0	0		
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	27239.66	13776.72	31107.46	17842.09	26335.38	14327.41	25392.65	13758.27		
(iii)	Unsecured debt	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Secured wholesale funding		0		0		0		0		
5	Additional requirements, of which	3565.10	1259.80	2323.44	836.94	1306.65	638.60	1197.97	543.83		
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	314.39	314.39	93.62	93.62	228.43	228.43	159.50	159.50		
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt product	0	0	0	0	0	0	0	0		
(iii)	Credit and liquidity facilities	3250.71	945.41	2229.82	743.32	1078.22	410.17	1038.47	384.33		
6	Other contractual funding obligations	0	0	48.21	48.21	733.27	733.27	388.34	388.34		
7	Other contingent funding obligations	9576.03	403.01	10596.25	454.93	11930.70	523.06	12205.28	534.37		
8	Total Cash Outflows		22970.59		26849.74		24099.82		23153.50		
Cash Inflows											
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	17.29	0	9.10	0	0	0	17.24	0		
10	Inflows from fully performing exposures	2084.90	1058.49	2152.91	1215.72	2747.48	1645.70	1499.65	934.02		
11	Other Cash Inflows	392.28	392.28	185.34	178.28	279.43	272.59	440.11	435.43		
12	Total Cash Inflows	2494.47	1450.77	2347.35	1394.00	3026.91	1918.29	1957.00	1369.45		
13	TOTAL HQLA		25829.09		28978.51		27412.09		27307.61		
14	Total Net Cash Outflows		21519.82		25455.74		22181.53		21784.05		
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		120.02%		113.84%		123.58%		125.36%		

From this financial year the management has approved and followed a conservative methodology in confirmation of regulatory requirement i.e. considering total outstanding deposit balance for wholesale funding as outflow instead of wholesale deposit having residual maturity of 30 days. However, Bank has migrated from Finacle 7 to Finacle 10 in this year and due to some technical glitches, LCR computation was only available for 50 days in this quarter.

Liquidity Coverage Ratio		30.06.2022			30.09.2022			31.12.2022			31.03.2023		
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)		
High Quality Liquid Assets													
1	Total High Quality Liquid Assets		25769.72		27196.53		27472.22		25904.69				
Cash Outflows													
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	66669.02	6640.02	67725.89	6745.31	69166.23	6889.39	70273.61	6999.76				
(i)	Stable Deposits	537.71	26.89	545.70	27.29	544.74	27.24	551.90	27.59				
(ii)	Less stable deposits	66131.31	6613.13	67180.19	6718.02	68621.48	6862.15	69721.72	6972.17				
3	Unsecured wholesale funding of which	11738.22	5265.27	10996.55	5068.35	10408.13	5041.56	11244.88	5668.53				
(i)	Operational Deposits (all counterparties)	0	0	0	0	0	0	0	0				
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	11738.22	5265.27	10996.55	5068.35	10408.13	5041.56	11244.88	5668.53				
(iii)	Unsecured debt	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Secured wholesale funding		0		0		0		0				
5	Additional requirements, of which	0	977.08	0	819.93	0	900.31	0	1216.73				
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	839.66	839.66	696.96	696.96	777.59	777.59	1099.97	1099.97				
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt product	0	0	0	0	0	0	0	0				
(iii)	Credit and liquidity facilities	2689.66	137.42	2356.93	122.97	2380.36	122.72	2258.67	116.76				
6	Other contractual funding obligations	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Other contingent funding obligations	10536.03	451.58	9948.91	428.88	10910.05	474.21	11069.85	476.28				
8	Total Cash Outflows												
Cash Inflows													
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	640.20	0	44.20	0	5.45	0	1.38	0				
10	Inflows from fully performing exposures	1274.97	756.46	2108.82	1203.97	1874.98	1373.50	1638.55	981.82				
11	Other Cash Inflows	538.57	537.49	748.66	748.66	602.47	598.58	816.22	816.22				
12	Total Cash Inflows	2453.74	1293.95	2901.68	1952.63	2482.90	1972.08	2456.15	1798.04				
13	TOTAL HQLA		25769.72		27196.53		27472.22		25904.69				
14	Total Net Cash Outflows		12040.00		11109.84		11333.39		12563.26				
15	Liquidity Coverage Ratio(%)		214.03%		244.80%		242.40%		206.19%				



QUALITATIVE DISCLOSURE ON BANK'S LIQUIDITY COVERAGE RATIO

Liquidity Coverage Ratio: The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be readily converted into cash at little/no loss of value to meet its liquidity needs for a 30-calendar daytime horizon under a liquidity stress scenario.

LCR has two components:

- i. The value of the stock of High-Quality Liquid Assets (HQLA) as a Numerator.
- ii. Total Net Cash Outflows: Total expected cash outflows minus Total expected cash inflows, in stress scenario, for the subsequent 30 calendar days as a denominator.

Definition of LCR:

Stock of high-quality liquid assets (HQLAs) \geq 100% (w.e.f. 01.04.2021) Total net cash outflows over the next 30 calendar days.

The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended March 2024 was 125.36% (on basis of simple averages of daily observations during the period 01-01-2024 to 31-03- 2024) against the regulatory requirement of 100%.

The main drivers of LCR of the bank are High Quality Liquid Assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times and basic funding from retail and small business customers.

Composition of High-Quality Liquid Assets (HQLA)

HQLAs comprise of Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are further divided into Level 2A and Level 2B assets, keeping in view their market ability and price volatility. Total weighted value (average) of HQLA for the quarter ended March 2024 is Rs. 27307.61 crore.

Break-up of daily observation Average HQLA during quarter ended March 31, 2024, is given here under:

High Quality Liquid Assets (HQLAs)	Average % age contribution to HQLA
Level 1 Assets	
Cash in hand	1.54%
Excess CRR balance	0.13%
Government Securities in excess of minimum SLR requirement	19.32%
Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL)	8.60%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach	0.00%
Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio –FALLCR (presently to the extent of 16 per cent of NDTL)	68.78%
Total Level 1 Assets	98.37%
Total Level 2A Assets	1.57%
Total Level 2B Assets	0.06%
Total Stock of HQLAs	100.00%

c) Net Stable Funding Ratio (NSFR)

(Rs. in crore)

Particulars	31-03-2023	30-06-2023	30-09-2023	31-12-2023	31-03-2024
Available Stable Funding (ASF)	98493.57	98714.32	101536.58	106676.41	104223.37
Required Stable Funding (RSF)	80049.78	84879.45	84324.28	87767.47	86928.39
NSFR% (ASF/RSF)	123.04%	116.30%	120.41%	121.54%	119.90%



(Rs. in crore)

Particulars	31-03-2022	30-06-2022	30-09-2022	31-12-2022	31-03-2023
Available Stable Funding (ASF)	96261.56	93492.14	97749.10	100527.57	98493.57
Required Stable Funding (RSF)	81705.99	78785.11	76863.97	78766.02	80049.78
NSFR% (ASF/RSF)	117.81%	118.67%	127.17%	127.63%	123.04%

Net Stable Funding ratio (NSFR) as on 31.03.2024

(Rs. in crore)

NSFR Disclosure Template						
Particulars		Un-weighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to <1yr	≥1yr	
Available Stable Funds						
1	Capital:(2+3)	14935.21	0.00	0.00	1237.30	16172.51
2	Regulatory capital	14935.21	0.00	0.00	1237.30	16172.51
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers:(5+6)	35447.65	46777.12	74.20	286.57	74398.60
5	Stable deposits	557.89	301.57	0.02	0.10	816.60
6	Less stable deposits	34889.76	46475.55	74.18	286.47	73582.00
7	Wholesale funding:(8+9)	3254.43	27418.39	5347.29	798.48	12603.79
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	3254.43	27418.39	5347.29	798.48	12603.79
10	Other liabilities:(11+12)	0.00	6053.62	438.00	604.95	1048.48
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	0.00	6053.62	438.00	604.95	1048.48
13	Total ASF(1+4+7+10)					104223.37
Required Stable Funds						
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					1402.51

15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	25099.71	10331.01	45263.28	53289.38
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	0.00	505.34	0.00	252.67
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0.00	24993.75	9781.75	38748.46	48582.12
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	3579.50	281.85	8709.10	7591.59
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	105.96	43.92	6514.82	4454.59
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	101.10	41.10	5789.75	3834.44
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	10674.90	1365.05	427.73	22222.04	31333.36
25	Physical traded commodities, including gold	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	546.41	0.00	0.00	0.00	464.45
27	NSFR derivative assets	0.00	200.64	0.00	0.00	200.64
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	10128.49	1164.41	427.73	22222.04	30668.27
30	Off-balance sheet items	19654.67	0.00	0.00	0.00	903.14
31	Total RSF (14+15+16+24+30)	35942.30	29428.42	11776.42	91760.51	86928.39
32	Net Stable Funding Ratio (%)					119.90



Net Stable Funding ratio (NSFR) as on 31.03.2023

(Rs. in crore)

NSFR Disclosure Template						
Particulars		Un-weighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to <1yr	≥1yr	
Available Stable Funds						
1	Capital:(2+3)	13761.46	0	0	1237.30	14998.76
2	Regulatory capital	13761.46	0	0	1237.30	14998.76
3	Other capital instruments	0	0	0	0	0
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	35137.29	42865.02	0	0	70259.50
5	Stable deposits	519.92	669.41	0	0	1129.86
6	Less: stable deposits	34617.37	42195.62	0	0	69129.64
7	Wholesale funding:(8+9)	1695.82	29969.40	1560.12	0	12414.63
8	Operational deposits	0	0	0	0	0
9	Other wholesale funding	1695.82	29969.40	1560.12	0	12414.63
10	Other liabilities: (11+12)	0	0	5712.81	820.48	820.48
11	NSFR derivative liabilities		0	309.21	0	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	0	0	5403.60	820.48	820.48
13	Total ASF (1+4+7+10)					98493.57
Required Stable Funds						
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					1206.74
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0	0	0	0	0
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0	20168.57	14359.83	53460.14	57148.33
17	Performing loans to financial institutions secured by Level1 HQLA	0	0	0	0	0
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0	5622.72	13.64	0	850.23
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0	14481.30	14271.52	33215.43	40072.30

20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0	0	0	12686.10	8245.96
21	Performing residential mortgages, of which:	0	64.56	74.67	5797.42	3945.60
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0	0	0	5259.08	3418.40
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0	0	0	14447.29	12280.20
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	387.04	0	1702.65	19699.29	20855.61
25	Physical traded commodities, including gold	0	0	0	0	0
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	0	0	0	547.05	464.99
27	NSFR derivative assets	0	0	0	0	0
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0	0	0	0	0
29	All other assets not included in the above categories	387.04	0	1702.65	19152.25	20390.62
30	Off-balance sheet items	0	0	0	18338.79	839.16
31	Total RSF(14+15+16+24+30)	387.04	20168.57	16062.48	91498.22	80049.78
32	Net Stable Funding Ratio (%)	0	0	0	0	123.04

QUALITATIVE DISCLOSURE ON NET STABLE FUNDING RATIO

The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. “Available stable funding” (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered for the NSFR, which extends to one year. The amount of stable funding required (“Required stable funding”) (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures.

Minimum Requirement of NSFR should be equal to at least 100% on an ongoing basis.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding [ASF]}}{\text{Required Stable Funding [RSF]}} \geq 100\%$$

The minimum NSFR requirement set out in the RBI guideline for the standalone Bank and for Group is 100% w.e.f 1st October 2021.



As on 31st March 2024, PSB maintained weighted Available Stable Funding (ASF) of Rs. 104223.38 crore against the weighted Required Stable Funding (RSF) of Rs. 86928.39 crore. The NSFR for the quarter ended March 31st, 2024, was at 119.90%.

Brief about NSFR of the Bank

The Available Stable Funding (ASF) mainly constitutes of the capital base, retail deposit base and funding from non-financial companies and long-term funding from institutional clients. After applying the relevant weights, the capital base remained around 15.52%, retail deposits (including deposit from small sized business customers) remained 71.38% and wholesale funding remained 12.09% of the total Available Stable Funding (ASF).

The Required Stable Funding mainly comprises lending to corporates, retail clients and financial institutions which contributed 61.30% of the total RSF after applying the relevant weights. The stock of High Quality Liquid Assets, which majorly includes cash and reserve balances with the RBI, Govt. Debt issuances attracted no or low amount of stable funding due to their high quality and liquid characteristic. Accordingly, the HQLA and deposits held for operational purpose constituted only 1.61% of the required stable funding after applying the relevant weights. Other assets and Contingent Funding obligations, such as committed credit facilities, guarantees and letters of credit constituted 36.05% of the Required Stable Funding.

3. Investments

a) Composition of Investment Portfolio as on 31.03.2024

(Rs. in crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments	
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India		
Held to Maturity													
Gross	24608.57	0.00	0.00	11674.83	0.00	25.85	36309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36309.25	
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	24608.57	0.00	0.00	11674.83	0.00	25.85	36309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36309.25	
Available for Sale													
Gross	7607.46	0.00	362.66	5338.91	0.00	1049.33	14358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14358.36	
Less: Provision for depreciation and NPI	96.21	0.00	201.70	679.59	0.00	90.95	1068.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1068.46	
Net	7511.25	0.00	160.96	4659.32	0.00	958.37	13289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13289.90	
Held for Trading													
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	32216.03	0.00	362.66	17013.74	0.00	1075.18	50667.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50667.61	
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	189.52	621.89	0.00	0.00	811.41	0.00	0.00	0.00	0.00	811.41	
Less: Provision for depreciation and NPI	96.21	0.00	12.18	57.70	0.00	90.95	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	257.04	
Net	32119.82	0.00	160.96	16334.15	0.00	984.23	49599.16	0.00	0.00	0.00	0.00	49599.16	

(Rs. in crore)
Composition of Investment Portfolio as on 31.03.2023

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments	
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	Total Investments	
Held to Maturity													
Gross	22222.91	0.00	0.00	11674.83	0.00	36.32	33934.06	0.00	0.00	0.00	0.00	33934.06	
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Net	22222.91	0.00	0.00	11674.83	0.00	36.32	33934.06	0.00	0.00	0.00	0.00	33934.06	
Available for Sale													
Gross	6753.77	0.00	367.34	4036.49	0.00	372.67	11530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11530.27	
Less: Provision for depreciation and NPI	125.17	0.00	212.20	287.72	0.00	0.82	625.91	0.00	0.00	0.00	0.00	625.91	
Net	6628.60	0.00	155.14	3748.77	0.00	371.85	10904.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10904.36	
Held for Trading													
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Investments	28976.68	0.00	367.34	15711.32	0.00	408.99	45464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	45464.33	
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	191.06	267.49	0.00	0.00	458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	458.55	
Less: Provision for depreciation and NPI	125.17	0.00	21.14	20.23	0.00	0.82	167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	167.36	
Net	28851.51	0.00	155.14	15423.60	0.00	408.17	44838.42	0.00	0.00	0.00	0.00	44838.42	

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Rs. in crore)

	Particulars	2023-24	2022-23
i)	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	a) Opening balance	625.91	485.38
	b) Add: Provisions made during the year	710.73	306.07
	c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	268.18	165.54
	d) Closing balance	1068.46	625.91
ii)	Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	a) Opening balance	218.09	186.42
	b) Add: Amount transferred during the year	47.71	31.67
	c) Less: Drawdown	0.00	0.00
	d) Closing balance	265.80	218.09
iii)	Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments* in AFS and HFT/Current category	2%	2%

*Carrying value less net depreciation (ignoring net appreciation) i.e .the net amount reflected in the balance sheet.

Amount transferred to Investment Fluctuation Reserve during the year 2023-24 is Rs. 47,71,08,707.00

c) Sale and transfers to/from HTM category

i) During the year ended 31st March 2024 bank has shifted Government securities amounting to Rs 790.00 crore Face Value (Rs 794.01 crore Book Value) from Held to Maturity to Available for Sale category, whereas no security has been transferred from Available for Sale to Held to Maturity category. Gain on shifting of securities from HTM to AFS was not booked upfront and gain/loss was recognized on sale of such securities during the year.

ii) The value of shifting/ sales from HTM category (excluding onetime shifting at the beginning of year and sale under pre – announced Open Market Operations auctions) during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.



d) Non-SLR investment portfolio

i) Non-performing non-SLR investments

(Rs. in crore)

Sr. No.	Particulars	2023-24	2022-23
a)	Opening balance	482.60	438.11
b)	Additions during the year since 1 st April	512.37	192.32
c)	Reductions during the above period	164.81	147.83
d)	Closing balance	830.16	482.60
e)	Total provisions held	811.41	458.55

ii) Issuer composition of non-SLR investments

(Rs. in crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
		2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
a)	PSUs	12711.55	12763.17	12451.38	12564.69	0.00	0.00	12451.38	12587.21	12399.82	12498.37
b)	FIs	2160.97	1263.07	14.70	14.60	0.00	0.00	14.70	46.66	283.05	235.40
c)	Banks	1019.00	625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32	400.57	123.88
d)	Private Corporates	2443.25	1771.62	1005.66	364.83	920.12	523.91	957.34	547.95	1153.30	365.04
e)	Subsidiaries/Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	Others	116.80	64.31	116.80	64.31	21.37	26.23	116.80	64.31	116.80	64.31
g)	Provision held towards depreciation (including NPA)	(972.24)	(500.74)	(795.69)	(269.19)	(896.25)	(479.69)	(932.06)	(476.76)	(831.52)	(301.12)
	Total	17479.33	15986.91	12792.85	12739.24	45.24	70.46	12608.16	12792.69	13522.02	12985.88

e) Repo transactions (in face value terms) for FY 2023-24

(Rs. in crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2024
i) Securities sold under repo				
a) Government securities	360.00	1058.00	269.10	600.00
b) Corporate debt securities	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-
ii) Securities purchased under reverse repo				
a) Government securities	12.00	1700.00	174.22	1700.00
b) Corporate debt securities	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-

Repo transactions (in face value terms) FY 2022-23

(Rs. in crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2023
i) Securities sold under repo				
a) Government securities	-	-	-	-
b) Corporate debt securities	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-
ii) Securities purchased under reverse repo				
a) Government securities	1500.00	2754.00	171.55	0.00
b) Corporate debt securities	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-

f) Government Security Lending (GSL) transactions for FY 2023-24

(Rs. in crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31, 2024
Securities lent through GSL transactions	NIL				
Securities borrowed through GSL transactions					
Securities placed as collateral under GSL transactions					
Securities received as collateral under GSL transactions					



Government Security Lending (GSL) transactions for FY 2022-23

(Rs. in crore)

	Minimum out-standing during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31, 2023
Securities lent through GSL transactions	NIL				
Securities borrowed through GSL transactions					
Securities placed as collateral under GSL transactions					
Securities received as collateral under GSL transactions					

4. Asset quality

a) Classification of advances and provisions held

(Rs. in crore)

As on 31.03.2024						
	Standard	Non-Performing			Total	
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	75333.52	893.21	2893.27	1861.73	5648.21	80981.73
Add: Additions during the year					971.19	
Less: Reductions during the year					1954.05	
Closing balance	81299.13	870.53	2849.46	945.36	4665.35	85964.47
Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					249.38	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					908.71	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					754.62	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					41.34	
Provisions (Excluding Floating Provisions)						

Opening balance of provisions held	644.69	171.77	2126.28	1861.73	4159.78	4804.47
Add: Fresh provisions made during the year					636.16	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					1569.57	
Closing balance of provisions held	571.08	185.72	2095.35	945.30	3226.37	3797.45
Net NPAs						
Opening Balance					1411.50	
Add: Fresh additions during the year					723.54	
Less: Reductions during the year					784.58	
Closing Balance					1350.46	
Floating Provisions						
Opening Balance						
Add: Additional provisions made during the year						
Less: Amount drawn down during the year	NIL					
Closing balance of floating provisions						
Technical write-offs and the recoveries made there on						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						7257.41
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						754.62
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						736.15
Closing balance						7275.88



Classification of advances and provisions held

(Rs. in crore)

As on 31.03.2023							
	Standard	Non-Performing			Total		
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances		
Gross Standard Advances and NPAs							
Opening Balance	61822.26	833.13	5568.83	2162.86	8564.82	70387.08	
Add: Additions during the year					908.46		
Less: Reductions during the year					3825.07		
Closing balance	75333.52	893.21	2893.27	1861.73	5648.21	80981.73	
Reductions in Gross NPAs due to:							
i) Up gradation					235.28		
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1306.50		
iii) Technical/ Prudential Write-offs					2127.64		
iv) Write-offs other than those under (iii) above					155.65		
Provisions (Excluding Floating Provisions)							
Opening balance of provisions held	711.70	226.65	4367.08	2162.50	6756.23	7467.93	
Add: Fresh provisions made during the year					574.08		
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					3170.53		
Closing balance of provisions held	644.69	171.77	2126.28	1861.73	4159.78	4804.47	
Net NPAs							
Opening Balance					1742.27		
Add: Fresh additions during the year					712.16		
Less: Reductions during the year					1042.93		
Closing Balance					1411.50		
Floating Provisions							
Opening Balance	NIL						
Add: Additional provisions made during the year							
Less: Amount drawn down during the year							
Closing balance of floating provisions							

Technical write-offs and the recoveries made there on		
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts		5820.95
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year		2127.64
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year		691.18
Closing balance		7257.41

Ratios (%)	2023-24	2022-23
Gross NPA to Gross Advances	5.43	6.97
Net NPA to Net Advances	1.63	1.84
Provision coverage ratio (With TWO)	88.69	89.06
Provision coverage ratio (Without TWO)	71.05	75.01

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Rs. in Crore)

Sr.No.	Sector	2023-24			2022-23		
		Outstanding Total Advances*	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)
i)	Priority Sector	32635.81	2887.63	8.85	31285.60	2739.33	8.76
a)	Agriculture and allied activities	12523.73	1227.98	9.81	11787.44	1027.17	8.71
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	4596.64	438.30	9.54	4505.60	465.84	10.34
Of which, outstanding advances exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector							
b.i)	Textiles	940.25	158.66	16.87	947.29	158.25	16.71
b.ii)	Engineering	513.81	65.10	12.67	529.89	62.03	11.71
b.iii)	Metal and Metal Products	584.04	24.95	4.27	505.80	24.14	4.77



c)	Services	11748.40	1007.19	8.57	10375.46	983.33	9.48
d)	Personal loans	3767.04	214.17	5.69	4617.10	262.99	5.70
	Subtotal (i)	32635.81	2887.63	8.85	31285.60	2739.33	8.76
ii)	Non-priority Sector	53328.66	1777.71	3.33	49696.12	2908.87	5.85
a)	Agriculture and allied activities	1.98	0.28	14.14	0.00	0.00	0.00
b)	Industry	18014.21	833.84	4.63	18275.59	1231.17	6.74
Of which, outstanding advances exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector							
b.i)	Power & Energy	5485.45	42.51	0.77	5704.89	219.40	3.85
b.ii)	Social & Comm. Infra	3899.33	0.00	0.00	4596.03	0.02	0.00
b.iii)	Roads and Highways	3531.78	559.33	15.84	3264.07	733.05	22.46
c)	Services	23051.94	589.77	2.56	19600.56	1462.84	7.46
Of which, outstanding advances exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector							
c.i)	NBFC	11832.60	510.94	4.32	14060.02	1150.91	8.19
d)	Personal loans	12260.53	353.82	2.89	11819.97	214.86	1.82
	Sub-total (ii)	53328.66	1777.71	3.33	49696.12	2908.88	5.85
	Total (I + ii)	85964.47	4665.34	5.43	80981.72	5648.21	6.97

*Outstanding total advance refers to Gross Advances.

c) Overseas assets, NPAs and revenue

(Rs. in Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Total Assets	55.36	55.52
Total NPAs	0.00	0.00
Total Revenue	1.14	5.73

d) Particulars of resolution plan and restructuring

The Bank holds an additional standard asset provision in respect of 1 borrower's account, in terms of RBI Circular DBR No. BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June, 2019 on "Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets" amounting to Rs 24.48 crore (Rs.50.51 crores PY 31.03.2023). The details are as under:-

(Rs. in crore)

Amount of Loans Impacted by RBI Circular (A)	Amount of Loans to be classified as NPA (B)	Amount of Loans as on 31.03.2024, out of (B) classified as NPA (C)	Addl. Provision re-quired for loans covered under RBI Circular (D)	Provision out of (D) made by 31.03.2024 (E)
69.16	-	-	24.48	24.48

(Rs. in Crore)

Amount of Loans Impacted by RBI Circular (A)	Amount of Loans to be classified as NPA (B)	Amount of Loans as on 31.03.2023, out of (B) classified as NPA (C)	Addl. Provision re-quired for loans covered under RBI Circular (D)	Provision out of (D) already made by 31.03.2023 (E)
142.68	-	-	50.51	50.51

e) Divergence in asset classification and provisioning

As per RBI Master Direction No DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021-22 dated 30.08.2021 (updated on 15.11.2021, further updated on 25.10.2023 as per financial statements – presentation and disclosure , divergence in the asset classification and provisioning, Banks should disclose divergences in the asset classification and provisioning, Banks should disclose divergence, if either or both of the following conditions are satisfied:

- the additional provisioning for NPAs assessed by RBI as part of its supervisory process exceeds 5 percent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and
- the additional Gross NPAs identified by RBI as part of its supervisory process exceed 5 percent of the reported incremental Gross NPAs for the reference period.

Divergences are within threshold limits in the Bank as specified above. Hence, no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2022-23.

f) Disclosure of transfer of loan exposures

(i) In accordance with RBI circular no.DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021; in respect of the details of loans transferred/acquired during the year ended 31st March 2024 are given below:

- The bank has not transferred and (a) acquired Special Mention Account (SMA) during the quarter / year ended 31st March 2024. (31st March 2023 – Nil)



(b) The bank has transferred following Non Performing Assets (NPAs) during the quarter/ year ended 31st March 2024. (31st March 2023 – Nil)

Details of NPI transferred during 2023-24			
(All amounts in Rs. Crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other permitted transferees
No of accounts	1	-	-
Aggregate principal outstanding of loans transferred	14.83	-	-
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	-	-
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0	-	-
Aggregate consideration	1.67*	-	-
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	-	-
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	-	-	-

*Cash component of Rs 0.25 Crore received till 31.03.2024. However, Security Receipt amounting to Rs1.42 Crore is yet to be received.

Details of stressed loans (NPA) transferred during 2023-24			
(All amounts in Rs. Crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
No: of accounts	3	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	186.30	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NA	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	186.30	NIL	NIL
Aggregate consideration	134.23	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL
Details of loans acquired during the year			
From SCBs, RRBs, Co-operative banks, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)			From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL		NIL
Aggregate consideration paid	NIL		NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL		NIL

(c) Details of loans not in default acquired through assignment are given below:

Particulars	Amounts in Crore
Aggregate amount of loans acquired	-
Weighted average residual maturity (in months)	-
Weighted average holding period by originator (in months)	-
Retention of beneficial economic interest by the originator	-
Tangible security coverage	-

(d) Details of Standard assets acquired through assignment/ Novation and Loan Participation (Co-Lending):

Particulars	(Rs. in crore)		
	Quarter ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
No. of accounts purchased during the year	3219	11505	3931
Aggregate outstanding	631.96	2293.46	964.56
Weighted average maturity (in months)	167.94	166.82	158
Weighted average holding period (in months)	0.80	8.27	5.16
Retention of beneficial economic interest	MSME- 20% HL- 25%	MSME- 20% HL- 25%	MSME- 20% HL- 25%
Coverage of tangible security coverage	175.01	186.19	147.40

The loans acquired are not rated as these are to non-corporate borrowers.

(e) Details of Standard assets acquired through assignment/ Novation and Loan Participation (Pool Buy-out):

Particulars	Quarter ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
No. of accounts purchased	NIL		
Aggregate Loan outstanding (Rs. in.crore)			
Weighted average maturity (in months)			
Weighted average holding period (in months)			
Retention of beneficial economic interest			
Coverage of tangible security coverage (%)			



(ii) The distribution of the Security Receipts (SRs) held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31st March 2024:

(Rs. in crore)

Recovery Rating Band	31.03.2024 (Book Value)	31.03.2023 (Book Value)
RR1+	Nil	Nil
RR1	21.37	26.23
RR2	Nil	Nil
RR3	Nil	Nil
RR4	Nil	Nil
RR5	Nil	Nil
Rating Withdrawn	Nil	Nil
Unrated	68.06	Nil
Total	89.43	26.23

The bank has provided 100% provision against the mentioned Security receipts as on 31.03.2024.

g) Fraud accounts

(Rs. in crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Number of frauds reported (Nos.)	245	132
Amount involved in fraud	43.55	1363.22
Amount of provision made for such frauds	34.67	1137.14
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	0.00	0.00

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

i) Details of resolution plan implemented under the Resolution Framework for COVID-19 related stress as per RBI Circular dated August 6, 2020 (RF 1.0) and May 05,2021 (RF 2.0) are given below:-

For Half Year ended 31.03.2024

(Rs. in crores)

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of the previous half year (30.09.2023) (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) Amount written off during the half year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of this half year (31.03.2024)
Personal loans	816.32	33.46	0.00	52.72	748.90
Corporate persons#	803.53	26.56	0.00	60.08	712.26
Of Which MSME	426.27	26.24	0.00	36.03	320.76
Others	33.50	0.87	0.00	1.64	31.44
Total	1653.35	60.89	0.00	114.44	1492.60
#as defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					

For Half Year ended 30.09.2023

(Rs. in crores)

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the half year ended 31.03.2023 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) Amount written off during the half year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of this half year (30.09.2023)
(i) Personal loans	916.20	44.25	0.00	58.60	817.28
(ii) Corporate persons#	1041.82	141.35	0.00	119.07	802.57
Of Which MSME	534.56	57.61	0.00	68.99	426.27
(iii) Others	33.34	0.69	0.00	1.79	33.50
Total	1991.36	186.29	0.00	179.46	1653.35
#as defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					



For Half Year ended 31.03.2023

(Rs. in crores)

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan-Position as at the end of the previous half year (30.09.2022) (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) Amount written off during the half year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan-Position as at the end of this half year (31.03.2023)
(i) Personal loans	1003.24	43.86	0.00	60.93	916.20
(ii) Corporate persons#	1105.94	25.25	0.00	65.84	1041.82
Of Which MSME	599.41	25.25	0.00	52.36	534.56
(iii) Others	39.19	2.84	0.00	2.59	33.34
Total	2148.37	71.95	0.00	129.36	1991.36
#as defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					

For Half Year ended 30.09.2022

(Rs. in crores)

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan-Position as at the half year ended 31.03.2022 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) Amount written off during the half year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan-Position as at the end of this half year (30.09.2022)
(i) Personal loans	1101.15	67.29	0.00	69.81	1003.24
(ii) Corporate persons#	1735.18	65.84	0.00	564.36	1105.94
Of Which MSME	709.89	65.84	0.00	49.79	599.41
(iii) Others	46.40	2.84	0.00	4.17	39.19
Total	2882.73	135.97	0.00	638.34	2148.37
#as defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					

5. Exposures:

a) Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in crore)

Category		2023-24	2022-23
i) Direct Exposure			
(a)	Residential Mortgage		
i.	Lending fully secured by mortgages of residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	9114.95	8129.80
ii.	Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	3764.41	3875.73
(b) Commercial Real Estate			
	Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc)	479.17	814.68
(c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	-	-
a.	Residential	-	-
b.	Commercial Real Estate	-	-
ii) Indirect Exposure		4496.58*	6182.73*
Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)			
Total Exposure to Real Estate Sector		14090.70	15127.21

* Includes Rs781.04 crore (Previous year Rs. 869.92 crore) by way of Investment in NHB & Housing Finance Companies.

b) Exposure to Capital Market

(Rs.in crore)

Particulars		2023-24	2022-23
1	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	705.62	397.04
2	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.00	0.60



3	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
4	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-
5	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	-	-
6	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
7	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-
8	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
9	Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
10	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	27.37	38.07
Total Exposure to Capital Market		732.99	435.71

c) Risk Category wise Country Exposure

ECGC Classification	Risk category	Exposure (net) as at 31.03.2024	Provision held as at 31.03.2024	Exposure (net) as at 31.03.2023	Provision held as at 31.03.2023
A1	Insignificant	131.50	NIL	236.97	NIL
A2	Low risk	17.51	NIL	19.89	NIL
B1	Moderately Low risk	57.79	NIL	0.00	NIL
B2	Moderate Risk	0	NIL	0.70	NIL
C1	Moderately high risk	0	NIL	0.00	NIL
C2	High Risk	0	NIL	0.00	NIL
D	Very High Risk	0	NIL	0.00	NIL

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the Total Assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

d) Unsecured Advances**(Rs. in crore)**

Particulars	2023-24	2022-23
Total unsecured advances of the bank	7964.12	6578.70
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken	0.00	0.00
Estimated Value of such intangible	0.00	0.00

e) Factoring Exposures: Nil FY 2023-24 (Nil – PY 2022-23)**f) Intra-Group Exposures****(Rs. in crore)**

S. No.	Particulars	2023-24		2022-23	
		Sanctioned Loan/limit	Balance O/s	Sanctioned Loan/limit	Balance O/s
(a)	Total amount of intra-group exposures	NIL	NIL	NIL	NIL
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures	NIL	NIL	NIL	NIL
(c)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	NIL	NIL	NIL	NIL
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	NIL	NIL	NIL	NIL

g) Un-hedged Foreign Currency Exposure

The Bank has estimated the liability towards Unhedged Foreign Currency Exposure in terms of RBI (Unhedged Foreign Currency Exposure) Directions, 2022 vide circular DOR.MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 dated October 11, 2022 and is holding a provision of Rs 0.38 crore as on 31st March 2024. (Rs.0.04 crore as on 31.03.2023)

6. Concentration to Deposits, Advances, Exposures and NPAs**a) Concentration of Deposits****(Rs. in crore)**

Particulars	2023-24	2022-23
Total Deposits of twenty largest depositors	9825.34	13491.58
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank (%)	8.23	12.30



b) Concentration of Advances

(Rs. in crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Total Advances to twenty largest borrowers	21201.80	20677.61
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank (%)	23.60	25.53

c) Concentration of Exposures*

(Rs. in crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	21112.86	20946.94
Percentage of Exposure to the twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers (%)	17.51	22.24

*Exposure to Central Govt and Central Govt guaranteed have been excluded.

d) Concentration of NPAs

(Rs. in crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Total Exposure to the top twenty NPA Accounts	1444.41	2521.29
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs. (%)	30.96	44.64

7. Derivatives

Bank under derivatives only deals in merchant forward contract and the value of outstanding Forward contract is Rs 496.05 crore.

a) Forward rate agreement/Interest rate swap

(Rs. in crore)

Sr. No	Particulars	2023-24	2022-23
i)	The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v)	The fair value of the swap book	NIL	NIL

b) Exchange traded interest rate derivatives

(Rs. in crore)

Sr. No	Particulars	2023-24	2022-23
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March (instrument wise)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

Bank has not entered into derivative transactions in respect of Forward rate agreement/Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives during the year 2023-24. Accordingly, qualitative and quantitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.

(Rs. in crore)

Sr.No	Particular	2023-24		2022-23	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)	-	-	-	-
	i) For hedging	-	-	-	-
	ii) For trading	-	-	-	-
b)	Marked to Market Positions	-	-	-	-
	i) Asset(+)	-	-	-	-
	ii) Liability(-)	-	-	-	-
c)	Credit Exposure	-	-	-	-
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	-	-	-	-
	i) on hedging derivatives	-	-	-	-
	ii) on trading derivatives	-	-	-	-
e)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	-	-	-	-
	i) on hedging	-	-	-	-
	ii) on trading	-	-	-	-



d) Credit default swaps

Bank has not entered into any Credit Default Swaps during the year 2023-24.

8. Disclosures relating to securitization

(Numbers/Rs in crore)

Sr. No	Particulars	2023-24	2022-23
1.	No of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPEs	NIL	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply Minimum Retention Requirement (MRR) as on the date of balance sheet.	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR		
	a) Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	i) Exposure to own securitizations	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitizations	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	i) Exposure to own securitizations	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitizations	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL

5.	Sale consideration received for the securitized assets and gain/loss on sale on account of securitization	NIL	NIL
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way liquidity support, post- securitization asset servicing ,etc.	NIL	NIL
7.	Performance of facility provided for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Percent in bracket as of total value of facility provided. (a) Amount paid (b) Repayment received (c) Outstanding amount	NIL	NIL
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. (Breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc)	NIL	NIL
9.	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset.	NIL	NIL
10.	Investor complaints	0	3
	(a) Directly/Indirectly received and;		
	(b) Complaints outstanding	0	0

9. Off balance sheet SPVs sponsored

(Rs. in crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		Overseas	
31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
NA	NA	NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Rs. in crore)

Sr. No	Particulars	2023-24	2022-23
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	500.24	430.03
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	139.01	77.66
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	31.72*	7.45*
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	607.53	500.24

* Principal



11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

Sr. No	Particulars	2023-24	2022-23
	Complaints received by the bank from its customers		
1	Number of complaints pending at beginning of the year	86	202
2	Number of complaints received during the year	14354	19051
3	Number of complaints disposed during the year	14270	19167
	3.1 Of which, number of complaints rejected by the bank	663	366
4	Number of complaints pending at the end of the year	170	86
	Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5	Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	485	544
	5.1. Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	198	254
	5.2 Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	287	276
	5.3 Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	NIL	NIL
6	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	NIL	NIL

b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
2023-24					
Internet/Mobile/ Electronic Banking	14	4727	12.52	30	NIL
ATM/Debit Cards	30	4611	(58.21)	49	NIL
Loans and advances	16	821	28.68	18	2
Levy of charges without prior notice / excessive charges / foreclosure charges	1	758	24.67	13	NIL

Staff behavior	2	160	32.23	12	1
Others	23	3277	33.86	48	7
Total	86	14354	(24.65)	170	10
2022-23					
ATM/Debit Cards	32	11035	8.71	30	NIL
Internet/Mobile/ Electronic Banking	119	4201	(59.16)	14	1
Loans and advances	18	638	(11.02)	16	NIL
Levy of charges without prior notice/excessive charges/fore closure charges	5	608	215.03	1	NIL
Cheques / drafts/ bills	Nil	135	62.65	2	NIL
Others	28	2434	(4.25)	23	2
Total	202	19051	(20.53)	86	3

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India: During the year penalty was levied by RBI in following 2 instances (1 instance - PY 2022-23)

(Rs. in crore)

Particulars	2023-24	2022-23
A. Penalty imposed by RBI vide letter dated 25.09.2023 on account of Bank failing to credit an amount of Rs. 70.65 crore standing to the credit of 263865 accounts to DEAF Fund within the period prescribed under provision of Section 26A of Banking Regulation Act, 1949.	1.00	0.00
B. Penalty imposed by Reserve Bank of India (RBI) vide order dated 3 rd January 2024 for non-compliance with certain directions issued by RBI on 'Loans & advances – Statutory and other Restrictions.' This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI conferred under the provision of Section 47A (1) (c) read with section 46 (4) (i) and 51 (1) of the Banking Regulation Act, 1949.	1.00	0.00
C. Penalty imposed by RBI on account of Non-compliance of the directions issued by RBI circular No. DBR.DIR.BC.No.14/13.03.00/2019-20 dated September 04, 2019 on 'External Benchmark Lending'.	0.00	0.275

13. Disclosures on Remuneration - Not Applicable to bank



14. Other Disclosures

a) Business Ratios

(Rs. in crore)

Particular	2023-24	2022-23
i) Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	6.68	5.99
ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	0.84	0.70
iii) Cost of Deposits (%)	5.55	4.53
iv) Net Interest Margin (%)	2.45	2.91
v) Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	0.78	1.09
vi) Return on Assets (%)	0.41	0.98
vii) Business (deposits plus advances) per employee	23.35	21.45
viii) Profit per employee	0.07	0.15

b) Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(Rs. in crore)

	2023-24	2022-23
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	23.70	19.75
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	3.59	3.38
C. Commission on APY	1.19	1.53

c) Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Marketing and Distribution Function (Excluding Bancassurance Business)

(Rs. in crore)

	2023-24	2022-23
Commission on Sovereign Gold Bond Scheme	0.46	0.43
Commission on ASBA	0.01	0.01
Commission on SBICPSL	0.81	0.00

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

Bank has sold 1200 units under Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) to the tune of Rs 300.00 crore under Small & Marginal farmers and earned commission income of Rs 6.75 crore during year ended 31st March 2024.

Bank has sold 3400 units under Priority Sector Lending certificates (PSLCs) to the tune of Rs.850.00 crore under Small & marginal farmers and earned commission income of Rs.9.74 Crore during the year ended 31.03.2023

Further, Bank has purchased 20440 units (12000 units in Agriculture and 8440 units in Small & Marginal Farmers) under Agriculture and Small & Marginal farmers and incurred cost of Rs 23.23 crore (Rs 8.99 crore in Agriculture and Rs 14.24 crore in Small & Marginal farmers) during year ended 31st March 2024.

e) Provisions and contingencies

(Rs. in crore)

Provision debited to Profit and Loss Account	2023-24	2022-23
Provisions for NPI	352.86	25.13
Provision towards NPA	(178.80)	(471.06)
Provision made towards Income tax	341.56	306.81
Other Provisions and Contingencies (with details)	19.90	276.03

(Rs. in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2023-24	2022-23
Provision for Non Performing Advances	(178.80)	(471.06)
Provision for Standard Advances	(73.61)	(67.01)
Provision for diminution in FV Restructured Advances	(0.79)	(1.78)
Provision for Non Performing Investments	352.86	25.13
Provision for Fraud	0.22	54.93
Rebate on Advances	41.35	155.65
Other Provisions	52.73	134.23
Provision for Taxation:		
Current Tax	220.45	265.13
Deferred Tax	224.02	324.10
MAT Credit Entitlement–Current Year	(102.91)	(282.41)
MAT Credit Entitlement Reversed	0.00	0.00
Total	535.52	136.91



f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

Bank is complying with the reporting requirements of statutory authorities in relation to IND-AS. Bank has on boarded a consultant having considerable experience in the field of implementation of IND-AS. The consultant is assisting the bank in devising a road map with respect to smooth implementation of Ind AS.

g) Payment of DICGC Insurance Premium

(Rs. in crore)

Sr. No.	Particulars	2023-24	2022-23
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	158.14	142.86
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	0.00	0.00

h) Disclosure of facilities granted to directors and their relatives : Not Applicable to bank

i) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of bank

The estimated additional Pension liability on account of revision in family pension was Rs 236.84 crore. RBI vide its Circular RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, had permitted all member Banks of Indian Banks Association to amortize the said additional liability over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending 31st March 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being charged every year. The Bank is amortizing the said liability over a period, not exceeding 5 years commencing from the financial year ended 31st March 2022, subject to a minimum of Rs 47.37 crore every year. Balance unamortized amount as on 31st March 2023 was Rs.142.10 crore. Accordingly, the Bank has charged an amount of Rs.11.37 crore and Rs.47.37 crore to the Profit & Loss account during current quarter and year ended 31st March 2024 respectively and the balance unamortized amount of Rs.94.73 crore has been carried forward. Had the Bank charged the entire additional liability to the Profit and Loss Account, the net profit (after tax) for the quarter and year ended 31st March 2024 would have been lower by Rs.61.63 crore.

j) Letter of Comfort (LOCs)

Letter of Comfort (LOC) amounting to Rs. 3.45 crore, issued to other Banks for Non fund credit facilities, which are a part of total credit facilities (Funded/Non funded) issued to the borrowers and outstanding as on 31.03.2024.

k) Disclosure in terms of RBI circular no.DOR.STR.REC.91/21.04.018/2021-22 dated December 13, 2022:

i) Items under the subhead “Miscellaneous Income” under the head “Schedule 14 – Other Income” exceeding 1% of Total Income.

(Rs. in crore)

S.No.	Particulars	2023-24	% out of Total Income	2022-23	% out of Total Income
1	Recovery in Technical Write Off Accounts	691.42	6.33	511.64	5.73
2	Miscellaneous Income	143.36	1.31	110.82	1.24

ii) Items under the subhead “Other Expenditure” under the head “Schedule 16 – Operating Expenses” exceeding 1% of Total Income : NIL.

iii) Items under the head “Schedule 5(IV) – Other Liabilities and Provisions- “Others (including provisions)” exceeding 1% of Total Assets: NIL

iv) Items under the head “Schedule 11(VI) – Other Assets - “Others” exceeding 1% (one percent) of Total Assets.

(Rs. in crore)

S.No.	Particulars	2023-24	% out of Total Assets	2022-23	% out of Total Assets Income
1	Rural Infrastructure Development Fund [RIDF]	1673.84	1.15	2359.44	1.73

15. Disclosure as per Accounting Standard (AS)

15.1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

15.1.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

15.2 AS-9 Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as disclosed at point no. 8 – “Revenue Recognition” of **Schedule 17 – Significant Accounting Policies**. However, in terms of RBI guidelines, the said income is not considered to be material.

15.3 AS-10 Property Plant & Equipment/ Fixed Assets

The bank has conducted revaluation of its immovable properties during the FY 2023-24 based on the reports obtained from the external independent valuers. The closing balance of Revaluation Reserve as on 31.03.2024 (Net of amount transferred to revenue reserve) is Rs. 1066.39 crore (Previous year Rs. 912.22 crore).



15.4 AS 15 - Employees Benefit

Provisions for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) Employees Benefits issued by the ICAI.

The summarized position of post-employment benefits recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet is as under:

Changes in the Present value of the Obligation

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April	4698.52	4610.95	321.37	319.58	272.22	257.93
Interest cost	319.23	313.48	21.96	21.95	18.91	18.05
Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Current service cost	195.63	214.86	26.73	24.90	58.18	16.94
Benefits paid	(517.03)	(453.22)	(34.39)	(35.31)	(20.49)	(19.38)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	217.08	12.45	13.76	(9.75)	(21.02)	(1.32)
Present value of defined Benefit obligation at 31st March	4913.43	4698.52	349.43	321.37	307.80	272.22

Changes in the Present Value of Plan Assets

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Fair value of Plan Assets as at 1st April	4432.10	4322.98	318.26	321.08	269.60	262.41
Expected return of Plan Assets	354.12	339.35	25.56	25.37	18.63	17.53
Contributions	381.81	282.83	28.11	13.79	20.62	9.24
Benefits paid	(517.03)	(453.22)	(34.39)	(35.31)	(20.49)	(19.38)
Actuarial gain/(loss)	13.41	(59.84)	2.55	(6.67)	(0.13)	(0.20)
Fair value of Plan Assets as at 31st March	4664.41	4432.10	340.09	318.26	288.23	269.60
Actual return on Plan Assets	367.53	279.51	28.11	18.70	18.50	17.33

Net Actuarial Loss/ (Gain)**(Rs. in crore)**

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	217.08	12.45	13.76	(9.75)	(21.02)	(1.32)
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets (B)	(13.41)	59.84	(2.55)	6.67	0.13	0.20
Net Actuarial loss/(gain)	203.67	72.29	11.21	(3.08)	(20.89)	(1.12)
Actuarial loss/(gain) recognized in the period (A+B)	203.67	72.29	11.21	(3.08)	(20.89)	(1.12)
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Amount recognized in the Balance Sheet**(Rs. in crore)**

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Present value of defined benefit obligation as at 31st March	4913.43	4698.52	349.43	321.37	307.80	272.22
Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	4664.41	4432.10	340.09	318.26	288.23	269.60
Excess net Asset / (Unfunded Liability) Recognized in the balance sheet	(249.02)	(266.42)	(9.34)	(3.11)	(19.57)	(2.62)
Higher Provisioning kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	--	--	--	--	--	--
Unrecognized transitional liability	--	--	--	--	--	--
Excess net Asset / (Unfunded Liability) Recognized in the balance sheet	(249.02)*	(266.42)	(9.34)	(3.11)	(19.57)	(2.62)

* including deferred Family pension liability of Rs 94.73 Crore



Expenses recognized in the Profit & Loss Account

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave	Encashment
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	(Funded)	
Current service cost	195.63	214.86	26.73	24.90	58.18	16.94
Past Service Cost	--	--	--	--	--	--
Interest cost	319.23	313.48	21.96	21.95	18.91	18.05
Expected return on plan assets	(354.12)	(339.35)	(25.56)	(25.37)	(18.63)	(17.53)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	203.67	72.29	11.21	(3.08)	(20.89)	(1.12)
Deferred Pension Expenditure	--	--	--	--	--	--
Net (Benefit)/ Expense	364.41	261.28	34.34	18.40	37.57	16.34

Movements in the liability recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Opening net Liability/(Asset)	266.42	287.97	3.11	(1.50)	2.62	(4.48)
Add: Deferred Pension Expenditure	--	--	--	--	--	--
Add: Net benefit expense	364.41	261.28	34.34	18.40	37.57	16.34
Less: Contribution paid	381.81	282.83	28.11	13.79	20.62	9.24
Closing liability/(Asset)	249.02	266.42	9.34	3.11	19.57	2.62
Add: Higher Provisioning Kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Closing liability/(Asset)	249.02*	266.42	9.34	3.11	19.57	2.62

* including Deferred Family Pension Liability of Rs 94.73 Crore

Investment percentage maintained by the trust

(in % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Central Government Securities	5.73	6.29	--	--	--	--
State Government Securities	9.12	13.24	19.85	21.09	--	--
High Safety Bonds/TDRs	9.64	9.76	19.62	20.95	88.86	82.47
Other investments	75.51	70.71	60.53	57.96	11.14	17.53

Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date

(in % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Discount rate	7.19	7.15	7.22	7.27	7.22	7.27
Expected rate of return on plan assets	7.99	7.85	8.03	7.90	6.91	6.68
Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Mortality Table	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

Basis of Actuarial Assumptions considered

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future increase in salary is considered in actuarial valuation taking into account inflation, seniority, promotion, and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.
Mortality Table	A mortality table, also known as a life table or actuarial table, shows the rate of deaths occurring in a defined population during a selected time interval, or survival rates from birth to death.

Other long term employee benefit (Non funded)

(Rs. in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment		Silver jubilee Bonus		Medical Benefits		Retirement Gifts	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Present Value of Obligation	7.75	7.92	1.39	1.32	0.81	0.71	1.28	1.29
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL



Higher Provisioning kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	7.75	7.92	1.39	1.32	0.81	0.71	1.28	1.29

Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date

(Rs. in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment		Silver jubilee Bonus		Retirement Gifts	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Discount Rate	7.22	7.27	7.22	7.27	7.22	7.27
Expected rate of return on plan assets	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rate of escalation	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Mortality Table	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

15.5 AS 17 – Segment Reporting:

Part A : Business Segment

(Rs. in crore)

Particulars	Year Ended	
	31.03.24 (Audited)	31.03.23 (Audited)
1. Segment Revenue		
a) Treasury	2667.42	2345.16
b) Corporate/ Wholesale Banking	3967.80	3071.45
c) Retail Banking	4251.75	3491.41
- Digital Banking	0.17	0.00
- Other Retail Banking	4251.58	3491.41
d) Other Banking Operations	28.48	24.67
Total	10915.45	8932.69
2. Segment Result		
a) Treasury	553.36	759.02
b) Corporate/ Wholesale Banking	683.49	553.68
c) Retail Banking	732.40	629.39

- Digital Banking	(1.36)	(0.50)
- Other Retail Banking	733.76	629.89
d) Other Banking Operations	28.48	24.67
Total	1997.73	1966.76
3. Unallocated Expenses	866.79	516.82
4. Operating Profit	1130.94	1449.94
5. Provisions & Contingencies	193.96	(169.90)
6. Income Tax	341.56	306.81
7. Extra Ordinary Profit/ Loss	0.00	0.00
8. Net Profit	595.42	1313.03
Other Information:		
9. Segment Assets		
a) Treasury	50360.82	45476.84
b) Corporate/ Wholesale Banking	45386.04	41394.98
c) Retail Banking	48634.09	47054.84
- Digital Banking	1.58	0.77
- Other Retail Banking	48632.51	47054.07
d) Other Banking Operations	0.00	0.00
e) Unallocated Assets	3275.58	2527.86
Total Assets	147656.53	136454.52
10. Segment Liabilities		
a) Treasury	46069.25	41159.64
b) Corporate/ Wholesale Banking	41518.41	37465.28
c) Retail Banking	44489.67	42587.84
- Digital Banking	2.94	1.28
- Other Retail Banking	44486.73	42586.56
d) Other Banking Operations	0.00	0.00
e) Unallocated Liabilities	45.77	133.26
Total Liabilities	132123.10	121346.02
11. Capital Employed		
a) Treasury	4291.57	4317.20
b) Corporate/ Wholesale Banking	3867.63	3929.70
c) Retail Banking	4144.42	4467.00
- Digital Banking	(1.36)	(0.51)
- Other Retail Banking	4145.78	4467.51
d) Other Banking Operations	0.00	0.00



e) Unallocated Liabilities	3229.81	2394.60
Total Capital Employed	15533.43	15108.50

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/ Wholesale Banking, c) Retail Banking (further classified into Digital Banking and Other Retail banking) and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Part B Geographical Segment:

Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

15.6 AS 18 – Related Party Disclosures

Key Managerial Personnel:

Mr. Swarup Kumar Saha	Managing Director & CEO w.e.f. 03.06.2022
Mr. S. Krishnan	Managing Director & CEO w.e.f. 04.09.2020 upto 31.05.2022
Mr. Kollegal V Raghavendra	Executive Director upto 30.06.2023
Dr. Ram Jass Yadav	Executive Director upto 30.04.2024
Mr. Ravi Mehra	Executive Director w.e.f. 09.10.2023

Related party to KMP

Dr. Ram Jass Yadav	Smt. Krishna Yadav	Spouse
	Sh. Saurabh Yadav	Son
Mr. Ravi Mehra	Smt. Babita Mehra	Spouse
	Ms. Nandini Mehra	Daughter
	Ms. Paranjaya Mehra	Daughter

(Rs in lacs)

Items/ Related Party	Key Management Personnel & their relatives	Key Management Personnel & their relatives
Balance Outstanding	31.03.2024	31.03.2023
Deposits	205.31	74.61
Advances	59.24	17.52
Transaction made during the year		

Interest Paid	5.05	3.14
Interest Received	3.04	0.08
Remuneration Paid (refer detail below)	112.50	108.16
Mr. Swarup Kumar Saha	42.35	28.34
Mr. Kollegal V Raghavendra	12.66	34.32
Dr. Ram Jas Yadav	38.61	32.69
Mr. Ravi Mehra	18.88	0.00
Mr. S. Krishnan	0.00	12.81

Note: Related party relationship is as identified by the Bank and relied upon by the Auditors.

15.7 AS 19 – Leases

Operating lease primarily comprise of office premises and staff residencies, which are renewable at the option of the Bank/Lessor normally at the end of lease period.

- As per information available, non-cancellable lease as on 31.03.2024: NIL (Previous Year: NIL).
- Amount of lease payments recognized under Schedule – 16 – “II. Rent, taxes and lighting” in Profit and loss Account for operating leases is as under:

(Rs. in crore)

Current Year ended 31.03.2024	Previous Year ended 31.03.2023
141.77	136.55

15.8 AS 20 - Earning Per Share

(Rs. in crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Net Profit After tax available for equity Shareholders	595.42	1313.03
Weighted Average Number of Equity Shares (in crore)	677.78	677.78
Basic and Diluted Earnings per Share (Rs.)	0.88	1.94
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

15.9 AS 21 – Consolidated Financial Statement

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 21 is not applicable.

15.10 AS 22 – Accounting for Taxes on Income



15.10.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI

15.10.2 Major components of Deferred Tax Assets/Liabilities are as under:

(Rs. in crore)

Head		Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1	Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00	13.80	12.82
2	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	0.00	0.00	73.67	70.06
3	Provision for NPA on Investments	283.54	160.24	0.00	0.00
4	Provision for Wage Revision	105.01	20.77	0.00	0.00
5	Provision for Advances	1318.55	1670.45	0.00	0.00
6	Provision for diminution in FV of Restructured Advances	0.60	0.87	0.00	0.00
7	Accumulated loss	0.00	74.8	0.00	0.00
Total		1707.70	1927.13	87.47	82.88

15.10.3 Provision for Income Tax and Deferred Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favourable judicial pronouncements.

15.10.4 Review of Deferred Tax Assets has been carried out based on Bank management's estimate of possible tax benefits against timing difference in accordance with Accounting Standard – 22 "Accounting for Taxes on income" issued by The Institute of Chartered Accountants of India and Net Deferred Tax Assets of Rs 1620.23 crore is recognized as at 31st March 2024 (Rs. 1844.25 crore as at 31st March 2023).

15.10.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income aggregating to Rs.887.01 crore (Previous year Rs. 709.31 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.

15.10.6 The Government of India, vide the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019, inserted section 115BAA in the Income Tax Act 1961 w.e.f. April 1, 2019. The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of The Income Tax Act, 1961 and opted to continue to recognize the Taxes on Income for the year ended 31.03.2024 as per the earlier provisions.

15.11 AS 23 – Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 23 is not applicable.

15.12 AS 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

15.13 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2024, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets including advances has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

15.14 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets

15.14.1 As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for –

- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or
- b) Any present obligation from the past events but is not recognized because
 - It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

15.14.2 Movement of Provision against Contingent Liabilities:

(Rs. in crore)

Particulars	Opening Balance		Additions during the year		Reduction during the year		Closing Balance	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Claims against the Bank not acknowledged as Debt	26.96	25.53	2.71	1.92	0.04	0.49	29.63	26.96
Invoked Bank Guarantees	7.65	7.63	0.38	0.02	Nil	Nil	8.03	7.65
L.C Devolved	Nil							



15.15 Other significant accounting policies has been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

16. Disclosures in Terms of MSMED Act, 2006

Guideline given in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 have been complied with for purchases made during FY 2023-24 and payments have been made to the vendors in time as per Act. Since there had been no delay in payment, therefore no penal interest had been paid during FY 2023-24.

17. As per the Reserve Bank of India directions for initiating Insolvency Process- Provisioning Norms, vide letter No. DBR. No. BP:15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017, and DBR. No.BP.1907/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017, the bank is holding the provisioning of Rs 230.05 crore (31st March, 2023- Rs 265.44 crore) as against the balance outstanding of Rs 230.05 crore (31st March, 2023 – Rs 265.44 crore) as on 31st March, 2024 in respect of NPA borrowal accounts referred in aforesaid circular.

18. Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2023-24, the Bank has exceeded the LEF limits set by RBI to single borrower/ group borrower in the following cases :-

Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Limit of Exposure as per LEF(%)	Limit / Liability as on 31.03.2024	Exposure (%) w.r.t. Tier-1 Capital as on 31.03.2023
NIL				

19. The bank has funded exposure of Rs 119.28 crore in two borrower’s accounts which are under litigation and respective adjudicating authorities have granted stay on downgrading. The bank has made adequate provisions for the accounts.

20. The Bank has made a total provision of Rs 334.50 crore towards wage revision w.e.f 1st November 2022 as per provision of 12th bipartite wage settlement and 9th joint note dated 8th March 2024.

21. Pursuant to the RBI circular dated 19th December 2023, in respect of investment in Alternate Investment Fund (AIF), Rs 0.50 crore provision is required during the quarter/ year ended 31st March 2024 and the same has been provided.

22. The figures of previous period have been regrouped and reclassified wherever considered necessary in order to make them comparable with the figures of the current period.

PUNJAB & SIND BANK
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(Rs in Lacs)

	2023-24	2022-23
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit as per Profit & Loss Account	59542	131303
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	53552	13691
Depreciation on Fixed Assets	15008	14833
Profit on sale of Assets	-44	-215
Interest on Bonds	10613	11659
Corporate Social Responsibility Fund	-4	0
Operating Profit before working capital changes	138667	171271
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	974406	752848
Increase / (Decrease) in Borrowings	75247	757475
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	34579	19522
(Increase) / Decrease in Investments	-515817	-271422
(Increase)/ Decrease in Advances	-577871	-1287568
(Increase) / Decrease in Other Assets	79924	15650
Direct Taxes Paid (Net of refund)	-34247	-14940
Cash Flow from Operating Activities (A)	174888	142836
B. Cash Flow from Investing Activities		
Increase in Fixed Assets	-22907	-9031
Profit on sale of Assets	44	215
Cash Flow from Investing Activities (B)	-22863	-8816
C. Cash Flow from Financing Activities		
Redemption of Subordinated Bonds	0	-100000
Interest on Bonds	-10613	-11659
Dividend on Equity	-32533	-21011
Employees Welfare Trust	-250	-500



Cash Flow from Financing Activities (C)	-43396	-133170
Cash flow from Operating Activities	174888	142836
Cash flow from Investing Activities	-22863	-8816
Cash flow from Financing Activities	-43396	-133170
Increase in Cash & Cash Equivalents	108629	850
Cash and Bank Balances (Opening)	629672	628822
Cash and Bank Balances (Closing)	738301	629672

Arnab Goswamy
CHIEF FINANCIAL OFFICER

Ravi Mehra
EXECUTIVE DIRECTOR

Swarup Kumar Saha
MANAGING DIRECTOR & CEO

<p>Chaturvedi & Co. Chartered Accountants FRN: 302137E UDIN: 24012705BKFYMR8992</p> <p>(CA Satish Chandra Chaturvedi) Partner M.No. 012705</p>	<p>Manohar Chowdhry & Associates Chartered Accountants FRN: 001997S UDIN: 24225084BKDZRW9176</p> <p>(CA P. Venkataraju) Partner M.No.225084</p>
<p>S. P. Chopra & Co. Chartered Accountants FRN: 000346N UDIN: 24092529BKCYON7406</p> <p>(CA Pawan K Gupta) Partner M.No.092529</p>	<p>Gupta Sharma & Associates Chartered Accountants FRN: 001466N UDIN:24531165BKEFGA8947</p> <p>(CA Dhananjay Sharma) Partner M.No.531165</p>

Dated: May 10, 2024
Place: New Delhi

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer



श्री अरुण कुमार अग्रवाल
Sh. Arun Kumar Agarwal

महाप्रबंधक / General Managers



श्री एस वी एम कृष्णा राव
Sh. S V M Krishna Rao



श्री गोपाल कृष्ण
Sh. Gopal Krishan



श्री प्रवीण कुमार
Sh. Praveen Kumar



श्री राजेंद्र कुमार रैगर
Sh. Rajendra Kumar Raigar



श्री दिनेश कुमार गोयल
Sh. Dinesh Kumar Goyal



श्री राजेश सी पाण्डेय
Sh. Rajesh C Pandey



श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर
Sh. Gajraj Devi Singh Thakur



श्री चमन लाल शीहमार
Sh. Chaman Lal Shienhmar




श्री मनोज कुमार
Sh. Manoj Kumar



श्रीमती रश्मिता क्वात्रा
Smt. Rashmita Kwatra



श्री निलेंद्र के प्रभात
Sh. Nilendra K Prabhat



श्री विनोद कुमार पाण्डेय
Sh. Vinod Kumar Pandey



TOLL FREE : 1800 419 8300

Website : <https://punjabandsindbank.co.in>

Follow us @PSBIndOfficial [f](#) [t](#) [in](#) [ig](#) [yt](#)

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫੁੜੀ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਉਪਕ੍ਰਮ)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰਜਾਲਯ : 21, ਰਾਜੇਂਦ੍ਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110008, ਫੋਨ : 011-25720849, 25812922, ਈ-ਮੇਲ: complianceofficer@psb.co.in
 Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi-110008, Phone: 011-25720849, 25812922, E-mail: complianceofficer@psb.co.in
 ਕੌਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜਾਲਯ : ਏਨਬੀਸੀਸੀ ਕਾਰਜਾਲਯ ਕੌਮਪਲੈਕਸ, ਬਲੌਕ-3, ਪ੍ਰਵੀਂ ਕਿਦਵੈਂ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110023, ਫੋਨ : 011-40175169
 Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023, Phone: 011-40175169